लोक सभा वाद - विवाद का
हिन्दी संस्करण

खण्ड I

अंक 5-7

15-17 जुलाई
1991

पी.एल.

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 15 जुलाई, 1991 / 24 आषाढ़, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
79	ऊपर से पंक्ति 2	"गोविन्द राम निकाम" के स्थान पर "श्री गोविन्द राव निकम" पढ़िये।
83	नीचे से पंक्ति 12	"68" के स्थान पर "67" पढ़िये।
110	ऊपर से पंक्ति 6	"श्री सैयद शहाबुद्दीन" के स्थान पर "श्री सैयद शाहबुद्दीन" पढ़िये।
149	नीचे से पंक्ति 3	"श्री दाऊ दयाक जोशी" के स्थान पर "श्री दाऊ दयाल जोशी" पढ़िये।
152	नीचे से पंक्ति 17	"आगामो रेल बजट सम्मिलित" के स्थान पर "आगामी रेल बजट में सम्मिलित" पढ़िये।
213	नीचे से पंक्ति 3	"श्री राम किला पासवान" के स्थान पर "श्री राम किलास पासवान" पढ़िये।
216	ऊपर से पंक्ति 5	"श्री गुमान मल लोढ़ा" के स्थान पर "श्री गुमान मल लोढ़ा" पढ़िये।
216	ऊपर से पंक्ति 10	"(कसौल बाग)" के स्थान पर "(करौल बाग)" पढ़िये।
236	नीचे से पंक्ति 12	"श्री संतोष कुमार गंगावर" के स्थान पर "श्री संतोष कुमार गंगवार" पढ़िये।
236	नीचे से पंक्ति 17	"श्री तारा चन्द खंडेवाल" के स्थान पर "श्री तारा चन्द खंडिलवाल" पढ़िये।

दसवीं माला, खंड 1, अंक 5

सोमवार, 15 जुलाई, 1991
24 आषाढ़, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा ।)

विषय–सूची

दशम माला, खन्ड–1, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 5, सोमवार, 15 जुलाई, 1991/24 आषाढ़, 1913 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	22, 23, 26, 27, 30 और 31	1–21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	65–286	21–144
तारांकित प्रश्न संख्या :	24, 25,28,29, 32, 33 और 35 से 40	21–75
अतारांकित प्रश्न संख्या :	56, 58 से 100, 102 से 125, 127 से 132, 134 और 135	75–144
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण		144–151
सभा पटल पर रखे गए पत्र		151
नियम 377 के अधीन मामले		151–154
(एक)	महाराष्ट्र के वानी में इलैक्ट्रानिक या स्वचालित टेलीफोन केन्द्र लगाए जाने की आवश्यकता श्री उत्तमराव डी० पाटिल	151
(दो)	आदिवासी क्षेत्रों में किए जा रहे निर्माण कार्य का मौके पर निरीक्षण करने के लिए संभाग स्तरीय निगरानी समिति नियुक्त किए जाने की आवश्यकता श्री मनकूराम सोढ़ी	152
(तीन)	आबू रोड फलना-रानी होते हुए अहमदाबाद से दिल्ली तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण आगामी रेल बजट में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता श्री गुमान मल लोढा	152
(चार)	दिल्ली–अहमदाबाद मीटर गेज रेल लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता प्रो० रासा सिंह रावत	153–154

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित ?? चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

(पांच) सहरसा में ऊपरी रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता
श्री सूर्य नारायण यादव 153

(छः) बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी के कारण होने वाले भू-कटाव की रोकथाम के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता
श्री तेज नारायण सिंह 153

(सात) मुम्बई में हाल में भारी वर्षा के कारण हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय सर्वेक्षण दल भेजे जाने की आवश्यकता
श्री राम नाईक 153

(आठ) आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में मरूस्थल-रोधी कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता
श्री सानीपल्ली गंगाधरा 154

मन्त्रिपरिषद में विश्वास का प्रस्ताव 154

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट . . 155–157
श्री ए० अशोकराज . . . 157–159
श्री सैफुद्दीन चौधरी . . . 159–166
श्री इन्द्रजीत गुप्त . . . 166–179
श्री अर्जुन सिंह 179–183
श्री चित्त बसु 184–187
श्री उमारेड्डी वेंकटेश्वरालु . 187–192
श्री नानी भट्टाचार्य 192
श्री सूरज मंडल . . . 192–198
डा० जयन्त रंगपी . . 198–201
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी . . 201–203
श्री जसवंत सिंह 203–206
श्री राम विलास पासवान . . . 207–216
श्री फ्रैंक एन्थनी 216–217
श्री पी० वी० नरसिंह राव . . . 217–239

लोक सभा

सोमवार, 15 जुलाई, 1991/24 आषाढ़, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निरक्षरता की प्रतिशतता

(अनुवाद)

*22 **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में निरक्षर लोगों की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) राज्य वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार निरक्षरों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में निरक्षरता संबंधी वर्तमान स्थिति में सुधार करने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत के महापंजीयक द्वारा जारी 1991 की जनगणना के अस्थाई आंकड़ों के अनुसार, देश में निरक्षरता दर 47.89 प्रतिशत है।

(ख) 1991 की जनगणना के अस्थाई आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक राज्य व संघ राज्य क्षेत्र में निरक्षरों की संख्या व निरक्षरता दर को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्कूलों में बनाए रखना, शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और 1995 तक (15–35) आयु वर्ग के आठ करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखने वाला राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए चल रहे व्यापक कार्यक्रम के ही अभिन्न अंग ह।

अनुलग्नक–1

राज्य वार निरक्षर व्यक्तियों की संख्या एवं निरक्षरों का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्ति (सभी आयु वर्ग)	निरक्षरता का प्रतिशत (7 वर्ष एवं अधिक आयु के)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	41464398	54.89
2.	अरूणाचल प्रदेश	576245	58.78
3.	असम	12663033	46.58
4.	बिहार	59484464	61.46
5.	गोवा	386620	23.04
6.	गुजरात	1990865	39.09
7.	हरियाणा	8886007	44.67
8.	हिमाचल प्रदेश	2386470	36.46
9.	जम्मू और कश्मीर	जनगणना नहीं हुई	
10.	कर्नाटक	23743281	44.02
11.	केरल	6353252	9.41
12.	मध्य प्रदेश	42643906	56.55
13.	महाराष्ट्र	35905805	36.95
14.	मणिपुर	931491	39.04
15.	मेघालय	1071207	51.74
16.	मिजोरम	223971	18.77
17.	नागालैण्ड	594525	38.70
18.	उड़ीसा	18600165	51.45
19.	पंजाब	10237830	42.86
20.	राजस्थान	30262368	61.19
21.	सिक्किम	216833	43.47
22.	तमिलनाडू	25254902	36.28
23.	त्रिपुरा	1376260	39.61
24.	उत्तर प्रदेश	91889322	58.29
25.	पश्चिम बंगाल	35263392	42.28

1	2	3	4
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	106740	26.26
27.	चण्डीगढ़	211716	21.27
28.	दादरा व नागर हवेली	93469	60.55
29.	दमन व द्वीव	39942	26.42
30.	दिल्ली	3420947	23.91
31.	लक्षद्वीप	18119	20.77
32.	पाण्डिचेरी	279670	25.09
	भारत	48 2217615	47.89

श्री अर्जुन चरण सेठी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि देश में निरक्षरता का प्रतिशत 47.89 है। वर्ष 1991 की जनगणना के अस्थाई आंकड़ों के अनुसार मेरे विचार से, हमारी जनसंख्या 84 करोड़ से अधिक है। यहां उन्होंने विशेष रूप से बताया है कि निरक्षरों की संख्या 48 2217615 है। मेरे विचार से, यहां बताया गया निरक्षरता की प्रतिशत गलत है और यह सही नहीं है। मैं इस बारे में सही जानकारी से अवगत होना चाहूंगा।

माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा की सुविधा प्रदान करने की बात कही है। यह समस्या कोई अभी ही पैदा नहीं हुई है और यह तब से है जब हमारा संविधान स्वीकार किया गया था और देश में लागू हुआ था। क्या माननीय मंत्री बताऐंगे कि तथाकथित सर्वसुलभीकरण और 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए स्कूल में शिक्षा की सुविधा प्रदान करने को कार्यान्वित करने हेतु कौन-कौन से विशिष्ट कदम उठाए गए हैं और इस कार्य के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है? मैं इस बारे में भी एक सुस्पष्ट जानकारी से अवगत होना चाहूंगा।

श्री अर्जुन सिंह: जहां तक आँकड़ों संबंधी पहले प्रश्न का संबध है, मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रतिशत की गणना जनसंख्या में से छः वर्ष तक की उम्र के बच्चों को घटाकर की गई है। जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, मेरे विचार से माननीय सदस्य और सभा उन कारणों से अवगत है, जिनकी वजह से बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और दूसरी समस्याएं जिनके कारण 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। मेरे विचार से, इस संबंध में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनका इकट्ठा प्रभाव पड़ेगा. क्योंकि, जैसा कि स्पष्ट है, 1991 की जनगणना में निरक्षरों का प्रतिशत कम हो गया है, हांलांकि बहुत अधिक नहीं। मुझे विश्वास है जिन उपायों का उल्लेख किया गया है उनके तीव्र कार्यान्वयन के द्वारा हम लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ होंगे।

श्री अर्जुन चरण सेठी: माननीय मंत्री ने 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चों के बारे में बताया है, किन्तु इसमें उन्होंने जम्मू और कश्मीर के निरक्षरों को शामिल नहीं किया है, क्योंकि वहां जनगणना नहीं हुई है। अगर हम इन आंकड़ों को

जोड़ते हैं तो निश्चय ही निरक्षरता की प्रतिशतता बढ़ जाएगी। मंत्री जी ने बच्चों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की समस्या का उल्लेख किया है यह अचानक नहीं हुआ है। यह समस्या काफी समय से है। अब जबकि बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों का प्रतिशत 65 है, ऐसे में अधिकांश विद्यालयों में, विशेषकर प्राथमिक विद्यालयों में पांच कक्षाओं को केवल एक या दो अध्यापक ही पढ़ा रहे हैं। हम जानते हैं कि शिक्षा राज्य का विषय है और केन्द्र का इस पर कोई नियंत्रन नहीं है। फिर भी, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वह राज्य सरकारों पर यह दबाब डालेंगें कि हरेक कक्षा के लिए कम से कम एक अध्यापक नियुक्त किया जा सके ताकि बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या कम से कम हो और इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा जाए कि लोगों को शिक्षा ग्रहण करने की सही सुविधा मिले।

श्री अर्जुन सिंह : इस मामले की वास्तविक सीमाओं से माननीय सदस्य अवगत हैं। इस जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों पर दबाब डालने में मुझे कोई हिचक नहीं है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या सरकार का विचार उन 8 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में विशेष साक्षरता अभियान चलाने का है, जहां साक्षरता का प्रतिशत 50 से कम है। जनगणना की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत कम है। 14 राज्यों में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 50 से अधिक है और 17 राज्यों में, साक्षरता की प्रतिशत 50 से कम है।

अध्यक्ष महोदय : आपको सूचना नहीं देनी है । आपको प्रश्न पूछना है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : इस बात के क्या कारण हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 45 वर्ष पश्चात् भी हम देश में साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं ? क्या सरकार एक विशेष अवधि में साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष अभियान चलाना चाहती है ?

श्री अर्जुन सिंह : विशेष अभियान उन राज्यों में शुरू किए गए हैं, जहां साक्षरता प्रतिशत कम है। जब बजट की मांगें सदन में उठाई जाएंगी, तब मैं इस बारे में और ब्यौरा दूंगा कि जो कुछ किया जाना चाहिए वह सब कुछ किया जा रहा है और मैं सदन का सहयोग भी चाहूंगा।

[हिंदी]

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जबाव में बताया है—प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का स्कूलों में बनाए रखना शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, तो ऐसे 10 राज्य कौन-कौन से हैं तथा इन राज्यों में जो गतिविधियां अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से चलाई जा रही है, उनके परिणाम अब तक क्या आए हैं, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद] :

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, इस का विस्तृत उत्तर देने के लिए, मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है। किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि साक्षरता अभियान शुरू हो गया है और बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां इसे उतना समर्थन नहीं मिल रहा, जितना मिलना चाहिए

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर : अध्यक्ष जी, भारत में निरक्षरता को दूर करने में केरल ने सबसे एग्जम्पलरी काम किया है। क्या भारत सरकार वहां के अनुभवों को सम्मिलित करके पूरे देश पर लागू करना चाहती है या नहीं ? उसी में स्वयंसेवी संस्थाओं की जो भूमिका आती है, उसमें आपने सहयोग देने का प्रयास किया है या नहीं किया ? किया है तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान है तो इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि साक्षरता अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। है और हो सकता है। इस दिशा में जितना कुछ करना संभव होगा, विभाग की ओर से प्रयास जरूर होगा। जो कठिनाइयां आ रही हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के भी प्रयास हुए हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि अभी माननीय मंत्री ने सदन की टेबिल पर जो विवरण रखा है, उस विवरण के अन्दर केरल में निरक्षरता का प्रतिशत 9 बताया है, जबकि पिछले दिनों समाचार पत्रों में आया था कि केरल देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर ली है तो उत्तर में यह अन्तर क्यों है ? इस प्रकार का अन्तर कैसे आया, यह हमें समझ में नहीं आया। क्या मंत्री जी अपने उत्तर को करेक्ट करेंगे ?

श्री अर्जुन सिंह : मेरे ख्याल से जो लेटैस्ट पोजीशन होगी, वह तो करेक्ट करवाऊंगा लेकिन यह जो फीगर्स हैं, यह तो सैन्सस के फीगर्स हैं।

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि क्या यह सत्य है कि समेकित बाल विकास योजना का प्राथमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों की उपस्थिति से बहुत निकट का संबंध है और इसका स्कूल जाने वाले बच्चों की उपस्थिति से निकट का संबंध रहेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि यह समेकित बाल विकास योजना जो देश में अत्यन्त सीमित स्तर पर कार्यान्वित की गई है, क्या इसे देश के प्रत्येक खण्ड में, विशेषकर उन खण्डों में जहां प्राथमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कम है, कार्यान्वित किया जाएगा ?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, यह स्पष्ट है कि साक्षरता अभियान की सफलता किसी एक विभाग या एक कार्यक्रम द्वारा अपनाई गई कार्य योजना पर निर्भर नहीं करती। पूर्ण

साक्षरता अभियान में उन सभी क्षेत्रों के घटक सम्मिलित होने चाहिए, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्कूल जाने में और उन्हें वहां बनाए रखने में बच्चों की सहायता करते हैं। माननीय मंत्री द्वारा उल्लिखित योजना का निश्चय ही प्रभाव हुआ है। किन्तु मैं अभी यह नहीं बता सकता कि इस कार्यक्रम के लिए अभियान में प्रत्येक क्षेत्र से यह किस प्रकार संबंधित होगा।

शिक्षा नीति

*23. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा समिति की रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 राष्ट्रीय सहमति के आधार पर तैयार की गई थी और इसमें शिक्षा के सभी पहलुओं के विकास की रूपरेखा दी गई है। नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी परिकल्पित है कि पांच वर्षों के प्रत्येक अंतराल में इसके विभिन्न चरणों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के एक अंग के रूप में एन० पी० ई० पुनरीक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर गौर किया जाएगा।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, शुरू में, मैं कहना चाहता हूं कि यह कहा गया है कि यह एक राष्ट्रीय सहमति थी। यह कभी राष्ट्रीय सहमति नहीं थी, क्योंकि तीन राज्यों ने इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है। अध्यापक समाज के अनुसार भी 1986 की शिक्षा नीति एक विशिष्ट वर्ग की शिक्षा नीति थी। राष्ट्रीय सहमति होने से पूर्व ही शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई थी। इसलिए, यह तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक बहुत मौलिक प्रश्न है, क्या सरकार उन सभी आपत्तियों पर विचार करेगी, जो इस नीति पर उठाई गई थीं ताकि एक वास्तविक राष्ट्रीय सहमति पर पहुंचा जा सके?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, शिक्षा नीति जैसी दूरगामी और व्यापक नीति के बारे में यह कहना संभव नहीं है कि प्रत्येक इससे सहमत होगा ही। किन्तु यह तो सही है कि सभी संगठन जो नीति बनाने से जुड़े हैं वे नीति पर विचार करते हैं। राज्य सरकारों की टिप्पणी पर विचार किया जाता है और फिर नीति पर निर्णय किया जाता है। इस प्रकार एक नीति के बारे में निर्णय किया जाता है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस पर आपत्ति की थी।

श्री लोकनाथ चौधरी : तमिलनाडु और असम ने भी।

श्री अर्जुन सिंह : हो सकता है कि कुछ पहलुओं पर वे सहमत न हों। (व्यवधान) संसद ने इसे मंजूर कर लिया है। इसलिए, संसद की मंजूरी के पश्चात् इसे सहमति से स्वीकृत माना जाना चाहिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ। मैं एक राज्य को दूसरे के विरुद्ध नहीं रख रहा। किन्तु तथ्य तो यह है ही कि संसद ने इस नीति को स्वीकृति दे दी है।

अब, जो एक विशिष्ट प्रश्न उठाया गया है, उसके बारे में, मैं यह कहूँगा कि नीति में सुधार लाने के लिए जो भी विशेष सुझाव दिए जाएंगे उनका स्वागत है और उन पर विचार किया जाएगा।

श्री लोकनाथ चौधरी : पिछली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में जिस समिति को नियुक्त किया था उसने कई सिफारिशें की थीं। मेरा प्रश्न यह है : सरकार ने समिति की सिफारिशों के किस भाग को स्वीकार किया है? सरकार ने इसका कोई सही जवाब नहीं दिया है। इसलिए, मैं पुनः जानना चाहता हूँ कि सरकार राममूर्ति समिति की सिफारिशों के किन पहलुओं पर विचार कर रही है?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, आपकी अनुमति से इस मुद्दे पर मुझे भी कुछ कहना है जिसकी अनुमति कृपया मुझे दी जाए। राममूर्ति समिति की सिफारिशें दिसम्बर 1990 में प्राप्त हुई थीं। इसके बाद मार्च 1991 में सी० ए० बी० ई० ने एन० पी० ई० की समीक्षा पर एक उप-समिति नियुक्त करने का निश्चय किया। इसके पश्चात् अब हमने उस उप-समिति को नियुक्त करने का निश्चय किया। यह उप-समिति राममूर्ति समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी और यह निश्चय करेगी कि किन पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच में सभा को यह बताना चाहूँगा कि कांग्रेस (ई) के चुनावी घोषणा पत्र में दिये गये वक्तव्य और 10 जुलाई 1991 को संसद में दोनों सदनों के समक्ष दिए गए माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसा कहा गया है कि राममूर्ति समिति की सिफारिशों और अन्य गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए एन० पी० ई० के अनुच्छेद 11.5 में जिस नई नीति की परिकल्पना की गयी थी, उसके मानदंडों को, नीति तैयार करने से अब तक, जहां तक लागू किया गया है उनकी समीक्षा के लिए सी० ए० बी० ई० समिति को गठित करने का प्रस्ताव किया है। यद्यपि ऐसा कहा जा सकता है कि इस नीति में कोई भी मूल परिवर्तन नहीं किया जायेगा और नये तरीके से इसे लागू किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय सदन में जान चुके हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वानुमति पर आधारित है। प्राथमिक शिक्षा के बारे में कोठारी कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बड़ा आदमी हो या साधारण किसान का बेटा-बेटी हो, उन सब को एक ही स्कूल में जाना चाहिए, जिसको नेबर-हुड स्कूल कह कर के कोठारी कमीशन ने कहा है, क्या मंत्री महोदय

इसको मानते हैं? सर्वानुमति के नाते सन् 1986 में भी माना गया है और रामामूर्ति कमेटी ने भी माना हुआ है। लेकिन सारे देश में इसकी खिलाफत हुई है। नेबर-हुड स्कूल आया ही नहीं है। देश की जो बुनियादी प्राथमिक शिक्षा है, जिसमें बड़े लोगों के बच्चे पब्लिक स्कूलो में जाते हैं तथा किसान, मजदूर और सांसदों के बच्चे भी कारपोरेशन और ग्राम पंचायत स्कूलों में जाते हैं। इस तरह की डायकॉटमी से देश में बड़े लोगों और गरीब लोगों के बीच में डिसक्रिमिनेशन होता है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि संविधान में जो शिक्षा नीति की धाराएं हैं और उसमें जो मात्रा का सवाल आता है, इसमें कोठारी कमीशन की सिफारिश के तहत मातृभाषा के दरम्यान प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए और सब के लिए एक तरह की बराबर शिक्षा होनी चाहिए। पब्लिक स्कूल जहां बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इसके चलते देश में शिक्षा नीति पर क्रान्ति करने का जो पिछले कई सालो से हम सुन रहे हैं, लेकिन यहां उसके उल्टे गंगा बह रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कोठारी कमीशन की सिफारिश के तहत प्राथमिक शिक्षा के बारे में संसद में जो सर्वानुमति है, उसके लिए क्या किया गया है?

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में किसी प्रकार की गलतफहमी न रहे क्योंकि यह ख्याल नहीं होना चाहिए कि 1986 की पालिसी में इस विषय को नजरअंदाज किया गया है, ऐसी बात नहीं है। उस पालिसी स्टेटमेंट में भी जिस संदर्भ का माननीय सदस्य यहां पर संकेत कर रहे हैं उसका उल्लेख है। **(व्यवधान)**

श्री रवि राय : मैं भी कह रहा हूँ सर्वानुमति है, लेकिन इसके उल्टा हुआ है।

श्री अर्जुन सिंह : मैं समझता हूँ कि क्रम में उल्टा तो नहीं सकता लेकिन इस दिशा में और तेजी से विकास हो, इसकी आवश्यकता हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री एम० आर० जनार्दन : माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि शिक्षा के स्तर में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। अभी शिक्षा और व्यावहारिक दुनियां में अन्तर है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन किये गये हैं, ताकि शिक्षा और व्यावहारिक दुनियां के अन्तर को कम किया जा सके।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे विश्वास है कि इस अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय इस मुद्दे पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की जायेगी। लेकिन जहां तक शिक्षा के विकास का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि इसके मापदंड भली-भांति ज्ञात हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इसके लिए भरसक प्रयास करने होंगे ताकि इन वर्षों में जो विसंगति अथवा भेदभाव उत्पन्न हो गये हैं, उन्हें हटाया जा सके और मैं समझता हूँ कि उन्हें हटाने में हमें अपना सहयोग देना होगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कांग्रेस (ई) के घोषणापत्र और राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी उल्लेख किया है। न तो इन दस्तावेजों में और न ही माननीय मंत्री जी द्वारा सदस्यगणों के बीच परिचालित पत्र में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य विद्यालय शिक्षा के प्रति वचनबद्धता का हमें कोई उल्लेख मिलता है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगी कि इसका मूल कारण यह है कि हम अपने उन बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे पाने में सक्षम नहीं हो पाये हैं जिनमें से करीब 50 प्रतिशत बच्चे विद्यालय जाने में असक्षम हैं। करीब 40 से 45 प्रतिशत ऐसे बच्चे अत्यधिक आर्थिक अभाव से ग्रस्त हैं और यही कारण है कि वे विद्यालय जाने में बिल्कुल ही असक्षम हैं।

अब मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या उन बच्चों के लिए जो विद्यालय जाने में असक्षम हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, सभी को शिक्षा प्रदान करना और विद्यालय स्थापित करना भी, जैसा कि राममूर्ति समिति का परामर्श था, इस सरकार की वचनबद्धता का एक हिस्सा है।

श्री अर्जुन सिंह : अभी मैं राममूर्ति समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि इस रिपोर्ट में समीक्षा की जायेगी और जब इस पर कोई निर्णय ले लिया जायेगा, तभी मैं इस सम्बन्ध में कुछ कह सकूंगा।

जहां तक सभी के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, मैं नहीं समझता हूं कि इस पर जोर दिये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है और मुझे विश्वास है कि इस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावडा : अध्यक्ष महोदय, इतने साल की आजादी के बाद भी देश में लाखों बच्चे अनपढ़ रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने राज्यों में आप कंपलसरी एजूकेशन शुरू कर चुके हैं?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : इसका उत्तर देने के लिए मैं नोटिस चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत नवोदय विद्यालय खोले गए हैं और उनमें पढ़ने वाले बच्चों को आर्थिक तौर पर कुछ रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन क्या प्रदेश के लिए भी जो आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग हैं, देहाती क्षेत्रों में पिछड़ी जातियों से संबंध रखने वाले लोग हैं, हरिजन आदिवासी लोग हैं, इन के बच्चों को नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए रिजरवेशन देने का क्या सरकार का प्रावधान करने का विचार है।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए अभी जो प्रावधान हैं, उनके तहत सब के लिए प्रवेश की सुविधा है, इस संबंध में और सुझाव भी राममूर्ति

कमेटी ने दिए हैं और जो भी सुझाव आएंगे, एकांगी रूप से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन समग्र रूप से उन सुझावों को जिनकी आवश्यकता होगी, उनका समावेश किया जायेगा।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जहां देश में समान शिक्षा होनी चाहिए, वहां इसमें सेकुलरिजम, राष्ट्रभक्ति और सोशल-जस्टिस का भी समावेश होना चाहिए। आज जहां देशभक्ति की बात की जाती है, आज जहां सेकुलरिजम की जरुरत है, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि अमुक धर्म के लोग विदेशी हैं, अमुक लोग विदेशी हैं तो बड़ा होकर वह बच्चा सेकुलर बनेगा, यह आशा नहीं की जा सकती। क्या ऐसे अंशों को पुस्तकों से निकालने का विचार सरकार रखती है या इस तरह की गाइडलाइन्स राज्यों को देने का विचार रखती है, जैसा हम लोगों ने अपने शासन में शुरू किया था, ताकि ऐसी शिक्षा जो सेकुलरिजम पर हमला करती है, कम्युनलताओं को बढ़ाती है, बच्चों को न दी जाए।

श्री अर्जुन सिंह : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से पूर्णतः सहमत हूं। मैं यह तो नहीं कह सकता कि हर पाठ्यपुस्तक से मैं इस बात को निकालने के आदेश दे सकता हूं लेकिन ऐसी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होना चाहिए जो भारतीय संस्कृति की समग्रता को, विविधता को उजागर करे। न कि बिखराव या टकराव की बात को सामने लाए। मैं माननीय सदस्य की बात से पूरी तरह से सहमत हूं।

नवोदय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव

***26. श्री सूर्यनारायण यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार का नवोदय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या में राज्यवार कितनी-कितनी वृद्धि का प्रस्ताव है ?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) नवोदय विद्यालयों की योजना में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न साफ है कि क्या मानव संसाधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का नवोदय विद्यालय की संख्या बढ़ाने का विचार है। यदि हां तो इसकी राज्यवार संख्या क्या है, प्रत्येक राज्य में कितनी संख्या आप बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसका उत्तर नहीं दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि नवोदय विद्यालय खोलने की जो मानसिकता थी, जैसा कि अभी श्री रवि राय जी ने कहा कि कोठारी कमीशन की सिफारिशों के तहत गांवों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे, यही नवोदय

विद्यालयों का उद्देश्य था, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने दिनों के अन्दर प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं ?

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस उत्तर को प्रश्न के केवल संदर्भ से नहीं जोड़ना चाहता हूं । लेकिन हकीकत यह है कि अगर यह प्रक्रिया यथावत चालू रहती तो आज हम और नजदीक पहुंच गए होते, देश के सभी जिलों में ये नवोदय विद्यालय खोलने के लिए। वह अलग प्रश्न है, वह इस प्रश्न से संबंध नहीं रखता है । मैं निश्चित तिथि नहीं बता सकता हूं लेकिन यह प्रयास होगा , अभी तक 275 स्कूल खोले जा चुके हैं और पूरे देश में 730 से ऊपर जिले हैं, बहुत जल्दी ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा ।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इस देश में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और बिहार में सहरसा कमिश्नरी को भारत सरकार ने औद्योगिक और शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ा घोषित किया है, लेकिन सहरसा परमण्डल रहने के बाद भी नवोदय विद्यालय की स्थापना मंत्री जी नहीं की गयी । क्या आप इस वित्तीय वर्ष में सहरसा में नवोदय विद्यालय खोलने का विचार रखते हैं।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के मुताबिक बिहार के 39 जिलों में से 25 जिलों में नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं । आपने जिसका यहां उल्लेख किया है, वहां क्यों नहीं खोला जा सका, इसकी जानकारी लेकर ही मैं सूचित कर सकता हूं ।

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ।

श्री अर्जुन सिंह : माननीय सदस्य, आपकी जानकारी का मैं खण्डन नही कर रहा हूं । इस संबंध में बिहार सरकार से भी पूछ लें ।

श्री सूर्य नारायण यादव : क्या जांच करने के बाद विद्यालय की स्थापना करेंगे ?

श्री अर्जुन सिंह : जांच करने के बाद क्यों नहीं खोलेंगे ।

[अनुवाद]

श्रीमती बासव राजेश्वरी : मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित बालक या बालिकाओं को ही अधिकांशत: नवोदय विद्यालयों में दाखिला दिया जाता है जिसके कारण छोटे शहरों और 25,000 से कम आबादी वाले कस्बों के बच्चों को बहुत ही अधिक असुविधा होती है । यदि ऐसी बात है तो क्या सरकार इस नीति में संशोधन लाने पर विचार करेगी और इस बात पर ध्यान देगी कि 25,000 से कम आबादी वाले कस्बों और छोटे नगरों के छात्र-छात्राओं को भी नवोदय विद्यालयों में दाखिल मिल सके ।

श्री अर्जुन सिंह : मूल रूप से ऐसे विद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोला जा रहा है और मैं कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहूंगा, जिससे सम्पूर्ण अवधारणा में ही व्यवधान उत्पन्न हो जाये। माननीय सदस्य ने एक परामर्श दिया है । मैं देखूंगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है ।

श्री राम नाईक : पिछली जनता सरकार ने सभा को यह जानकारी दी थी कि वे तब तक नये नवोदय विद्यालयों की स्थापना नहीं करेंगे जब तक कि पहले से स्थापित किये गये विद्यालयों का कार्य पूरी तरह से शुरू न हो जाए। क्या इस सरकार ने इस नीति में परिवर्तन करने का कोई फैसला किया है ?

श्री अर्जुन सिंह : नवोदय विद्यालय खोले जाने सम्बन्धी नीति 1986 की नीति का ही एक भाग है । हमने यह बात दुहरायी है कि इस नीति को जारी रखा जायेगा । इसे जारी रखा जायेगा और इसमें व्यवधान नहीं डाला जायेगा । जहां तक इस प्रणाली में सुधार लाने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यगण कोई भी सुझाव दे सकते हैं और मैं यह देखने की कोशिश करूंगा कि पहले से स्वीकार की गयी नीति के अन्तर्गत उन पर भी अमल किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्निसला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 275 स्कूल खोले गए हैं। लेकिन स्कूलों की स्थिति अत्यन्त दयानीय है । कुछ स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, कुछ में टीचर्स नहीं हैं । जो भी विद्यालय खोले जा रहे हैं उनकी हालत बहुत खराब है । मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आप इसके बारे में विचार करें, एग्जामिन करें और जो भी स्कूल खोले गए हैं वहां स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ कदम उठाएं। क्या इस ओर ध्यान देंगे ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो मत नही हो सकते हैं, जरुर किया जायेगा ।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नवोदय विद्यालय में जो शिक्षा का स्तर है उसको देखते हुए अधिकाधिक प्रवेश के संबंध में लोग उत्सुक रहते हैं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः अन्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में उनको जो शिक्षा प्राप्त होती है, उनका स्तर अच्छा नहीं होता है । विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है और जो वर्तमान विद्यालय हैं उनकी क्षमता बढ़ाने का आपका कोई विचार है क्या ।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान कांस्ट्रेन्स के अन्दर इस दिशा में क्या किया जा सकता है, मैं इस पर जरूर विचार करुंगा ।

श्री तेजसिंहराव भोंसले : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में तीस जिले हैं तो क्या हरेक जिले में नवोदय विद्यालय खुले हैं या नहीं ।

श्री अर्जुन सिंह : मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक केवल 19 जिलों में है।

हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिक कृतिक बल की स्थापना

*27. **प्रो० प्रेम धूमल :**—क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से इस आशय का कोई प्रस्ताव अथवा अनुरोध प्राप्त हुआ है कि एक पारिस्थितिक कृतिक बल बनाया जाये जिसमें भूतपूर्व सैनिक शामिल किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) निधियां उपलब्ध न होने के कारण इस परियोजना पर कार्रवाई नहीं की जा सकी ।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसमें कहा है कि निधियां उपलब्ध न होने के कारण इस परियोजना पर कार्यवाही नहीं की जा सकी । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि 1983 में जब पहली बार कुछ प्रदेशों से यह सुझाव आए थे तो उस समय कौन से तीन प्रदेश थे जिनमें इकोलोजीकल टास्क फोर्स बनाने का प्रोविजन किया गया था । क्या यह सत्य है कि तीन में से दो प्रदेशों में इकोलोजीकल टास्क फोर्स बन चुकी है और केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं बनायी गई ।

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में टास्क फोर्स बना, लेकिन फण्डस न होने के कारण बजट में इसका एलोकेशन न होने के कारण हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत नहीं हो पायी ।

श्री मदन लाल खुराना : आपकी सरकार ने नहीं किया तो अब करें ।

श्री कमल नाथ : आपकी सरकार थी । हिमाचल प्रदेश ने जो अपनी तरफ से करना था उसने अपनी बात पूरी करी है । बजट में एलोकेशन न होने के कारण हिमाचल प्रदेश में न हो पाया ।

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि इसके बाद भी 1988 में जम्मू काश्मीर के लिए आपके मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकृति प्राप्त हुए बिना इकोलोजीकल टास्क फोर्स बना दिया गया और हिमाचल प्रदेश को फिर भी इग्नोर किया गया । और क्या इसके लिए आप धन का प्रावधान करेंगे । सारा संसार पर्यावरण को बचाने के लिए लगा हुआ है और विदेशों से आपको सहायता मिल सकती है ।

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि जम्मू-काश्मीर को 1988 में जोड़ा गया। लेकिन जम्मू-काश्मीर में स्पेशल सर्कमस्टान्सेज होने के कारण यह योजना लागू की गई। अब आठवीं योजना में किया जायेगा। खासकर हिमाचल को, क्योंकि यह पुरानी स्कीम थी, प्राथमिकता दी जायेगी और राशि एलोकेट करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में "वन लगाओ रोजी कमाओ योजना चालू की है जिसमें आर० एस० एस० और बी० जे० पी० के आदमियों की भर्ती करने का ख्याल है। वहां फारेस्ट वैल्थ में सरकार घपले कर रही है **(व्यवधान)** मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने वहां पर जो गड़बड़ी की है, क्या उसकी जांच करायेंगे।

श्री कमल नाथ : "वन लगाओ रोजी कमाओ योजना" हिमाचल प्रदेश सरकार में कुछ महीने पहले केन्द्र में भेजी थी। इसको स्वीकार नहीं किया गया। अब एक रिवाइज्ड स्कीम भेजी गई है उस स्कीम की चर्चा पिछले दस दिनों में मैंने की है और हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री से, मुख्य मंत्री से और उनके अधिकारियों के इस पर चर्चा हुई है। स्कीम में परिवर्तन लाने के बाद में आपके माध्यम से अपने साथी को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस स्कीम में भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका नहीं मिलेगा कि वह आर० एस० एस० के या अपने कार्यकर्त्ताओं को इसमें लगाये।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। आप मंत्री महोदय को यह निर्देश दें कि वे ए० आई० सी० सी० की मीटिंग में नहीं बोल रहे हैं वे भारत की पार्लियामेंट के अन्दर मंत्री के नाते जवाब दे रहे हैं। अभी दो पूरक सवालों के जवाब में मंत्री महोदय एक्सपोज हो गये। यह कहा गया कि तीन राज्यों के लिए टास्क फोर्स के लिए कहा गया था, दो राज्यों में बना दी गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं बनाई। जम्मू-कश्मीर को बिना पूछ ताछ किये इस योजना को स्वीकृत कर दिया गया। इसका मतलब साफ है कि पहले की सरकार ने चूंकि किया नहीं, अब नई सरकार भी नहीं करना चाहती मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना धन आपने इस टास्क फोर्स के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर को दिया और इसके लिए कितने धन की आवश्यकता थी जिसके कारण आपने इसको हिमाचल में लागू नहीं किया। आपके पास पहले प्रपोजल कब आया और बाद में कब आया?

श्री कमल नाथ : जब यह स्कीम स्वीकार की गई थी उस समय प्लान एलोकेशन 750 लाख रुपये था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के लिए तथा इस योजना में उत्तर प्रदेश राजस्थान ने ही पूरा जो एलोकेशन था उसमें लगाया, 1983 से लेकर 1988 तक।

श्री मदन लाल खुराना : तब तीनों में आपका राज था।

श्री कमल नाथ : आप प्रश्न मुझ से पूछ रहे हैं या खुद जवाब देना चाहते हैं। 1988 में काश्मीर में स्पेशल सर्कमस्टान्सेज होने के कारण केवल 33 लाख रुपये स्टेट का शेयर था और 52 लाख रुपये सेंटर का शेयर था। जम्मू-काश्मीर के लिए यह थोड़ी सी राशि थी, क्योंकि छोटी सी योजना थी। मैंने पहले अपने जवाब में कहा है कि यह आश्वासन मैं दे रहा हूं कि हिमाचल

प्रदेश को जरूर प्राथमिकता दी जायेगी इस आठवीं योजना में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो नर्सरी लगाने की बात थी वह पूरी कर ली है इसलिए हिमाचल को प्राथमिकता के आधार पर इस एलोकेशन में जरूर लिया जायेगा । 416 लाख की स्कीम है जो कांगड़ा जिले के लिए है । इसलिए कांगड़ा जिले को प्राथमिकता दी जाएगी ।

"विकास परियोजनाएं"

[अनुवाद]

*30. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वन की दृष्टि से स्वीकृत में विलम्ब होने के कारण अनेक विकास परियोजनाओं का कार्य रुका पड़ा है; और

(ख) 15 जून, 1991 तक राज्यों से इस प्रकार की स्वीकृति के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए वानिकी मंजूरी हेतु राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और उनके निपटान की स्थिति निम्न प्रकार है:—

1. प्राप्त प्रस्ताव	4482
2. स्वीकृत प्रस्ताव	2291
3. गुण-दोष के आधार पर रद्द प्रस्ताव	655
4. राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अनिवार्य ब्यौरे प्रस्तुत न करने के कारण रद्द प्रस्ताव	1213
5. संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा वापस लिए गए प्रस्ताव	110
6. मंत्रालय में लम्बित प्रस्ताव	213

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं में दिया है और कहा है कि वन दृष्टि से स्वीकृत में विलम्ब होने के कारण अनेक विकास

परियोजनाओं का कार्य रुका नहीं पड़ा है तथापि यह हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृति में विलम्ब के कारण राज्यों में अनेक विकास परियोजनाओं का कार्य रुका पड़ा है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राज्यों द्वारा प्राप्त ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कोई समय निर्धारित की गई है । यदि हां, तो क्या निर्धारित समय सीमा क्या है ? ऐसे कुल 213 प्रस्तावों में, जो कि मंत्रालय में 15 जून को लम्बित पड़े बताए गए हैं, कौन सा मामला सबसे पुराना है, तीन वर्षों से अधिक समय से कितने मामले लम्बित पड़े हैं और एक वर्ष से अधिक समय से कितने मामले लम्बित पड़े हैं ? माननीय मंत्री जी कृपया इन मुद्दों पर सभा में प्रकाश डालें।

श्री कमल नाथ : महोदय, सर्वप्रथम मैं इस आशंका को दूर करना चाहूंगा कि वनों की दृष्टि से स्वीकृति मिलने में कोई विलम्ब है । समुचित सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण ही विलम्ब होता है जिस जानकारी की आवश्यकता है उसके लिए उचित प्रक्रिया बनायी गयी है । जैसा कि मैंने कहा है कि चूंकि यह जानकारी नहीं मिलती है इसलिए ऐसे अनेक मामलों को लौटा दिया गया है । ऐसा सिर्फ उचित जानकारी नहीं मिलने के कारण हुआ है । उन मामलों में जिनके बारे में कोई समुचित जानकारी नहीं है आगे की कार्यवाही संभव नही हो सकती है ।

सिर्फ दो ऐसे मामले हैं, जो छः महीनों से अधिक समय से लम्बित हैं, 53 मामले ऐसे हैं जो तीन से छः महीनों से लम्बित हैं, 50 मामले ऐसे हैं जो दो से तीन महीनों से लम्बित हैं, 33 मामले ऐसे है जो एक से दो महीने से लम्बित हैं और 75 मामले ऐसे हैं जो एक महीने से कम समय से लम्बित है । ये मामले ऐसे हैं जिनके बारे में समुचित जानकारी उपलब्ध है ।

छः महीने से अधिक समय से लम्बित दो मामलों में से एक मामला कुरनूल जिले में 177.47 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग अन्य कार्यों में किये जाने से सम्बन्धित है और दूसरा 100.26 हेक्टेयर वन भूमि में लोअर सीलेम से बोम्मेरू तक 220 कि० वाट के पारेषण लाईन डालने से सम्बन्धित है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, प्राप्त किये गये 448 2 प्रस्तावों में से 1213 के करीब 25 प्रतिशत से अधिक मामलों में आवश्यक जानकारी नहीं मिलने के कारण प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया । महोदय, यह गंभीर बात है । हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि निर्धारित समय में राज्य से मांगी गई जानकारी या संबंधित सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यन्त कठिन है । यह संभव भी नहीं है । इसलिए राज्यों से इस मंत्रालय का संबंध कई मामलों के संदर्भ में तनावपूर्ण हो गया है।

इसलिए भारत सरकार और मंत्रालय इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठा रहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप यह विचार कर रहे हैं कि विभिन्न राज्यों के मुख्यालयों में केन्द्र से एक टीम भेजी जाए ताकि वह आमने-सामने बैठकर मुद्दों पर चर्चा करें। और निपटाएं । उत्तर जो भी हो--मंत्री जी यहां पर हैं--कई विकास परियोजनाएं अवरुद्ध हो गई हैं।

श्री कमल नाथ : महोदय, विलम्ब के बारे में की गई चिंता से मैं भी सहमत हूं। जैसा कि मैंने कहा है पहली बार में उचित जानकारी प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई है। मैं बराबर मुख्यमंत्री के संपर्क में रहता हूं और मैं कुछ और भी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने की प्रक्रिया में हूं और उनसे यह निवेदन करूंगा कि जो भी प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे जाएं उसके साथ पूरी जानकारी तथा निर्धारित किए गये मार्ग निर्देशों को भी दिया जाना चाहिए ताकि मंत्रालय उस पर विचार कर सके।

मैं उनकी चिंता से पूरी तरह सहमत हूं क्योंकि विकास की परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं। कई मामलों में माननीय सदस्यों की यह धारणा हो सकती है कि यह विलम्ब केन्द्र सरकार के स्तर पर हो रहा है लेकिन वास्तव में यह राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को उपलब्ध नहीं कराई गई है। कई ऐसे मामले हैं जो राज्य वन विभाग के पास लम्बित पड़े हैं और वह अब तक दिल्ली नहीं पहुंचे हैं इसलिए यह सुनिश्चित करना होगा कि कौन से मामले राज्य के वन विभाग में लम्बित है और कौन से केन्द्र के पास।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : कितने मामलों के विरुद्ध अपील की गई है ? उन्होंने कई मामलों को रद्द कर दिया है। करीब 1213 मामलों की जानकारी नहीं मिलने के कारण रद्द कर दिया गया है। यह एक गंभीर बात है।

भारत सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध संबंधित राज्यों द्वारा कितनी अपील की गई है। उन मामलों के संबंध में केन्द्र सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

श्री कमल नाथ : अपील का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि जानकारी नहीं प्राप्त होने के कारण उन्हें रद्द किया गया है। हमें ज्यों ही जानकारी मिलेगी हम उस पर विचार करेंगे। जैसाकि कहा गया है कि उन्हें अन्तिम रूप से रद्द नहीं किया गया है।

श्री राम कापसे : महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में झुड़पी जंगल की समस्या है। दो या तीन जिलों में झुड़पी जंगल की समस्या पैदा हो गई है। यह नीतिगत निर्णय था। जब श्री भजन लाल मंत्री थे तो उन्होंने अनुकूल निर्णय लिया था।

उन्होंने झुड़पी जंगल की समस्या के बारे में स्थिति को स्पष्ट कर दिया था। लेकिन श्री भजन लाल के बाद इस निर्णय को बदल दिया गया। नई सरकार का झुड़पी जंगल की समस्या के संबंध में क्या दृष्टि कोण है।

श्री कमल नाथ : जो वह पूछ रहे हैं, मुझे उसका ब्यौरा मालूम नहीं है। लेकिन मैं संबंधित जानकारी बाद में दूंगा।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, हमारे झुड़पी जंगल की जो प्राब्लम है, विदर्भ के कुछ जिलों में है। एम० पी० गवर्नमेंट ने कोई केन्द्रीय सरकार की नहीं मानी। सब लोगों के डेवलपमेंट प्रोपोजल्स क्लियर हुए लेकिन महाराष्ट्र के अंदर आपको मालूम है—बिल्कुल नागपुर के

नजदीक चार पांच जिलों में वह प्राब्लम है । बहुत बार चर्चा हुई और उसके डिसीज़न भी हुए लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ । तो क्या इस बारे में विदर्भ के 4–5 जिलों में झुड़पी जंगल की जो प्रोब्लम है क्या आप इसे एक महीने या डेढ़ महीने में क्लियर कर सकेंगे ?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : जैसा कि मैंने कहा है कि झुड़पी जंगल के बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन मैं सदस्य महोदय को यह आश्वासन देता हूं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा ।

श्री उमा रेड्डी वेंकटेश्वरालु : माननीय मंत्री ने तेलुगु गंगा परियोजना की चर्चा अपने उत्तर में की है यह केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिये लम्बित है । जहां तक मेरी जानकारी है आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पूरी जानकारी दे दी है । यह छह महीनों से अधिक समय से केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिये लम्बित है ।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इसका सही कारण क्या है ? छह महीने से अधिक हो जाने के पश्चात भी यह अब भी लम्बित क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर विस्तार में दे दिया गया है ।

श्री उमा रेड्डी वेंकटेश्वरालु : महोदय तेलुगु गंगा के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री कमल नाथ : उन्होंने एक परियोजना विशेष के संबंध में कहा है । कई मामले लम्बित हैं। मुझे इस मामला विशेष की जानकारी नहीं है । लेकिन मैं उन्हें जानकारी दे दूंगा ।

खतरनाक संयंत्रों में सुरक्षोपाय

*31. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने रासायनिक संयंत्रों, खानों तथा अन्य खतरनाक संयंत्रों में कामगारों के लिए सुरक्षोपाय सख्ती से लागू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) बड़े सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में सुरक्षोपायों की निगरानी के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री के० रामामूर्ति : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

रसायनिक संयंत्रों और अन्य जोखिमपूर्ण संयंत्रों (खानों को छोड़कर) में कामगारों के लिए सुरक्षा उपाय, कारखाना अधिनियम (1987 में यथा संशोधित) और इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अन्तर्गत आते हैं। यह अधिनियम मुख्य कारखाना निरीक्षकों

के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। इस कानून और इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सुरक्षा उपायों का अनुपालन निम्न माध्यमों से मानीटर किया जाता है :—

(i) निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर किये गए निरीक्षण;

(ii) लाइसेंस प्रदान करने, कारखानों के पंजीकरण और स्वीकृति एवं इनके आवधिक नवीकरण के लिए प्रबन्धन से प्राप्त आवेदनों की छानबीन।

(iii) दस्तावेजों की छानबीन जैसे कि "आन-साइट" आपात्कालीन योजनाएं और अन्य सूचनाएं आदि जो प्रबन्ध वर्ग द्वारा मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत की जानी होती हैं।

(iv) कामगारों से प्राप्त शिकायतों या अभ्यावेदनों की जांच, और

(v) गंभीर/घातक दुर्घटनाओं की जांच।

2. खानों में काम कर रहे कामगारों की सुरक्षा के लिए प्रावधान, खदान अधिनियम 1952 और इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों और विनियमों में निहित हैं। खदान अधिनियम मालिक, एजेंट और खान प्रबन्धक तथा संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारियों पर सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने और सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डालता है। खदान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए समय-समय पर खानों का निरीक्षण करते हैं। इसके अलावा कर्मकार निरीक्षकों, सुरक्षा समितियों, सुरक्षा अधिकारी और आंतरिक सुरक्षा संगठनों के अन्य अधिकारी तथा खानों में सुरक्षा पर सम्मेलन आदि कुछ दूसरे उपाय हैं, जो खानों में सुरक्षा उपायों की मानीटरिंग और क्रियान्वयन में योगदान देते हैं।

3. सुरक्षा उपाय संगत कानून में उल्लिखित किये गए अनुसार सभी कारखानों और खानों पर लागू होते हैं चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में हों या निजी क्षेत्र में।

प्रो० के० वी० थामस : रासायनिक संयंत्रों में बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं। विशेषकर उन संयंत्रों में जहां उन्हें रेडियोधर्मी वस्तुओं का उपयोग करना होता है। वे चर्म रोगों, फेफड़े के रोगों तथा कई कैंसर से पीड़ित हैं। इन मामलों के संबंध में निगरानी के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। इस लिए क्या माननीय मंत्री से यह निवेदन कर सकता हूं कि कोई कारगर कदम उठाएं जाएं ताकि रासायनिक संयंत्रों में कार्यरत कर्मचारी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

श्री के० राममूर्ति : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रासायनिक संयंत्रों एवं अन्य जोखिम वाले संयंत्रों में सुरक्षात्मक पहलू और सुरक्षात्मक उपायों की निगरानी के संबंध में प्रश्न पूछा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जो कर्मचारी जोखिमपूर्ण संयंत्र में कार्य करते हैं उनकी सुरक्षा के अधिकतर उपाय

कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं जिसे लागू करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। यह केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते हैं। मेरा मंत्रालय केवल खान के मामलों को देखता है। फिर भी हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। सुरक्षात्मक उपायों की जो भी कमी है। चाहे वह कारखाना हो या रासायनिक संयंत्र अथवा कोई अन्य स्थान हम भी समय-समय पर उन पर नजर रखते हैं। विशेषकर उन मामलों म जहां राज्य सरकारें उसमें शामिल हैं और महानिदेशक, जिनका कार्यालय मुंबई में है, मामलों का पुनर्विलोकन करते हैं। संयंत्रों की नई कार्य स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कारखाना अधिनियम के नियमों में कुछ परिवर्तन और संशोधन करने का सुझाव देते हैं। केन्द्र सरकार की भी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों को दृष्टिगत रखकर समय-समय पर राज्य सरकारों को निर्देश देती रहती हैं। मैं माननीय सदस्य के साथ इस बात पर एकमत हूं कि सुरक्षात्मक उपायों के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हो सकता।

प्रो० के० वी० थामस : माननीय मंत्री स्वयं ही एक अनुभवी मजदूर संघ के नेता हैं। इन्हें पता है कि जब यही प्रश्न राज्य सरकार से किया जाता है तो उनका उत्तर क्या होता है। राज्य सरकारों का यह कहना होता है कि सभी बड़े रासायनिक उद्योग केन्द्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत हैं और वे इन मामलों में असहाय हैं। अब वही प्रश्न जब केन्द्र सरकार से किया जा रहा है तो यह उसका दायित्व राज्य सरकारों पर डाल रही है। मेरा एक निवेदन यह है कि चाहे वे कर्मचारी निजी क्षेत्र में हों या सार्वजनिक क्षेत्र या राज्य सरकार के अधीन अथवा केन्द्र सरकार के, उनकी सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए .....।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न करें।

प्रो के० वी० थामस : महोदय, मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या कर रहा हूं। जब हम राज्य सरकार के पास जाते हैं तो वे अपना पिंड छुड़ा लेते हैं और जब हम केन्द्र सरकार के पास जाते हैं तो वह भी अपना पीछा छुड़ा लेती है। यहां तक कि माननीय मंत्री भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इस मामले में व्यक्तिगत रुचि दिखाएंगे ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उद्योगों में सुरक्षा उपायों के सम्बध में केन्द्र सरकार के अन्तर्गत एक समन्वयकारी और निगरानी रखने वाला तंत्र विकसित हो सके।

श्री के० राममूर्ति : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि हम कभी भी अपना पीछा नहीं छुडाएंगे। जहां तक सुरक्षा उपायों और नियमों के पालन की बात है हम अनेक समन्वय सबन्धी उपाय कर रहे हैं। मुंबई स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। इसका त्रिपक्षीय गुण इस अर्थ में है क्योंकि इसमें नियोजक कर्मचारी और सरकार तीनों का प्रतिनिधित्व होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदें इन मामलों में समन्वय स्थापित कर रही है और इन मुद्दों पर यह सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ भी विचार विमर्श कर रही है। चूंकि यह त्रिपक्षीय संस्था है और इसमें

कामगार लोगों को भी शामिल किया जाता है और समय-समय पर वे कुछ सुझाव देते रहते हैं जिन्हें लागू किया जाता है। शाप फ्लोर स्तर और संयंत्र के स्तर पर सुरक्षा परिषद् और अन्य संगठन भी कार्य कर रहे हैं। यदि हमारे मित्र किसी विशेष मामले को हमारे सामने रखें तो हम अवश्य उस पर ध्यान देंगे।

श्री अन्ना जोशी : महोदय पुणे स्थित अति विस्फोटक कारखानों में कामगारों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। त्वचा के कैंसर और फेफड़ों के रोगों से ग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि उन कामगारों के सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री के० राममूर्ति : महोदय, यह प्रश्न फिर से पुणे और अन्य स्थानों के कामगारों के सम्बन्ध में किया गया है जहां कामगार अतिविस्फोटक उद्योगों जैसे जोखिमपूर्ण स्थानों में कार्य करते हैं। यदि कोई विशेष मामला हमारे सामने रखा गया तो हम उस मामले को महाराष्ट्र सरकार के सामने उठाएंगे और मैं निश्चय ही आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

लड़कियों का विदेश भेजा जाना :

*24. **डा० असीम बाल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास यह जानकारी है कि हमारे देश में से कितनी लड़कियां विदेशों को भेजी गई हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, नहीं। (ख) प्रश्न नहीं उठता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शैक्षिक तिथि सारणी का पालन करने वाले विश्वविद्यालय

*25. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं, विशेष रूप से बिहार में, जो शैक्षिक तिथि-सारणी के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं;

(ख) कौन से विश्वविद्यालय, विशेष रूप से बिहार में, इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, और

(ग) इनका पूर्णरूपेण पालन सुनिश्चित कराने हेतु क्या विशिष्ट उपाय किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क से ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक वर्ष 1990–91 से विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वियन के लिए जुलाई, 1989 में एक माडल शैक्षिक कैलेण्डर परिचालित किया था। आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार बिहार में मगध विश्वविद्यालय सहित छः विश्वविद्यालयों ने माडल शैक्षिक कैलेण्डर अपनाने पर सहमति व्यक्त की है। आयोग इस मामले पर राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से शैक्षिक कैलेण्डर कार्यान्वित करने के लिए आग्रह करने में लगा है।

चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वियन

*28. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चट्टोपाध्याय आयोग ने अध्यापकों की स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से अब तक कितनी कार्यान्वित कर दी गई हैं;

(घ) शेष सिफारिशों के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) से (ङ) : चट्टोपाध्याय आयोग ने शिक्षकों के वेतनमानों तथा सेवा शर्तों के सम्बन्ध में 9 सिफारिशें की थी। इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	सिफारिश सं०	सिफारिश	इन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
			(सिफारिशें : 34–38 और 41)
1.	34	पहला कदम अध्यापकों और शैक्षिक प्रशासकों के सभी वर्गों के लिये संग्रहित राष्ट्रीय वेतन मान का हो। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य में अधिक वेतनमानों के स्थान पर एक ही चल वेतनमान की संभावना पर गम्भीरता से छानबीन करनी चाहिये।	पूरे देश में कार्य कर रहे शिक्षकों के एक समान वेतनमान को लागू करने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा की गई सिफारिश की जांच विस्तृत रूप में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते हुए की गई है तथा नीति में निम्नलिखित परिकल्पना की गई है :— "शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्तें उनके सामाजिक

1	2	3	4
2.	35	प्रत्येक राज्य को एक चल वेतनमान पर जैसा कि निदर्शी प्रतिमान (पृष्ठ 27) में सुझाया गया है, ध्यानपूर्वक एवं यथासंभव शीघ्रता से कार्य करना चाहिये और उसे कार्यान्वित करना चाहिये।	और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप हों और ऐसी हों जिनसे प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षक व्यवसाय की ओर आकृष्ट हों। यह प्रयत्न किया जायेगा कि पूरे देश में सेवा शर्तों में और शिकायतें दूर करने की व्यवस्था में समानता का वांछनीय उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।
3.	36	हमारे द्वारा समर्थक नई वेतन निर्धारण नीति के परिणामस्वरूप हम आशा करते हैं कि एक राज्य में प्रत्येक माध्यमिक अध्यापक को औसतन कम से कम 100 रु० प्रतिमाह का लाभ होगा जबकि प्राथमिक अध्यापक को कम से कम 150 रु० प्रतिमाह का लाभ होगा।	तथापि विभिन्न राज्यों में अभिभावी स्कूल शिक्षकों के लिये वेतनमानों में व्यापक असमानता को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में स्कूल शिक्षकों के लिये एक समान वेतनमान लागू करना तत्काल संभव नहीं है। इस प्रकार का एक समानता को लाने में समय लगेगा।
4.	37	पृष्ठ 74 पर संग्रथित चल वेतनमान का निदर्शी प्रतिमान प्रवेश के समय से 5 वर्ष के बाद और उसके बाद प्रत्येक 10 साल के बाद दक्षता-रोध देता है। यह वेतन से निष्पादन को जोड़ने के लिये किया गया है। हमारा सुझाव है कि दक्षतारोधक के हर समय संस्था के अध्यक्ष द्वारा संबंधित अध्यापक के पिछले वर्षों के कार्य की जांच हो। प्रत्येक मूल्यांकन निष्पक्ष दृष्टि से हो इसके लिये हमारा आगे सुझाव है कि जहां आवश्यक हो दूसरी संस्था का अध्यक्ष या निरीक्षक जिसे निष्पक्षता और ईमानदारी की ख्याति प्राप्त हो, ऐसी जांच से सम्बद्ध किया जाये।	सभी शिक्षकों के लिये एकल चालू वेतनमान को अपनाने के सुझाव को तत्काल स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि यह शिक्षकों के स्तरों को बनाए रखने के बहुत ज्यादा हित में नहीं होगा। यह प्रति उत्पादक भी हो सकता है इस मामले में यह उच्च अर्हता तथा व्यावसायिक दक्षता अर्जित करने वाले शिक्षकों के लिये गैर प्रेरणा के रूप में कार्य कर सकता है। संघ शासित क्षेत्रों (चंडीगढ़ को छोड़कर) तथा भारत सरकार के स्वायत्त संगठनों में स्कूल शिक्षकों के लिये संशोधित वेतनमान इन्हें 1-1-86 से दे दिये गये हैं। ये वेतनमान वह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक शिक्षक उपर्युक्त संशोधन से पूर्व जितनी राशि प्राप्त कर रहा था उसे 100-150 रु० अधिक प्राप्त करेगा।
5.	38	प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में उच्च पदों की संख्या उप प्रधानाचार्य/प्रधान अध्यापकों के अतिरिक्त पदों को बनाते हुए पर्याप्त मात्रा में बढ़ानी चाहिये। पदों की संख्या विभिन्न स्तरों पर मोटे तौर पर आवंटन के अनुकूल करनी चाहिये :- सह अध्यापक, (60%), उच्च अध्यापक (25%), उप प्रधानाचार्य (10%), और प्रिंसिपल, (3%) मुख्याध्यापक (5%)।	योजनेत्तर व्यय के लिये राज्य सरकारों को, वित्त आयोग के माध्यम से सहायता देने को छोड़कर केंद्रीय सरकार द्वारा सहायता देने की कोई प्रणाली नहीं है। इस सिफारिश के कार्यान्वयन का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि देश भर में स्कूल शिक्षकों के लिये मिश्रित चालू वेतनमानों के सम्बन्ध में आयोग की अन्य सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है और यह महसूस किया गया है कि देश भर में स्कूल शिक्षकों के वेतनमानों में कालान्तर में एकरूपता आयेगी।
6.	41	शारीरिक शिक्षा, भारतीय भाषाओं, संगीत, आरेखन, आदि के अध्यापक के कार्य के प्रति-वेतन के बारे में या अन्य अवस्थाओं में भेद-भाव नहीं होना चाहिए।	अधिकांश राज्यों में शिक्षकों सहित सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान सामान्यतया 10 वर्ष में एक बार वेतन आयोग के माध्यम से संशोधित किये जाते हैं। शिक्षकों के लिये बिल्कुल अलग प्रणाली लागू करना व्यवहार्य

1	2	3	4
			नहीं है। शिक्षकों के वेतनमान आदि की समीक्षा अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों की तरह आवधिक अन्तरालों पर की जा सकती है।
7.	45	सरकारी और निजी स्कूलों दोनों के शिक्षकों को पेंशन, उपदान, परिवार पेंशन, समूह बीमा, भविष्य निधि आदि जैसे सेवा-निवृत्ति लाभ उसी रूप में दिये जाने चाहिएं जो जिस रूप में अन्य सरकारी कर्मचारियों को दिये जाते हैं।	नये वेतनमानों में, यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रत्येक शिक्षक अपने जीवनकाल में कम से कम दो पदोन्नतियां साधारण रूप से प्राप्त करें, प्रत्येक ग्रेड में दो नये वेतनमानों को लागू करने जैसी कुछ नई विशेषतायें आरम्भ की गई है। इसके अतिरिक्त, अधिक शिक्षक उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दक्षता रोध को हर 6 वर्ष बाद लागू कर दिया गया है और सेवा कालीन प्रशिक्षण में भाग लेने की अपेक्षा तथा उच्च अर्हता प्राप्त करने के लिये व्यवस्था कर दी गई है। वेतनमानों में यह संशोधन व्यायाम-शिक्षकों, भाषा शिक्षकों, संगीत शिक्षकों, ड्राइंग शिक्षकों आदि जैसे शिक्षकों के लिये भी लागू होंगे और वे संबंधित ग्रेडों के सेलेक्शन वेतनमान तथा सीनियर वेतनमान पाने के पात्र होंगे बशर्ते कि वे इस प्रयोजन के लिये निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूरा करते हों। विभिन्न राज्यों में कार्यरत स्कूल शिक्षकों के वेतनमानों के संबंध में राज्य सरकारों को उपयुक्त कदम उठाने होंगे। यह एक वांछनीय लक्ष्य है जिसे कालांतर में प्राप्त किया जाना चाहिये।
8.	46	सभी सरकारी और प्राईवेट स्कूल अध्यापकों तथा शैक्षिक प्रशासकों की सेवा-निवृत्ति की आयु 60 से कम नहीं होनी चाहिये।	राज्यों में कार्य कर रहे स्कूल शिक्षकों के लिये सेवा निवृत्ति की आयु संबंन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे स्कूल शिक्षकों की सेवा-निवृत्ति की आयु के सम्बंध में उपर्युक्त कदम उठायें। संघ शासित क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्ध में सेवा-निवृत्ति की वर्तनमान आयु 60 वर्ष है। सेवा-निवृत्ति की आयु की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यकता होती है वहां आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं।
9.	47	सेवा निवृत्ति के बाद शिक्षक और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधायें मिलती रहनी चाहिएं।	इस सिफारिश को उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जहां तक अन्य सरकारी कमचारियों को ये सुविधायें उपलब्ध हैं और कालान्तर में कार्यान्वित कर दिया जायेगा।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संगीत अध्यापक का वेतनमान

*29. **श्री फूल चन्द्र वर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संगीत अध्यापकों के वेतनमान पंजाब, हरियाणा, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के नवोदय विद्यालयों के संगीत अध्यापकों के वेतनमानों से कम हैं जबकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संगीत अध्यापकों की योगयताएं इस प्रकार के अन्य संगठनों के अध्यापकों की योग्यताओं से अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन के और पंजाब, हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के नवोदय विद्यालयों के संगीत अध्यापकों के वेतनमानों और योग्यताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राममूर्ति समिति ने भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संगीत अध्यापक सहित सभी श्रेणी के अध्यापकों के लिए समान वेतनमानों की सिफारिश की थी; और

(घ) यदि हां, तो संगीत अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करके उन्हें संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़, पंजाब और हरियाणा के नवोदय विद्यालयों के संगीत अध्यापकों के तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अन्य अध्यापकों के वेतनमानों के बराबर लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संगीत शिक्षकों की अर्हतायें नवोदय विद्यालय के संगीत शिक्षकों के मुकाबले अधिक नहीं है। यह सही है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संगीत शिक्षकों के वेतनमान नवोदय विद्यालय के संगीत शिक्षकों के मुकाबले कम हैं, परन्तु ऐसा उनके पद से संबंधित कार्य और उत्तरदायित्व के कारण हैं। केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के संगीत शिक्षकों की अर्हतायें निम्नलिखित हैं :—

संगीत शिक्षकों की अर्हताएं

केन्द्रीय विद्यालय	नवोदय विद्यालय
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में उपाधि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से अथवा निम्नलिखित में से किसी एक में उच्चतर माध्यमिक :—संगीत में स्नातक उपाधि और बी एड० अथवा गन्धर्व महाविद्यालय, बम्बई अथवा भातखण्डे संगीत विद्या- पीठ, लखनऊ अथवा इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, (मध्य प्रदेश) अथवा प्रयाग संगीत समिति, इलाहा- बाद से संगीत विशारद् अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से संगीत	निम्नलिखित में से किसी एक के साथ हायर सैकेन्डरी:— विद्यालय, गन्धर्व महाविद्यालय, बम्बई अथवा भातखण्डे, संगीत विद्यापीठ, लखनऊ अथवा इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (मध्य प्रदेश), गन्धर्व महाविद्यालय से संगीत

केन्द्रीय विद्यालय	नवोदय विद्यालय
संस्था से प्राप्त समकक्ष योग्यता प्राचीन कला केन्द्र, चण्डीगढ़ द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित डिग्री/डिप्लोमा भी संगीत शिक्षक पद के लिए अर्हक योग्यता होगी ।	विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर परीक्षा । प्राचीन कला केन्द्र, चण्डीगढ़, द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित डिग्री/डिप्लोमा को भी संगीत शिक्षक पद के लिये अर्हक योग्यता माना जायेगा :—
(i) संगीत भास्कर सहित किसी भी विषय म स्नातक उपाधि	(क) किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ संगीत भास्कर।
(ii) किसी भी विषय में संगीत/नृत्य भूषण सहित स्नातकोत्तर उपाधि	(ख) किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ संगीत/नृत्य भूषण।
(iii) सीनियर सैकेण्डरी/इन्टरमीडियेट/किसी भी त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के पहले भाग सहित संगीत भूषण।	(ग) सीनियर सैकेण्डरी/इन्टरमीडियेट/त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के पहले भाग सहित संगीत भूषण अथवा संगीत नृत्य विशारद।
(iv) सीनियर सैकेन्डरी इन्टरमीडियेट/त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के पहले भाग सहित संगीत/नृत्य विशारद् ।	

संगीत शिक्षकों के वेतनमान

बेसिक वेतनमान 1200–2040 रुपये	बेसिक वेतनमान 1400–2600 रुपये
सीनियर वेतनमान 1400–2600 रुपये	सीनियर वेतनमान 1640–2900 रुपये
सलैक्शन वेतनमान 1640–2900 रुपये	सलैक्शन वेतनमान 2000–3500 रुपये

राममूर्ति समिति की रिपोर्ट में संगीत शिक्षकों के वेतनमान के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं हैं।

के० स० स्वा० योजना के लाभार्थियों को औषधियों का न मिलना

[हिन्दी]

*32. **श्री राजवीर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को आजकल सुपर बाजारों के माध्यम से औषधियां उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ की गई वैकल्पिक व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार): (क) से (ग) दवाए सामान्यत: चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन से प्राप्त की जाती हैं और लाभार्थियों को औषधालयों से दी जाती हैं। 1–4–1991 के पहले जो दवाएं औषधालयों में उपलब्ध नहीं होती थीं, वे सुपर बाजार (कनाट प्लेस) से खरीदी जा रही थीं। 1–4–1991 के बाद औषधालयों में अनुपलब्ध दवाएं प्राइवेट केमिस्टों से खरीदी जा रही हैं। क्रियाविधि में यह परिवर्तन इसलिए लागू किया गया ताकि उन लाभार्थियों को, जिन्हें सुपर बाजार की एक मात्र दुकान से दवाएं खरीदनी पड़ती थीं, होने वाली कठिनाई को दूर किया जा सके। अब जोनल आधार पर अनेक प्राइवेट केमिस्टों को अनुमोदित कर दिया गया है।

मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना

*33. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सेवाओं एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण करने के पिछली सरकार के निर्णय को लागू करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या सरकार ने मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई स्पष्ट नीति तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क से ग) मण्डल आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के सिविल पदों तथा सेवाओं में रिक्तियों का 27 प्रतिशत सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षित करने की व्यवस्था करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी किए गए आदेश, दिनांक 13–8–1990 को अनेक रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है, जिन पर अब उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि जब तक मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, लाभ प्राप्त करने वाली जातियों की पहचान को छोड़कर भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश के कार्यान्वयन हेतु कोई कदम न उठाए जाएं। इसने आगे यह भी निर्देश दिया है कि न्यायालय की अनुमति के बिना 13–8–1990 के आदेश के कार्यक्षेत्र में विस्तार न किया जाए।

सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है।

"ध्वनि प्रदूषण"

*35. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 16 जून, 1991 के "फ्री प्रैस जर्नल" में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत के बड़े नगरों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर अनुज्ञेय स्तर से अधिक है;

(ख) क्या देश में इस समस्या की गम्भीरता के आकलन के लिए सरकार ने कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में, विशेषत: स्कूलों, अस्पतालों और आवासीय क्षेत्रों के आस-पास ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली में अस्पतालों के बाहर कार के हार्न बजाने पर लगे प्रतिबंध का पालन नहीं किया जाता है, यहां तक कि इस आशय की निर्देश-पट्टियाँ भी गायब हो गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 1989 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, कानपुर, जयपुर और बंगलौर के कई क्षेत्रों में शोर का स्तर निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया है ।

स्वास्थ्य पर शोर के प्रभाव के बारे में भारतीय औषध अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि शोर-गुल वाले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की श्रवण शक्ति में निश्चित रूप से कमी आई है ।

(ग) देश में शोर प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किए गए प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शान्त क्षेत्रों के लिए शोर के परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं, दिन और रात के समय के परिवेशी शोर स्तरों के लिए अलग-अलग सीमाएं निर्धारित की गई हैं। वाहनों, घरेलू औजारों एवं निर्माण के समय उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों के लिए भी शोर की सीमाएं निर्धारित की गई हैं । वाहनों के संबंध में शोर की सीमाएं 1992 तक पूरी की जानी हैं जबकि औजारों एवं उपकरणों के संबंध में शोर की सीमाएं 1993 तक पूरी कर ली जानी हैं ।

(2) उद्योगों और वाहनों से उत्पन्न होने वाले शोर को छोड़कर अन्य स्रोतों से उत्पन्न होने वाले शोर के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रक्रिया संहिता विकसित की गई है। इसमें लोक सम्बोधन प्रणालियां हवाई उड़ान एवं पटाखे चलाना आते हैं।

(3) शांत क्षेत्रों की घोषणा।

(4) लाउडस्पीकरों के उपयोग पर नियंत्रण।

(5) वाहनों में लाउड और इलैक्ट्रोनिक हार्नों के उपयोग पर प्रतिबंध।

(6) भारी वाहनों के आने-जाने पर नियंत्रण।

(7) उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से पृथक करना।

(घ) और (ङ) दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा अस्पतालों और स्कूलों के बाहर शांत क्षेत्रों में हार्न बजाने पर लगाए गए प्रतिबंध को लागू किया जा रहा है। वाहनों/जनता द्वारा अनुपालन के लिए शांत क्षेत्रों को दर्शाने वाले साइनबोर्ड लगाए गए हैं और यदि किसी मामले में इन बोर्डों की किसी प्रकार टूट-फूट होती है तो उन्हें ठीक कर दिया जाता है।

[हिन्दी]

काउन्टर मैगनेट सिटी के रूप में बरेली के विकास के लिए धनराशि

*36. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत "काउन्टर मैगनेट सिटी" के रूप में बरेली के विकास के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ख) आगामी वर्ष के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित करने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) अभी तक कोई भी धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) बरेली के विकास के लिए निधियों की व्यवस्था के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार

*37. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत बेरोजगार युवकों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० राममूर्ति): (क) से (ग) आंठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के संदर्भ में चिन्ता का एक मुख्य विषय बेरोजगारी की समस्या है जिसमें शिक्षित बेरोजगार भी शामिल हैं। रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर 31 दिसम्बर 1989 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक स्तर के द्वारा वर्गीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

शैक्षणिक स्तर पर वर्गीकृत रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या 31 दिसम्बर 1989

(हजारों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	मट्रिक से नीचे£	मैट्रिक और इससे ऊपर परन्तु स्नातक से नीचे	स्नातकोत्तर सहित स्नातक	योग
1	2	3	4	5
राज्य				
1. आन्ध्र प्रदेश	1235.3	1357.4	226.2	2818.9
2. अरुणाचल प्रदेश	4.7	0.4	0.1	5.1
3. असम	454.5	454.3	64.9	973.7
4. बिहार	1203.7	1534.3	310.8	3048.7
5. गोआ	22.2	49.8	6.7	78.7
6. गुजरात	369.0	505.5	64.5	939.0
7. हरियाणा	273.3	247·0	53.7	574.0
8. हिमाचल प्रदेश	141.9	240.3	36.3	418.5
9. जम्मू व कश्मीर	74.2	35.5	15.7	125.5
10. कर्नाटक	478.8	645.8	118.2	1242.7
11. केरल	1250.6	1704.2	145.4	3100.1
12. मध्य प्रदेश	730.6	1030.6	217.4	1978.6
13. महाराष्ट्र	1054.8	1665.6	220.2	2940.6
14. मणिपुर	108.2	119.4	24.4	252.1
15. मेघालय	12.7	9.2	1.6	23.4
16. मिजोरम	31.0	9.4	1.6	42.0
17. नागालैंड	11.6	14.0	1.4	27.0
18. उड़ीसा	363.1	368.6	112.8	844.5

1	2	3	4	5
19. पंजाब . .	268.5	240.4	75.4	584.3
20. राजस्थान . .	381.7	382.2	136.9	900.8
21. सिक्किम*				
22. तमिलनाडु . .	1459.7	1253.5	277.4	2990.6
23. त्रिपुरा . .	101.2	40.2	6.5	147.9
24. उत्तर प्रदेश . .	1094.3	1522.3	496.4	3113.1
25. पश्चिम बंगाल . .	2173.8	1894.1	456.1	4524.0
संघ शासित प्रदेश				
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह . .	7.6	6.5	1.6	15.7
2. चण्डीगढ़ . .	69.8	61.5	21.9	153.2
3. दादर और नागर हवेली	0.9	1.0	0.2	2.1
4. दिल्ली .	254.9	419.9	118.7	793.6
5. दमन और दीव**				
6. लक्षद्वीप .	3.3	1.6	0.1	5.0
7. पाण्डिचेरी .	50.1	53.7	8.9	112.7
योग . .	13686.0	15868.2	3221.9	32776.2

टिप्पणी : *1. इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

**2. आंकड़े नहीं रखे जाते।

3. पूर्णांकों के कारण आंकड़े शायद योग से मेल नहीं खाते हों।

£4. अशिक्षित शामिल हैं।

केन्द्रीय सरकार के प्रबंधाधीन मंदिर

*38. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री शंकर सिंह बघेला :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के जिन मन्दिरों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है उनके नाम क्या हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) सरकार द्वारा न्यासों अथवा अन्य प्रकार से इन मन्दिरों का प्रबन्ध कब से किया जा रहा है;

(ग) देश में उन मन्दिरों के नाम क्या हैं जिनके रख-रखाव और प्रबन्ध का खर्च केन्द्रीय सरकार उठाती है और वे किन-किन स्थानों पर हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ और मन्दिरों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारत सरकार किसी भी ऐसे मन्दिर का प्रबन्ध नहीं करती, जो धार्मिक प्रयोग के अन्तर्गत है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा रखरखाव और संरक्षित किए जा रहे उन केन्द्रीय रूप से संरक्षित मन्दिरों की सूची, जिसमें उनका नाम और स्थान दिया गया है, विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) कुछ और मन्दिरों को संरक्षित स्मारक के रूप में, उनके रखरखाव और संरक्षण के प्रयोजन हेतु उत्तरदायित्व लेने की जब कभी भी आवश्यकता होती है, उस पर विचार किया जाता है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

क्रम सं०	स्थान	मन्दिर का नाम	संरक्षण का वर्ष
1	2	3	4
		जिला—अनन्तपुर	
1.	गोरन्तला	माधव राय मन्दिर (पुराना विष्णु मन्दिर)	1918
2.	कम्बादुर	मल्लिकार्जुन (शिव) मन्दिर	1917
3.	लीपक्षी	वासवनाह मन्दिर	1921
4.	—वही—	वीराभद्र मन्दिर	1921
5.	रायदुर्ग	राम और कृष्ण के दो मन्दिर	1921
6.	तड़पत्री	चिन्तलरास्वामी मन्दिर	1907
7.	—वही—	रामेश्वरा स्वामी मन्दिर	1907
8.	हेमावती	प्राचीन मन्दिरों का समूह	1964
		जिला—चित्तौड़	
9.	गुर्रमकोण्डा	किले में हनुमान मन्दिर	1936
10.	मंगापुरम (मिछापिलम् का हेमलेट)	वेंकटेश्वरा विष्णु मन्दिर	1921
11.	सोमपल्ली	चेन्ना केशवरास्वामी मन्दिर	1921
12.	गुडीमल्लम् ग्राम	परशुरामेश्वर मन्दिर	1963
13.	कल्लकड़ा	पल्लिश्वरा मुदाइया महादेव मन्दिर	1968
		जिला—कुड्डापाह	
14.	चिलामकूर	अस्तेश्वरास्वामी मन्दिर	1922
15.	—वही—	विघनेश्वरास्वामी मन्दिर	1922

1	2	3	4
16.	दनवालूपाद	जैन मन्दिर के अवशेष	1922
17.	गन्डीकोटा	किले में पेरूलम् मन्दिर	1922
18.	कोटलूर (पुष्पगिरी हेमलेट)	भीमेश्वरास्वामी मन्दिर	1908
19.	,,	इन्दिरानन्देश्वरा स्वामी मन्दिर	1908
20.	,,	कमला संभवेश्वरा स्वामी मन्दिर	1908
21.	,,	राघवेश्वरा स्वामी मन्दिर	1908
22.	,,	शिवकेशव स्वामी मन्दिर	1908
23.	,,	त्रिकोटेश्वरा स्वामी मन्दिर	1908
24.	,,	वैद्यनाथेस्वामी मन्दिर	1908
25.	नन्दलूर	सोम्यानाथ मन्दिर	1921
26.	पैड्डामडियम	कोथान्डा रामास्वामी मन्दिर	1921
27.	—वही—	मुक्तेश्वरा मन्दिर	1921
28.	—वही—	प्राचीन विष्णु मन्दिर	1921
29.	—वही—	श्री नरसिंह मन्दिर	1950
30.	पोली	अथीराला पैरासूरम मन्दिर	1922
31.	शिवलपल्ली	विश्वनाथ स्वामी मन्दिर	1908
32.	वोन्टी मिट्टा	श्री कोडन दारास्वामी मन्दिर	1914
		जिला—पूर्वी गोदावरी	
33.	समलमीमवरम्	भीमेश्वरम मन्दिर	1964
34.	बाइकावोलू	नवकलागुडी कंचरागुड्डी गोलीगणेश्वरा मन्दिरों के समूह वीरभद्र मन्दिर	1964
35.	दक्षरम्मा	भीमेश्वरा मन्दिर	1964
		जिला—गन्टूर	
36.	अय्यगरिपलम् (पोण्डुगला हेमलेट)	प्राचीन शिव मन्दिर	1942
37.	वपटला	श्री भवनारायणा स्वामी मन्दिर	1907
38.	चेजीरला	कपोटेश्वरा मन्दिर	1937
39.	मोटूपल्ली	चोला मन्दिर	1907
40.	वून्दावल्ली	हिन्दू मन्दिर	1921
		जिला—कृष्णा	
41.	मोगलराजापुरम्	राँककट गुफा मन्दिर	1921
42.	विजयवाड़ा	मालेश्वरा स्वामी मन्दिर	1921

1	2	3	4
43.	विजयवाड़ा	इन्दिरा किला पहाड़ी के ऊपर रॉक कट गुफा के दो मन्दिर जिसे अक्कन्ना मडन्ना गुफाओं के नाम से जाना जाता है। जिसमें (1) शल्ड शीरिन, जिनका मुख पूर्व दिशा की ओर है, (2) एक ट्रिपल शिल्ड मन्दिर सामने हाल में एक स्तम्ब ओर मध्य सैल में लिंग भी शामिल हैं।	1921
		जिला—कुरनूल	
44.	नन्दावरम्	नन्दावरम् मन्दिर	1954
45.	यगन्ति	प्राचीन गुफा मन्दिर	1954
46.	—वही-	उमामहेश्वरा स्वामी मन्दिर	1954
47.	पिट्टी कया गुल्ला	पिट्टी केशवरा मन्दिरों का समूह	1964
48.	सतियावेल	रामालिंगेश्वरा मन्दिरों का समूह	1966
		जिला—महबूबनगर	
49.	बालमपुर	बालबृहम मन्दिर	1951
49.ए	कोथमपल्ली	भैरव कोंडा कृष्ण मन्दिर में 8 रॉक कट मन्दिरों का समूह	1923
50.	उदयगिरी	कृष्णा मन्दिर	1917
51.	—वही—	रंगनकुला मन्दिर	1917
		जिला—श्रीकाकूलम	
52.	मुखलिंगम	श्री सोमेश्वरा मन्दिर	1939
53.	—वही—	भीमेश्वरा मन्दिर मुखलिंगेश्वरा मन्दिर	1964
		जिला—विजयानगरम	
54.	सारापल्ली	दिब्बेश्वरास्वामी वरी मन्दिर	1910
		जिला—वारंगल	
55.	हनमकोण्डा	हजार स्तम्ब मन्दिर	1951
56.	पालमपेट	रामाप्पा मन्दिर	1951
		जिला—पश्चिम गोदावरी	
57.	गन्टुपल्ली	रॉक कट मन्दिर	1919
		असम राज्य	
		जिला—केचर	
1-3	खासपुर	(1) रणचन्डी मन्दिर और (2) एवं (3) दो छोटे मन्दिर	1913

1	2	3	4
		जिला—सोनीतपुर	
1.	विश्वनाथ	बोरडोल मन्दिर	1915
2.	एन० सी० कमदयाल	घण्डी मन्दिर	1920
3.	तेजपुर	स्टोन मन्दिर के अवशेष	1925
		जिला—शिवसागर	
1.	गौरी सागर	विष्णु डोल	1937
2.	—वही—	देवी डोल	1937
3.	—वही—	शिव डोल	1937
4.	जॉय सागर	विष्णु डोल	1919
5.	—वही—	देवी डोल	1920
6.	—वही—	शिव डोल	1922
7.	मेटेका	रंगनाथ डोल	1913
8.	नेंगरिटिंग	शिव डोल	1913
9.	शिव सागर	विष्णु डोल	1913
10.	—वही—	देवी डोल	1913
11.	—वही—	शिव डोल	1913
		यूनाइटिड मीकरी और उत्तरी केचर पहाड़ी जिला	
1.	मइबोंग	रॉक कट मन्दिर	1909
		अरूणाचल प्रदेश	
		जिला—लोहित	
1.	पामा के पास	कोपर मन्दिर के खण्डहर	1910
		बिहार राज्य	
		जिला—भागलपुर	
1.	गोलभोंग	राक मन्दिर	1915
		जिला—रांची	
1.	खेकपर्ता	रांची मन्दिर	1939
		जिला—शाहबाद	
1.	पौरा	मण्डेश्वरी मन्दिर	1914
		सिंघभूम जिला	
1.	देनी सागर	मन्दिर के प्राचीन खण्डहर	1939
		गोवा	
1.	गोवा	प्राचीन मन्दिर, टम्बडी सूरता	1963
2.	गोवा	नगेश मन्दिर, बन्दोरा	1963

1 2	3	4
3. गोवा	महलसदवी मन्दिर, मरडोत	1963
4. गोवा	शान्ता दुर्गा मन्दिर	1963
5. प्राचीन गोवा	शान्ता दुर्गा मन्दिर मरसात	1963
6. कुर्दी	कुर्दी में खण्डहर मन्दिर	1963
	गुजरात राज्य	
	जिला–अमरेली	
1. मल्ल द्वारका	रणचहोदराई मन्दिर	1951
2. –वही–	कुशेशवर महादेव मन्दिर	1951
3. पड़ार सिंह	काशी विश्वनाथ मन्दिर की दीवारें	1951
	जिला–अहमदाबाद	
1. बीवनगम्	शिरीन	1909
	जिला–भावनगर	
1. तलेजा	जैन मन्दिर	1951
	जिला–जामनगर	
1. बाराडिया	राम लक्ष्मण मन्दिर	1951
2. धिकी	गड्डी और शिरीन	1951
3. धरासनवल	मगदेहरू मन्दिर	1951
4. द्वारका	रूकमणि मन्दिर	1951
5. गोप	गोप मन्दिर	1951
6. लावरल्ली	गोकेश्वर महादेव मन्दिर	1951
7. श्री धरीवार	कालका माता मन्दिर	1951
8. वैसाय	जूनागढ़ी मन्दिर	1951
9. –वही–	कंकेश्वरा महादेव मन्दिर और अन्य मन्दिर	1951
10. द्वारका	द्वारिकाधीश मन्दिरों का समूह	1964
	जिला–काइरा	
1. मियानी	प्राचीन पार्शवानाथ मन्दिर	1954
	जिला काइरा	
1. मारनल	गलटेश्वर मन्दिर	1909
	जिला–कच्छ	
1. कोटाइ	शिव मन्दिर	

1	2	3	4
		जिला—मेहसाना	
1.	असोडा	जसललनाथ जी महादेव मन्दिर	1951
2	डोलमल	लिम्बोजी माता मन्दिर	1951
3.	खण्डदोसन	हिंगलोजी माता मन्दिर	1951
4.	,,	,, ,, के पास सभा मण्डप और दो शिरिन	1951
5.	मोधेरा	सूर्य मन्दिर	1951
6.	पालोधार	मलाई माता मन्दिर	1951
7.	पिल्लूदारा	शीतला माता मन्दिर	1951
8.	रूहावाइरा	नीलकण्ठेश्वर महादेव मन्दिर	1951
9.	सन्दर	सन्देरी माता मन्दिर के पास दो छोटे शाइन	1951
10.	सनक	नीलकण्ठेश्वर महादेव मन्दिर	1951
11.	,,	शिवाय माता मन्दिर	1951
		जिला—पंचमहल	
1.	बावका	महादेव का प्राचीन खण्डहर मन्दिर	1909
2.	चम्पानेर	पावागढ़ के किले में खण्डहर हिन्दू और जैन मन्दिर	1914
3.	कंकनपुर	महादेव मन्दिर	1915
4.	रतनपुर	मूर्तियों सहित प्राचीन मन्दिर	1916
		जिला—सबारकण्ठा	
1.	सेद और रोडा (रायसिंहपुर)	मन्दिरों का समूह	1909
		जिला—सुरेन्दर नगर	
1.	आनन्दपुर	अनन्तेश्वर मन्दिर	1951
2.	सेजकपुर	नवलखा मन्दिर	1951
3.	थान	सूर्य मन्दिर	1951
4.	वाघवान	रणक देवी मन्दिर	1951
		हिमाचल प्रदेश	
		जिला—चम्बा	
1.	भारमौर	गणेश मन्दिर	1952
2.	—वही—	लक्ष्मी (लखाना) देवी मन्दिर	1952
3.	—वही—	नन्दी नागेश मन्दिर	1952
4.	—वही—	नरसिंह मन्दिर	1952

1	2	3	4
5.	चम्बा	श्री बाजेश्वरी मन्दिर	1952
6.	चम्बा	श्री बंसी गोपाल मन्दिर	1952
7.	चम्बा	श्री चमूड़ा देवी मन्दिर	1952
8.	चम्बा	श्री हरिराय मन्दिर	1952
9.	चम्बा	श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिरों का समूह	1952
10.	चम्बा	श्री सीता राम मन्दिर	1952
11.	छतराई	श्री शक्ति देवी मन्दिर	1952
		जिला कांगड़ा	
1.	आशापुरी	मन्दिर	1926
2.	बैजनाथ	बैजनाथ और सिद्धनाथ मन्दिर	1909
3.	मसरूर	रॉक कट मन्दिर	1924
4.	सुजानपुर	नरवदेश्वर मन्दिर और कम्पाउण्ड हाल के अंदर स्कल्पचर	1967
5.	नूरपुर	किले के परिसर के अन्दर बृजराज बिहारी मन्दिर	1909
6.	कोटला किला	किला परिसर के अन्दर मन्दिर	1909
7.	कांगड़ा	जिला परिसर के अन्दर जैन मन्दिर	1909
		जिला कूल्लू	
1.	बाजौरा (कुल्लू)	बशेसर महादेव का मन्दिर	1909
2.	दसाल	गौरी शंकर का मन्दिर	1912
3.	जगत सुख	शिव मन्दिर का मिनीचावर स्टोन	1929
4.	नगर	गौरी शंकर मन्दिर	1912
		जिला मण्डी	
1.	मण्ड्री	पंचवकत्रा मन्दिर	1952
2.	मण्डी	त्रिलोकी नाथ मन्दिर	1952
3.	मण्डी	अर्ध नारिश्वर मन्दिर	1983
		जिला लाहुल और स्पिति	
1.	उदयपुर	मिरकुला देवी मन्दिर	1989
		जम्मू और कश्मीर	
		जिला अनन्तनाग	
1.	खरेव (शिकारगढ़)	पाषाण युगीन स्ट्राइन	1957
2.	खरेव (शिकारगढ़)	प्राचीन मन्दिर के खण्डहर	1957
3.	लघूव	प्राचीन मन्दिर	1957

1	2	3	4
4.	मट्टान	बूमजुआ गुफा मन्दिर	1957
5	रामपुर	प्राचीन मन्दिर के खण्डहर	1957
6.	रणधीर सिंहपुर	मारटैण्ड मन्दिर	1957
		जिला बारामौला	
1.	बण्डी	देथा मन्दिर	1957
2.	बुनीयार	प्राचीन मन्दिर	1957
3.	फतहगढ़	प्राचीन मन्दिर	1957
4.	पट्टान	सुगन्धेसा मन्दिर	1957
5.	पट्टान	शंकर गौरी श्वरा मन्दिर	1957
6.	तपार	प्रताप स्वामी मन्दिर	1957
		जिला कठूआ	
1.	बसीहीली	विश्ववेश्वरा गुफा मन्दिर और अन्य गुफा मन्दिर	1957
2.	—वही—	प्राचीन मन्दिरों का समूह	1957
3.	महाधोरा	त्रिलोक चन्दनाथ मन्दिर	1957
		जिला श्रीनगर	
1.	दुर्गनाग	शंकराचार्य मंदिर	1957
2.	हरि प्रभात	प्राचीन मंदिर	1957
3.	श्रीनगर	बोहारी कादत पर प्राचीन मंदिर	1957
4.	श्रीनगर	पंडियान मंदिर	1957
5.	बैगथ	6, प्राचीन मंदिर	1957
		जिला उद्यमपुर	
1.	बावौर	प्राचीन मंदिरों का समूह	1957
2.	किरमिच	चार मंदिरों का समूह	1957
		जिला पलवामा	
1.	अवन्तिपुर	अवन्तिश्वर मंदिर	1957
2.	—वही—	अवन्ति स्वामी मंदिर	1957
3.	काकपौड़ा	प्राचीन मंदिर	1957
4.	पयार	प्राचीन मंदिर	1957
		कर्नाटक राज्य	
		जिला बेलगांव	
1.	बेलगांव (किला)	पुराना जैन मन्दिर	1910

1	2	3	4
2.	बेलगांव (किला)	कोमीश्रीऐट स्टोर यार्ड के बाहर पुराना जैन मंदिर	1910
3.	–वही–	पुराने हिन्दू मंदिर के अवशेष	1910
4.	दी गांव	मंदिर जो वस्तीगुडी कहलाता है	1910
5.	हुली	पंचलिंगदेव का मंदिर	1910
6.	कोनूर	बरबाद मंदिर	1910
7.	बाकुंद	मुक्तेश्वर का जैन मंदिर	1910
8.	नन्दगद	जंगल में पुराना मंदिर	1910
		जिला बल्लेरी	
1.	अमबाली	कलेश्वरास्वामी मंदिर	1922
2.	अन्नथास्थानागुडी	हम्पी के अवशेष तथा अन्नथास्थाना मंदिर	1921
3.	अनगुरु	कलेश्वरास्वामी मंदिर	1923
4.	बागली	–वही–	1923
5.	हलाबागलु	कलेश्वरास्वामी मंदिर	1923
6.	हम्पी	जैन मंदिरों का समूह	1921
7.	–वही–	कडालेकालू गणेश मंदिर	1921
8.	–वही–	ससवीकल गणेश मंदिर	1921
9.	–वही–	विशणुपद मंदिर	1921
10.	हीरेहाडागली	कलेश्वरास्वामी मंदिर	1922
11.	हुवीनहाडागली	–वही–	1923
12.	काडेरामपुरा	इसा नदी केशवर मंदिर	1921
13.	–वही–	सरस्वती मंदिर	1921
14.	कमलापुरम	चन्द्रशेखर मंदिर	1921
15.	–वही–	गणीगिटे जैन मंदिर	1921
16.	–वही–	हसारा रामचन्द्र मंदिर	1921
17.	–वही–	जैन मंदिर	1921
18.	–वही–	बड़ा भूमिगत मंदिर	1921
19.	–वही–	पट्टाभिराम मंदिर	1921
20.	–वही–	शिव के दो छोटे मंदिर	1921
21.	–वही–	रंगा मंदिर	1921
22.	कृष्णपुरम	कृष्ण मंदिर	1921
23.	–वही–	लिंग मंदिर	1921
24.	कुमारस्वामी बेटा, सन्दूर	पारवती और कर्तीकेया मंदिर	1954
25.	कुरुवती	मल्लिकार्जुन मंदिर	1922

1 2	3	4
26. मेगालम	सूर्यनारायण मंदिर	1921
27. माईलर	कलेश्वरास्वामी मंदिर	1922
28. नीलागुन्डा	भीमश्वर मंदिर	1923
29. रंगापुरम	नरसिंहा स्वामी मंदिर	1910
30. सिगानाथानहाले	सरस्वती मंदिर	1921
31. थीमालापुर	गोपाल कृष्णस्वामी मंदिर	1908
32. –वही–	शिव मंदिर	1908
33. वेंकटपुरम	अघूताराया मंदिर	1921
34. –वही–	उत्कीर्ण विष्णु मंदिर	1921
35. –वही–	जैन मंदिर	1921
36. –वही–	रघुनाथस्वामी मंदिर	1907
37. –वही–	विष्णु मंदिर सं० 1	1921
38. –वही–	" " " 2	1921
39. –वही–	" " " 3	1921
40. –वही–	विताता मंदिर	1921
	जिला–बंगलौर	
1. बंगलौर	पुराने दुनगांव किले और गेट के अन्दर एक छोटा गणेश मंदिर	1951
	जिला–बीजापुर	
1. अयीहोले	अम्बीगेर गुडी (1)	1914
2. —वही—	—वही— (2)	1914
3. —वही—	गलगानाथ समूह का एक मंदिर (1)	1914
4. —वही—	—वही— (2)	1914
5. —वही—	—वही— (3)	1914
6. —वही—	—वही— (4)	1914
7. —वही—	—वही— (5)	1914
8. —वही—	बडीगेर गुडी	1914
9. —वही—	बोचार गुडी	1914
10. —वही—	बिले गुडी	1914
11. —वही—	चारनती मठ (या मुरपादरयावर गुडी)	1914
12. —वही—	—वही—	1914
13. —वही—	डेसायर गुडी	1914
14. —वही—	गलगानाथ मंदिर	1914
15. —वही—	गरडी गुडी	1914

1 2	3	4
16. अयीहोले	गददार गुडी (1)	1914
17. —वही—	—वही— (2)	1914
18. —वही—	गददार ईश्वर गुडी	1914
19. —वही—	ग्रेट दुर्गा मंदिर	1914
20. —वही—	हुचीमल्ली गुडी सर्वेक्षण सं० 64 में	1914
21. —वही—	मेगुटी का जैन मंदिर	1914
22. —वही—	जोतिर्लिंग मंदिर	1914
23. —वही—	कोरे गुडी	1914
24. —वही—	कोन्टी गुडी	1914
25. —वही—	भादिन गुडी (बसावन) (1)	1914
26. —वही—	—वही— (2)	1914
27. —वही—	मेना बस्ती (जैन गुफा)	1914
28. —वही—	कोई नाम नहीं है परन्तु यनायावर गुडी का एक भाग है	1914
29. —वही—	रची गुडी	1914
30. —वही—	रामलिंग मंदिर	1914
31. —वही—	ग्रेट दुर्गा मंदिर के दक्षिण–पश्चिम में छोटा मंदिर	1914
32. —वही—	कोन्ती गुडी के नजदीक मंदिर	1914
33. —वही—	कोन्ती गुडी के नजदीक मंदिर जो सुरंग गुडी कहलाता है	1914
34. —वही—	सर्वेक्षण सं० 66 में मंदिर तथा नजदीक ही छोटी इमारतें जो जोतिर लिंग कहलाता है	1914
35. —वही—	क्र० सं० 47 के नजदीक मंदिर	1914
36. —वही—	लडखान के मंदिर के नजदीक मंदिर	1914
37. —वही—	गांव के उत्तर–पश्चिम के कोने में थोड़े फासले पर खेतों में मंदिर	1914
38. —वही—	सवक्षण सं० 270 में मंदिर	1914
39. —वही—	लडखान का मंदिर	1914
40. —वही—	क्र०सं० 46 के उत्तर में मंदिर	1914
41. —वही—	हल में बड़ी नन्दी के साथ मंदिर	1914
42. —वही—	टरयामबकेश्वर मंदिर	1914
43. —वही—	पहाड़ी पर मेगुटी के नीचे दो मंजिला जैन मंदिर तथा गुफा	1914

1	2	3	4
44.	अयीहोले	वेनियावरगुडी (1)	1914
45.	—वही—	—वही— (2)	1914
46.	—वही—	—वही— (3)	1914
47.	—वही—	वीरभद्र देवर मंदिर	1914
48.	—वही—	चनियावर गुडी	1914
49.	—वही—	योगी नारायण मंदिर	1914
50.	बदामी	भूतनाथ समूह के मंदिर	1918
51.	—वही—	मंदिरों का समूह	1918
52.	—वही—	लाकलिसा मंदिर	1918
53.	—वही—	उत्तर किला और मंदिर	1918
54.	—वही—	नोल पर मंदिर	1918
55.	बीदूर	कालिका भवानी मंदिर	1920
56.	—वही—	नरायण देव मंदिर	1920
57.	—वही—	रामेश्वर मंदिर	1920
58.	बीजापुर	जलमंदिर	1914
59.	चट्टरकी (गोधान)	श्री दत्तातरया का प्राचीन हिन्दू मंदिर	1929
60.	चोलाचायडी	पुराना मंदिर	1972
61.	—वही—	—वही—	1972
62.	हालूर	पुराना जैन मंदिर	1921
63.	—वही—	विश्वेश्वर मंदिर	1921
64.	नागरल सामत	नागनाथ मंदिर	1920
65.	नीमबल	शंकरलिंग मंदिर	1938
66.	पाताडाकल	चन्द्रशेखर मंदिर	1918
67.	—वही—	गलगानाथ मंदिर	1914
68.	—वही—	वीरूपाक्सा का ग्रेट मंदिर	1914
69.	—वही—	जैन मंदिर	1914
70.	—वही—	जाम्मूलिंग मंदिर	1914
71.	—वही—	काशीविश्वेश्वर मंदिर	1914
72.	—वही—	काशी विश्वेश्वर मंदिर	1914
73.	—वही—	मलिकार्जुन का मंदिर	1914
74.	—वही—	पापनाथ का मंदिर	1914
75.	—वही—	संगामेश्वर का मंदिर	1914
76.	तालिकोट	श्री रामदेव मंदिर	1917

1	2	3	4
		जिला—चिकमंगलूर	
77.	अमृतपुरा	अमृतेश्वर मंदिर	1951
78.	बेलावडी	वीरनारायण मंदिर	1951
79.	श्री नगेरी	विद्याशंकर मंदिर	1951
		जिला—चित्तलदुर्ग	
1.	चितलदुर्ग	मंदिर	1951
2.	हरीहर	हरीरशेवर मंदिर	1951
3.	जतींगी रामेश्वर हिल	जतींगी रामेश्वर मंदिर	1951
4.	सिदापुर	अकटंगी मंदिर	1951
		जिला—दुर्ग	
1.	मुलुर सनीवरसंथी होबली	तीन पत्थरों से बने जैन मंदिर	1924
		जिला—धारवाड़	
1.	अमर गोल	बनशंकरी देवी	1909
2.	अन्नीगेरी	श्री अमृतेश्वर	1909
3.	बालमबिद	कमलेश्वर	1909
4.	बनकापुर	नागारेश्वर मंदिर	1922
5.	चवादा दानापुर	मुक्तेश्वर	1909
6.	डामबल	डोडबासपा मंदिर	1918
7.	—वही—	सोमेश्वर मंदिर	1918
8.	गाडग	सरस्वती मंदिर	1909
9.	—वही—	सोमेश्वर मंदिर	1909
10.	गालगनाथ	गालागेश्वर मंदिर	1909
11.	हंगल	पुराना बरबाद मंदिर	1918
12.	—वही—	ताराकेश्वर	1909
13.	—वही—	वीरभद्र मंदिर	1925
14.	हावेरी	सिद्धेश्वर मंदिर	1909
15.	हरालहाली	सोमेश्वर मंदिर	1909
16.	—वही—	कालेश्वर मंदिर	1924
17.	लाकुंडी	जैन बस्ती	1909
18.	—वही—	काशी विश्वेश्वर	1909
19.	—वही—	कुम्बारवेरी ईश्वर	1909
20.	—वही—	मानकेश्वर	1909
21.	—वही—	मुमकिन भानवीं	1909
22.	—वही—	नानेश्वर	1909

1	2	3	4
23.	नारेगल	सरवेश्वर का मंदिर	1909
24	रतीहाली	कदमबेश्वर मन्दिर	1909
25.	टामबुर	बसवानादेव मन्दिर	1909
26.	उनकल	चन्द्रामालेश्वर	1909
		जिला—हसन	
1.	अरसीकेरे	ईश्वर मन्दिर	1951
2	बेलर	केशव मन्दिर	1951
3.	डोडगंगाड डावली	लक्ष्मीदेवी मन्दिर	1951
4.	हलेविद	आदि नाथ बस्ती	1951
5.	—वही—	होयसलेश्वर मन्दिर	1951
6.	—वही—	केदारेश्वर मन्दिर	,,
7.	—वही—	परसवांया बस्ती	,,
8.	—वही—	संथीनाथ मन्दिर	,,
9.	कोटाबंगला	वचेचश्वरा मन्दिर	,,
10.	भोसाले	नागेश्वर तथा चनाकेश्वर मन्दिर	,,
11.	नुगगेहाली	लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर	,,
12.	—वही—	सदाशिव मन्दिर	,,
13.	सरावनाबेलगोला	अकाना बस्ती	,,
14.	—वही—	चन्द्रगुप्त बस्ती	,,
15.	—वही—	चावुनदश्या बस्ती	,,
16.	वही	परसवांथा बस्ती	,,
17.	अराकैल	चनाकेतवा मन्दिर	1983
		जिला—कौलार	
1.	अवानी	रामलिंगेश्वर मन्दिर	1951
2.	कोलार	कोलारामा मन्दिर	,,
3.	—वही—	सोमश्वर मन्दिर	,,
4.	नन्दी	भोगानन्दीश्वर मन्दिर	,,
		जिला—मन्डया	
1.	बसराल	मलिका अर्जुन मन्दिर	,,
2.	गोन्दिदा हाली	पंचलिंगेश्वर मन्दिर	,,
3.	होसाहोलालू	लक्ष्मीनारायण मन्दिर	,,
4.	कम्बादाहाली	पंचकुटा बस्ती	,,

1	2	3	4
5.	मरेहाली	लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर	1951
6	नागामंगला	केशव मन्दिर	"
7.	मेलकोटे	नारायण स्वामी मन्दिर	"
8.	सिंघाघटा	लक्ष्मी नारायण मन्दिर	"
9.	श्री रंगापटना	श्री रंगानाथा स्वामी मन्दिर	"
10.	तोनूर	मन्दिर	
11.	अरातीपुर	प्राचीन जैन मन्दिर के अवशेष	1938
		जिला मैसूर	
1.	बेटादापुर	सिदुलु मलिकार्जुन मन्दिर	1951
2.	गुनदलुपेट	श्री विजयनारायण मन्दिर	"
3.	हले अलूर	अरकेश्वर मन्दिर	"
4	मूलर	लक्ष्मीकान्ता मन्दिर	"
5.	नानजनगुड	श्री कन्टेश्वर मन्दिर	"
6	नरसामंगला	रामेश्वर मन्दिर	"
7.	सोमानाथापुर	केशव मन्दिर	"
8.	तालकड़	कीर्ति नारायण मन्दिर	"
9.	—वही—	वंदश्वर मन्दिर	"
10.	चेलंदूर	गोरीश्वर मन्दिर	"
		जिला नार्थ कनारा	
1.	बनावासी	मधुकेशवर मन्दिर	1916
2.	भटकल	अदके नरायण देवस्थान जिसमें विरुपकश देव-स्थान भी शामिल है	1910
3.	—वही—	जटापा नाईकन चन्द्र नथेश्वर बस्ती	"
4.	—वही—	जोशी शंकर नरायण देवस्थान	"
5.	—वही—	केटपाई नरायण देवस्थान	"
6.	—वही—	लकर कामती नरायण देवस्थान	"
7.	—वही—	नरसिन्हा देवस्थान	"
8.	—वही—	पारश्व वांधेश्वर बस्ती	"
9.	—वही—	रघुनाथ देवस्थान	"
10.	—वही—	संतापा नायक तिरूमल देवस्थान	"
11.	बिलगी	घोटा पुराना मन्दिर	"
12.	—वही—	विरूपक्ष मन्दिर	"
13.	हडवाल	बस्ती चन्द्रनाथ देवा	"
14.	नागर बस्ती केरी या गेरसप्पा	चतुरमुख बस्ती	"

1	2	3	4
15.	नगर बस्ती केरीया गरस्था	वरधामन स्वामी मन्दिर	1910
16.	—वही—	वीरभद्र मन्दिर	"
17.	सोमासागर	शिव का मन्दिर	
18.	सौंदा	किंग सीट के साथ मन्दिर	"
19.	बिलगी	पुराना जैन मन्दिर जो स्थानीय लोगों द्वारा रतना-तरया वासदी के नाम से जाना जाता है	1964
20.	गुडनापुर	वीरभद्र स्वामी मन्दिर	1987
		जिला रायचूर	
1.	इतागी	महादेव मन्दिर	1951
		जिला—शिमोगा	
1.	बन्दालाहक	अनेकल मन्दिर	1951
2.	—वही—	सोमश्वर मन्दिर	"
3.	—वही—	तिरूमूर तिनरायण मन्दिर	"
4.	बेलावी	भेल्लदेश्वर मन्दिर	"
5.	—वही—	केदारेश्वर मन्दिर	"
6.	—वही—	तिरीपुरानतेश्वर मन्दिर	"
7.	चन्द्रागुटी	किला और रेनुका मन्दिर	"
8.	हुमचा	बस्तियां और शिलालेख	"
9	इकेरी	अगोरेश्वर मन्दिर	"
10.	केलाडी	रामेश्वर मन्दिर	"
11.	कुवातुर	कैताभेश्वर मन्दिर	"
12.	—वही—	पारस बंधा बस्ती	"
13.	—वही—	रामेश्वर मन्दिर	"
14.	कुडली	—वही—	"
15.	कुमागाडे	मन्दिर	"
16.	मेलागी	जैन बस्ती	"
17.	नदकल्सी	मलिका अर्जुन और रामेश्वर मन्दिर	"
18.	तालागुंडा	परनावेश्वर मन्दिर	"
19.	उदरी	मन्दिर	
		जिला दक्षिण कनारा	
20	होसल (बरकुर)	कयाले बस्ती मन्दिर छोटा शिव मन्दिर जिसमें लिंग और छोटा पत्थरों से निर्मित मन्दिर	1921
2·	कोरकल	अन्नतपदमानाभा मन्दिर	1941

1	2	3	4
3.	कोरकल	चतुरमुख मन्दिर	1921
4.	मंगलौर	मंगलादेवी मन्दिर	"
5.	पंरतैया	मुदाबिदरी में 17 जैन मकबरे	"
		जिला—टुमकुर	
1.	अरपालागुपे	चनीगरया मन्दिर	1951
2.	नागलापुरा	चेनाकेशव मन्दिर	"
3.	—वही—	केदारश्वर मन्दिर	"
		केरल राज्य	
		जिला—कोजीकोडे	
1.	कीतनगानद	जैन मन्दिर	1921
		जिला—त्रिचूर	
1.	हयाल	शिव मन्दिर काम्पलेक्स	1951
2.	उराकम	—वही—	1982
3.	थिरुवंचीकुलम	—वही—	1982
4.	चीमानचाटा	शिव मन्दिर	1982
		जिला—पालघार	
1.	पटाम्बी	मेतरी मंगलम शिव	1982
		जिला—त्रिवेंद्रम	
1.	तिरुवलम	परसुराम, ब्रह्मा, शिव और मतसया के मन्दिर	1962
		मध्य प्रदेश	
		जिला—बालघाट	
1.	बैहर	मन्दिर	1925
2.	काशीटोला	कोटेश्वर का मन्दिर (महादेव और हनुमान)	1938
3.	रायगढ़	पिपरवारा वनग्राम के अन्तर्गत स्थित प्राचीन मन्दिर	1922
		जिला—बस्तर	
1.	बरसुर	चन्द्रादित्य मन्दिर	1954
2.	—वही—	मामा भांजा का मन्दिर	1954
3.	बस्तर	महादेव मन्दिर	1954
4.	दन्तेवाड़ा	दन्तेश्वरी देवी मन्दिर	1954

1	2	3	4
5.	नारायनपाल	नारायण मन्दिर	1954
6.	सामपुर	कालीं महादेव मन्दिर	1954
		जिला—बेतुल	
1.	भैंसडेही	महादेव मन्दिर	1923
		जिला—भिण्ड	
1.	खेरात	ईंटों का मन्दिर (दो)	1951
		जिला—बिलासपुर	
1.	अरभार	अरभार मन्दिर	1925
2.	बेलपान	मन्दिर	1922
3.	गटोरा	मन्दिर	1922
4.	जानीगिरी	बड़ा वैष्णव मन्दिर	1925
5.	जानीगिरी	छोटा मन्दिर	1925
6.	खरोड	सकरी का ईंटों का मन्दिर	1917
7.	—वही—	ईंटों का छोटा मन्दिर	1917
8.	—वही—	सूरया मन्दिर	1922
9.	मल्लार	पातालेश्वर महादेव मन्दिर	1937
10.	पाली	महादेव मन्दिर	1925
11.	रतनपुर	कंठी देवल मन्दिर	1917
12.	शिउरी नारायन	केशव नारायन मन्दिर (जीर्ण शीर्ण)	1922
13.	—वही—	शिउरी नारायण मन्दिर ईंटों के खण्डित मन्दिर के साथ तथा चन्द्रचूड़ मन्दिर	1925
14	तुमन	अति प्राचीन मन्दिर के अवशेष	
		जिला—छतरपुर	
1.	खजुराहो	चौंसठ योगिनी मन्दिर	1953
2.	—वही—	चित्रगुप्त या भरतजी का मन्दिर	1953
3.	—वही—	देवी जगदम्बी मन्दिर	1953
4.	—वही—	कन्दरिया मन्दिर	1953
5.	—वही—	लक्ष्मण मन्दिर	1953
6.	—वही—	लाल गुंआं महादेव	1953
7.	—वही—	महादेव मन्दिर	1953
8.	—वही—	मातंगेश्वर मन्दिर	1953
9.	—वही—	नन्दी मन्दिर	1953

1	2	3	4
10.	खजुराहो	पार्वती मन्दिर	1953
11.	—वही—	वराह मन्दिर	1953
12.	—वही—	विश्वनाथ मन्दिर	1953
13.	—वही—	आदि नाथ मन्दिर	1953
14.	—वही—	ब्रह्मा मन्दिर	1953
15.	—वही—	घंटिया मन्दिर	1953
16.	—वही—	जवारी मन्दिर	1953
17.	—वही—	पार्श्वनाथ मन्दिर	1953
18.	—वही—	शांतिनाथ मन्दिर	1953
19.	—वही—	वामन मन्दिर	1953
20.	—वही—	दूलादेव मन्दिर	1953
21.	—वही—	जटाकारी या चतुर्भुज मन्दिर	1953
		जिला दमोह	
1.	कनोडा	प्राचीन मन्दिर के अवशेष	1922
2.	कनोरा बारी	कनोरा बारी का मन्दिर	1925
3.	कोडल	प्राचीन मन्दिर	1925
4.	कुण्डलपुर	पहाड़ी पर स्थित जैन मन्दिर	1914
5.	—वही—	पहाड़ी के नीचे स्थित सपाट छत वाला एक मन्दिर	1914
6.	नोहटा	मन्दिर	1925
7.	सखर	मन्दिर	1925
		जिला देवास	
1.	नेमावाड़	सिद्धेश्वर मन्दिर	1951
2.	—वही—	अर्धनिर्मित मन्दिर	1951
		जिला दुर्ग	
1.	देवबलोदा	जीर्ण शीर्ण अवस्था में बलुए पत्थरों का मन्दिर	1925
2.	देओरबिजिया	सीतादेवी का प्राचीन मन्दिर	1922
3.	धमदा	बुढ़ तालाब में स्थित शिव का मन्दिर	1925
		जिला—राजनन्दनगांव	
1.	गन्डाई	प्राचीन मन्दिर	1925
		जिला—धार	
1.	माण्डू	नीलकण्ठ मन्दिर	1951
2.	बसवी	सैलोत्खनित मन्दिर	1991

1	2	3	4
		जिला—गुना	
1.	बूढ़ी चन्देरी	जैन मन्दिर 1 से 5	1951
2.	कडवाहा	मन्दिर 2 से 7	1951
		जिला—ग्वालियर	
1.	अमरोल	महादेव मन्दिर	1951
2.	ग्वालियर किला	सास-बहू मन्दिर	1951
3.	—वही—	तेली का मन्दिर	1951
4.	—वही—	चतुर्भुज मन्दिर	1951
		जिला—जबलपुर	
1.	भेराघाट	चौंसठ योगिनी मन्दिर	1925
2.	बिल्हेरी	विष्णु वराह मन्दिर	1925
3.	बुरगांव	सोमनाथ का मन्दिर तथा अनेक मन्दिरों के ध्वंसावशेष	1914
4.	गरहा	पंच मठ मन्दिर	1925
5.	मरहा देवरी	कियान नदी के मुहाने पर स्थित मन्दिर का ध्वंसावशेष	1926
		जिला—मंदसोर	
1.	धामनार	शैलोत्खनित ब्राह्मण मन्दिर	1951
2.	खोर	नौ तोरण मन्दिर	1951
		जिला—मण्डला	
1.	बह्मदेवरी	शिव मन्दिर	1922
2.	कुकरमठ	शंकर को समर्पित रणमुक्तेश्वर मन्दिर	1925
3.	माण्डला	गोण्ड किले में स्थित मन्दिर	1922
		जिला—मुरैना	
1.	मितावली	एकोत्तरसो महादेव मन्दिर	1951
2.	पढ़ावली	मन्दिर	1951
3.	सुडानिया	काकनमठ मन्दिर	1951
4.	नरेसर	मन्दिर 1 से 22	1951
5.	बटेश्वर	मन्दिर समूह	1988
		जिला—नरसिंहपुर	
1.	चौरागढ़	किले में स्थित मन्दिर	1925
		जिला—नीमार (पूर्व)	
1.	असीरगढ़	महादेव मन्दिर	1925

1	2	3	4
2.	ग्रसोरगढ़	किले में स्थित मन्दिर	1925
3.	मान्धाता	चौबीस अवतार मन्दिर	1925
4.	–वही–	सिद्धेश्वर या सिद्धनाथ मन्दिर	1925
5.	गोदादपुर ,(ओंकार मान्धाता)	अमलेश्वर उर्फ ममलेश्वर मन्दिर समूह कालेश्वर मन्दिर सहित	1967
		जिला नीमार पश्चिम	
1.	उन	जैन मन्दिर 1 से 3	1951
2.	–वही–	महाकालेश्वर के मन्दिर 1 से 2	1951
3.	–वही–	नीलकण्ठेश्वर का मन्दिर	1951
		जिला–पन्ना	
1.	अजयगढ़	गुप्तकालीन दो मन्दिर]	1953
2.	नचना	नचना कुठारा का पार्वती मन्दिर	1953
3.	नचना	चौमभानाथ मन्दिर	1988
		जिला–रायपुर	
1.	नारायणपुर	शिवनारायण का महन्त लालदास मन्दिर	1925
2.	राजिम	राजीवलोचन या राजिम मन्दिरों के नाम से जाना जाने वाला मन्दिर समूह	1925
3.	–वही–	रामचन्द्र का मन्दिर	1925
		जिला–रायसेन	
1.	भोजपुर	शैव मन्दिर	1951
2.	रायसेन किला	रामेका मन्दिर	1954
3.	–वही–	मन्दिर	1954
4.	सांची	मन्दिर ध्वंसावशेष	1954
5.	–वही–	गुप्तकालीन मन्दिर	1954
6.	–वही–	उत्तर गुप्तकालीन मन्दिर	1954
7.	–वही–	मन्दिर सं० 31	1954
8.	–वही–	देवालय	1954
9.	–वही–	मन्दिर सं० 40	1954
		जिला–सागर	
1.	बामोदा	मन्दिर	1925
2.	कवरोन्दा	महादेव या माता का मन्दिर	1922
3.	पाली	महादेव का मन्दिर	1922

1	2	3	4
		जिला—सेउनी	
1.	अष्टा	मन्दिर	1926
		जिला—शहडोल	
1.	अमरकंटक	कर्ण मन्दिर	1953
2.	—वही—	पातालेश्वर मन्दिर	1953
3.	—वही—	शिव मन्दिर	1953
4.	सौहागपुर	विराट मन्दिर	1953
		जिला—सीधी	
1.	चन्दाह	मन्दिर	1953
		जिला—शिवपुरी	
1.	महुआ	बड़ा शिव मन्दिर	1951
2.	—वही—	छोटा शिव मन्दिर	1951
3.	सुरवाया	शिव मन्दिर	1951
4.	तेराही	महाजा माता मन्दिर	1951
		जिला—विदिशा	
1.	बडोह	दशावतार मन्दिर	1951
2.	—वही—	गोडरमल मन्दिर	1951
3.	—वही—	जैन मन्दिर	1951
4.	ग्यारसपुर	नीलादेवी मन्दिर	1951
5.	उदयगिरि	गुप्त मन्दिर के ध्वंसावशेष	1951
6.	उदयपुर	उदयेश्वर महादेव मन्दिर	1951
		महाराष्ट्र	
		जिला अहमदनगर	
1	पानिनि	हमादपन्थी मन्दिर	1914
2	घोटन	जैन मन्दिर	1921
3	घोटन	मल्लिकार्जुन मन्दिर	1921
4	हरिश्चन्द्रगढ़	गुफा तथा मन्दिर	1909
5	करजाट	मल्लिकार्जुन मन्दिर	1921
6	—वही—	नकटीचेदेउल नामक शिव मन्दिर	1921
7	नोकुमथान	प्राचीन मन्दिर	1909
8	माण्डवगांव कटराबाद	देवी का मन्दिर	1909
9	परनेर	शिव मन्दिर	1921

1	2	3	4
10.	पेडगांव	बाल्शेश्वर मन्दिर	1914
11.	—वही—	लक्ष्मीनारायण का मन्दिर	1909
12.	रतनवाडी	अमृतेश्वर का मन्दिर	1909
13.	तहाकरी	भवानी का मन्दिर	1909
14.	टोका	देवी का मन्दिर	1928
15.	टोका	सिद्धेश्वर महादेव का मन्दिर	1928
16.	टोका	विष्णु का मन्दिर	1928
		जिला—अकोला	
1.	बरली टकली	भवानी का काले पत्थरों का मन्दिर	1925
		जिला—अमरावती	
1.	लासुर	आंदेश्वर का मन्दिर	1925
		जिला—औरंगाबाद	
1.	वेरूल (एलोरा)	गिरीशनेश्वर मन्दिर	1961
		जिला—भण्डारा	
1.	पदमपुर	दो मन्दिरों के प्राचीन अवशेष	1926
2.	—वही—	गांव के उत्तर में स्थित मन्दिर के ध्वंसावशेष	1942
3.	—वही—	गांव के उत्तर पश्चिम में स्थित ध्वंसावशेष	1942
4.	—वही—	ग्राम गणेशपुर के लगभग उत्तर में स्थित मन्दिर का ध्वंसावशेष	1942
5.	—वही—	नाथ बाबा नामक मन्दिर के अवशेष	1942
		जिला—भीर	
1.	उक्कड़ पिम्परी	उक्कडेश्वर और महादेव मन्दिर	1988
		जिला—बुलढ़ाना	
1.	बोतरा	तीन प्राचीन मन्दिर	1925
2.	कोठाली	दो प्राचीन मन्दिर	1925
3.	लोनार	15 मन्दिर	1917
4.	—वही—	गायमुख मन्दिर और तालाब	1925
5.	—वही—	दैत्यसूदन का गायमुख मन्दिर सं॰ 1	1917
6.	—वही—	दैत्यसूदन का मन्दिर	1925
7.	साकेगांव	महादेव का मन्दिर	1925
8.	सातगांव	विष्णु मन्दिर और एक छोटे मन्दिर के अवशेष	1925
9.	सिन्दखेड़	महादेव का मन्दिर	1925

1	2	3	4
		जिला-चान्दा	
1.	अरमोरी	प्राचीन मन्दिर	1924
2.	भण्डक	एक मन्दिर के अवशेष	1924
3.	चान्दा	अचलेश्वर मन्दिर और अहाते में स्थित एक अन्य छोटे मन्दिर के अवशेष	1925
4.	—वही—	महादेव मन्दिर	1925
5.	—वही—	महाकाली का मन्दिर	1925
6.	चूकस	केशवनाथ का मन्दिर	1924
7.	देवटेक	प्राचीन मन्दिर	1938
8.	धनोरा	हेमादपंथी मन्दिर	1924
9.	घुटकल	चण्डिकादेवी का प्राचीन मन्दिर	1939
10.	महाद्वारी	महादेव का मन्दिर	1924
11.	मारकण्डा	मन्दिर समूह	1925
12.	नेरी	महादेव का मन्दिर	1925
13.	नीमडेला जंगल	रामडिगी मन्दिर	1924
14.	पालेबरास	प्राचीन हेमादपंथी मन्दिर	1924
15.	राजगढ़	महादेव का प्राचीन मन्दिर	1924
16.	वानेगांव	बड़ा मन्दिर	1925
17.	वैरागढ़	भण्डारेश्वर का मन्दिर	1925
		जिला-धूलिया	
1.	बलसाना	सर्वे० नं० 141 में छोटा मन्दिर	1919
2.	—वही—	दुर्गा का मन्दिर	1912
3.	—वही—	शिव का मन्दिर	1912
4.	—वही—	सर्वे नं० 418 में शिव मन्दिर के बाएं स्थित मन्दिर	1919
5.	—वही—	सर्वे नं० 418 में शिव मन्दिर के सामने स्थित मन्दिर	1919
6.	—वही—	सर्वे नं० 141 में दुर्गा मन्दिर और मठ के बीच स्थित मन्दिर	1919
		जिला-जलगांव	
1.	चंगदेव	चंगदेव का मन्दिर	1916
2.	दिघी	साम्भ और देवी का मन्दिर	1920
3.	पाटन	महेश्वर मन्दिर	1914
4.	—वही—	चण्डिका देवी का मन्दिर	1914

1	2	3	4
5.	पाटन	नागार्जुन का मन्दिर	1916
6.	—वही—	श्रीनगर चावड़ी का मन्दिर	1916
7.	संगमेश्वर	महादेव मन्दिर	1914
8.	वाघली	मुघाई देवी मन्दिर	1914
9.	—वही—	सिद्देश्वर का प्राचीन मन्दिर	1917
		जिला—कोलाबा	
1.	अलीबाग	पदमावती मन्दिर	1914
2.	—वही—	भवानी का मन्दिर	1914
3.	—वही—	मारुती का मन्दिर	1914
4.	—वही—	यशवन्तदारी का मन्दिर	1914
5.	—वही—	बापदेव का मन्दिर	1914
6.	—वही—	गणपति पंच या तन का मन्दिर	1914
7.	—वही—	गुलाबाई या महिषासुर का मन्दिर	1914
8.	—वही—	कनोबा का मन्दिर	1914
9.	—वही—	महादेव का मन्दिर	1914
10.	कण्डसारी कम्गोरी	भगवान कंगोरमल का मन्दिर	1916
		जिला—कोल्हापुर	
1.	खिदरानुर	कोपेश्वर मन्दिर	1954
		जिला—नागपुर	
1.	घोगरा	महादेव का मन्दिर	1927
2.	रामटेक	कालीमाता का मन्दिर	1927
3.	—वही—	एक अति प्राचीन मन्दिर के अवशेष	1925
		जिला—नासिक	
1.	अम्बेगांव	हिन्दू मन्दिर	1916
2.	अंजननेरी	प्राचीन मन्दिर	1916
3.	देवथान	हिन्दू मन्दिर	1915
4.	सिन्नर	ऐश्वर का मन्दिर	1909
5.	—वही—	गोण्डेश्वर महादेव का मन्दिर	1909
6.	त्रिम्बक	त्रिम्बकेश्वर मन्दिर	1941
7.	जोडशा	महादेव का हेमादपंथी मन्दिर	1909
		जिला—पुणे	
1.	रेडसा	गुहा मन्दिर	1909
2.	भाजा	—वही—	1909

1	2	3	4
3.	जुन्नर	गुहा मन्दिर	1909
4.	कार्ले	—वही—	1909
5.	कमलसीरस	भुलेश्वर महादेव मन्दिर	1930
6.	पूना	भानबुरदा का गुफा मन्दिर	1909
		जिला—सतारा	
1.	प्राचीन महाबलेश्वर	नदी कृष्णा का प्राचीन मन्दिर	1932
2.	फल्टन	जबरेश्वर महादेव मन्दिर	1954
		जिला—शोलापुर	
1.	मजनूर	श्री सिद्धेश्वर का प्राचीन मन्दिर	1930
2.	महालंग	महादेव का हेमादपंथी मन्दिर	1930
3.	महालंग	वियोबा का हेमादपंथी मन्दिर	1930
4.	—वही—	देवी यमानी का मन्दिर	1930
5.	वेल्लापुर	द्वार तथा प्राचीन मारुती मन्दिर	1930
6.	—वही—	प्राचीन दो देवालयों वाला मन्दिर	1912
7.	—वही—	वीरगल और प्राचीन मन्दिर	1912
8.	—वही—	सरकारवाड़ा में स्थित प्राचीन मन्दिर (जिसे पारस नाथ मन्दिर के स्थानीय नाम से जाना जाता है)	1930
9.	बेलापुर	हरनरेश्वर और अर्द्ध नारेश्वर मन्दिर	1930
		जिला—थाने	
1.	अम्बरनाथ	अम्बरनाथ मन्दिर	1909
		जिला—यवतमाल	
1.	नेडूर	सोमेश्वर नामक महादेव का हेमादपंथी मन्दिर	1922
2.	पंढरदेवी	देवी मन्धरदेवी का मन्दिर	1922
3.	पंधरोट (माहेगांव)	कमलेश्वर का मन्दिर	1922
4.	रुट सवांगी	महादेव मन्दिर	1922
5.	रूई	महादेव मन्दिर	1922
6.	तपोरा	श्री महादेव का हेमादपंथी मन्दिर	1922
7.	येलाबारा	महादेव मन्दिर	1922
		मणिपुर	
		जिला—इम्फाल	
1.	विष्णुपुर	विष्णु का मन्दिर	1954

1	2	3	4
		उड़ीसा	
		जिला—बोलांगीर	
1.	मारियाल	तीन लघु देवालयों सहित चौंसठ योगिनी मन्दिर	1967
		जिला—कटक	
1.	बन्दरेश्वर	बुद्ध मन्दिरों के अवशेष	1937
2.	चांडिया	महाकाल का लघु मन्दिर	1937
3.	नलतिगिरि	बुद्ध मन्दिरों के अवशेष	1937
4.	सिंहनाथ पीठ मौजा गोपीनाथपुर	सिंहनाथ महादेव मन्दिर	1964
5.	मागुरा धनमण्डल	पंचपाण्डव मन्दिर	1964
6.	रामेश्वर	दुर्गा मन्दिर	1964
7.	भवानीपुर मौजा बलिया	भुवनेश्वर महादेव मन्दिर	1988
		जिला—ढेनकनाल	
1.	बाजरा कोट	त्रिगेश्वर महादेव मन्दिर	1961
		जिला—गंजाम	
1.	कोटाकोल्ला	गंगाधरस्वामी मन्दिर	1909
2.	—वही—	जगदीश्वरस्वामी मन्दिर	1909
3.	महेन्द्र गिरि	भीम मन्दिर	1921
4.	—वही—	कुन्ती मन्दिर	1921
5.	—वही—	युधिष्ठिर मन्दिर	1921
		जिला—फूलबानी	
1.	गन्धाराडी	नीलमाधव और सिद्धेश्वर का मन्दिर	1961
2.	बोध टाउन	पश्चिम सोमनाथ भुवनेश्वर और कपिलेश्वर मन्दिर	1964
		जिला—पुरी	
1.	बारागढ़	भोस्करेश्वर मन्दिर	1946
2.	—वही—	अहाते में स्थित लघु देवालयों सहित ब्रह्मेश्वर मन्दिर	1946
3.	—वही—	नवकेश्वर मन्दिर	1946
4.	—वही—	रामेश्वर मन्दिर	1946
5.	भुवनेश्वर	बकेश्वर मन्दिर	1946
6.	—वही—	अनन्त वासुदेव मन्दिर	1946
7.	—वही—	बोईटल मन्दिर	1946
8	—वही—	चित्रकारिणी मन्दिर	1946

1	2	3	4
9.	भुवनेश्वर	जमेश्वर मन्दिर, लघु देवालयों सहित	1946
10.	—वही—	अहाते में स्थित निम्न लघु देवालयों सहित लिंगराज मन्दिर— (1) अमनिया कुंआ (2) अष्टमूर्ति (3) चण्डेश्वर देव (4) गोपालुनी मन्दिर (5) लडुकेश्वर मन्दिर (6) पार्वती मन्दिर (7) सावित्री देवी मन्दिर (8) सक्रेश्वर मन्दिर (9) साथीडोसी मन्दिर	1946
11.	—वही—	अहाते में स्थित लघु देवालयों सहित मैत्रेयरेश्वर मन्दिर	1946
12.	—वही—	मकरेश्वर मन्दिर लघु देवालयों सहित	1946
13.	—वही—	मारकण्डेश्वर मन्दिर	1946
14.	—वही—	लघु देवालयों सहित मुक्तेश्वर मन्दिर	1946
15.	—वही—	परशुरामेश्वर मन्दिर	1946
16.	—वही—	राजा रानी मन्दिर	1946
17.	—वही—	सारी मन्दिर सं० 1	1946
18.	—वही—	सिद्धेश्वर मन्दिर	1946
19.	—वही—	परमगुरू मन्दिर	1984
20	—वही—	पापनाशिनी मन्दिर	1986
21.	हीरापुर	चौसठ-योगिनी मन्दिर (महामाया मन्दिर)	1954
22.	भुवनेश्वर	सिसिरेश्वर मन्दिर	1964
23.	रघुनाथपुर	दक्ष प्रजापति मन्दिर	1965
24.	चौरासी	वाराही मन्दिर	1962
25.	पुरी	श्री जगन्नाथ मन्दिर पार्श्व देवालयों सहित	1975
26.	बेसनगाई	लघु देवालयों सहित मधेश्वर मान्दर	1946
		पांडिचेरी प्रशासन	
1.	तिरूवन्दर कोविल	श्री वडुकीश्वरार के श्री पंचनाथ ईश्वरर् को समर्पित शिव मन्दिर	1960
2.	तिरूभुवनसी	तिंगलाई श्री वरदराज पेरूमल को समर्पित विष्णु सन्दिर	1960

1	2	3	4
3.	बाहुर	श्री श्रीमूलनाचार को समर्पित शिव मन्दिर	1960
4.	सेत्तुर	शिव मन्दिर	1960
5.	नेडुनगाडु	तंतोन्द्रीयावर के स्वयंभुनाथस्वामी को समर्पित शिव मन्दिर	1960
		राजस्थान	
		जिला—अलवर	
1.	अजबर	शिव मन्दिर	1951
		जिला—बांसवाड़ा	
1.	अर्थुना	शिव मन्दिर	1951
		जिला—भरतपुर	
1.	बयाना	उषा मन्दिर	1951
2.	कान	चौरासी खम्भा मन्दिर	1951
		जिला—भीलवाड़ा	
1.	बिजौली	महाकाल और दो अन्य मन्दिर	1956
2.	खादीपुर गांव	कनेरी की पुतली नामक प्राचीन मन्दिर	1964
		जिला—बीकानेर	
1.	बीकानेर	भण्डासर जैन मन्दिर	1951
2.	मोरखाना	सुसनी देवी का जैन मन्दिर	1951
		जिला—चित्तौड़गढ़	
1.	बड़ोली	घटेश्वर मन्दिर	1956
2.	—वही—	अष्टमाता का मन्दिर	1956
3.	—वही—	गणेश का मन्दिर	1956
4.	—वही—	शेषशायन का मन्दिर	1956
5.	—वही—	शिव का मन्दिर	1956
6.	—वही—	त्रिमूर्ति का मन्दिर	1956
7.	—वही—	नारद मन्दिर नामक वामनावतार का मन्दिर	1956
8.	—वही—	मैनल (महानाल) मन्दिर	1956
		जिला—धौलपुर	
1.	धौलपुर	योगिनी योग मन्दिर	1951
		जिला—डूंगरपुर	
1.	देव सोमनाथ	सोमनाथ मन्दिर	1951

1	2	3	4
		जिला—जयपुर	
1.	अबानेरी	हरसत माता का मन्दिर	1951
2.	आम्बेर	लक्ष्मी नारायण का मन्दिर	1951
3.	—वही—	जगत शिरोमणि जी मन्दिर	1951
4.	—वही—	सूर्य मन्दिर	1951
5.	गुलटागी	भित्ति चित्रों से सज्जित मन्दिर	1951
		जिला—जैसलमेर	
1.	जैसलमेर	किले में स्थित प्राचीन मन्दिर	1951
		जिला—झालावाड़	
1.	झालरापाटन	चन्द्र प्रभा के समीप स्थित प्राचीन मन्दिर	1951
		जिला—कोटा	
1.	अटरू या गणेश गंज	मन्दिरों के अवशेष	1951
2	बारान	मन्दिर (12 वीं सदी)	1951
3	बारबोमा	शिव मन्दिर	1951
4	दारा या कुकन्दारा	मन्दिर	1951
5.	कंसुआ	मन्दिर	1951
6.	शेरगढ़	प्राचीन मन्दिर	1951
		जिला—सवाईमाधोपुर	
1.	सवाई माधोपुर	जैन मन्दिर	1951
		जिला—सीकर	
1.	सीकर	हर्षनाथ मन्दिर	1951
		जिला—टोंक	
1.	बिसालपुर	बिसालदेव जी का मन्दिर	1951
2.	टोडारायसिंह	काला पहाड़ मन्दिर	1951
3.	—वही—	कल्याणराय जी का मन्दिर	1951
4.	—वही—	स्थानीय नाम गोपीनाथजी के मन्दिर से जाना जाने वाला लक्ष्मीनारायण जी का मन्दिर	1951
5.	—वही—	पीपा जी का मन्दिर	1951
		जिला—उदयपुर	
1.	नागदा	सास-बहू मन्दिर	1951
2.	कुम्भल गढ़	नील कण्ठ महादेव मन्दिर	1951

1	2	3	4
3.	कुम्भलगढ़	पारसनाथ मन्दिर	1951
4.	—वही—	पिछला देवी मन्दिर	1951
5.	—वही—	बावल महल अम्बेमाता मन्दिर	1951
		जिला—चित्तौड़गढ़	
1.	चित्तौड़गढ़ किला	रत्नेश्वर मन्दिर	1956
2.	कुकुटेश्वर	कुकुटेश्वर मन्दिर	1656
3.	—वही—	लक्ष्मीनाथ मन्दिर	1956
4.	—वही—	अन्नापूर्णा मन्दिर	1956
5.	—वही—	चारभुजाजी मन्दिर	1956
6.	—वही—	गलटेश्वर मन्दिर	1956
7.	—वही—	मातालेश्वर मन्दिर	1956
8.	—वही—	जैन मन्दिर	1956
9.	—वही—	महादेव मन्दिर	1956
10.	—वही—	महादेव मन्दिर	1956
11.	—वही—	गणेश मन्दिर	1956
12.	—वही—	कुम्भास्वामजी मन्दिर	1956
13.	—वही—	मीरा बाई मन्दिर	1956
14.	—वही—	जटाशंकर मन्दिर	1956
15.	—वही—	महादेव मन्दिर	1956
16.	—वही—	समिधेश्वर मन्दिर	1956
17.	—वही—	महादेव मन्दिर	1956
18.	—वही—	कालिका माता मन्दिर	1956
19.	—वही—	सूर्यनारायण मन्दिर	1956
20.	—वही—	शिव मन्दिर	1956
21.	—वही—	शिव मन्दिर	1956
22.	—वही—	गणेश मन्दिर	1956
23.	—वही—	भीमलाट मन्दिर	1956
24.	—वही—	अद्भुत नाथ मन्दिर	1956
25.	—वही—	महालक्ष्मी मन्दिर	1956
26.	—वही—	महालक्ष्मी मन्दिर	1956
27.	—वही—	गणेश मन्दिर	1956
28.	—वही—	दिगम्बर जैन मन्दिर	1956
29.	—वही—	शिव मन्दिर	1956
30.	—वही—	महादेव मन्दिर	1956

1	2	3		4
		तमिलनाडु राज्य		
		जिला—चेनागी अन्ना		
1.	कांचीपुरम	एरावतनेश्वर मन्दिर		1954
2.	—वही—	श्री मातनेश्वर स्वामियर मन्दिर		1919
3.	—वही—	श्री मुकुटेश्वर स्वामी मन्दिर		1919
4.	कलपुर	मुनर्कापी ट्रश्वरन मन्दिर		1921
5.	कांचीपुरम	ज्वार हरेश्वर स्वमियर मन्दिर		1911
5.	मावितगम	तेन्नेरि का गह्वा शिव मन्दिर		1909
6.	महागलिपुरम	ईश्वर मन्दिर		1921
7.	—वही—	मुकुन्दनैनार मन्दिर (ग्राम के उत्तर दिशा ० चालू ० आधा धंसा हुआ)	वही	
8.	—वही—	शैल कृत गणेश मन्दिर	वही	
10.	—वही—	शैल कृत वराह मन्दिर	वही	
11.	ममवही	शोर मन्दिर		—वही—
12.	वही	बलियनकुटनट्ट रथ नामक छोटा एकाश्म मन्दिर (अपूर्ण)		—वही—
13.	वही	तीन भित्तियों वाला शैल कृत देवालय		—वही—
14.	वही	दो शैल कृत गुहा मन्दिर		
15.	वही	पिनारी अंडमान रथ नामक दो लघु एकाश्म (मन्दिर) (अपूर्ण)		—वही—
16.	वही	कृष्ण मंडप के उत्तर में स्थित अपूर्ण शैल कृत गुहा मन्दिर		—वही—
17.	मनिमंगलम	प्राचीन मन्दिर		1909
18.	ओरागाग	वेदामालेश्वर मन्दिर		1921
19.	परमेश्वर विन्नागारम	वैकुण्ठ पेरूमल मन्दिर		1909
20.	सात्राबोगम	कैला शनाथस्वामी मन्दिर		—वही—
21.	सालवंकुप्पम	शैल कृत शिव मन्दिर		1921
22.	वही	बाघ का सिर तथा हुआ शैलकृत मन्दिर		—वही—
23.	तेन्नेरि	लघु शिव मन्दिर		1909
24.	तिरूव वेलाई	निथ्य कथ्याकुस्वामी मन्दिर		1921
25.	तिरूमुक्कुडल	वेकेटेसापेरूमल मन्दिर		—वही—
26.	जतिरूप्पोरूर	कैलाश नाथका मन्दिर		1946
27.	वोयालुर	तिरूपुलेश्वरर मन्दिर		1921
28.	उत्तिरामेरूर	बिकुंठपेरूमल मन्दिर		1963
29.	कांचीपुरम	पिरावातानेश्वर मन्दिर		1966

1	2	3	4
		जिला कोयम्बटूर	
1.	कुंधुर	विध्वस्त महालिंगेश्वर मन्दिर	1921
2.	मुट्टुपुड्डुर	जैन मन्दिर	1921
3.	भिरक्कार पेरिया पलाइयम	सुग्रीवेश्वर मन्दिर	1921
4.	थिरुमुरुगन पुंजी	गुरुपनाथ मन्दिर	1921
		जिला मन्दिर	
1.	भिरलाथिकारा (थिरुप्परप्पू का पुरवा)	शैल कृत महा मन्दिर	1963
2.	अरूपनाड गांव चिथारल दासम	भगवती मन्दिद	1964
3.	पार्थिवाट्टुरम	पार्थसारथि एवं कृष्ण मन्दिर	1983
		जिला उत्तरी कआंक	
1.	किलपुट्टर	स्वयंनुनाथार मन्दिर	191[illegible]
2.	कोरांगानिलमुट्टम	शैल कृत देवालय	1923
3.	महेन्द्र वाडि	शैल कृत एकाश्म मन्दिर	1921
4.	तेजशाि	चोतेश्वर मन्दिर	—वही—
5.	वही	सोमनाथ मन्दिर	—वही—
6.	वही	सुब्रमण्यम मन्दिर	1922
7.	सियामंगलम	शैल कृत मन्दिर	1908
8.	तिरूमलाई	जैन मन्दिर	1918
9.	तिरूपालपुर	कोनार मन्दिर	1923
10.	वेल्लोर	जलकण्ठेश्वर मन्दिर	1921
11.	नाट्टेरि	चन्द्रमोसूश्वर मन्दिर	1965
12.	एरनाक्कमपट्ट	रंग नाथ मन्दिर	1983
		जिला रम्मनाथ पुरम	
1.	कुन्नाकुंड	शैल कृत मन्दिर	1921
		जिला—सलेम	
1.	चिन्नाकार्वुदानुर	पहाड़ी पर मन्दिर	1921
2.	नामाक्कल	श्री नरसिम्हास्वामी एवं श्री रंगनाथस्वामी के मन्दिर	1912
3.	अदामानकोट्टाह	चेन्नारायापेरूमल मन्दिर	1966
		जिला—दक्षिण अर्काट	
1.	दालावानुर	शैल कृत पल्लव मन्दिर	1921
2.	जिर्जी	वेणु गोपाल मन्दिर	—वही—
3.	-वही-	कर्मताकन्निमनन मन्दिर	—वही—

1	2	3	4
4.	जिजीं	रंगनाथ मन्दिर	1921
5.	–वही–	वेंकटरमन मन्दिर	–वही–
6.	–वही–	दो मन्दिर	–वही–
7.	किल	पल्लव शैल-कृत देवालय	–वही–
8.	मण्डागपट्ट	शैल-कृत पल्लव मन्दिर	–वही–
9.	नरसिंगाराबनपेट्टई	पट्टानिराम मन्दिर	–वही–
10.	श्री मुश्नम	नीतिस्वरस्वामी मन्दिर	1922
11.	पानमलाई	तालागिरिश्वर मन्दिर	1963
		जिला–थंजावुर	
1.	चट्टाराम दारसुराम	एरावतेश्वर मन्दिर	1954
2.	थंजावुर	विशाल मन्दिर	1922
		तिरुचिरापल्ली/पुल्डडुकोटमई जिला	
1.	अम्मनकुरुचि	शिव मन्दिर	1951
2.	अरियुर	शिव मन्दिर	–वही–
3.	चेट्टिपट्टि	विध्वस्त जैन मन्दिर	–वही–
4.	चित्तूर	तिरुवगनीश्वर के नाम से प्रसिद्ध सारंगधीश्वर मन्दिर	–वही–
5.	देवरमलाई	शैल-कृत शिव देवालय	–वही–
6.	गंगाईकोंडा चोलापुरम (कुरुवालाप्पर कोविल का पुरवा)	बृहदीश्वर मन्दिर	1942
7.	इरामनानाडु	कालाथाम उदाइयार मन्दिर	1951
8.	–वही–	शिव मन्दिर	–वही–
9.	–वही–	सौंदरराजापेरुमल मन्दिर	–वही–
10.	कन्नानुर	बालासुब्रमण्य मन्दिर	–वही–
11.	किलईयुर	विध्वस्त शिव मन्दिर	–वही–
12.	कीलाथानायम	उप्तमदानीश्वर मन्दिर	–वही–
13.	किरानुर	उत्तमनाथस्वामी शिव मन्दिर	–वही–
14.	कोदम्बासुर	मुकंडेश्वर मन्दिर	–वही–
15.	कोदम्बासुर	मन्दिर की संरचना के अवशेष	–वही–
16.	कुदुमियामलाई	अम्माल देवालय	–वही–
17.	–वही–	मेलक्कोविल के नाम से प्रसिद्ध शैल-कृत देवालय	–वही–
18.	–वही–	शिखानाथस्वामी मन्दिर	–वही–
19.	कुन्नांदारकोविल	शैल-कृत शिव गुहा मन्दिर	–वही
20.	लेन्नुमनपट्टि	जैन मन्दिर के अवशेष	–वही–
21.	मलइयाक्कोविल	दो शैल-कृत देवालय	–वही–

1	2	3	4
22.	मलायाडिपट्टि	शैल-कृत शिव मन्दिर (पल्लव 8वीं शताब्दी ए० डी०)	1951
23.	मलायाडिपट्टि	शैल-कृत विष्णु गुहा मन्दिर	–वही–
24.	संमट्टेवनपट्टि	एक जैन देवालय के अवशेष	–वही–
25.	मानगुडि	शिव एवं पिल्लायार मन्दिर	–वही–
26.	मेलानिलाईवायुल	मेलामिलाइपट्टि, मन्नादार पिलर मन्दिर	–वही–
27.	मेलुर	प्राचीन जैन मन्दिर के स्मृतिचिह्न	–वही–
28.	मयलापुपति	मन्दिर के अवशेष	–वही–
29.	नांगुपट्टि	मोइट्टुकोविल के नाम से प्रसिद्ध तिरुपेरुमानादार मन्दिर	–वही–
30.	नारथामलाई	पालियिली ईश्वेरेसू के नाम से प्रसिद्ध शैलकृत शिव मन्दिर	–वही–
31.	नारथामलाई	छोटे-देवालयों के समूह	–वही–
32.	निरपालानी	शिव मन्दिर	–वही–
33.	पाननगुडि	शिव मन्दिर	–वही–
34.	–वही–	विष्णु मन्दिर	–वही–
35.	पोन्नामारावथि	राजेन्द्रचोलीश्वरम मन्दिर	–वही–
36.	रासीपुरम	शिव मन्दिर	–वही–
37.	पुवालाक्कुडि	पुष्पवानेश्वर का शैलकृत देवालय	–वही–
38.	सेवालुर	श्री बुमिश्वरस्वामी मन्दिर	–वही–
39.	सित्तान्नावासल	शैलकृत जैन मन्दिर (अरिवर कोइल)	–वही–
40.	सुरियुर	तिरुविलंगुडिशिव मन्दिर	–वही–
41.	तेन्ननगुडि	शिव मन्दिर	–वही–
42.	तिरुक्कालम्बुर	प्राचीन शिव मन्दिर की जगह	–वही–
43	तिरुक्कट्टालाई	सात छोटे-देवालयों के साथ सुन्दरेश्वर मन्दिर	–वही–
44	तिरुमायम	शैलकृत शिव मन्दिर सत्यगिरिश्वर देवालय	–वही–
45.	–वही–	शैलकृत विष्णु मन्दिर सत्यमूर्ति देवालय	–वही–
46.	तिराप्पुर	चोलीश्वर उदायर मन्दिर	–वही–
47.	तिनुवेरुम्बुर	शिव (एरम्बश्वर स्वामी) मन्दिर	1914
48.	वातिर्कदपुरम	शिव मन्दिर	1910
49.	वेराप्पुर	शिव मन्दिर	1951
50.	वेल्लानुर	अगस्तिश्वर मन्दिर	–वही–
51.	–वही–	कैलाशनाथ मन्दिर	–वही–
52.	विसालुर	शिव मन्दिर	–वही–
53.	तोदाइयुर	तोदाइयुर शिव मन्दिर	–वही–
54.	नारथामलाई	शैलकृत विष्णु मन्दिर	–वही–

1	2	3	4
	जिला—तिरूनेलवेलि		
1. सेरमादेवि	भक्तवसला मन्दिर		1921
2. तिरूमालापुरम	दो शैलकृत मन्दिर		1922
3. तिरूवालीश्वरम मन्दिर	वालीश्वरर मन्दिर		1919
	त्रिपुरा		
	दक्षिण त्रिपुरा		
1. राधा किशोरपुर	गुणावती मन्दिरों के समूह		1953
2. उदयपुर	चतुर्दश देवता का मन्दिर		1953
3. राजनगर	भुवनेश्वरी मन्दिर		1953
	उत्तर प्रदेश		
	जिला—आगरा		
1. जगनेर	ग्वाल बाबा मन्दिर		1916
	जिला—अलीगढ़		
1. हाथरस खास,	प्राचीन हिन्दू मन्दिर		1920
	जिला—अलमोड़ा		
1. बैजनाथ अथवा बैद्यनाथ	प्राचीन मन्दिरों का समूह		1920
बैद्यनाथ	बालेश्यर मन्दिर का समूह		1916
2. चम्पावर	बद्रीनाथ मन्दिरों का समूह		1916
3. द्वारहट	बनदेव मन्दिर		1916
4. —वही—	गुजरदेव मन्दिर		1916
5. —वही—	मन्दिरों का कन्छेरी समूह		1916
6. —वही—	कुटुम्बारी मन्दिर		1916
7. —वही—	मनियम मन्दिरों का समूह		1916
8. —वही—	मृत्युन्जा समूह		1916
9. —वही—	मृत्युन्ज्या मन्दिर		1916
10. —वही—	रतन देव ग्याइन		1916
11. गंगोली हाट	कुछ प्राचीन मन्दिरों के खण्डहर		1920
12. कतारमल	सूर्य मन्दिर		1920
13. कोढली एवं कन्धक गुन्थ	घनेश्वर मन्दिर		1920
14. फुल्लई गुन्थ	चण्डी का मन्दिर		1915
15. फुल्लई गुन्थ	जागेश्वर मन्दिर		1915
16. ,,	कुवेर मन्दिर		1915
17. ,,	मृत्युंजय मन्दिर		1915

1	2	3	4
18.	फुल्लई गुन्थ	चण्डी का मन्दिर	1915
19.	,,	नवगढ़ श्राइन	1915
20.	,,	पिरामिड श्राइन	1915
21.	,,	सूर्य को समर्पित श्राइन	1915
22.	तैली हाट एम० कय्यूर	इण्डो आर्य के शिख प्रकार के 3 मन्दिर	1920
		जिला—बांदा	
1.	बारगढ़	मन्दिर	1924
2.	बारहा कोटरा	मन्दिर के खण्डहर	1920
3.	बारहा कोटरा	छोटा मन्दिर	1920
4.	बीरपुर	चण्डेला मन्दिर	1920
5.	देघवाग्रामपुर और मानपुर	प्राचीन चण्डेला मन्दिर	1920
6.	गोण्डा	दो चण्डेला मन्दिर	1920
7.	गुलरामपुर	दो मन्दिरों के खण्डहर	1920
8.	कलिंगजार	नीलकण्ठ का लिंग मन्दिर	1920
9.	—वही—	महादेव का मन्दिर	1920
10.	करवी	स्टोन मन्दिर	1920
11.	—वही—	मन्दिर	1920
12.	करेह	प्राचीन जैन मन्दिर	1920
13.	लौरी अथवा लोखारी	कुछ जैन मन्दिरों के खण्डहर	1920
14.	मरफा	3 जैन मन्दिर और एक हिन्दू मन्दिर का खण्डहर	1920
15.	मऊ	दो मन्दिरों के अवशेष	1920
16.	पूरा, हाटओवर के ग्राम के पास	महालिंग मन्दिर के खण्डहर	1920
17.	राम नगर	बड़े मन्दिर के खण्डहर	1920
18.	रामनगर	चण्डला मन्दिर	1920
19.	रसीन	देवी चन्द्र महेश्वरी का अप्रयुक्त मन्दिर	1920
20.	रसीन	चण्डी महेश्वरी का मन्दिर	1920
		जिला—बुलन्दशहर	
1.	औरंगाबाद चण्डोक	प्राचीन मन्दिर के खण्डहर	1920
2.	दनकौर	प्राचीन मन्दिर	1920
		जिला—देहरादून	
1.	हनौल अथवा ओनोल	महासु का पवित्र मन्दिर	1920
2.	लखा मण्डल	मन्दिर	1909

1	2	3	4
		जिला—देवरिया	
1.	काहोन (प्राचीन काकुभा)	दो मन्दिर अवशेष	1920
		जिला—एटा	
1.	मालवा	प्राचीन मन्दिर के खण्डहर	1920
2.	सरोन	सीता राम जी मन्दिर	1920
		जिला—फतेहपुर	
1.	बहुआ	मन्दिर	1909
2.	कुरारि	चार मन्दिर	1909
3.	सतोन	अवशेष मन्दिर	1909
4.	भीहार-अमौती	2 इंट से निर्मित मन्दिर	1920
5.	थिथौरा	दो मन्दिर	1909
6.	तिनढोली	मन्दिर	1909
		जिला—चमोली	
1.	अदबादरी	16 मन्दिरों के अवशेष	1920
2.	पाण्डुकेश्वर	2 मन्दिर	1942
3.	गोपेश्वर	रुद्रनाथ मन्दिर	1962
		जिला—हमीरपुर	
1.	अकेना	चार चण्डेला मन्दिर	1920
2.	बारम	दो ग्रैन्टाइन मन्दिरों के अवशेष	1920
3.	चूका	अवशेष मन्दिर	1924
4.	कबराइया	अवशेष चण्डेला मन्दिर	1920
5.	महोबा	खाकड़ा मढ़ का मन्दिर	1920
6.	मकरबाई	मबरवाई मन्दिर	1920
7.	—वही—	बड़े ग्रान्टाइन मन्दिर के अवशेष	1920
8.	मोहारी	"	1920
9.	राहिल्या	रोहिल्या मन्दिर	1920
10.	रावतपुर	बड़ा खण्डहर मन्दिर	1919
11.	—वही—	छोटा मन्दिर	1920
12.	सिजारी	सिजारी मन्दिर	1920
13.	श्रीनगर	बड़े चण्डेला मन्दिर का खण्डहर	1919
14.	सुकुरा	बृहमन्भिकल मन्दिर	1920
15.	सुकुरा	जैन मन्दिर	1920
16.	बबेरा	मन्दिर	1920

1	2	3	4
		जिला : हरदोई	
1.	खेरवा और मझगांव	छोटा मन्दिर अवशेष	1920
		जिला—झांसी	
1.	बगमा	बड़े मन्दिर के अवशेष	1920
2.	बनपुर	टूटा-फूटा कुन्देल मन्दिर	1920
3.	बनपुर	जैन मन्दिर	1928
4.	बर्वसागर	चण्देल मन्दिर	1920
5.	अदौना	तीन मन्दिर	1920
6.	भरौती	चंडेला मन्दिर	1920
7.	बुढ़नी	भगवान सूर्य मन्दिर	1920
8.	चांदपुर	जैन मन्दिर	1917
9.	चांदपुर	जंगल में छोटा मन्दिर	1917
10.	चांदपुर	खण्डहर ग्याइन	1917
11.	चांदपुर	विष्णु और लक्ष्मी नारायण	1917
12.	चांदपुर	विष्णु मन्दिर	1920
13.	दौलतपुर	ग्याइन	1917
14.	देवगढ़	गुप्त मन्दिर	1920
15.	,,	देवगढ़ किले में जैन मन्दिर	1918
16.	,,	बड़ा मन्दिर	1920
17.	,,	बराह मन्दिर	1924
18.	धनगवाँ	शिखर वाला मन्दिर	1920
19.	वही	छोटा मन्दिर	1924
20.	वही	भवानी मन्दिर	1924
21	डोंगरा	संखनाथ का छोटा मन्दिर	1924
22.	दूधाई	जैन मन्दिर	1917
23.	दूधाई	मन्दिर	1917
24.	दूधाई	2 छोटे मन्दिर	1917
25.	ग्रहखेरा	2 मन्दिर	1917
26.	घराव	उत्तरी मन्दिर	1917
27.	वही	विष्णु को समर्पित मन्दिर	1917
28.	खोजरा	शिखर वाला मन्दिर	1917
29.	किरनी खुर्द	चण्डेला मन्दिर	1917
30.	कुचडोन	कुराईयावीर मन्दिर	1917
31.	मदनपुर	जैन मन्दिर समूह	1920

1	2	3	4
32.	मदनपुर	बड़ा मन्दिर	1920
33.	मदनपुर	महादेव मन्दिर	1920
34.	मदनपुर	मन्दिर	1920
35.	मदनपुर	2 छोटे मन्दिर	1920
36.	मरहा	प्राचीन चण्डेला मन्दिर के अवशेष	1920
37.	मरहा	मन्दिर	"
38.	मारखेरा	खण्डहर मन्दिर	"
39.	"	मन्दिर	"
40.	"	मन्दिर स्थल	"
41.	पोहवार (गाहरात)	चण्डेल मन्दिर	"
42.	पोली	नील कण्ठ मन्दिर	"
43.	सगौती	बड़े चण्डेला मन्दिर के खण्डहर	"
44.	सरोर	चण्डेला मन्दिर	1928
45.	सतगटा	विष्णु के बड़े मन्दिर के खण्डहर	
46.	सिरवनं	मन्दिर अवशेष	1920
47.	सोनराई	मन्दिर	1920
48.	सुरवाद	छोटा मन्दिर	1920
49.	बीजापुर	महादेव मन्दिर	1920
		जिला—कानपुर	
1.	भीतरगांव	प्राचीन ईंटों से निर्मित मन्दिर	1909
2.	बीहुपुर	मन्दिर जिसे फूलमातादेवी के नाम से जाना जाता है।	1909
3.	कांचलीपुर	प्राचीन ईंटों से निर्मित मन्दिर	1920
4.	खुर्दा	दो प्राचीन ईंटों से निर्मित मन्दिर	1920
5.	परोली	मन्दिर जिसे महादेव बाबा के नाम से जाना जाता है।	1909
6.	भदवारा	नबिया खेरा में ईंट का मन्दिर	1968
		जिला—लखनऊ	
1.	टिकैतगंज	मन्दिर	1917
		जिला—मथुरा	
1.	भदार	मदन मोहन मन्दिर	1924
2.	वही	राधा बल्लभ मन्दिर	1910
3.	वृन्दावन	गोविन्द जी मन्दिर	1910

1	2	3	4
		मिर्जापुर जिला	
1.	अहुसी	3 छोटे मन्दिरों के अवशेष	
2.	,,	शिव मन्दिर अवशेष	
3.	विंध्याचल	मध्यकालीन खारस्थी देवी के एक मन्दिर के अवशेष	
		जिला—नैनीताल	
1.	सीताबन	सीता का प्राचीन पवित्र मन्दिर	1924
		जिला—रायबरेली	
1.	शिव मन्दिर		1983
		जिला—सुल्तानपुर	
1.	भागुपुरा	ईंट के मन्दिरों के अवशेष	1920
		पश्चिम बंगाल राज्य	
		जिला—बांकुरा	
1.	बाहुतारा	प्राचीन मन्दिर	1919
2.	दिहर	सेलेश्वर मन्दिर	1914
3.	वही	सारेश्वर मन्दिर	1914
4.	चाटगोरिया	राधा दामोदर यहूदी का मन्दिर	1926
5.	तागन्नाथपुर	रत्नेश्वर का मन्दिर	1926
6.	मदनपुर	श्याम सुन्दर का मन्दिर	1928
7.	विष्णुपुर	जोरा मन्दिर	1914
8.	वही	जोर बंगला मन्दिर	1913
9.	वही	काला चांद मन्दिर	1914
10.	वही	लालजी मन्दिर	1914
11.	वही	मदन गोपाल मन्दिर	1913
12.	वही	मदन मोहन मन्दिर	1913
13.	वही	मल्लेश्वर मन्दिर	1914
14.	वही	मुरली मोहन मन्दिर	1914
15.	वही	नन्द लाल मन्दिर	1914

1	2	3	4
16.	विष्णुपुर	पाटपुर मन्दिर	1927
17.	—वही—	राधा विनोद मन्दिर	1914
18.	—वही—	राधा गोबिन्द मन्दिर	1914
19.	—वही—	राधा माधव मन्दिर	1914
20.	—वही—	राधा श्याम मन्दिर	1914
21.	—वही—	श्याम राय मन्दिर	1914
		जिला—बीरभूम	
1.	जोयदेव केंदुलि	राधा विनोद का मन्दिर	1915
2.	कुबिलाशपुर	धर्मराज का मन्दिर	1938
3.	नानूर	बासूली का मन्दिर एवं अन्य 14 मन्दिर	1918
4.	सुरि	मन्दिर	1906
		जिला—बर्दवान	
1.	बैद्यापुर	दो प्राचीन मन्दिर	1913
2.	बामुनारा	रुदेश्वर मन्दिर	1913
3.	बेगुनिया	चार प्राचीन मन्दिरों के समूह	1914
4.	देउलिया	जैन ईंटों का मन्दिर	1962
5.	गरूई	पत्थर का मन्दिर	1924
6.	गौरंगापुर	इचई घोष का मन्दिर	1915
7.	कालना	मन्दिरों के समूह	1965
		जिला—हुगली	
1.	गुप्तीपारा	मन्दिरों के समूह	1913
2.	बांसबेरिया	हामीश्वरी मन्दिर	1964
3.	बांसबेरिया	वासुदेव मन्दिर	1964
4.	बांसबेरिया	त्रिवेनी देवालय	1908
		जिला—मुर्शिदाबाद	
1.	गोरानगर	भवानीश्वर मन्दिर	1942
2.	—वही—	चार शिव मन्दिरों के चार बंगला समूह	1942
		जिला—नादिया	
1.	पालपारा	मन्दिर	1915
		जिला—24 परगना	
1.	झाटेर देउल	मन्दिर	1916

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

*39. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के राजनन्दगांव को सुतिया मीडियम प्रोजेक्ट और अमदानिया डाइवरजन प्रोजेक्ट को वन की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सूचना न भेजे जाने के कारण सुतियापात जलाशय परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया है। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, के तहत अमदानिया परियोजना को मंजूरी दी गई है। किन्तु क्षतिपूरक वनरोपण के लिए गैर-वन भूमि का हस्तान्तरण और मालिकाना अधिकार तथा धनराशि राज्य वन विभाग को सौंपने होंगे।

केरल में वन क्षेत्र

*40. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कुल कितने क्षेत्र में प्राकृतिक वन हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य में बड़े पैमाने पर हो रही वनों की कटाई के बारे में जानकारी है; और

(ग) यदि हां तो केरल में वनों के बड़े पैमाने पर हो रहे विनाश को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) केरल में कुल 7870 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्राकृतिक वन हैं।

(ख) राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है। अवैध कटाई का पता चलने पर कार्रवाई की जाती है।

(ग) केरल सरकार ने अवैध कटाई को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) गश्ती दलों और प्रभागों का पुनर्गठन करके इन्हे पर्याप्त कर्मचारी और साज-सामान युक्त वन स्टेशनों में बदल दिया गया है।

(2) सीमाओं की चकबन्दी और सीमांकन का कार्य 1980 में आरम्भ किया गया। अब तक 6250 किलोमीटर की चकबन्दी कर दी गई है। लगभग 250 किलोमीटर में काम चल रहा है।

(3) महत्वपूर्ण क्षेत्र में गश्त तेज कर दी गई है।

"कैट्स ट्राफी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

56. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** दिनांक 10 जून, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली में "यू० एस० कांग्रेस रिपोर्ट्स इंडिया आन दि ब्रिंक ऑफ एन एड्स कैट्स ट्राफी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पता लगाए गये मामले सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी) : (क) और (ख) अमरीकी कांग्रेस के एक सदस्य ने, जिसने अप्रैल, 1991 में भारत का दौरा किया था, यह अनुमान लगाया है कि रोग से दस लाख व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं। उन्होंने बम्बई में वेश्याओं में संक्रमण की व्याप्तता और उनके ग्राहकों में संक्रमण फैलने के आधार पर यह अनुमान लगाया है। संदूषित रक्त के द्वारा एच० आई० वी० संक्रमण के फैलने और अन्तःशिरा औषध व्यसनियों द्वारा सूइयों के परस्पर इस्तेमाल की गणना करते हुए भी कांग्रेस के सदस्य ने दस लाख व्यक्तियों के संक्रमित हो सकने का अनुमान लगाया है।

भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से अधिकांश प्रभावित राज्यों अर्थात्, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मणिपुर में निवारक और नियंत्रण उपायों के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। नियंत्रण उपाय निम्नलिखित के बारे में हैं:—

—सूचना, शिक्षा और संचार

—यौन संचारित रोग

—रक्त सुरक्षा

—नैदानिक उपचार

—कार्यक्रम प्रबन्ध

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कार्य-योजना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने पर सहमति प्रदान की है। प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित राशि इस प्रकार है:—

राज्य	अमरीकी डालर में राशि (लाख में)
1. महाराष्ट्र	4.45
2. मणिपुर	0.63
3. तमिलनाडु	2.87
4. पश्चिम बंगाल	3.67
5. दिल्ली	1.42

प्रवासी श्रमिक

58. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रवासी श्रमिकों की संख्या अधिक है;

(ख) 1 अप्रैल, 1991 को राज्यवार ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है और वे किस राज्य के मूल निवासी हैं;

(ग) बिहार सरकार ने बिहारी श्रमिकों के कल्याण की देख-रेख हेतु किन-किन राज्यों में अपने कार्यालय खोले हैं,

(घ) बिहार को ऐसे कार्यालय खोलने की अनुमति न देने वाले राज्य यदि कोई हैं, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

श्रम मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के० राममूर्ति): (क) और (ख) कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपलब्ध जनवरी, 1991 तक कार्यरत प्रवासी श्रमिकों की संख्या को दर्शाने वाली रिपोर्टें विवरण के रूप में अनुलग्न हैं।

(ग) से (ङ) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 की धारा 20(3) के अन्तर्गत राज्य सरकारें अन्य राज्यों में जहां प्रवासी कर्मकार नियोजित हैं, धारा 20(2) में निर्दिष्ट किये गए अनुसार निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकती हैं। तथापि इस शक्ति का प्रयोग केवल प्राप्तक राज्य या केन्द्र सरकार, जैसा भी मामला हो, की सहमति से ही किया जा सकता है। अधिनियम में एक राज्य सरकार द्वारा दूसरे राज्य के अधिकार-क्षेत्र में कल्याण कार्यालय खोलने की व्यवस्था नहीं है।

अधिनियम के कार्यान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी सम्बंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, धारा 20(3) के उपबन्धों का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। क्योंकि प्रापक राज्य सरकारें मूल राज्यों द्वारा निरीक्षकों को नियुक्ति करने के लिए किसी प्रकार को सहमति देने के लिए इच्छुक नहीं थी।

1988 की रिट याचिका सं० 511 और 975 के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16 जुलाई, 1990 को दिए गए निर्देश के अनुसार भारत के सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रवासी कर्मकार भेजने वाले राज्य के अधिकारियों को कार्यरत प्रवासी कर्मकारों वाले राज्यों में विधान के प्रवर्तन की समुचित जांच करने की अनुमति देने के लिए बाध्य है और प्रापक राज्यों को इस प्रक्रिया का प्रतिषेध करने या इसमें रुकावट डालने से रोक दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश की जानकारी सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को दे दी गई है।

बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने प्रापक राज्यों में धारा 20(3) के अन्तर्गत कोई निरीक्षक नियुक्त नहीं किए हैं।

विवरण

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम दर्शाने वाला विवरण, जहां दूसरे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उत्प्रवासी श्रमिक ज्यादा संख्या में हैं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यरत उत्प्रवासी श्रमिकों की संख्या
1. केरल	2500
2. हरियाणा	1650
3. मणिपुर	2000
4. पणजी (गोवा)	1159
5. पश्चिम बंगाल	2710 (1989 में)
6. उत्तर प्रदेश	1110
7. महाराष्ट्र	2037
8. कर्नाटक	1253
9. असम	9331

पुणे में महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग कालेज

59. श्री राम नाईक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुणे में महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग कालेज खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने अपनी पश्चिमी क्षेत्रीय समिति की सिफारिशों के आधार पर हिम्मने स्त्री शिक्षण संस्था के तत्वावधान में महर्षि कर्वे महिला विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। इसमें (I) इलैक्ट्रॉनिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी (II) कम्प्यूटर इंजीनियरी और (III) उपकरण नियंत्रण इंजीनियरी में डिग्री पाठ्यक्रम आयोजित किए जायेंगे और प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष 60 छात्रों को दाखिल किया जायेगा।

"औषध एककों द्वारा लगाए गए अपशिष्ट उपचार संयंत्र"

60. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी भारत में और विशेष रूप से हरियाणा में जल और वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उपकरण लगाने के लिए मूल लघु उद्योग के औषध एककों को दी गई राजकीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) बल्क औषधों का उत्पादन करने वाले उन लघु उद्योगों के एककों के लिए और अन्य विकल्प क्या हैं जिनके अपशिष्ट विसर्जन इस स्वीकार्य सीमा में हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार अनेक एककों के लिए सामूहिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाने का है; यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदी नहीं, तो उसके क्या कारण है

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए उत्तरी भारत में किसी लघु औषध इकाई को आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।

(ख) बड़े पैमाने की औषध इकाइयों सहित ऐसी लघु इकाइयों को अतिरिक्त शोधन की आवश्यकता नहीं होती है जिनके तरल बहिस्राव अधिसूचित मानकों में निर्धारित स्तर के अनुसार होते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने देश में लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों से निकलने वाले तरल बहिस्रावों के शोधन के लिए सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों के निर्माण को बढ़ावा देने की एक योजना तैयार की है, जिसके अनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकारें संयंत्र पर होने वाली कुल लागत का 50 प्रतिशत वहन करेगी। यह सहायता अधिकतम 50 लाख रुपये होगी।

अण्डमान में जनजातीय जनसंख्या

61. **गोविन्द राम निकाम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अण्डमान द्वीप की जनजातीय जनसंख्या घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार इन जनजातियों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां, 1961, 1971 और 1981 की जनगणना में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की तुलना से पता चलता है कि एक आदिवासी समुदाय अर्थात् ओंगस की जनसंख्या घट रही है।

(ख)

क्रम सं०	अ०ज०जा० का नाम	जनगणना के अनुसार जनसंख्या		
		1961	1971	1981
1.	अंडेमानी, चेरिवार, चार, कोरा, ताबो, बो, येरे, केडो, बीया, कलावा, बोजिगियाब, जवाई, कोल	19	24	42
2.	जरवास	—	—	31
3.	निकोबारी	13903	17874	21956
4.	ओंगस	129	112	97
5.	शोम्पन्स	71	92	223
	कुल अ०ज०जा० जनसंख्या	14,122	18,102	22,349

(ग) सरकार क्षीण होती जा रही जनजातियों के बचाव के संवर्धन हेतु विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं का संचालन कर रही है जिनमें सफाई पर्यावरण स्वच्छता और पोषाहार शामिल है।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास

62. **राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए योजनाएं तथा उनसे प्राप्त अब तक के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिले में आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) आदिवासी क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, आदिवासी उपयोजना कार्यनीति अपनाई गई है। आदिवासी उपयोजना 18 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। आदिवासी उपयोजना कार्यनीति के अन्तर्गत, कृषि, बागवानी, पशुपालन, भूमि संरक्षण, ग्रामीण विकास, सहकारिता, लघु सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। कल्याण मंत्रालय की आदिवासी विकास के लिए केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल, आदिवासी क्षेत्रों में तेल और वृक्षों और वन मूल के तेलों का विकास, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, पुस्तक बैंक, कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाएं शामिल हैं। 4515726 परिवारों के लक्ष्य की तुलना में सातवीं योजना अवधि में 52,88852 अनुसूचित जनजाति परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता दी गई। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में उनकी जनसंख्या के अनुसार स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : स्थानों के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। पर्याप्त आदिवासी जनसंख्या वाले जिलों में केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित जनजातियों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण, 50 प्रतिशत केन्द्र के अंशदान से और 50 प्रतिशत राज्यों के अंशदान से किया जाता है।

नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों की हड़ताल

[अनुवाद]

63. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री भाग्ये गोर्बधन

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1991 के अंतिम सप्ताह के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका कर्मचारियों के एक वर्ग ने शंकर समिति रिपोर्ट को लागू न किये जाने के विरोध में हड़ताल की थी;

(ख) हड़ताल के परिणामस्वरूप नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्रों में पानी की कमी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था ;

(ग) हड़ताली कर्मचारियों की किन मांगों को लागू नहीं किया गया है; और

(घ) समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका के कुछ इलाकों में हड़ताल की वजह से जल-आपूर्ति अवरुद्ध हुई थी।

(ग) तथा (घ) : नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उन्होंने नई दिल्ली नगर पालिका की बाकी श्रेणियों को शंकरन् समिति वेतनमान देने की हड़ताली कर्मचारियों की मांग को स्वीकार नहीं किया है तथा कर्मचारियों द्वारा 29 जून की अपराह्न में बिना शर्त हड़ताल वापस ले ली गई थी।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों की समीक्षा

64. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सम्पूर्ण देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कार्य गत दो वर्षों के दौरान बहुत धीमा था; यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार की जानकारी में कौन सी त्रुटियां लाई गई हैं तथा आगामी दो वर्षों के दौरान प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कौन से ठोस कार्यक्रम शुरु किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी) (क), (ख) और (घ) : देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए इस कार्यक्रम की फील्ड अनुभव के आधार पर और राज्य सरकारों से परामर्श करके समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षाओं के आधार पर इसके कार्यन्वयन की कार्यनीति में जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधन किया जाता है। इस कार्यनीति में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना, नवीनतम सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या पर अधिक बल, गर्भनिरोधकों आदि की आपूर्ति और वितरण के लिए बेहतर प्रबंध करना शामिल है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान गर्भनिरोधन के विभिन्न तरीकों के अन्तर्गत अखिल भारतीय आधार पर कार्यक्रम का कार्य निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कम कार्य निष्पादन का कारण अशांतिपूर्ण स्थिति, विभिन्न स्तरों पर परिवार कल्याण कर्मचारियों के खाली पड़े पदों का होना, इत्यादि है।

विवरण

(आंकड़े हजारों में)

तरीके	लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धि	
	1989-90	1990-91	1989-90	1990-91	1989-99	1990-91
नसबन्दी	5449	5804	4181	4122	76.7	71.0
आई० यू० डी० निवेशन	5253	6400	4937	5322	94.0	83.2
प्रचलित गर्भनिरोधक उपयोगकर्ता (समीकृत)	14016	15080	14186	14707	101.2	97.5
मुख्य-सेव्य गोली उपयोगकर्ता (समीकृत)	2094	2493	2740	3107	130.9	124.6

*आंकड़े अनन्तिम

[हिन्दी]

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा निर्वाह भत्ता देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लेना

65. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद को विदेशी मुद्रा में निर्वाह भत्ता जारी करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई सूचनानुसार परिषद अध्येताओं को विदेश में शोध कार्य करने के लिए भारतीय मुद्रा में अनुरक्षण अनुदान संस्वीकृत करती है। जिन अध्येताओं को इस प्रकार का अनुदान स्वीकृत किया जाता है, उन्हें विदेशी मुद्रा के लिए विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के अधीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्वयं आवेदन करना होगा।

हैजे के टीके की प्रभाव क्षमता

[अनुवाद]

66. **श्री मनोरंजन भुर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस समय उपलब्ध हैजे के टीके की प्रभाव क्षमता पर संदेह व्यक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस वर्ष बड़ी संख्या में लोगों को हैजे के टीके लगाए गए हैं, यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या ओरल रिहाइड्रेशन थैरापी को उचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया है और बाजार में ओ० आर० एस० पैकेटों की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी):

(क) जी, हां।

(ख) इस समय उपलब्ध हैजा वैक्सीन की प्रभावकारिता केवल 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक है जो 3 से 6 महीने के लिए है। हैजा की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी पद्धतियों को अपनाने पर अधिक जोर दिया जाता है न कि हैजा रोग प्रतिरक्षण पर।

(ग) जी, नहीं। देश के कुछ भागों में केवल विरल रोग प्रतिरक्षण प्रदान किया गया है। हैजा रोग प्रतिरक्षण की एक जनस्वास्थ्य उपाय के रूप में सिफारिश नहीं की जाती है।

(घ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ओरल रिहाइड्रेशन थैरेपी को अतिसार के कारण होने वाली मोतों को रोकने की नीति के एक भाग के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। बाजार में ओरल रिहाइड्रेशन नमक के पैकटों की कोई कमी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

"प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए विश्व बैंक की सहायता राशि"

68. श्री एम. वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने छोटे व बड़े औद्योगिक एकेकों का प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक से 280 करोड़ रु० का ऋण प्राप्त किया है ;

(ख) जिन नियमों और शर्तों पर विश्व बैंक से ऋण लिया गया, उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि हां, तो जिन उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सहायता के माध्यम से ये उद्योग किस प्रदूषण को किस सीमा तक प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकेंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ): (क) केन्द्रीय सरकार ने एक औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के लिए 147.4 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है।

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक दो किस्म के ऋण देगा:

(1) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन द्वारा उधार और (2) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा ऋण। अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन द्वारा उधार की शर्तें ये हैं : (1) शून्य प्रतिशत ब्याज दर, (2) 0.75 प्रतिशत सेवा प्रभार, (3) 10 वर्षों की छूट अवधि और (4) 35 वर्षों में अदायगी। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की शर्तें ये हैं (1) ब्याज की भिन्न-भिन्न दर (मौजूदा) लगभग 7.75 प्रतिशत, (2) 0.25 प्रतिशत वायदा प्रभार, (3) पांच वर्षों की छूट अवधि और (4) पन्द्रह वर्षों में अदायगी।

(ग) इस परियोजना में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बड़े और मझौले उद्योगों को तथा लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों के सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण की व्यवस्था शामिल है।

(घ) उद्योगों को बहिस्रावों/उत्सर्जनों के विसर्जन के लिए निर्धारित मानकों को एक विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पूरा करना है। वित्तीय संस्थाओं के जरिए ऋण उपलब्ध कराने से उद्योगों को इन मानकों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

"वन क्षेत्रों का विस्तार"

68. **श्री प्रकाश वी० पाटिल**: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर वनों के विस्तार की प्रक्रिया को तेज करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की रूप रेखा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ): (क) और (ख) इस समय कार्यान्वित की जाने वाली ऐसी कोई योजना नहीं है।

सभी नागरिकों पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना

[हिन्दी]

69. **श्री अशोक आनन्द राव देशमुख** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी उपयुक्त दम्पतियों को परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाने का कोई कार्यक्रम प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न समुदायों के कितने-कितने प्रतिशत लोगों ने ये कार्यक्रम अपनाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी

(क) और (ख) देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर चलाया जा रहा है और शिक्षा, प्रेरणा और सहमति से अधिक से अधिक पात्र दम्पत्तियों द्वारा इस कार्यक्रम को अपनाए जाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। दम्पती सुरक्षा दर के 31 मार्च, 1991 को 44.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में रखे गए जनांकिकी लक्ष्यों के अनुसार सन् 2000 त क 60 प्रतिशत दम्पती सुरक्षा दर प्राप्त की जानी है।

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान किए गए तीसरे अखिल भारतीय परिवार नियोजन सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न धार्मिक वर्गों के विवाहित दम्पतियों में से 41 प्रतिशत हिन्दू, 61 प्रतिशत सिख, 29 प्रतिशत मुस्लिम और 46 प्रतिशत अन्य धर्मों के लोगों द्वारा परिवार नियोजन का कोई न कोई आधुनिक तरीका अपनाए जाने का अनुमान है। अखिल भारतीय स्तर पर इसे अपनाने वाले लोगों की दर 40 प्रतिशत थी।

[हिन्दी]

दिल्ली में आवास की समस्या

70. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान समय में दिल्ली में आवासीय यूनिटों की कमी का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए प्रतिवर्ष कितनी अतिरिक्त आवासीय यूनिटों की आवश्यकता होती है ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी आवासीय यूनिटों का निर्माण किया गया और कितनी यूनिटों का आवंटन किया गया; और

(घ) दिल्ली में आवासीय समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि सातवीं योजना के अन्त तक दिल्ली में लगभग 4.5 लाख रिहायशी एककों की कमी है।

(ख) दिल्ली परिप्रेक्षय–2001 की वृहद योजना के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए प्रतिवर्ष लगभग 87000 रिहायशी एककों की आवश्यकता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित/आवंटित फ्लैटों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित फ्लैटों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्रम०सं०	वर्ष	निर्मित फ्लैटों की संख्या	आवंटित फ्लैटों की संख्या
1.	1988–89	23931	32147
2.	1989–90	21012	25445
3.	1990–91	8846	15092

इसके अतिरिक्त, विशेष आवास पंजीकरण योजना, 1985 के अंतर्गत स्लम विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान 1356 फ्लैट निर्मित/ आवंटित किए गए।

आवंटित एककों के आंकड़ों में वे फ्लैट भी शामिल हैं जिनको पिछले वर्षों में निर्माण हेतु आरंभ किया गया था तथा संबंधित वर्षों में आवंटन के लिए उपलब्ध है।

चण्डीगढ़ में झुग्गी कालोनियां

[अनुवाद]

71. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ की विभिन्न झुग्गी कालोनियों में घरों की संख्या कितनी है और उसमें रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या कितनी है ;

(ख) ऐसी कितनी कालोनियां हैं जिनमें बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं; और

(ग) ऐसी कालोनियों में रहने वाले लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) चंडीगढ़, संघ शासित प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार झुग्गी/श्रमिक कालोनियों में मकानों की संख्या 19210 है तथा ऐसी कालोनियों की कुल जन संख्या 93090 है।

(ख) इन कालोनियों में पथ प्रकाश तथा जल स्टैण्ड पोस्ट की व्यवस्था की गई है।

(ग) प्रशासन का इरादा स्वच्छ पेय जल, पथ प्रकाश, औषधालयों, सुलभ शौचालयों तथा विकसित-स्थलों जैसी सुविधाओं की व्यवस्था द्वारा ऐसी कालोनियों के निवासियों के रहन-सहन के स्तर में सुधार करना है।

उत्तरी बिहार में जल जीवों पर अपशिष्टों का प्रभाव

[हिन्दी]

72. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तरी बिहार में चीनी मिलों और शराब के कारखानों से नदी में बहने वाले अपशिष्टों के कारण मछली तथा अन्य जलचरों में महामारी फैलने और उनके मरने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में स्थिति सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ): (क) सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, मद्यनिर्माणशालाओं और चीनी मिलों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के परामर्श से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है। एक अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रदूषण फैलाने वाली मुख्य इकाइयों द्वारा 31 दिसम्बर, 1991 तक निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

[हिन्दी]

डा० बी० आर० अम्बेडकर जन्म शताब्दी समिति

73. श्री राम विलास पासवान: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रत्न डा० बी०आर० अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति की उप समिति ने "सामाजिक न्याय वर्ष" के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कुछ सिफारिशें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, हां।

(ख) आर्थिक विकास संबंधी उप समिति द्वारा अपनी सिफारिशें सरकार को 21 जून, 1991 को भेजी गई। इन्हें डा० बी०आर० अम्बेडकर शताब्दी समारोहों से संबंधित स्थायी समिति के समक्ष रखा जाएगा।

[अनुवाद]

उड़ीसा में परिवार कल्याण कार्यक्रम

74. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में परिवार कल्याण कार्यक्रम के वर्ष 1990-91 के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गयी और उसका कितना प्रतिशत उपयोग किया गया !

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री : (श्रीमती डी० के० तारा देवी) : (क) उड़ीसा राज्य में 1990-91 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्यों और उप-लब्धियों का एक विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान उड़ीसा सरकार को परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 28.44 करोड़ रुपए (नकद और सामग्री दोनों) की सहायता प्रदान की गई है। उड़ीसा राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य द्वारा उस वर्ष 34.11 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।

उपाबन्ध

वर्ष 1990-91 के दौरान उड़ीसा में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां

परिवार नियोजन तरीके/ मातृ एवं शिशु स्वा० कार्यकलाप	लक्ष्य 1990–91	उपलब्धियां 1990–91* (अप्रैल, 90 से मार्च, 91)
1	2	3
I. परिवार नियोजन के तरीके		
(i) नसबन्दी	220,000	142,329
(ii) आई यू डी निवेशन	200,000	164,442
(iii) प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता	291,600	300,761
(iv) मुख सेव्य गोली उपयोगकर्ता	53,900	63,279
II. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यकलाप :		
(क) रोग प्रतिरक्षण		
(i) गर्भवती महिलाओं को टेटनस के टीके	900,010	745,917

1	2	3
(ii) बच्चों को डी पी टी के टीके	794,130	743,292
(iii) पोलियो	794,130	742,858
(iv) वी सी जी	794,130	825,513
(v) खसरा	794,130	697,532
(vi) बच्चों को डी टी के टीके	608,830	780,181
(vii) टी टी (10 वर्ष)	582,360	585,209
(viii) टी टी (16 वर्ष)	608,830	499,896
(ख) पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता को रोकथाम :		
(i) कुल महिलाएं	720,000	820,647
(ii) बच्चे	1,779,200	1,601,923
(ग) विटामिन 'ए' की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता से रोकथाम :	1,795,600	3,293,554 (खुराक)

*अनन्तिम

करौल बाग, दिल्ली में विकास कार्य

75. श्री कालका दास : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में करोल बाग क्षेत्र में कुछ कालोनियां नियमित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कालोनी को नियमित करने की तारीख और अधिसूचना संख्या सहित ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन कालोनियों में विकास कार्य शुरू कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर किए गए काम का मदवार ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या कुछ विकास कार्य शुरू करने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे कार्य कब तक पूरे होंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुलग्नक—"क" के अनुसार।

(ग) से (च) नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों में निधि की उपलब्धता के आधार पर चरणों में विकास कार्य शुरू किए गए हैं। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इन अनधिकृत नियमित कालोंनियों में निम्नलिखित निर्माण कार्य प्रगति पर है:—

(i) पहुंच मार्गों का निर्माण।

(ii) आंतरिक मार्गों/पथों के खडंजे।

(iii) बरसाती पानी/गंदे पानी के नालों का निर्माण।

(iv) पार्कों का निर्माण/सुधार।

1988–89, 1989–90 तथा 1990–91 वर्षों के दौरान उपर्युक्त मदों पर क्रमशः 9.38 लाख रुपये, 65.71 लाख रुपये तथा 32.47 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

विवरण

कालोनी का नाम	संकल्प संख्या	तारीख
पंजाबी बस्ती	168	19–8–1979
न्यू पटेल नगर	82	16–3–1981
नई बस्ती	2401	20–9–1982
थान सिंह नगर	2402	20–9–1982
इन्द्रपुरी विस्तार	2659	3–1–1983
प्रेम नगर	141	30–7–1983
नेहरू नगर	140	30–7–1983
फरीदपुरी	477	13–9–1990
अमृत कौर पुरी	478	13–9–1990
गोविन्द गढ़	–वही–	–वही–
खालसा नगर	–वही–	–वही–
बापा नगर	–वही–	–वही–
बलजीत नगर	488	17–9–1990

देश में आंत्रशोथ के मामले

76. **श्री उदय सिंह राव गायकवाड़** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मई और जून के महीनों के दौरान प्रत्येक राज्य में आंत्रशोथ के कितने मामलों का पता चला और कितने रोगियों की मृत्यु हुई; और

(ख) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामले न होने देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) सरकार इस रोग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है :—

पाइप से पानी की सप्लाई करके सुरक्षित पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु अधिक से अधिक प्रयास करना ;

कुएं के पानी का समय-समय पर क्लोरीनीकरण करना ;

क्लोरीन की गोलियां वितरित करना ;

व्यक्तिगत सफाई और सुरक्षित पीने के पानी के इस्तेमाल के महत्व के बारे में जोरदार और व्यापक स्वास्थ्य शिक्षण अभियान चलाना ;

ओरल रिहाइड्रेशन नमक के पैकट उपलब्ध करना तथा इस रोग की निगरानी के कार्य को तेज करना

"लैन्ड अलाटमेन्ट टु हाउसिंग को–आपरेटिव्स सैट एसाइड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

77. **राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11-5-1991 के टाइम्स आंफ इन्डिया में "अलाटमेन्ट टु हाउसिंग को–आपरेटिव्स सैट एसाइड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर नई वरीयता सुची तैयार करने के आदेश दिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो न्यायालय के आदेश पर क्या कदम उठाए गए हैं और आबंटन कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 10-5-91 को पारित एक आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया है कि भूमि के आबंटनार्थ पंजीकरण की तारीख के आधार पर समितियों की एक नई वरिष्ठता सूची तैयार की जाए।

(ग) उच्च न्यायालय के फैसले को दृष्टि में रखते हुए मामले में कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

78. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० रामामूर्ति) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद (एन० सी० एस० एम०), धनबाद को इसके कर्मचारियों को सेवांत लाभ देने के बाद 15 मई, 1991 से समाप्त कर देने का निर्णय किया गया था । यह निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ हाल के वर्षों में परिषद के कार्यकलापों, राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला खानों में खान सुरक्षा के ठोस कार्यक्रम बनाने, मुख्य खानों में आंतरिक सुरक्षा संगठनों के गठन, अपनी गतिविधियां चलाने के लिए पर्याप्त साधन पैदा करने में परिषद की अक्षमता, असंगठित क्षेत्र की खानों मे इसकी सीमित उपयोगिता आदि को ध्यान में रखते हुए किया गया था ।

परिषद के कतिपय कर्मचारियों ने उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है और न्यायालय ने 6-5-91 को यथा-स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है ।

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए पक्के भवन

79. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लारेंस रोड, पीतमपुरा और शालीमार बाग, नई दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों के लिए इस बीच पक्के भवनों का निर्माण कर लिया गया है,

(ख) क्या इन विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में अनेक अनुभागों के लिए पर्याप्त कक्ष हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान ऐसे विद्यालयों में मानवतावादी विषयों को शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) लारेन्स रोड और शालीमार बाग स्थित केन्द्रीय विद्यालय पक्के भवन में चलाए जा रहे हैं । किन्तु पीतमपुरा में अभी पक्का भवन निर्माणाधीन है और उसके केवल कुछ भाग को ही उपयोग में लिया गया है ।

(ख) कक्षाओं की अनुमानित संख्या और प्रत्येक कक्षा में अनुभागों की संख्या के अनुसार स्कूलों के भवनों की स्वीकृति दी गई है । शालीमार बाग और लारेन्स रोड

केन्द्रीय विद्यालय का भवन "बी" टाईप का है जो सामान्यतया औसत में तीन अनुभागों के लिए है और पीतमपुरा केन्द्रीय विद्यालय का भवन "सी टाईप का है जो 4 अनुभागों के अनुरूप है।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय विद्यालय लारेन्स रोड में कला विषयों की शिक्षा पहले ही से उपलब्ध है। जहाँ तक शालीमार बाग और पीतमपुरा केन्द्रीय विद्यालयों का सम्बन्ध है उनमें कला विषय अभी नहीं पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय वर्तमान जरूरत को पूरा कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में वन रोपण योजना

[हिन्दी]

80 **श्री राजवीर सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसे रोकने हेतु क्या कार्यवाई की गई है ;

(ग) क्या सरकार का वायु-प्रदूषण रोकने हेतु वनरोपण कार्यक्रम को प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के किन जिलों में वनरोपण कार्यक्रम अभी आरम्भ होना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) मानव गतिविधियों की अधिकता और पेचीदगियों के कारण देश में पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।

(ख) प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।
2. परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के नेटवर्क स्थापित किए गए हैं।
3. उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश बनाए गए हैं।
4. बहिस्राव और उत्सर्जन के विसर्जनों को निर्धारित सीमाओं के भीतर रखने के लिए उद्योगों से कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करें।
5. राज्य सरकारों के परामर्श से अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण की एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई

है और एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से 31 दिसम्बर, 1991 तक मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।

6. प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करने और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से उद्योगों को शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

7. साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह को सहायता देने की एक स्कीम आरम्भ की गई है।

(ग) वायुमंडल में कार्बन डाई आक्साइड के नियंत्रण में वन सहायक होते हैं और विशेषकर शहरी क्षेत्रों में ठोस धूल कणों के स्तर तथा शोर को कम करते हैं। यह वन-रोपण कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक है। चौड़ी पत्तों वाली प्रजातियों की पौधरोपण पर जोर दिया जा रहा है। इससे कार्बन डाई आक्साइड का स्तर नीचे रखने में सहायता मिलेगी।

(घ) वनरोपण वृक्षारोपण गतिविधि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कार्यान्वित की जा रही है।

"प्राइज्ड एग्जिबिट्स वैनिश फ्राम म्यूजियम" शीर्षक से समाचार

[अनुवाद]

81 **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मार्च, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली में प्रकाशित "प्राइज्ड एग्जिबिट्स वैनिश फ्राम म्यूजियम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ?

(ग) इस मूल्यवान वस्तु के खोने की यदि कोई जांच की गई है तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) ऐसी वस्तुओं के खोने की जिम्मेवारी को निर्धारित करने के अलावा भविष्य के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : दिनांक 9-3-91 को संग्रहालय के बाल क्रियाकलाप कक्ष से पशुओं की दो खालें गुम पायी गई और उनका पता लगाने के लिए आन्तरिक जांच की गई। चूंकि खालें नहीं मिल पाई, इसलिए 11-3-91 को इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को की गई। पुलिस जांच रिपोर्ट के अनुसार, इन खालों का अभी तक कोई पता नहीं चला है।

(घ) सुरक्षा उपाय कड़े कर दिये गये हैं और सम्बन्धित कर्मचारियों को सतर्क कर दिया गया है। चूंकि इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए जिम्मेवारी निर्धारित नहीं की जा सकी।

[हिन्दी]

आंखों की माइक्रो शल्य चिकित्सा

82. **श्री गोविन्दराव निकम:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ की आंखों की माइक्रो शल्य चिकित्सा सुविधा देश में उपलब्ध है ;

(ख) क्या सरकार का इस सुविधा को देश के सभी महानगरों में उपलब्ध कराने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी): (क) और (ख) जी, हां। इस समय नेत्रों की सूक्ष्म शल्य चिकित्सा के लिए 60 मेडिकल कालेजों और 10 क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थानों में आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की गई है। राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र और क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान मेडिकल कालेजों के संकाय स्टाफ को नेत्र सूक्ष्म शल्य चिकित्सा में प्रशिक्षण दे रहे हैं।

इस समय सूक्ष्म शल्य चिकित्सा की सुविधा सभी महानगरों में उपलब्ध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

होम्योपैथिक औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

83. **श्री गोविन्दराव निकम:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथिक दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या सरकार ने होम्योपैथिक दवाईयों के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर कर में वृद्धि की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का होम्योपैथिक दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : लगभग सभी आयातित वस्तुओं पर सीमा सहायक शुल्क में 15-12-90 से वृद्धि की गई थी और इसके परिणामस्वरूप होम्योपैथिक औषधियों में इस्तेमाल किए जाने वाले लेकटेस जिसे सामान्यतः शुगर आंफ मिल्क के नाम से जाना जाता है, पर आयात शुल्क में वृद्धि हुई है जो 60 प्रतिशत यथामूल्य से बढ़कर 65 प्रतिशत यथामूल्य हो गया है। होम्यो-पैथिक औषधियों के उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी कच्ची सामग्री पर पिछले एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 के अधीन होम्योपैथिक औषधों पर कीमतों के लिए कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

कलाडी, केरल में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करना

84. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी**
श्री अटल विहारी वाजपेयी } : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में आदि शंकराचार्य के जन्मस्थान, कलाडी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है,

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब स्वीकृति दी गई थी ;

(ग) यह प्रस्ताव इस समय किस स्तर पर है, और

(घ) क्या सरकार शृंगेरी में भी संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केरल सरकार ने कलाडी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने की योजना बनाई है। केन्द्रीय सरकार, ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मार्च, 1987 में केरल सरकार को 1.00 करोड़ रुपये के अनुदान की मंजूरी दी थी। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव के औचित्य की जांच करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दिसंबर, 1990 में प्रस्तुत की। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में विधेयक को राज्य विधान मंडल में पेश नहीं किया गया है।

(घ) सिद्धान्ततः शृंगेरी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी निर्णय लिया गया है। संस्थागत ढ़ांचे का कार्य शुरू किया जाएगा जो कुछ समय बाद विश्वविद्यालय का रूप ले लेगा।

बन्धुआ मजदूर और बाल श्रमिक

85. **डा० असीम बाला** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बंधुआ मजदूरों और बाल श्रमिकों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० रामामूर्ति) : उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-3-1990 तक देश में पता लगाये गये और मुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों की कुल संख्या 2,44,749 थी।

जहां तक बाल श्रमिकों की संख्या का प्रश्न है, उपलब्ध जनसंख्या आंकड़े 1981 तक के ही हैं और इसके अनुसार देश में 0–14 आयु वर्ग के बाल श्रमिकों की सख्या 13,640,872 थी।

कुपोषित माताएं

86. **डा० असीम बाला** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुपोषण की शिकार माताओं की संख्या कितनी है; और

(ख) इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) राष्ट्रीय पोषाहार प्रबोधन ब्यूरो (एन०एन०एम०बी०) के अन्तर्गत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1972–79 के दौरान 10 राज्यों में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग 24 प्रतिशत महिलाओं का कद तथा वजन कम था । इस प्रकार पोषाहारीय कमी के परिणामस्वरूप ये माताएं उस श्रेणी में आती हैं जिन्हें अधिक खतरा होता है और इन्हें प्रसव संबंधी समस्याएं होने की संभावना होती है।

(ख) पोषाहारीय कमी से ग्रस्त ये माताएं कमजोर बच्चों को जन्म देती हैं। इन बच्चों को संक्रमण, पोषाहार की कमी, पोषाहार संबंधी रोगों, रूग्णता तथा मृत्यु का अधिक खतरा होता है।

भवन निर्माण श्रमिकों के लिए विधान

87. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में भवन तथा निर्माण श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए विधान लाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० रामामूर्ति) : (क) से (ग) देश में भवन एवं निर्माण कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए एक केन्द्रीय विधान पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

"केरल में स्वीकृति हेतु लंबित पनबिजली परियोजनाएं"

88. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति न मिलने के कारण जिन पनबिजली परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य रूका पड़ा है, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले में विशिष्ट आपत्तिओं का ब्यौरा क्या है और उस पर केरल राज्य की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन्हें स्वीकृति प्रदान करने हेतु कितनी समय सीमा निर्धारित किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए केरल से प्राप्त कोई भी पन-बिजली अथवा सिंचाई परियोजना फिलहाल लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

"ओपन हार्ट सर्जरी" के सम्बन्ध में विश्व सम्मेलन

89. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ओपन हार्ट सर्जरी" के संबंध में बम्बई में 13 जून, 1991 को हुए विश्व सम्मेलन में सिगरेट के और तम्बाकू के बारे में विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार हैं; और

(घ) देश में धूम्रपान के कारण दिल की बीमारी से पीड़ित मरीजों की अनुमानित संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य (मंत्री श्रीमती डी० के० तारादेवी) : (क) से (ग) : सरकार को अब तक इस सम्मेलन के आयोजकों से कोई रिपोर्ट/सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अध्ययनों के अनुसार देश में कोरोनरी-हृद्-रोग के 50 लाख से अधिक रोगी हैं जिनमें से अनुमान है कि लगभग एक तिहाई रोगी सम्भवतः धूम्रपान के कारण इस रोग से ग्रस्त हैं।

बरेली में एस्ट्रोटर्फ बिछाने की मांग

[हिन्दी]

90. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल प्रेमियों की उत्तर प्रदेश के बरेली में एक एस्ट्रोटर्फ बिछाने की मांग रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक एस्ट्रोटर्फ बिछा दी जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्यक्रम और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) बरेली (उ० प्र०) में कृत्रिम हांकी सतह बिछाने के लिए भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों को आवास

[अनुवाद]

91. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के श्रेणी-वार कितने कर्मचारी सरकारी आवास के आबंटन हेतु प्रतीक्षारत हैं; और

(ख) कर्मचारियों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) साधारण पूल रिहायशी वास में संभव सीमा तक वृद्धि करने का सरकार का प्रयास रहा है बशर्ते कि भूमि तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण

टाइप	प्रतीक्षारत कर्मचारियों की संख्या
(1)	(2)
I	3134
II	8438

(1)	(2)
III	7365
IV	1390
IV स्पेशल	321
V डी०–II	363
स्पेशल डी०–I	189
सी०–II और इससे ऊपर	216
होस्टल	
डबल सूट	731
सिंगल सूट किचन सहित	894
सिंगल सूट बिना किचन	173
वर्किंग गर्ल होस्टल (सिंगल रूम)	49

नोट :— यह चालू आबंटन वर्ष (1990–91) में आमंत्रित किए गए आवेदन पत्रों की सीमित संख्या के आधार पर बनायी गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर है।

"पालघाट स्थित मालाबार सीमेंट कारखाने के कारण प्रदूषण"

92. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल के पालघाट जिले में वालयार में स्थित मालाबार सीमेंट कारखाने द्वारा फैल रहे पर्यावरणीय प्रदूषण की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) और (ख) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निदेशों के अनुपालनार्थ इस इकाई ने पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लिए हैं। फैक्टरी से अपशिष्टों का निस्सरण निर्धारित मानकों के अनुकूल है। इस इकाई से किसी प्रकार का जल–प्रदूषण भी नहीं हो रहा है।

बेरोजगारी भत्ता

[हिन्दी]

93. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ;

(ग) क्या हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में बेरोजगारी भत्ता दिया जारहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डालने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० राममूर्ति) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के संदर्भ में चिंता का एक मुख्य विषय बेरोजगारी की समस्या है ।

(ग) हरियाणा सहित कुछ राज्य सरकारें अपने स्वयं के संसाधनों से निर्दिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता/सहायता देती हैं ।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी

94. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की अत्यधिक कमी है, और

(ख) यदि हां, तो कितने डाक्टरों की कमी है, और अपेक्षित संख्या में डाक्टरों की नियुक्ति कब तक की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी) : **(क) और (ख)** जी, नहीं, केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की अत्यधिक कमी नहीं है, फिर भी रोगियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होते रहने से केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में यदा-कदा डाक्टरों की कमी महसूस की जाती है। इस बढ़ते हुए कार्यभार को संभालने के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन करने तथा खाली पदों को भरने के लिए विशेष प्रयास किया जाता है परन्तु अतिरिक्त पदों का सृजन करने तथा खाली पदों को भरने में कुछ समय लगता है। यद्यपि भर्तियों को समय पर अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाई की जा सकती है यदि यह पहले से पता हो जाए कि कोई विशेष पद/कुछ पद किसी निश्चित तारीख को खाली हो जाएगा/ जायेंगे। पहले से पता न लगने वाली परिस्थितियों में, जैसे पदधारी का त्यागपत्र अथवा मृत्यु, खाली पदों को भरने में कुछ समय लग जाता है।

औद्योगिक संस्थानों में कामगरों की भागीदारी

95. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, औद्योगिक संस्थानों में कामगारों की भागीदारी के लिए कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रामामूर्ति) : (क) से (ग) प्रबंध में श्रमिकों की भागेदारी विधेयक, 1990 राज्यसभा में 30 मई, 1990 को पेश किया गया था।
[हिन्दी]

वर्तमान पर्यावरण नियमों में त्रुटियां

96. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्यावरण से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने में कठिनाई आ रही है;

(ख) सरकार का इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।
[हिन्दी]

चिकित्सक रोगी अनुपात

97. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सकों की संख्या जनसंख्या की तुलना में अपर्याप्त है;

(ख) इस समय चिकित्सक और जनसंख्या के बीच क्या अनुपात है;

(ग) अन्य विकासशील देशों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है; और

(घ) क्या सरकार का चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सकों को आयुर्वेदिक और एलोपैथ्रिक चिकित्सा पद्धतियों में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण देकर ग्रामीण लोगों को आम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी) : (क) हमारे सामाजिक आर्थिक विकास की अवस्था को ध्यान में रखते हुए देश में उपलब्ध डाक्टरों की संख्या को अपर्याप्त नहीं समझा जा सकता।

(ख) 01-01-1988 को डाक्टर और जन संख्या का अनुमानित अनुपात 1:2379 है। तथापि, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी में योग्य डाक्टरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त अनुपात कहीं अधिक अच्छा होगा।

(ग) हाल में विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास रिपोर्ट 1991 के अनुसार कम आय वाले देशों में, जिनमें भारत भी शामिल है, प्रति डाक्टर पर जनसंख्या के आंकड़े नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं :—

देश	प्रति डाक्टर जनसंख्या	वर्ष
नेपाल	30,220	1984
केन्या	10,050	1984
इण्डोनेशिया	9,460	1984
बंगलादेश	6,730	1984
नाइजीरिया	6,440	1984
श्रीलंका	5,520	1984
पाकिस्तान	2,910	1984
भारत	2,520	1984

वास्तव में भारत की स्थिति कम आय वाला देश होने के बावजूद भी अन्य कम मध्य आय वाले देशों से ज्यादा अच्छी है, जैसाकि निम्न सारणी में देखा जा सकता है :—

अंगोला	17,790	1984
जिम्बाब्वे	6,700	1984
फिलीपीन्स	6,570	1984
मोरोक्को	4,760	1984

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में पूर्ण अर्हता प्राप्त चिकित्सा स्नातकों की और अर्हक चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली में जल आपूर्ति

98. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री कालका दास : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रीष्म ऋतु शुरू होते ही राजधानी में पानी की आपूर्ति व्यवस्था बहुत अधिक अस्तव्यस्त हो गई है और जनता को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राजधानी में पानी की आपूर्ति व्यवस्था में तेजी से सुधार लाने के लिए कोई दीर्घकालिक अथवा अल्पकालिक योजना बनाई गई है या बनाई जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) निर्धारित मानदण्डों पर वर्तमान जनसंख्या की आवश्यकता तथा पेयजल की उपलब्ध आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए गर्मी के मौसम के दौरान कई क्षेत्रों विशेषकर, उन क्षेत्रों जो वितरण प्रणाली के अन्तिम छोर पर स्थित हैं या उच्चतर ऊंचाई वाले स्थानों और झुग्गी-झौंपड़ी समूहों में कठिनाईयां महसूस की जाती है ।

(ख) गर्मी के महीनों के दौरान पानी की मांग बढ़ जाती है और वे मुख्य बाधाएं, जिनका सामना किया जाता है, इस प्रकार हैं :—

(i) नलकूपों, शोधन संयंत्रों/पम्पिंग स्टेशनों में कम वोल्टता/बिजली का गुल होना, और

(ii) कच्चे पानी की कमी ।

(ग) और (ङ) : संलग्न विवरण के अनुसार ।

विवरण

(i) हैदरपुर में 100 एम०जी०डी० के द्वितीय जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

(ii) नांगलोई में 40 एम०जी०डी० जल शोधन संयंत्र के निर्माण कार्य का अवार्ड कर दिया गया है ।

(iii) भावाना एस्केप के निकट 20 एम०जी०डी० जल शोधन संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है ।

(iv) शोधित बहि:स्राव के बदले उपर्युक्त संयंत्रों के लिए पर्याप्त कच्चे पानी की आपूर्ति हेतु हरियाणा सरकार के साथ विचार-विमर्श प्रगति पर है ।

(v) अलीपुर ब्लाक में 5 रैनी कुओं का निर्माण प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त 27 नलकूप स्थापित कर दिए गए हैं तथा 15 और नलकूपों को शीघ्र क्रियाशील कर दिया जाएगा ।

(vi) वितरण प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के लिए, उपाय किए गए हैं । 7 कालोनियों में भूमिगत जलाशय और बूस्टर पम्पिंग स्टेशन स्थापित कर दिए गए हैं और 2 कालोनियों में शीघ्र स्थापित किए जाने की आशा है । 4 कालोनियों में यह कार्य प्रगति पर है और अन्य 5 कालोनियों में जैसे ही भूमि उपलब्ध हो जाती है, इस कार्य की आयोजना है ।

(vii) लीकेज का पता लगाने और लीकेज को कम करने के लिए भी उपाय किया गए हैं । पीने के पानी की बचत के लिए बागवानी प्रयोजनार्थ 23 सतही नलकूप स्थापित किए गए हैं । बागवानी प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति हेतु शहर तथा एस० पी० जोन में 101 खुले कुएं और अवगाहन-क्षम पम्पिग सैटों की भी व्यवस्था की गई है, तथा

(viii) निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नलकूपों, हैण्डपम्पों/नलों और जल आपूर्ति कनैक्शनों के माध्यम से पुनर्वास कालोनियों, झुग्गी-झोपड़ी समूहों और नियमित अनधिकृत कालोनियों में जल आपूर्ति की व्यवस्था में निरन्तर सुधार हो रहा है ।

दीर्घावधि उपाय

(i) टिहरी बांध, जो निर्माणाधीन है, से 300 क्यूसेक पानी की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सहमत हो गई है ।

(ii) प्रस्तावित किशायु बांध से दिल्ली के उपयोग के लिए 0.5 एम० ए० एफ० पानी उद्दिष्ट करने का प्रस्ताव है ।

(iii) हिमाचल प्रदेश में गिरि नदी पर प्रस्तावित रेनुका बांध से भी 0.37 एम० ए० एफ०, पानी उद्दिष्ट करने का प्रस्ताव है ।

पश्चिमी बंगाल में गंगा सफाई कार्य योजना का कार्यान्वयन

99. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में गंगा की सफाई कार्य योजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अनेक स्थानों पर गंगा में औद्योगिक अपशिष्ट प्रवाहित करने से गंगा में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में संस्वीकृत और पूरी की गई स्कीमों की ब्यौरेवार सूची को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) ज्यादातर स्कीमें समयसूची के अनुसार पूरी कर ली गई हैं । फिर भी, भूमि अधिग्रहण में और कुछ अदालती मामलों में कार्य पूरा न होने के कारण कुछ विलम्ब हुआ है ।

(ग) और (घ) अभिनिर्धारित घोर प्रदूषक इकाइयों को बहि:स्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिए गए थे। जिसके परिणामस्वरूप कुछ औद्योगिक इकाइयों ने बहि:स्राव उपचार संयंत्र स्थापित किए हैं जिससे गंगा में प्रदूषण कम हुआ है। फिर भी, अभी कुछ औद्योगिक इकाइयां शेष हैं जो कि नदी में बहि:स्राव डाल रही है, ऐसी दोषी इकाइयों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में संस्वीकृत और पूरी की गई ब्यौरेवार स्कीमें

स्कीमों की संख्या

क्र० सं०	स्कीम का प्रकार	संस्वीकृत की गई	पूरी की गई	कार्य प्रगति पर
1.	अवरोधन एवं टिशा-परिवर्तन	31	9	22
2.	सीवेज उपचार संयंत्र	15	1	14
3.	अल्प लागत स्वच्छता	22	21	1
4.	विद्युत शवदाह गृह	17	13	4
5.	नदी-तटाग्र सुविधाएं	24	21	3
6.	अन्य	1	0	1
	कुल . . .	110	65	45

हैजे से मृत्यु

100. **श्री मनोरंजन सुर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हैजे से मरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान हैजा से अब तक कितने लोगों की मृत्यु होने की रिपोर्ट मिली हैं तथा इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक राज्य के किन-किन शहरों में हैजे फैला है, इनमें हैजे से पीड़ित कितने लोगों के मामले प्रकाश में आये हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कितने लोगों की मृत्यु हुई है ;

(घ) प्रति वर्ष बार-बार ऐसी खतरनाक बीमारी होने के क्या खास कारण हैं ;

(ङ) क्या वर्ष 1988 में दिल्ली में हैजे की महामारी की जांच करने के लिए गठित उच्चतम न्यायालय की समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और दिल्ली में हैजे के घटनाओं की पुनरावृत्ति के क्या कारण हैं ; और

(च) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं/करने का विचार है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) हैजे के दोबारा होने के मुख्य कारण हैं :—

व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता की असन्तोषजनक स्थितियां और अपर्याप्त पर्यावरणात्मक सफाई विशेषतया पीने के पानी का दूषित होना।

(ङ) जी हां, उच्चतम न्यायालय समिति, जिसने 1988 की दिल्ली हैजा महामारी की जांच की, की सिफारिशों का दिल्ली में कार्यान्वियन किया जा रहा है ।

(च) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है :—

(i) पाइपों से पानी की आपूर्ति के जरिए पीने का साफ पानी प्रदान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके;

(ii) समय-समय पर कुएं के पानी का क्लोरीनीकरण करके ;

(iii) क्लोरीन की गोलियां बांट कर ;

(iv) वैयक्तिक स्वच्छता और पीने के साफ पानी के इस्तेमाल की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए जोरदार और व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी अभियान के जरिए ;

(v) कुओं का विसंक्रमणीकरण के जरिए ओरल रिहाइड्रेशन नमक के पैकेट उपलब्ध कराकर ; और

(vi) रोग की निगरानी तेज करके ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष

102. **एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामले की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि, हां तो ऐसे नियंत्रण कक्ष की स्थापना कब तक कर दी जाएगी ;

(ग) क्या नियंत्रण कक्ष का केवल विभिन्न राज्यों की राजधानियों से सीधा संपर्क होगा ; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों पर प्रभावी ढंग से किस प्रकार निगरानी रखी जाएगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) रूपरेखाएं तैयार की जा रही हैं ।

पर्यावरण प्रदूषण का खतरा

103. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेड़ों की कटाई के कारण पर्यावरण प्रदूषण का खतरा निरन्तर गहराता जा रहा है ;

(ख) ईंधन के कारण प्रति वर्ष कितना वन क्षेत्र कम होता जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गयी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) वृक्ष कार्बन-डाई-आक्साइड का अवशोषण करके और आक्सीजन छोड़कर हवा को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । अतः वृक्षों को काटने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

(ख) वृक्षों की काट-छांट ईंधन के रूप में प्रयोग में लायी जाती है, इसलिए इस बाबत प्रतिवर्ष वनों को होने वाली क्षति का संक्षिप्त अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

(ग) वनों की क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

(1) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 1,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों/पर्वतों पर हरे वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगाने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ।

(2) जैवीय हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की जाती है।

(3) वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है ।

(4) 20-सूत्रीय कार्यक्रमों के तहत वृक्षारोपण हेतु राज्य योजनाओं और केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों के तहत वन-रोपण के अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं ।

पेड़ काटने पर प्रतिबन्ध

104. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का रेलवे के स्लीपर तैयार करने के लिए पेड़ काटने पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में रेलवे की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) सरकार का लकड़ी के रेलवे स्लीपरों को समाप्त करने का प्रस्ताव है और इसके परिणामस्वरूप स्लीपरों की खपत जो 1984–85 में 30 लाख स्लीपर थी, 1990–91 में घटकर 2 लाख स्लीपर हो गई ।

(ख) सरकार ने लकड़ी के स्लीपरों के बदले कंकरीट के स्लीपर उपयोग में लाने की पहले ही पर्याप्त व्यवस्था कर ली है ।

[हिन्दी]

प्रदूषणमुक्त नदियां

105. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा और यमुना के अतिरिक्त कितनी नदियों को प्रदूषण-मुक्त बनाने के कार्यक्रम में शामिल किया गया है ;

(ख) क्या सरकार बेतवा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा तथा कावेरी नदियों को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम पर काम कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) और (ख) गंगा और यमुना के अतिरिक्त नदियों को प्रदूषणमुक्त करने के कार्यक्रम में शामिल की जाने वाली नदियों के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय नदी कार्य योजना पर उपागम पत्र (एप्रोच-पेपर) तैयार किया जा रहा है जिसे केन्द्र और राज्यों से सम्बन्धित एजेन्सियों के परामर्श के पश्चात् अन्तिम

रूप दिया जाएगा । उपागम पत्र (एप्रोच-पेपर) में तैयार रूपरेखा को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही कार्य आरम्भ किया जा सकेगा । कार्य आरम्भ करने के लिए कोई समय-सूची अभी तक तय नहीं की गई है ।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक आयोग

106. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कानून कब तक लाया जाएगा ;

(ग) प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति तारीख और कार्यकाल पूरा होने की तारीख सहित आयोग के वर्तमान गठन का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या अभी कुछ पद खाली पड़े हुए हैं और यदि हां, तो खाली पड़े पदों को कब तक भरा जाएगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) इसे शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की सम्भावना है ।

(ग) और (घ) इस समय आयोग में एक अध्यक्ष और छः सदस्य हैं । आयोग के वर्तमान अध्यक्ष/सदस्यों से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

नाम	नियुक्ति की तारीख	कार्यकाल पूरा करने की तारीख
अध्यक्ष		
श्री एस० एम० एच० बर्नी	1-4-1988	31-3-1992
सदस्य		
सर्वश्री		
बी० एस० रामूवालिया	11-5-1990	10-5-1993
वेन० धम्मा विरीयो	5-11-1990	4-11-1993
बेकिल पाटिन	5-11-1990	4-11-1993
एम० वरदराजन	19-4-1991	18-4-1994
जावेद हबीब	अभी कार्यभार ग्रहण करना है ।	
के० एफ० रुस्तमजी	अभी कार्यभार ग्रहण करना है ।	

[हिन्दी] दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों को आबंटित न करना

107. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सीवर, पानी और बिजली जैसी "आवश्यक सेवाओं" की अनुपलब्धता की वजह में बहुत से फ्लैटों/दुकानों का आवंटन नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे फ्लैटों/दुकानों का संख्या कितनी है और इन्हें कब से आवंटित नहीं किया गया है ;

(ग) इन फ्लैटों/दुकानों की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(घ) आवश्यक सुविधाएं देकर इन फ्लैटों/दुकानों को आवंटित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रकार की दुकान/फ्लैटों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) फ्लैटों का मूल्य, वाह्य विद्युतीकरण सहित सेवाओं के पूरा होने पर निर्धारित किया जायगा ।

(घ) आबंटित न किये गये फ्लैट/दुकान वाह्य विद्युतीकरण जिसके लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के साथ मामला चल रहा है, कार्य पूरा होते ही आबंटित/नीलाम किये जायेंगे ।

विवरण

उन फ्लैटों का विवरण, बाह्य विद्युतीकरण कार्य की अनुपलब्धता के कारण जिनका आबंटन नहीं किया जा सका

क्रम सं०	योजना	फ्लैटों की संख्या	वह तारीख जिससे अनाबंटित हैं ।
1	2	2	3
1.	लारेंस रोड पर मध्यम आय वर्ग के 96 फ्लैटों का निर्माण	96	21–2–90
2.	192 जनता वाई (पी) का निर्माण, पीतमपुरा	192	21–2–90
3.	सेक्टर 16 रोहिणी में निम्न आय वर्ग के 440 रिहायशी एककों का निर्माण	440	1–12–87
4.	दिलशाद गार्डन में 613 जनता रिहायशी एककों का निर्माण	603	9–7–86

1	2	3	4
5.	पाकिट "डी" दिलशाद गार्डन में निम्न आय वर्ग के 960 रिहायशी एककों का निर्माण	884	28–4–84
6.	मयूर विहार पाकिट IV में मध्यम आय वर्ग के 88/निम्न आय वर्ग के 88 फ्लैटों का निर्माण	72	1–2–91
7.	दक्षिणपुरी में 136 जनता रिहायशी एककों का निर्माण	96	1–9–86
8.	पुल पहलादपुर में निम्न आय वर्ग के 128 फ्लैटों का निर्माण	128	1–12–89
9.	पुलपहलादपुर में 608 जनता फ्लैटों का निर्माण	632	1–12–89
		3143 फ्लैट	

आबंटित/निलाम न की जा सकी दुकानों के ब्यौरे

क्रम सं०	योजना	दुकानों की संख्या	वह तारीख जिस से अनाबंटित है
1.	पीरा गढ़ी के हरिजनों व भूमिहीन व्यक्तियों के लिये जनता मकानों में सामुदायिक विपणन केन्द्र	20	2/90
2.	पश्चिमपुरी ब्लाक ए–4 में सी० आई० ई० इम्पलाई सी० एच० बी० एस० के नजदीक सामुदायिक विपणन केन्द्र	33	5/90
3.	आदर्श भवन पंजाबी बाग एक्सटेंशन–1 और 11 में सामुदायिक विपणन केन्द्र	16	2/90
4.	पश्चिमपुरी पाकिट बी० जी० 6, ब्लाक "बी" में 1090 जनता मकानों के नजदीक सामुदायिक विणपन केन्द्र	27	9/89
5.	सुन्दर विहार में सामुदायिक विपणन केन्द्र	22	1/90
6.	ए–2, पश्चिमपुरी में सामुदायिक विपणन केन्द्र	12	2/90
7.	शालीमार बाग, ब्लाक बी (एस) में सामुदायिक विणपन केन्द्र	42	9/90
8.	मायापुरी में सुविधा केन्द्र	16	8/88
		188	

[हिन्दी]

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि का आबंटन

108. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) दिल्ली में कितनी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनमें से कितनी समितियों को भूमि आवंटित की गई है ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि की कीमत बढ़ा दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि के वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे शिकायतें किस प्रकार की हैं और सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक 1983 से पूर्व पंजीकृत कुल 518 सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित की गई है । 424 सहकारी सामूहिक आवास समितियों, जिनको प्रस्ताव पत्र भेजे गए थे, में से 390 समितियों ने द्वारका/नरेला में भूमि के आबंटन के लिए अक्तूबर, 1990 तक तथा जनवरी, 1991 के दौरान आवेदन किया था । 260 समितियों को द्वारका फेस–1 में भूमि नियतित की गई थी तथापि 10–5–91 को दिल्ली उच्च न्यायलय द्वारा यह आबंटन रद्द कर दिया गया है ।

(ख) सहकारी सामुहिक आवास समितियों को भूमि के आंटन के लिए पूर्व निर्धारित दरों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़ोतरी नहीं की गई है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी कोई शिकायते प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

शिक्षा में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

109. श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) शिक्षा प्रसार को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार स्वैच्छिक अभिकरणों से क्या भूमिका निभाने की आशा करती है; और

(ख) सरकार का इन अभिकरणों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों को क्या प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) उचित प्रबंधन की शर्त पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन० पी० ई०) 1986 में शिक्षा क्षेत्र में गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक प्रयत्नों को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान की परिकल्पना की गई है ।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन० पी० ई०) को अनुसरण करते हुए व्यावसायिक शिक्षा की शुरूआत, विज्ञान संबंधी शिक्षा में सुधार, और निजी विद्यालयों में पर्यावरण संबंधी जानकारी प्रदान करने की योजनाएं प्रारंभ की गई ।

विद्यालयों को स्वायत्तता

110. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या देश में कुछ विद्यालयों को स्वायत्तता देने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन स्कूलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक यह स्वायत्तता प्रदान की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) शैक्षिक संस्थानों का विकेन्द्रीकरण करने और उनमें स्वायत्तता का भाव पैदा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पैरा 10.1 (ख) में दिए गए निर्देश के अनुसरण में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०) ने बोर्ड से संबद्ध कुछ चुने हुए स्कूलों को स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय किया था ताकि वे स्कूल पाठ्यक्रम के निर्धारण तथा विद्यार्थी के कार्यों के मूल्यांकन के मामले में पहल कर सकें।

(ग) एक स्कूल शिक्षक द्वारा दायर रिट याचिका के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी० बी० एस० ई० के उक्त निर्णय को लागू करने पर रोक लगा दी और इसीलिए अब तक किसी स्कूल को स्वायत्तता नहीं दी जा सकी है ।

सी० बी० एस० ई० के शासी निकाय के सदस्यों के नामांकन हेतु मानदण्ड

111. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० बी० एस० ई० के शासी निकाय के सदस्यों को नामांकित करने संबंधी मानदण्ड क्या है;

(ख) क्या शासी निकाय में गैर-सरकारी तौर पर चलाये जा रहे स्कूलों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाता है;

(ग) सी० बी० एस० ई० के वर्तमान शासी निकाय का विवरण क्या है ;

(घ) क्या इस निकाय में संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ का भी कोई प्रतिनिधि है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगम ज्ञापन और नियम विनियमों के अनुसार बोर्ड के शासी निकाय में चार विभिन्न श्रेणियों के सदस्य होते हैं, जिनमें नामित सदस्यों की श्रेणी भी शामिल है ।

नामित सदस्यों की सूची में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय, संघ दिल्ली प्रशासन का शिक्षा विभाग, विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, व्यावसायिक निकायों, सुप्रसिद्ध शिक्षाविदों अथवा बोर्ड के साथ संबद्ध संस्थाएं जैसे विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) शासी निकाय के 43 सदस्यों की सूची संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां ।

(ङ) (1) श्रीमती कुलदीप कौर, डी०पी० आई०, चंडीगढ़, संघ शासित क्षेत्र और

(2) श्रीमती बी० के० चावला, प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, सेक्टर–16, चंडीगढ़ ।

विवरण

सी० बी० एस० ई० के शासी निकाय के सदस्यों की सूची

1. डा० एस० एस० सिंधा,
   अध्यक्ष,
   केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
   दिल्ली–110092 ।
2. श्री एच० डी० रविरघी,
   शिक्षा सचिव,
   शिक्षा निदेशालय,
   अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह,
   पोर्ट ब्लेयर–744101 ।
3. श्री एम० एस० त्यागी,
   लोक निर्देश निदेशालय,
   अरुणाचल प्रदेश सरकार,
   नहारलागुन–791110 ।

4. श्रीमती कुलदीप कौर,
लोक निर्देश निदेशालय,
चंडीगढ़ प्रशासन,
सेक्टर–9, चंडीगढ़ ।

5. श्री एम०सी० माथुर,
संयुक्त निदेशक शिक्षा,
सिक्किम सरकार, नया सचिवालय,
गंगटोक–737101 ।

6. श्री एस० के० शुक्ला,
अतिरिक्त निदेशक शिक्षा,
शिक्षा विभाग,
दिल्ली प्रशासन पुराना सचिवालय,
दिल्ली–110054 ।

7. श्री वाई०पी० पुरंग,
निदेशक (पश्चिम) डी०ओ०ई०
करनपुरा, नई दिल्ली ।

8. कुमारी एस० राजपाल,
उप निदेशक (स्कू०),
शिक्षा विभाग, दिल्ली प्रशासन,
दिल्ली–44 ।

9. श्रीमती रेणुका मेहरा,
उप शिक्षा सलाहकार (व्या० शि०)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

10. श्री ए० बनर्जी,
उप सचिव (एस एण्ड पी ई)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

11. कर्नल वी० आर० शर्मा,
निदेशक (एम० टी–50)
सेना मुख्यालय, नई दिल्ली ।

12. डा० ए० के० शर्मा,
संयुक्त निदेशक,

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग,
नई दिल्ली–110016 ।

13. श्री एस ० के ० राय,
डी ० एफ ० ए ०,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

14. डा ० एस ० एस ० राना,
डीन आफ कालेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

15. श्री वी ० के ० सूद,
प्रधानाचार्य, बिड़ला विद्या निकेतन,
मिलानी (राजस्थान) ।

16. डा ० एस ० डी ० सिंह,
प्रधानाचार्य, सिंधिया स्कूल,
ग्वालियर ।

17. श्री डी ० एस ० मुखोपाध्याय,
आयुक्त,
के ० वि ० एस ० जे ० एन ० यू ० परिसर,
न्यू महरोली रोड,
नई दिल्ली–110067 ·

18 डा ० एम ० पी ० छाया,
परामर्शदाता,
नवोदय विद्यालय समिति,
ए–39, कैलाश कालोनी,
नई दिल्ली ।

19. श्री जगत नारैन,
प्रधानाचार्य,
राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल
बेगमपुर, नई दिल्ली ।

20. श्री एस ० एन ० छिबर,
प्रधानाचार्य,
राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक

स्कूल सं०–1, पश्चिम पटेल नगर,
नई दिल्ली ।

21. प्रो० ए० एल० नागर,
उपकुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली–110007 ।

22. श्री बी० एल० सिंघल,
प्रधानाचार्य,
बी० सी० आर्य उच्चतर माध्यमिक
स्कूल, लोधी कालोनी,
नई दिल्ली ।

23. श्रीमती पी० कपूर, प्रधानाचार्य,
राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक
स्कूल, बिजवासन, नई दिल्ली ।

24. श्री कंवल सूद, प्रधानाचार्य,
दयानन्द माडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल,
जालन्धर नगर–144008 ।

25. श्रीमती बी० के० चावला,
प्रधानाचार्य,
राजकीय माडल उच्च स्कूल,
सैक्टर–16, चंडीगढ़–160016 ।

26. डा० कृष्ण कुमार, डीन,
केन्द्रीय शिक्षा संस्थान,
दिल्ली ।

27. प्रो० एस० एम० महेश्वरी,
भारतीय तकनीकी संस्थान,
हौजखास, नई दिल्ली–16 ।

28. डा० पी० वी० माथुर,
उप महानिदेशक (शिक्षा),
भारतीय कृषि परिषद,
रेजिडेंस पूसा, नई दिल्ली ।

29. डा० पी० एस० जैन, सचिव,
भारतीय चिकित्सा परिषद्,
कोटला रोड, नई दिल्ली ।

30. डा० पी० वी० थोमस,
निदेशक (बीमा),
बीमा संभाग, आर्थिक विभाग,
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय,
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।

31. कुमारी प्रेम लता पुरी,
निदेशक,
सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र
बहावलपुर हाउस, मंडी हाउस,
नई दिल्ली ।

32. डा० (श्रीमती) गहवर कपाड़िया,
निदेशक, राजकुमारी ई० एस० आई०
एम० महिला शिक्षा केन्द्र निजामिया,
हैदराबाद महिला संघ न्याम,
पुरानी हवेली, हैदराबाद ।

33. श्रीमती बी० पार्थसारथी,
प्रधानाचार्य,
सरदार पटेल विद्यालय,
लोधी रोड, नई दिल्ली ।

34. श्रीमती पी० एम० कवूरी,
प्रधानाचार्य,
महाराजा एस० एस० एस० विद्यालय,
सवाई राम सिंह रोड,
जयपुर–4

35. श्रीमती के० अलमेलु, प्रधानाचार्य,
पी० एस० उच्चतर माध्यमिक स्कूल,
मद्रास ।

36. श्री जे० एस० मुंजल,
उप निदेशक (स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा)
केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो,
(सी० एस० एस० विभाग),
कोटला रोड, नई दिल्ली ।

37. डा० के० जे० देशमुख, उप कुलपति,
अमरावती विश्वविद्यालय,
अमरावती–444604 ।

38. डा० एस० जे० कासीम,
उपकुलपति,
जामिया मिलिया इस्लामिया,
नई दिल्ली–110025

39. श्री राम लाल पानीलाल,
गुजरात विद्यापीठ,
गांधीनगर और अध्यक्ष ए० आई० यू० ।

40. श्री एस० गोपाल, सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
दिल्ली–110092

41. श्री डब्ल्यु० आर० किंग,
सचिव,
भारतीय स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र,
परिषद नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली ।

42. डा० ए० के० पाण्डेय,
निदेशक,
बिड़ला तकनीक और विज्ञान संस्थान,
रांची ।

43. सचिव,
शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार,
नहारलागुन–791110

सी० बी० एस० ई० से सम्बद्ध विद्यालयों के लिए मानदंड

112. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०) ने इससे सम्बद्ध विद्यालयों के लिए भवन, वेतनमान, शुल्क आदि के बारे में कतिपय मानदंड निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंधन उपनियमों के मुताबिक वह स्कूल जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनिवार्य मानदंडों को पूरा करता है, संबंधन के लिए बोर्ड के पास आवेदन कर सकता है —

(i) स्कूल को सम्बद्ध राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

(ii) स्कूल के पास लगभग 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए (25 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में 1 एकड़) जिसके एक भाग में निर्मित भवन तथा बाकी भाग में उचित खेल मैदान होना चाहिए ।

(iii) यदि स्कूल के पास जमीन तो है लेकिन अभी वह किराए के भवन में चल रहा है तो एक उचित समयावधि के अन्दर स्कूल भवन के निर्माण के लिए पर्याप्त संसाधन होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । नए स्कूलों के लिए यह आवश्यक है कि उनके भवन निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका हों और वह उनके दखल में हो ।

(iv) सदस्यों के नाम और उनके पते की सूची के साथ ट्रस्ट/समाज/प्रबन्धन के गैर-स्वामित्व का एक प्रमाण-पत्र और प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के न्यायालय के समक्ष अध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रस्तुत एक हल्फनामा, जिसमें यह बताया गया हो कि सदस्य एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

(v) स्कूल के पास बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं वाले सुयोग्य कर्मचारी होने चाहिए ।

(vi) स्कूल को चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों को उतने ही वेतन और भत्ते प्रदान करे जितने कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशो द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में उनके समकक्षों को दिए जा रहे हैं अथवा समकक्ष श्रेणियों के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वेतन और भत्ते प्रदान करें ।

(vii) फीस, स्कूल द्वारा दी जा रही सुविधाओं के अनुरूप हो और यह संबद्ध राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित शीर्षो के अधीन वसूल की जानी चाहिए । स्कूल के नाम पर किसी भी तरह का 'प्रतिव्यक्ति शुल्क' (केपिटेशन फीस) या दान नहीं लिया जाना चाहिए ।

महिला उत्थान हेतु सामाजिक संगठनों को धनराशि देना

113. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं और बालकों के विकास हेतु प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपयों का कोष सामाजिक संगठनों को उपलब्ध कराती है ;

(ख) यदि हां, तो इस कोष को किस प्रकार वितरित किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार बीस लाख से भी अधिक वेश्याओं के लिए शरणस्थलों (आश्रमों) का निर्माण करने पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में "भारतीय पतिता उद्धार सभा" की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई जा रही है ।

(युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) :(क) और (ख) भारत सरकार महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कई योजनाएं तथा कार्यक्रम चला रही है जिसके अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है। अधिकांश मामलों में सहायता अनुदान राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को जारी किया जाता है ताकि वे उन्हें आगे स्वयंसेवी संगठनों को वितरित कर दें । कुछ मामलों में राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त विभिन्न योजनाओं में निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र स्वयंसेवी संगठनों को भी सहायता अनुदान जारी किए जाते हैं । कुछ राष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी संगठनों और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य स्वायत्त निकायों को भी सहायता अनुदान सीधे जारी किया जाता है। यह सहायता अनुदान केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के अलावा है ।

(ग से च) : भारतीय पतिता उद्धार सभा, नई दिल्ली से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया गया है कि वेश्यावृत्ति को समाप्त किया जाए तथा वेश्याओं और उनके बच्चों का पुर्नवास किया जाए परन्तु "समाज सुरक्षा" का विषय राज्य क्षेत्र में आता है । भारत सरकार वेश्याओं के लिए शरणस्थल बनाने पर विचार नहीं कर रही है । परन्तु वर्ष 1990 को दक्षेस बालिका वर्ष के रूप में मनाए जाने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अनैतिक पणन दमन अधिनियम के अन्तर्गत चलाए जा रहे सुरक्षा गृहों को सुदृढ़ करने संबंधी योजना तैयार की गई थी । 11 राज्यों और संघ शासित प्रदेश दिल्ली में 16 सुरक्षा गृहों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को 18.56 लाख रुपए की एकबारगी सहायता राशि जारी की गई ।

"बिहार में वन-क्षेत्र"

[हिन्दी]

114. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितना वन-क्षेत्र है ;

(ख) क्या कुछ वन भूमि का विकास किया गया है ;

(ग) यदि हां तो राज्य में वन भूमि का कितना क्षेत्र सिंचित भूमि में बदल दिया गया है; और

(घ) बिहार में वन भूमि के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) बिहार में रिकार्डेड वन क्षेत्र 29,232 वर्ग कि० मी० है ।

(ख) और (ग) विकास परियोजनाओं सिंचाई परियोजनाओं आदि सहित विभिन्न वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के संबंध में सूचना उपलब्ध है । उपलब्ध सूचना के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के बनाए जाने से लेकर बिहार में वनेत्तर प्रयोजनों के लिए 2981 हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाया गया । इसमें से अवरुद्ध जल में जलमग्न क्षेत्र सहित 382 हैक्टर सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित है ।

(घ) वनों के संरक्षण के लिए बिहार में उठाए जा रहे/शुरू किए गए विभिन्न कदमों में भारतीय वन अधिनियम और वन (संरक्षण) अधिनियम के उपबंधों को अधिक सख्ती से लागू करना, ईंधन चारे और छोटी-मोटी इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी परियोजनाएं कार्यान्वित करना ताकि वनों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके। अवक्रमित वन भूमि में वन आवरण में सुधार करने के लिए वनरोपण कार्यक्रम चलाना, चलते-फिरते हथियार बन्द दस्तों द्वारा गस्त बढ़ाना और वन सुरक्षा और प्रबंध के लिए ग्राम समितियों का गठन करना शामिल है।

प्रत्येक श्रमिक को रोजगार पत्र

[हिन्दी]

115. **श्री राम विलास पासवान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक श्रमिक को चाहे वह दैनिक मजदूरी करने वाला हो अथवा अस्थायी रूप से नियोजित हो, रोजगार पत्र जारी करने तथा भविष्य निधि सुविधायें देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० राममूर्ति) : (क) और (ख) फिलहाल नियोजन कार्ड जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 अक्तुबर, 1990 में संशोधित की गई थी और भविष्य निधि की सदस्यता के लिये तीन माह की निरन्तर सेवा अथवा वास्तविक कार्य के 60 दिन की अपेक्षा को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था । अब दैनिक मजदूरी कमाने वालों सहित सभी कर्मकार शामिल किये जाने योग्य प्रतिष्ठान में नियोजन के पहले दिन से ही भविष्य निधि की सदस्यता के पात्र हैं ।

केन्द्रीय विश्व विद्यालयों की स्थापना हेतु मानदण्ड

[अनुवाद]

116. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सरकार द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु मानदंड क्या है ;

(ख) विद्यमान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची किस प्रकार है; और

(ग) नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने संबंधी सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) इस समय देश में दस केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :—

(1) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
(2) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
(3) दिल्ली विश्वविद्यालय
(4) हैदराबाद विश्वविद्यालय
(5) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
(6) उत्तर पूर्वीय पर्वतीय विश्वविद्यालय
(7) पांडिचेरी विश्वविद्यालय
(8) विश्व भारती
(9) जामिया मिलिया इस्लामिया
(10) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

असम व नागालैण्ड में नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए संसद द्वारा 1989 में अधिनियम पारित कर दिए गए हैं । परन्तु अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए अधिसूचना जारी नहीं की गई है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ये विश्वविद्यालय कुछ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या केन्द्र राज्य विचारों के उत्तर में स्थापित किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार सामान्यतः नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के पक्ष में नहीं होती और यह आशा करती है कि राज्य सरकार अपने विश्वविद्यालयों के स्तर में सुधार के लिए स्वयं कदम उठाए।

केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर विभिन्न वर्गों से देश के भिन्न-भिन्न राज्यों/क्षेत्रों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। परन्तु सरकार की नीति व संसाधनों की अत्यन्त कमी के कारण सरकार ने नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय आरम्भ करने का कोई निर्णय नहीं लिया है ।

उड़ीसा में केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण

117. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन केन्द्रीय विद्यालयों के नाम क्या हैं जिनके विद्यालय भवनों का अभी निर्माण किया जाना बाकी है ।

(ख) विद्यालय भवनों के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्माण प्रक्रिया को तेज करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) उड़ीसा में निम्नलिखित 8 केन्द्रीय विद्यालयों के स्कूल भवनों का अभी निर्माण किया जाना है—

स्कूल	टिप्पणी
(1) झुरसुगुडा	प्रायोजक एजेंसी द्वारा
(2) बोंदामोंडा	अभी भूमि हस्तांतरित नहीं की गई है।
(3) बारोपाडा	—वही—
(4) नाद सोनाबेडा	—वही—
(5) नं० 2 सी० आर० पी० एफ० भुवनेश्वर	—वही—
(6) बोलंगोर	—वही—
(7) मंचेश्वर	पट्टा बंध पत्र किया जाना है ।
(8) कटक	—वही—

(ग) संगठन भूमि के हस्तांतरण/बंध पत्र निष्पादन के लिए प्रायोजक एजेंसियों से लिखा-पढ़ी कर रहा है जिसके लिए उनसे हाल ही में फिर अनुरोध किया गया था।

"वन-भूमि"

118. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की दर्ज की गई आरक्षित एवं अन्य वन भूमि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस समय प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वास्तव में उपलब्ध वन भूमि का क्या प्रतिशत है ;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वन और सामान्य भूमि पर वन रोपण/पेड़ लगाने के कार्यक्रमों के अधीन अब तक कितना क्षेत्र वन-आच्छादित किया गया है; और

(घ) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियत समय में 33.3 प्रतिशत क्षेत्र वन-आच्छादित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :

(क) ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं।

(घ) वन/वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। तथापि 33.3 प्रतिशत वन आवरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी गई है :—

1. समन्वित परती भूमि विकास स्कीम।
2. जलावन की लकड़ी और चारा परियोजना के लिए स्कीम।
3. जन-नर्सरी स्कीम।
4. औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद के पौधे उगाने की स्कीम।
5. हवाई बीजारोपण की स्कीम।
6. वन एवं चारागाह के बीजों के विकास के लिए स्कीम।
7. अतिरिक्त धन देने की स्कीम।
8. सहायता अनुदान स्कीम।

विवरण-I

वर्ग वन क्षेत्र

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	वन क्षेत्र (वर्ग कि० मी०)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश . . .	63771
2.	अरुणाचल प्रदेश	51540
3.	असम	30708
4.	बिहार	29230
5.	गोवा (दमन और दीव समेत)	1053
6.	गुजरात	18777
7.	हरियाणा	1685
8.	हिमाचल प्रदेश	21325
9.	जम्मू और कश्मीर	20892
10.	कर्नाटक	38644
11.	केरल	11222

1	2	3
12.	मध्य प्रदेश	155414
13.	महाराष्ट्र	64055
14.	मणिपुर	15155
15.	मेघालय	8514
16.	मिजोरम	15935
17.	नागालैण्ड	8625
18.	उड़ीसा	59555
19.	पंजाब	2803
20.	राजस्थान	31151
21.	सिक्किम	2650
22.	तमिलनाडु	22319
23.	त्रिपुरा	6280
24.	उत्तर प्रदेश	51269
25.	पश्चिम बंगाल	11879
26.	अंडमान और निकोबार दीप समूह	7144
27.	चंडीगढ़	6
28.	दादर और नगर हवेली	203
29.	दिल्ली	42
30.	लक्ष द्वीप	—
31.	पांडिचरी	—
	कुल	751846

विवरण–II

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	वास्तविक वन क्षेत्र		वर्ग कि० मी०
		भौगोलिक क्षेत्र	1985–87 की उपग्रह प्रतिबिम्बीकी के आधार पर मूल्यांकित वास्तविक वन क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वास्तविक वन क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	276820	47911	17.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	83580	68763	82.3

1	2	3	4	
3.	असम	78520	26058	
4.	बिहार	173880	26934	1.
5.	गोवा	3698	1300	3
6.	गुजरात	195980	11670	6
7.	हरियाणा	44220	563	1 ही
8.	हिमाचल प्रदेश	55620	13377	24 नहीं
9.	जम्मू और कश्मीर	222240	20424	
10.	कर्नाटक	191770	32100	1
11.	केरल	38870	10149	
12.	मध्य प्रदेश	442840	133191	3
13.	महाराष्ट्र	307760	44058	14
14.	मणिपुर	22360	17885	8
15.	मेघालय	22490	15690	69
16.	मिजोरम	21090	18178	86
17.	नागालैण्ड	16530	14356	8 6
18.	उड़ीसा	155780	47137	30
19.	पंजाब	50360	1161	2.
20.	राजस्थान	342210	12966	3.8
21.	सिक्किम	7300	3124	42.8
22.	तमिलनाडु	130070	17715	13.62
23.	त्रिपुरा	10480	5325	50.08
24.	उत्तर प्रदेश	294411	33844	11.5
25.	पश्चिम बंगाल	87850	8394	9.6
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8290	7624	91.96
27.	चंडीगढ़	114	8	7.02
28.	दादर और नगर हवेली	490	205	41.84
29.	दमन और द्वीव	112	2	1.78
30.	दिल्ली	1490	22	1.48
31.	लक्षद्वीप	30	—	—
32.	पांडिचेरी	492	—	—
	कुल	3287797	640134	19.47

विवरण–III

राज्यवार/के० शा० प्रदेशवार वनरोपण/पौधरोपण का कार्यक्रम

क्रम सं०	राज्य/के० शा० प्रदेश	वनरोपण (हे० में) 1951–90
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	10488455
2.	अरुणाचल प्रदेश	98804
3.	असम	302617
4.	बिहार	1033279.5
5.	गोवा (दमन और द्वीव सहित)	43069
6.	गुजरात	1470441
7.	हरियाणा	414630
8.	हिमाचल प्रदेश	415792
9.	जन्मू और कश्मीर	182831
10.	कर्नाटक	1493878.5
11.	केरल	542403
12.	मध्य प्रदेश	1989814
13.	महाराष्ट्र	1429299
14.	मणिपुर	74265.5
15.	मेघालय	229464.5
16.	मिजोरम	187566
17.	नागालैण्ड	121230
18.	उड़ीसा	952281.5
19.	पंजाब	362285
20.	राजस्थान	573686
21.	सिक्किम	48395.5
22.	तमिलनाडु	1069762.5
23.	त्रिपुरा	134334.5
24.	उत्तर प्रदेश	2234261
25.	पश्चिम बंगाल	570634

1	2	3
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	55463.5
27.	चंडीगढ़	1897.5
28.	दादर और नगर हवेली	15258.5
29.	दिल्ली	19173
30.	लक्षद्वीप	326.5
31.	पांडिचेरी	4049.5
	कुल	26559647.5

दिल्ली में पेयजल

119. **श्री कालका दास** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लोगों को कितनी मात्रा में पेय जल की आपूर्ति की जा रही है ;

(ख) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या कितनी है और दिल्ली की जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में जल की आपूर्ति की आवश्यकता है ;

(ग) क्या सरकार ने अशुद्ध जल प्राप्त करने के लिए पड़ोसी राज्यों से कोई समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह जल कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली की 1991 की 93.70 लाख जनसंख्या के लिए अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार कुल 535 मिलियन गैलन प्रतिदिन की आवश्यकता की तुलना में दिल्ली नगर निगम की पेय जल की कुल उत्पादन क्षमता 470 मिलियन गैलन प्रतिदिन है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार निर्माणाधीन टिहरी बांध से 300 क्यूसेक जल आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गयी है।

(ii) किशाऊ बांध से दिल्ली के उपयोगार्थ 0.5 मिलियन एकड़ फीट पानी उद्दिष्ट किया गया है।

(iii) हिमाचल प्रदेश में गिरि नदी पर रेनुका बांध से 0.37 मिलियन एकड़ फीट पानी उद्दिष्ट किया गया है।

सरकारी आवासों का बिना बारी के आवंटन किया जाना

120. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अप्रैल 1991 के इंडियन एक्सप्रैस में "कंट्रोवर्सी ओवर अर्बन डैवलपमेंट सेक्रेटरीज ट्रांसफर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) सरकारी अवासों के बिना बारी के आबंटन करने से संबंधित मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1988–89, 1989–90 और 1990–91 के दौरान वर्षवार, टाइपवार कालोनीवार बिना बारी के कितने क्वार्टर आबंटित किए गए और क्या ये आबंटन मार्ग निर्देशों के अनुरूप थे तथा मार्ग निर्देशों के उल्लंघन के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितने सरकारी कर्मचारियों को एक टाइप बड़ा आवास दिया गया और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में सर्वाधिक द्रुत परिवहन प्रणाली

121. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **शहरी विकास मंत्री** दिल्ली में सार्वजनिक द्रुत परिवहन प्रणाली के बारे में 6 मार्च, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1793 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या आर० आई० टी० ई० एस० द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन धनराशि तथा संसाधनों की उपलब्धता के ब्यौरे सहित का कोई विस्तृत विश्लेषण इस बीच किया गया है ;

(ख) क्या प्रस्तावित प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और परियोजना के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही की जांच करने हेतु नियुक्त की गई संचालन समिति ने इस मामले में कोई प्रगति की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) दिल्ली में ऊपरिपुलों के निर्माण में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूणाचलम) : (क) रेल इंडिया टैक्नीकल एंड इक्नामिक सर्विसेज (आर० आई० टी० ई० एस०) द्वारा दिल्ली प्रशासन को प्रस्तुत की गई तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन ने दिल्ली के लिए बहुरुपात्मक द्रुतगामी जन-परिवहन प्रणाली नेटवर्क प्रारम्भ करने की सिफारिश करते हुए संसाधन संग्रहण के लिए भी कई क्षेत्रों का पता लगाया है। कई अवसरों पर इस रिपोर्ट पर अंतः मंत्रालय स्तर पर विचार विनिमय किया गया है। भारत सरकार द्वारा मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति को द्रुतगामी जन-परिवहन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

(ख) और (ग) संचालन समिति ने अपनी बैठकों में प्रारंभिक अपेक्षित कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। चूंकि कुछ मुद्दों पर और विस्तृत विश्लेषण अपेक्षित था इसलिए उन्होंने प्रस्तावित द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली के समुचित कार्यान्वयन के लिए अल्प-

कालिक उपाय पता लगाने के लिए एक उप-समिति तथा द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली का सम्पत्ति विकास, इत्यादि के माध्यम से निधिकरण के पहलुओं पर विचार करने के लिए दूसरी उप समिति गठित करने का निर्णय लिया ।

(घ) निर्माणाधीन फ्लाई ओवरों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1. दिल्ली प्रशासन (लोक निर्माण विभाग) द्वारा

(i) ओखला में रेलवे ओवर ब्रिज—रेलवे के भाग पर फ्लाई ओवर के लिए डेकिंग रेलवे द्वारा की जा रही है ।

(ii) यमुना बाजार के निकट मंकी ब्रिज के पास फ्लाई ओवर—नवम्बर, 1990 में प्रारंभ किया गया । स्थूण नींव परीक्षण, अमृदा जांच की गई है । फ्लाई ओवर के ठोस भाग के लिए पुश्ता दीवार और स्लिप रोड तथा अपवर्तन मार्ग को निर्माण कार्य आरम्भ किए गए हैं ।

2. दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम द्वारा

(i) लोनी बजीराबाद चौराहे पर फ्लाई ओवर कार्य पूरा होने वाला है ।

(ii) बाहरी रिंग रोड और जे० वी० टीटो मार्ग (चिराग दिल्ली) चौराहे पर फ्लाई ओवर-नालों को ढकने और यातायात के अपवर्तन के लिए स्लिप मार्गों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है । स्थूण नींव कार्य प्रारम्भ किया गया है ।

(iii) बाहरी रिंग रोड और अरविन्द मार्ग (आई० आई० टी० क्रासिंग) पर फ्लाई ओवर । यातायात के अपवर्तन के लिए स्लिप मार्गों का निर्माण प्रगति पर है । आई० आई० टी० कैम्पस से भूमि का एक छोटा भाग लेने के लिए कार्रवाई की गई है ।

3. दिल्ली नगर निगम द्वारा

(i) ग्रांड ट्रंक रोड़ (शाहदरा) पर ग्रेड सेपरेटर एवं फ्लाई ओवर । करीब 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है ।

(ii) बदरपुर के निकट महरौली-बदरपुर रोड को मथुरा रोड़ से जोड़ने वाले रोड़ अंडर ब्रिज का निर्माण ।
यातायात के लिए दो भागों को पहले ही खोला जा चुका है तथा यातायात के लिए शेष भागों को निकट भविष्य में खोल दिया जाएगा ।

(iii) लोथियन ब्रिज—यातायात के लिए तीन भागों को पहले ही खोला जा चुका है। कार्य प्रगति पर है । शेष पाटों का कार्य तीव्र गति में है ।

(iv) अशोक विहार को वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के साथ जोड़ने वाले रेलवे अंडर-ब्रिज का निर्माण—60 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है ।

(v) जी० टी० रोड को अशोक विहार के साथ जोड़ने वाले, दिल्ली–करनाल रेलवे लाईन पर रेलवे ओवर ब्रिज को चौड़ा करना—60 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है ।

(vi) एस० पी० मुखर्जी मार्ग को पुल मिठाई सहित आजाद मार्किट के साथ जोड़ने वाले रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण ।
एस० पी० मुखर्जी मार्ग को आजाद मार्किट के साथ जोड़ने वाले भाग को यातायात के लिए पहले ही खोला जा चुका है । पुल मिठाई को चौड़ा करने का कार्य प्रगति में है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का तीन भागों में विभाजन

122. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपे गए दायित्व और उसको सौंपी गयी भूमिका के सम्बन्ध में तथा शहर आदि की योजना बनाते समय संदाय यातायात जैसे उससे जुड़े हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए इसको तीन भागों में विभाजित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जा रहे कुछ कार्यों को अंतरित करने के निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों में अन्य बातों के साथ-साथ एक अलग आवास बोर्ड, एक अलग मलिन-बस्ती बोर्ड का सृजन तथा अनधिकृत एवं पुनर्वास कालोनियों तथा 3 डेयरी कालोनियों के रख-रखाव से संबंधित कार्यों का अंतरण शामिल है । इनमें से अनधिकृत और पुनर्वास कालोनियां दिल्ली नगर निगम को अंतरित करने का निर्णय कार्यान्वित किया गया है। एक अलग आवास बोर्ड तथा एक मलिन बस्ती बोर्ड स्थापित करने का प्रश्न विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली प्रशासन के परामर्श में सरकार के विचाराधीन है । अन्य निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में भी दिल्ली प्रशासन के साथ मामला चल रहा है।

दक्षिणी दिल्ली में अवैध कब्जा

123. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शहरी विकास मंत्री 22 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2148 के दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी हां ।

(ख) अनिधकृत अतिक्रमण के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

1. सम्पदा निदेशालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनधिकृत निर्माण के ब्यौरे :—

(क) बढ़ाई गई दुकानों के ब्यौरे :—

(i) मेहरचन्द मार्किट

दुकान नं० 1–6, 8, 9, 10, 12 से 16, 17, 18 से 24, 24ए, 25 से 40, 41, 47, 48, 49, 51, 55, 56, 56 'ए, 57, 58, 65 से 72, 72 ए, 73, 74,

76 से 79, 81 से 88, 91 से 104, 106, 109 से 122, 125, 127 से 133, 135, 136, 138, 139, 142 से 150 और 152 दुकान नं० 4, 7, 44, 45, 46, 52, 67, 68, 71, 72, 76, 80, 81, 89, 93, 98, 100, 103, 104 ए, 119, 137, और 148 ।

(ii) आई० एन० ए० मार्किट

प्लेटफार्म नं० 209, 227, 166 से 172, 1 से 2, 229, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288 ।

(iii) नानक पुरा मार्किट

दुकान नं० 125, 140, 141, 161, 163, 169, 170, 171, 172, 1, 127, 6, 7, 9, 15, 22, 23, 26, 27, 40

(iv) आर० के० पुरम मार्किट सैक्टर Iv

दुकान न० 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 और 19, 26, 28, 27 और 28 के बीच, 29, 30, स्टाल नं० 1, 5 तथा 6

सैक्टर VI

34, स्टाल नं० 1 से 50

सैक्टर VII

1 तथा 2

सैक्टर VIII

स्टाल नं० 42

(ख) उन दुकानों के ब्यौरे जिन्हें मिला दिया गया हैं :—

(i) सैक्टर IV आर० के० पुरम मार्किट

दुकान संख्या 5 तथा 18

(ii) नानक पुरा मार्किट

दुकान संख्या 12 और 39

(ग) उन दुकानों के ब्यौरे जहां मार्किट के नजदीक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और उस पर गोदाम निर्मित है :—

(i) आई० एन० ए० मार्किट

दुकान संख्या 189 तथा 190 के बीच

दुकान संख्या 183 और 196 के बीच
दुकान संख्या 203 और 204 के बीच
दुकान संख्या 197 और 210 के बीच

(ii) नानक पुरा मार्किट

दुकान संख्या 127, 132, 135 के सामने और स्टाल संख्या 28, 175 की ओर।

(iii) सैक्टर-4, आर० के० पुरम

दुकान संख्या 5, 6 तथा इंधन डिपो
सेक्टर 6, आर० के० पुरम
स्टाल संख्या 25 के नजदीक
सैक्टर-8, आर० के० पुरम

इंधन डिपो, दुकान संख्या 45 के निकट दुकान सख्या 43 तथा 46 के मध्य चावला टेन्ट हाऊस का पिछवाड़ा, दुकान नं० 44 के सामने स० नि० द्वारा बंद की गई दुकान के समीप जो कि अनाधिकृत है, दुकान नं० 44 के सामने, दुकान नं० 4 के सामने आटा मिल के नजदीक दुकान नं० 4 के सामने, दुकान नं० 4 के सामने तेल डिपो स्थान पर कब्जा, क्वार्टर संख्या-410 और सैक्टर-8 मार्किट के समीप कोयला और इंधन डिपो, सम्पदा निदेशालय द्वारा बंद की गई दुकान के नजदीक अनधिकृत चावला टेन्ट हाऊस और सम्पदा निदेशालय द्वारा बंद की गई दुकान के सामने कोसमो ट्रैवल द्वारा कब्जा की गई जगह।

2. दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण का विवरण

(i) 122–बी/12 गौतम नगर विस्तार की कालोनी परियोजना, भूमि पर भूतल/प्रथम तल एस/सी भूतल से बरसाती तल तक पुनर्निर्माण तथा विधमान कमरे पर आर० सी० सी० छत का बिछाना (बरसाती तल पर ए०सी०सी० सीट)।

(ii) ई-7 कैलास कालोनी तहखाना में विभाजित दीवार का अनधिकृत निर्माण तथा भूतल पर विभाजित दीवारों के परिवर्धन/परिवर्तन सहित बी०एफ० तथा जी० पर विस्तार का परिवर्धन।

(iii) ए–45 हौजखास, बरसाती छत पर विस्तार के परिवर्धन सहित तहखाने में विभाजित दीवारों का अनधिकृत निर्माण।

(iv) बी–II/मोहन को-आपरेटिव इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, मथुरा रोड, मैजनिन में अनधिकृत निर्माण। प्रथम तल में एक कमरा बनाने के लिए छज्जे का विस्तार।

(v) पी-94, एन०डी०एस०ई०–II, बरसाती के परिवर्धन/विस्तार, तहखाने की भूतल छत परियोजना द्वारा अनधिकृत निर्माण।

(vi) परिसर संख्या–1627–28/6, लालकुआं बाजार, दिल्ली में दरवाजों का लगाना तथा दो से अधिक द्वारा नगर निगम मार्ग पर विस्तार।

(vii) परिसर संख्या–849/x, चांदनी महल दिल्ली में लगभग दो द्वारा नगर निगम मार्ग पर विस्तार।

3. डी०डी०ए० के अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण का विवरण

(i) 14 कम्युनिटि सेंटर मायापुरी फेस–I,

(ii) 2, कम्युनिटि सेंटर मायापुरी फेस–I,

(iii) 6, कम्युनिटि सेंटर मायापुरी फेस–I,

(iv) 11, शापिंग सेंटर–II, झिलमिल ताहिरपुर फेस–I,

(v) 33, कम्युनिटि सेंटर वजीरपुर फेस–II,

(vi) 1, स्थानीय शापिंग सैन्टर अशोक विहार, फेस–II

(vii) सी–18 सी० सी०, मुखर्जी नगर,

(viii) सी–16, सी० सी०, मुखर्जी नगर,

(ix) 10 और 11 सी० सी० मुखर्जी नगर,

4. नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्राधिकार में अवैध निर्माण का विवरण

(i) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्यमान भवनों के विस्तार जैसे अनधिकृत निर्माण से संबंधित पता लगाए गए मामलों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(ii) 1987—363

1988—169

1989—226

(iii) सड़कों पर दुकान मालिकों द्वारा किए गए अतिक्रमण संबंधी मामलों का रिकार्ड नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा नहीं रखा जाता। चूंकि इस तरह के अवैध निर्माण अस्थाई प्रकृति में होते हैं और इन्हें हटाने की कार्रवाई नई दिल्ली नगर पालिका के प्रवर्तन विभाग द्वारा सी० एन० एक्ट की धारा 173 (2) के अंतर्गत की जाती है, इस प्रकार की हटाये जाने की कार्रवाई से पहले कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती।

5. लोक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में अवैध निर्माणों का विवरण

(i) मैसर्स अग्रवाल स्वीट कार्नर, सराय पीपल थाला दिल्ली द्वारा सर्विस रोड पर निर्मित प्लैट फार्म।

(ii) नीर बाग मस्जिद के निकटवर्ती होटल का सर्विस रोड पर विस्तार।

(iii) महात्मा गांधी रोड, दिल्ली में काका नामक एक होटल का निर्माण किया जा रहा है। होटल महेन्द्र पार्क के साथ-साथ फुटपाथ और सर्विस रोड पर है।

(iv) मैसर्स साबीन टिम्बर स्टोर, सराय पीपल थाला, दिल्ली ने फुटपाथ को काटकर एक रास्ता बनाया है।

(v) श्री जुगल किशोर, ए-11 पंचवटी, आजादपुर, दिल्ली ने एक पक्की चार दीवारी का निर्माण किया है।

(vi) वजीराबाद गोल चक्कर के पास सड़क के लिए जमीन के पास मैसर्स सूरज आटो वर्क्स द्वारा अवैध झुग्गियों का निर्माण किया गया है।

"वाज इट द राइट लेग, डाक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

124. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अप्रैल, 1991 को इण्डियन एक्सप्रैस में "वाज़ इट द राइट लेग, डाक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है।

(ख) क्या गुरू तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली के डाक्टरों ने 70 वर्ष की नेत्रहीन महिला की दायीं टांग के बदले उसकी बाई टांग का आपरेशन कर दिया था ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी डाक्टरों के विरूद्ध घोर असावधानी व लापरवाही बरतने के लिये तथा ऐसी घटना भविष्य में न हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ;

(ङ) क्या महिला को यह क्षति भुगतने के लिये कोई मुआवज़ा दिया गया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी) : (क) और (ख) : जी हां। यह घटना गुरू तेग बहादुर अस्पताल में हुई जो दिल्ली प्रशासन के अस्पतालों में से एक है।

(ग) से (च) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि रोगी के पोते ने इस घटना के घटित होने के एक दिन के पश्चात् इस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से शिकायत की। चिकित्सा अधीक्षक द्वारा इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच-पड़ताल की गई। उसने सूचित किया कि आपातकालीन घंटों के दौरान बहुत बड़ी संख्या में इलाज के जरूरतमंद रोगियों के कारण यह दुर्घटना दुर्भाग्यवश चूक के कारण हुई थी। तथापि इस रोगी को उपयुक्त उपचार के पश्चात् अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और इसके बाद उस व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं है। अब भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानियां बरती गई हैं।

इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उस डाक्टर ने अपने स्पष्टीकरण में अपनी इस चूक को स्वीकार किया है और माफी मांगी है। उपराज्यपाल को इस मामले के पूरे तथ्यों की सूचना दी गई लेकिन इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी इसलिए इस मामले पर आगे कार्रवाई नहीं की गई है।

वैसे, दिल्ली के उपराज्यपाल से इस रोगी को मुआवजे का भुगतान करने पर विचार करने और संबंधित डाक्टर के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

125. **श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **शहरी विकास मंत्री** संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के बारे में 4 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3445 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष पत्रों के अब तक उत्तर दे दिए गए हैं; यदि नहीं, तो इस असामान्य देरी के क्या कारण हैं;

(ख) उनके मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण के चेयरमैन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संसद सदस्यों से आवासों के बारे में अप्रैल, 1990 से अप्रैल, 1991 के दौरान कितने पत्र प्राप्त हुए तथा इनमें से कितने पत्रों के उत्तर दिए गए और शेष पत्रों के लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) जिन मामलों में सूचना तत्काल उपलब्ध हो, उनमें पत्रों की अभिस्वीकृति शीघ्र भिजवाने को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क), से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

127. **श्री राम नाइक** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पुनः निर्धारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० राममूर्ति) : (क) फिलहाल, सरकार का औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 1982 को पुनः संस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई में सरकारी भूमि पर गंदी बस्तियां

128. **श्री राम नाईक** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बृहत्तर मुम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर बसी गन्दी बस्तियों के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है ·

(ख) ऐसी गन्दी बस्तियों का क्या ब्योरा है जिनमें नागरिक सुविधाएँ देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं; और

(ग) ऐसी गंदी बस्तियों का क्या ब्योरा है जिनके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

कृषि श्रमिक और मजदूरी

129. **श्री राम बिलास पासवान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के अन्त में तथा आठवीं योजना के उपान्त्य वर्ष में पृथक-पृथक कृषि श्रमिकों की प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) सातवीं योजना के अन्त में और आठवीं योजना के उपान्त्य वर्ष में स्व-रोजगारों की प्रतिशतता में कितनी कमी आई है ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां असंगठित ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम वेतन में असमानता अभी भी चल रही है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० राममूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन प्रत्येक राज्य सरकार अपने प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी के निर्धारण/संशोधन के लिए समुचित सरकार है। वे समाजिक-आर्थिक विकास और उस क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं के आधार पर मजदूरी निर्धारित करती है। न्यूनतम मजदूरी में एक राज्य से दूसरे राज्य में असमानता की समस्या के प्रश्न पर विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श हुआ है। 1985 में आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राज्यों के अन्तर्गत आने वाले विशेष रूप से अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी में व्यापक असमानता हो तो सभी सम्बद्धों को वह असमानता कम करने के प्रयास करने चाहिए। 28वें भारतीय श्रम सम्मेलन (1985) ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया। इसका विचार था कि जब तक यह व्यावहारिक हो, उनके संबंध में क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी बनाए रखना अपेक्षित होगा जिनके लिए केन्द्रीय सरकार दिशानिर्देश निर्धारित करेगी। इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं और सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित कर दिये गये हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे किसी भी अनुसूचित नियोजन में 15 रु० प्रतिदिन से कम मजदूरी निर्धारित न करें।

अंतर्राज्यिक असमानता के संबंध में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 भिन्न-भिन्न अनुसूचित नियोजनों और उसी राज्य में भिन्न-भिन्न स्थानों के लिए भी अलग-अलग मजदूरी की दरें निर्धारित करने की शक्तियां समुचित सरकार को देता है। उदाहरणार्थ आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्यों में क्षेत्रों/मंडलों (जोन) के आधार पर कृषि के रोजगार में मजदूरी की अलग-अलग दरें निर्धारित की हैं।

"दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से होने वाला वायु-प्रदूषण"

130. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वी दिल्ली में निजामुद्दीन पुल के निकट दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के "फलाई ऐश पॉन्ड" से उड़ने वाली राख के कारण होने वाले प्रदूषण के बारे में 6 जून, 1991 के "हिन्दुस्तान टाईम्स" में "कांशन डेसू एरिया अहेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार पर्यावरण के इस खतरनाक प्रदूषण के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने पर्यावरणीय रूप से फलाई ऐश का सही ढंग से प्रबन्ध करने संबंधी मामले को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और दिल्ली प्रशासन के साथ उठाया है।

अमरीका से "पेसमेकर" का आयात

131. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोगियों में प्रत्यारोपण किये जाने के लिये अमेरिका से आयातित पेसमेकर शरीर से निकाल लिए जाते हैं और उन्हें अमेरिका में दोबारा काम में लाने की अनुमति नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के उपकरणों का आयात करने के क्या कारण हैं जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में अनैतिक समझा जाता है; और

(ग) क्या सरकार का अमरीका से पेसमेकर का आयात बन्द करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी) : (क) **और (ख)** शरीर से निकाले गए पेसमेकर का रोगियों में प्रत्यारोपण किए जाने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ?

(ग) दक्षिण अफ्रीका, फिजी और इराक को छोड़कर किसी देश से आयात करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

परिवार नियोजन का जनसंख्या पर प्रभाव

132. **श्री राम विलास पासवान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 के अस्थाई जनगणना आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या (पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की जनसंख्या) में कितने-कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

(ख) किन-किन राज्यों में जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है और किस प्रतिशत से ;

(ग) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रमों के वांछित परिणाम नहीं निकले हैं और वे अपना उद्देश्य पूरा करने में विफल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या नई योजना बनाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी) : (क) 1991 की जनगणना के आधार पर भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त से अब तक उपलब्ध जनसंख्या संबंधी कुल अनन्तिम आंकड़ों से कुल जनसंख्या में ही प्रतिशतता वृद्धि का पता चलता है । 1991 की जनगणना के अनुसार 1991 की कुल जनसंख्या में प्रतिशतता -वृद्धि 1981 की जनगणना संबंधी आंकड़ों से 23.5 प्रतिशत है । 1981-91 के दशक के दौरान जनसंख्या की वार्षिक घातांक वृद्धि दर 2.11 प्रतिशत है ।

(ख) पिछले चार दशकों, अर्थात् 1951-61 से 1981-91 तक के दौरान जनसंख्या की राज्यवार दशकीय प्रतिशतता का अन्तर दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सातवीं योजना के अन्त तक परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए प्राप्त किए जाने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य और इन संकेतकों के विरुद्ध उपलब्ध अद्यतन उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

संकेतक	सातवीं योजना (1990) के अंत तक के लक्ष्य	अद्यतन उपलब्धियां (1989)
1. जन्म दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	29.1	30.5
2. दम्पती सुरक्षा दर	42 प्रतिशत	43.3 प्रतिशत (31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार)
3. शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	90	91

(घ) इस कार्यनीति में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाना, व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से शिशु उत्तर जीविता दर बढ़ाना, नई गर्भनिरोध के विधियों की व्यवस्था करना, जनसंख्या शिक्षा को तेज करना, सामुदायिक सहभागिता बढ़ाना, सुधरे हुए संचार संबंधी दृष्टिकोण अपनाना, स्वयंसेवी संगठनों को और अधिक शामिल करना, मूलभूत स्तर पर कार्मिकों के प्रशिक्षण और पुनःप्रशिक्षण के कार्य में और अधिक प्रयास करना और अधिक अन्तर क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करना, महिला साक्षरता और महिलाओं के स्तर में सुधार जैसे इससे संबंधित विकास कार्यक्रमों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना और क्षेत्रीय गहन दृष्टिकोण अपनाने संबंधी बातें शामिल हैं ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1951–61	1961–71	1971–81	1981–91
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	+15.65	+20.90	+23.10	+23.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	+ @	+38.91	+35.15	+35.86
3.	असम	+34.98	+34.95	+23.36	+23.58
4.	बिहार	+19.76	+21.33	+24.06	+23.49
5.	गोवा	+ 7.77	+34.77	+26.74	+15.96
6.	गुजरात	+26.88	+29.39	+27.67	+20.80
7.	हरियाणा	+33.79	+32.23	+28.75	+26.28
8.	हिमाचल प्रदेश	+17.87	+23.04	+23.71	+19.39
9.	जम्मू व कश्मीर	+9.44	+29.65	+29.69	+28.92
10.	कर्नाटक	+21.57	+24.22	+26.75	+20.69
11.	केरल	+24.76	+26.29	+19.24	+13.98
12.	मध्य प्रदेश	+24.17	+28.67	+25.27	+26.75
13.	महाराष्ट्र	+23.60	+27.45	+24.54	+25.36
14.	मणिपुर	+35.04	+37.53	+32.46	+28.56
15.	मेघालय	+27.03	+31.50	+32.04	+31.80
16.	मिजोरम	+35.61	+24.93	+48.55	+38.98
17.	नागालैंड	+14.07	+39.88	+50.05	+56.86

1	2	3	4	5	6
18.	उड़ीसा	+19.82	+25.05	+20.17	+19.50
19.	पंजाब	+21.56	+21.70	+23.89	+20.26
20.	राजस्थान	+26.20	+27.83	+32.97	+28.07
21.	सिक्किम	+17.76	+29.38	+50.77	+27.57
22.	तमिलनाडु	+11.85	+22.30	+17.50	+14.94
23.	त्रिपुरा	+78.71	+36.28	+31.92	+33.69
24.	उत्तर प्रदेश	+16.66	+19.78	+25.49	+25.46
25.	पश्चिम बंगाल	+32.80	+26.87	+23.17	+24.55
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	+105.19	+81.17	+63.93	+47.29
27.	चण्डीगढ़	+394.13	+114.59	+75.55	+41.88
28.	दादरा व नगर हवेली	+39.56	+27.96	+39.78	+33.63
29.	दमन व द्वीव	—24.56	+70.85	+26.07	+28.43
30.	दिल्ली	+52.44	+52.93	+53.00	+50.64
31.	लक्षद्वीप	+14.61	+31.95	+26.53	+28.40
32.	पांडिचेरी	+16.34	+27.81	+28.15	+30.60
	अखिल भारत	+21.51	+24.80	+24.66*	+23.50

*1981 में असम में जनगणना नहीं की गई। 1971 और 1991 की जनगणना अनन्तिम परिणामों के आधार पर 1981 को असम की जनसंख्या अन्तर्वेशित कर दी गई है। वर्ष 1981 के असम के संशोधित अनुमानों के फलस्वरूप 1981 की स्थिति के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 683329097 का अनुमान लगाया गया है जबकि पहले प्रकाशित हुए आंकड़े 685184692 थे। अतः वर्ष 1971-81 के दौरान भारत की संशोधित दशकीय बढ़ोतरी की 24.66 प्रतिशतता का अनुमान लगाया गया है।

@1961 में अरुणाचल प्रदेश में पहली बार जनगणना की गई। अतः पहले के दशकों की वृद्धि-दरें उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीय मजूरी नीति

134. **अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(च) क्या राष्ट्रीय मजूरी नीति तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० राममूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में ट्रौमा सेन्टर की स्थापना

135. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को शीघ्र और प्रभावी चिकित्सा सहायता देने के लिए एक पूर्ण सुविधायुक्त ट्रौमा सेंटर की स्थापना में देरी के क्या कारण है; और

(ख) इस सेंटर की शीघ्र स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी) : (क) और (ख) आरम्भिक अवस्था में समुचित बहु-क्षेत्रीय समन्वय की कमी के कारण दिल्ली में पूर्ण विकसित ट्रौमा सेंटर स्थापित करने की परियोजना अधिक प्रगति नहीं कर सकी। उस समय इसका कार्यान्वयन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा किया जा रहा था। अतः 1989 में यह महसूस किया गया कि परियोजना की जिम्मेदारी दिल्ली प्रशासन द्वारा ली जाए जिन्होंने अब परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत सोसायटी की स्थापना कर ली है।

एम्बुलैंस कार्मिकों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया गया है और 15 मार्च, 1991 को पश्चिमी अंचल में एम्बुलैंस सेवा आजमायशी परियोजना के तौर पर चालू की गई। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल हरि नगर, दिल्ली नगर निगम अस्पताल, मोतीनगर और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी में स्थापित तीन एम्बुलैंस स्टेशनों पर 15 एम्बुलैंस गाड़ियां लगाई गई हैं। क्षेत्रीय मुख्यालय और केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में स्थापित है और दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को चौबीसों घण्टे एम्बुलैंस सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

12.00 बजे

[अनुवाद]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री कृष्ण मारांडी (सिंहभूम) :

श्री टी० जे० अन्नलोज : (अलपी) : केरल में मानसून के दौरान भारी वर्षा हुई जिसके फलस्वरूप भू-स्खलन हुए और भीषण तूफान आए। 99 व्यक्ति मरे और हजारों हैक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। इससे बहुत से भवन, सेतु और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। कुल 380 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मेरा केन्द्र से अनुरोध है कि वह इस मामले में तत्काल सहायता दे। मेरा निर्वाचन क्षेत्र कुत्तैनाद पूर्णतः जल निमग्न है। कृपया बाढ़ग्रस्त इलाकों के किसानों के ऋण माफ करें।

श्री बी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टीपालयम) : महोदय, कावेरी के जल के बंटवारे के लिए कावेरी विवाद लम्बे समय से कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार के बीच अनिर्णीत चला आ रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार ने इस विवाद को अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के अनुसार निपटाने के लिए एक न्यायाधिकरण गठित किया है। अब इस अधिकरण ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद, गुणावगुण के आधार पर अन्तरिम आदेश पारित कर कर्नाटक राज्य सरकार को निर्दिष्ट मासिक पैटर्न पर अपने जलस्रोत से तमिलनाडु को 205 टी० एम० सी० जल देने का निर्देश दिया है। कर्नाटक सरकार ने न्यायाधिकरण का आदेश मानने से इंकार कर दिया है। यह एक न्यायायिक आदेश है। कोई भी सरकार कानून से ऊपर नहीं है। इसे कार्यान्वित करना होगा। कानून के अन्तर्गत किसी न्यायाधिकरण के गठन का क्या उपयोग है यदि सरकार उसके आदेश को नहीं मानती।

महोदय, यह तमिलनाडु के लिए जीवन-मरण की समस्या है। तमिलनाडु में किसान पानी की कमी के कारण ठीक से खेती नहीं कर पाते हैं। जून-जुलाई के महीनों में कुरुवई फसल लगानी पड़ती है। किन्तु पानी की कमी के कारण वे फसल खड़ी नहीं कर सकते हैं।

अब मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और कर्नाटक सरकार को यह सलाह दें कि वे न्याय के हित में न्यायधिकरण के निर्देश का पालन करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री अम्बारासु। यहां नहीं हैं।

श्री बी० के० नायकर (धारवाड़ उत्तर) : महोदय, मुझे अनुमति दें। मैंने कावेरी जल समस्या के विषय में नियम 193 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया है। अब चूंकि यह मामला बनाया जा रहा है कि न्यायधिकरण ने ऐसा आदेश दे दिया है जिसे अमल नहीं किया जा सकता। हमने सिर्फ एक बात कही है कि केवल 100 टी० एम० सी० जल दिया जाए। किन्तु इन लोगों ने 205 टी० एम०सी० के लिए निर्देश दिया है जिसे देना हमारे लिए व्यावहारिक रूप से असम्भव है।

अतः स्वयं आदेश ही ऐसा है कि उसे लागू नहीं किया जा सकता है। हमारी यह स्थिति है। कृपया नियम 193 के अन्तर्गत इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दें।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : न्यायाधिकरण का अन्तरिम आदेश अव्यावहारिक है। यह आंकड़ों या कारण अथवा तर्क पर आधारित नहीं है। यदि इन्द्र को यह बाध्यकर आदेश दिया जाए कि वह नियमित रूप से हर महीने वर्षा करे, तो केवल तभी इस आदेश पर अमल किया जा सकता है। अन्यथा यह नितान्त असम्भव है। पिछले 8 वर्षों से बारिश न होने से हम परेशान हैं और कर्नाटक में ही अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी की कमी है। इसलिए उस आदेश पर अमल करना असम्भव है। इसीलिए हमने न्यायाधिकरण में इस आशय की संशोधित याचिका दायर की है कि न्यायधिकरण के आदेश की पुनरीक्षा की जाए। उस आदेश पर अमल करना नामुमकिन है। अतः माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा बेवजन है।

श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : महोदय में तमिलनाडु में शिवकाशी जिले में मीनमपट टी में आतिशबाजी के एक कारखाने में हाल में हुए अग्निकांड का महत्व-पूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। जिसमें 36 व्यक्ति मरे और पांच आहत हुए। तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्री राहत कोष से इस विस्फोट में मरे व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को 10,000 रुपये की अनुग्रह राशि और आहतों को 2,500 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

मैं भारत सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वह मृतकों के परिवारों को प्रधान मंत्री राहत कोष से तत्काल कुछ आर्थिक राशि जारी करेगी और यदि हां, तो कब?

अध्यक्ष महोदय : श्री कुप्पुस्वामी। यहां नहीं हैं। श्री जनार्दन।

श्री एम० आर० जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : मैं आपकी मार्फत राजीव गांधी हत्याकांड के बारे में एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। अखबारों की खबर है कि "तमिल इलाम के मुक्तिचीतों ने राजीव गांधी की हत्या का जिम्मेदारी अपने ऊपर ली"।

इस संदर्भ में, केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु की जनता के मानस में छाई शंकाओं को दूर करना चाहिए। द्र०मु०क० के एक सदस्य, का तमिल ईलाम के मुक्तिचीतों के नेता, श्री प्रभाकरण से गुप्त सम्पर्क है। उन्होंने 1989 के चुनावों में प्रभाकरण के फोटो को इस्तेमाल किया था। उन्होंने प्रभाकरण के साथ फोटो भी खिंचवाया था। उसपर लिखा था "फ्रेंड्स आफ टाइगर्स" (चीतामित्र)।

अतः तमिलनाडु की जनता चाहती है कि द्र० मु० क० के इस संसद सदस्य से जिसके प्रभाकरण से गुप्त संपर्क है, अवश्य जांच पड़ताल की जानी चाहिए। अन्यथा बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। वह द्र०मु०क० का एक विशिष्ट व्यक्ति है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष जी, रेलवे कर्मचारियों के बारे में जार्ज फर्नान्डीज ने यहां पर इस हाउस में यह आदेश दिया था कि उनको रीइन्स्टेट कर दिया जायेगा। 1980, 1981 के अन्दर जो कर्मचारी रेलवे स्ट्राइक में विक्टीमाइज किए गए, जार्ज फर्नान्डीज के आदेश के बाद में दूसरी सरकार आई, उसमें नए रेल मंत्रि ने फिर आश्वासन दिया कि मैं 700 रेलवे कर्मचारियों को रीइन्सटेट कर दूंगा लेकिन 1980 से लेकर 1991 में हम आ गए, 11 साल से उन कर्मचारियों के बच्चे, उनके परिवार के लोग भूख से तड़प रहे हैं लेकिन आज तक वह आदेश जारी नहीं किए गए। मैं यह चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय कि रेलवे का जो नई बजट स्पीच में आए तो उसमें चूंकि गत सत्र के अन्दर कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने इस बात के ऊपर बहुत जबरदस्त हंगामा खड़ा किया था, वह वैल में आ गए थे, वैल में आकर बैठ गए थे और उन्होंने इस बात के लिए धरना दिया था कि रेलवे के 700 कर्मचारियों को रीइन्स्टेट किया जाए, आज उनकी सरकार है इसलिए रेलवे बजट स्पीच के अन्दर रेलवे के इन 700 कर्मचारियों को रीइन्स्टेट करने के बारे में .....

(व्यवधान) ..... माननीय रेल मंत्रि स्टेटमैंट दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : 760 रेल कर्मचारियों को वर्ष 1980–81 में हड़ताल में भाग लेने के कारण बरखास्त कर दिया गया था। इस संबंध में 8 सितम्बर, 1990 को सुस्पष्ट आदेश दिए गए थे। फिर रेल मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज ने वक्तव्य दिया था कि सभी कर्मचारियों को, जिन्हें नियम 14 (2) के अधीन बरखास्त किया गया था, सभी लाभ प्रदान करके बहाल किया जाएगा। फिर दूसरे रेल मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र ने भी इस संबंध में सभा में एक बहुत सुस्पष्ट वक्तव्य दिया था, जब सभा में हंगामा हुआ था, जब सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों द्वारा सभा की कार्यवाही को रोका गया था—सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों—दोनों ने यह मांग की थी कि इन 760 रेल कर्मचारियों को जिनका वर्ष 1980–81 में उत्पीड़न किया गया और जो 11 वर्षों से बरखास्त हैं, पुनः नियुक्त किया जाना चाहिए। परन्तु अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। हम रेल मंत्री से आज ही इस पर वक्तव्य देने की मांग करते हैं क्योंकि कल रेल मंत्री सभा में रेल बजट पेश करेंगे। हम यह मांग करते हैं कि अपने बजट–भाषण में रेल मंत्री को इन 760 रेल कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति के बारे में उल्लेख करना चाहिए, जिनका वर्ष 1980–81 में उत्पीड़न किया गया। (व्यवधान) इस सरकार द्वारा यह कार्य किया जाना चाहिए। श्री रंगराजन कुमारमंगलम ने, जो इस समय मंत्री हैं, उस समय प्रदर्शन किया था और अध्यक्ष के आसन के सामने बैठ गए थे। तब सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि रेल मंत्री वक्तव्य देंगे। उस समय वह सभा में उपस्थित थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को रेल बजट पर चर्चा के समय उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : हम रेल मंत्री को बजट पेश करने की अनुमति नहीं देंगे यदि वह आज वक्तव्य नहीं देते।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (डमडम) : रेल बजट प्रस्तुत करने से पहले रेल मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सुमान मल लोढ़ा : उन्हें आज वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : उन्हें आज वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना जी, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाएगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

श्री वसुदेव आचार्य : रेल मंत्री ने आज वक्तव्य नहीं दिया तो हम उन्हें रेल बजट प्रस्तुत नहीं करने देंगे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : बजट भाषण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना जी, अब आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ समय से अज्ञात बीमारी से लगभग 51 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली के 11 जुलाई के "नवभारत टाइम्स" में लिखा है—"दिल्ली में अज्ञात बीमारी से 22 लोग मरे। सफदरजंग हास्पीटल में अज्ञात बीमारी से 29 लोगों की जानें गई। "हिन्दुस्तान टाइम्स" लिखते हैं—"अफिसियल्स मम आन किल्लर डिजीज" अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर आज से तीन साल पहले हैजा फैला था, जिसमें दो सौ मौतें हो गई थी। उस समय भी दिल्ली प्रशासन के आफिशियल्स, कारपोरेशन के आफिशियल्स मम थे, कुछ बता नहीं रहे थे,- जब राजीव गांधी जी उस समय जमुना-पार क्षेत्र में खुद गए, वहां जाकर देखा कि मौतें हुई हैं, तब जा कर दिल्ली प्रशासन ने माना था—हां, मौतें हुई हैं और इस बीमारी से हुई हैं। मेरा कहना यह है कि आज चूंकि दिल्ली के अन्दर कोई भी डैमोक्रेटिक शासन नहीं है, इसलिए यह न्यूज छिपाई जा रही है। मैं होम मिनिस्टर या स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा, वे दिल्ली के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करके दें, कितनी मौतें हुई हैं और मौत के कारण क्या हैं ? मेरी जानकारी के अनुसार दो हास्पीटल्स में संख्या 51 है, लेकिन अन्य हास्पिटल्स के अन्दर अन्य डिस्पेंसरीज के अन्दर भी इस तरह के केसेज रजिस्टर किए गए हैं और एक सौ से ज्यादा लोगों की इस तरह के किल्लर-डिजीज से मौत हो चुकी हैं। यह दिल्ली प्रशासन के लोग मानते हैं। लेकिन दिल्ली प्रशासन और सेंट्रल गवर्नमेंट में तालमेल न होने के कारण इस पर काबू पाने के लिए कोई नीति नहीं अपनाई जा रही है। मैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा, वे बहुत जल्दी दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मैडिकल आफिसियल्स हैं, जो हैड-आफ-दि- डिपार्टमेंट्स हैं, उन के साथ ज्वाइंट मीटिंग करके .....

एक माननीय सदस्य : दिल्ली के एमपीज के साथ मीटिंग करनी चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना : दिल्ली के एमपीज को कौन पूछता है आजकल। इन लोगों के साथ ज्वाइंट मीटिंग करके, इसकी रोक थाम के लिए कोई कार्यवाही करेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में अतिशोध भीषण बीमारी से बहुत लोग ग्रसित हैं। प्रदेश सरकार अपने सीमित साधनों द्वारा यथाशक्ति प्रयत्न कर रही है, लेकिन एक एक मरीज को एक दिन में 60 रु० के कैपसूल्स देने पड़ते हैं और प्रदेश सरकार के पास साधन इतने सीमित हैं कि ऐसे हजारों पीड़ितों को पैसा नहीं दिया जा सकता है। मैं माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इस मामले में दो बार मिल चुका हूं और लिख कर भी दे चुका हूं कि केन्द्र की ओर से विशेषज्ञ वहां भेजे जायें और लोगों को दवा देने के लिए साधन उपलब्ध करवाए जायें तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाए।

[अनुवाद]

श्री सुबास चन्द्र नायक (कालाहांडी) : कृपया कावेरी जल विवाद संबंधी अन्तरिम निर्णय को राजपत्र में अधिसूचित किया जाए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं आपका, सभा का और सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय आप जानते हैं कि "लिट्टे" ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार होने का दावा किया है? जैसी कि सूचना दी गई है, लिट्टे ने भी अवसर को बड़े शानदार ढंग से मनाया है। महोदय, लिट्टे का यह कृत्य बहुत ही निन्दनीय है। मैं लिट्टे के इस कृत्य की कड़ी भर्त्सना करता हूं। यह मामला केवल निंदा करने से ही समाप्त नहीं हो जाता बल्कि इससे व्यापक वर्ग विभाजन और अत्यधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक पेचीदगियां उत्पन्न हो जायेंगी जिनका संबंध (1) भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंध (2) भारत श्रीलंका समझौते का भविष्य (3) वर्मा आयोग जिसको इस जघन्य हत्या तथा अन्य की जांच का काम सौंपा गया है, से है मैं चाहता हूं कि सरकार इन मुद्दों पर एक विस्तृत वक्तव्य जारी करे क्योंकि देशवासी यह जानने के लिए अति–उत्सुक हैं कि भारत सरकार की इन मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया है।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ दास शास्त्री (सुल्तानपुर) : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में नैनीताल ग्राम महतोस में 31 जून को खेत मजदूरों को आवास के लिए 4 बीघे जमीन दी गई और उस जमीन पर खेत मजदूरों ने अपनी झोंपड़ियां बनाई, लेकिन भूमि सामंतों ने 23 जून को उनकी झोपड़ियां जला दीं। उनकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गई और उन्होंने इसके लिए अपनी एप्लीकेशन आई० जी०, डी० आई० जी० और पुलिस अधीक्षक को दी, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

[अनुवाद]

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इडुक्की) : महोदय, विगत दो महीनों में केरल में निरन्तर मूसलाधार वर्षा होने के कारण व्यापक कृषि भूक्षेत्र विशेषकर इडुक्की जिले के पहाड़ी इलाके, सर्वथा नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं और व्यापक भूमि कटाव तथा भारी बाढ़ के कारण करोड़ों रुपये का नुक्सान हुआ है। किसानों को अनुमानित 400 करोड़ रुपये का नुक्सान उठाना पड़ा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानो को तथा स्थानीय लोगों को उनके पुनर्वास सामान्य जीवन के लिए पर्याप्त सहायता और पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा-बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि पंजाब के डाकुओं द्वारा सारा देश आतंकवादी गतिविधियों में व्याप्त किया जाने लगा है। श्रीमान् कोटकपूरा में पिछले मंगलवार को बैठक हुई जिसमें तीन नए जनरल नियुक्त किए गए हैं—राजस्थान के

जनरल के लिए योगेन्द्र सिंह, गंगानगर, राजस्थान की सीमा में अबोहर के लिए भाई भूपेन्द्र सिंह और फिरोजपुर के लिए धर्म सिंह नियुक्त किए गए हैं । इसके साथ ही मंगलवार की रात को बीकानेर होते हुए गंगानगर में तीन आतंकवादी पकड़े गए हैं, उन्होंने भी आतंकवादी गतिविधियों को उजागर किया है । इनमें से दो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं । इन आतंकवादियों के कारण सारे देश में चिन्ता व्याप्त है । ये आतंकवादी पंजाब तक ही सीमित नहीं हैं, आज ही बिजनौर के अन्दर और शाहजहांपुर में पांच पुलिसमियों की हत्याएं हुई हैं, जो अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है। मैं इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से चाहता हूं कि वे निश्चित रूप से कोई वक्तव्य आतंकवादी गतिविधियों से सम्बन्ध में प्रस्तुत करें और कोटा से गंगानगर में जो आतंकवादी आए थे उनके लिए सरकार ने किसी प्रकार की कोई प्रगतिशील कार्यवाही नहीं की । मेरा सरकार से निवेदन है कि तत्काल इसको रोका जाए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में गंभीर सूखे की स्थिति पैदा हो गई है और पूरे प्रदेश के किसानों में इस बात की गहरी चिन्ता है कि तीन हफ्ते से ज्यादा हो गया है लेकिन अभी तक वहां पर मानसून नहीं आया और वहां पर ज्यादातर जो ट्यूबवल हैं उनके ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं, बिजली सप्लाई नहीं हो रही है और नहर में भी पानी नहीं आ रहा है । उत्तर प्रदेश सरकार ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है । मैं भारत सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं क्योंकि वहां पर गंभीर सूखे की स्थिति है । इसलिए भारत सरकार खुद इस बात पर फौरन कार्यवाही करे कि सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए जो सहायता की जरूरत है उसके लिए तत्काल कोई ऐसी व्यवस्था करे कि किसानों को ट्यूबवैल में बिजली और नहर से उनको पानी मिल सके। इसके लिए जल्दी ही आवश्यक कार्यवाही की जाए **(व्यवधान)**

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अभी खुराना साहब ने एक अननोन बीमारी के सम्बन्ध मे बताया, मैं एक नोन बीमारी की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बिहार मे एक कालाजार बीमारी है । यह आज से नहीं सन् 1977 से चल रही है और इसका प्रकोप इतना बढ़ गया है कि अभी तक 50000 लोग कम से कम मारे गए होंगे और 1977 में जब राजनारायण जी मंत्री थे उस वक्त न सिर्फ बिहार सरकार, भारत सरकार बल्कि डब्ल्यू एच० ओ० से सहायता की मांग की गई थी और उसके बाद इस पर थोड़ा बहुत काबू भी पाया गया । एक-एक सूई की कीमत 450–500 रुपए है । इस बीमारी का प्रकोप इतना भयंकर होता है कि एक व्यक्ति को लगने पर पूरे परिवार को यह बीमारी पकड़ लेती है और पूरा परिवार साफ हो जाता है । मेरा सरकार से यह कहना है कि यह बिहार सरकार के बलबूते की बात नहीं है, दिल्ली सरकार भी मैं समझता हूं कि इसमे अक्षम साबित हो रही है । इसलिए भारत सरकार को डब्ल्यू० एच० ओ० से सहायता लेकर व्यापक पैमाने पर छिड़काव का काम करना चाहिए और जो संतप्त परिवार हैं, उनके लिए राहत की व्यवस्था की जानी चाहिए । अभी मैं सब जगह घूमकर आया हूं, हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं और प्रतिदिन मर रहे हैं । खासकर मेरे क्षेत्र समस्तीपुर, दरभंगा और वैशाली जिले मे 3000

लोग इस बीमारी से बुरी तरह से आक्रांत हैं । मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको गंभीरता से लिया जाए और डब्ल्यू० एच० ओ० से सहायता लेकर इस महामारी पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए ।

12.28 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत अधिसूचना और नियम

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं —

(1) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 1 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 253, जो 13 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख 1 अप्रैल, 1991 नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय मे रखी गई । (देखिए संख्या एल० टी० 29/91)] ।

(2) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत लोक दायित्व बीमा नियम, 1991 जो 15 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 330 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रख रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 30/91] ।

12.27 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

एक महाराष्ट्र के वानी में इलेक्ट्रानिक या स्वचालित टेलीफोन केन्द्र लगाए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तम राव डी० पाटिल—(यवतमाल) : दूरसंचार के यवतमाल डिवीजन में वानी और यवतमाल (महाराष्ट्र) में टेलिफोन लाइनों के काम न करने की शिकायतें लगातार आती रहती हैं । वानी एक्सचेंज की मशीनरी काफी पुरानी हो गई है । टेलिफोन प्रयोक्ता वहां पर टेलिफोनों के काम न करने की शिकायतें लगातार करते आ रहे हैं ।

यह अनुरोध है कि एक्सचेंज को जल्द ही इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदल दिया जाए या वानी के एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में परिवर्तित कर दिया जाए ।

(दो) आदिवासी क्षेत्रों में किए जा रहे निर्माण कार्य का मौके पर निरीक्षण करने के लिए संभाग स्तरीय समिति नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनकू राम सोढ़ी (बस्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

देश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में अब तक पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा जो लघु सिंचाई, हैण्ड पम्प, खनन, कुआं निर्माण, भवन, सड़क, पुल और रपटे का निर्माण कार्य हुआ है उसमें मौके में निगरानी की कमी से अपार धनराशि खर्च करने के बावजूद निर्माण कार्य कहीं-कहीं कई वर्षों से अधूरे हैं और जो बने थे वे भी कुछ ही दिनों में गिरकर खंडहर नजर आ रहे हैं। इस तरह गांवों में एक तरफ नया बनता जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ कतारों में खड़े खंडहर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि निर्माण कार्य में घटिया मेटेरियल का उपयोग करने से घटिया निर्माण होता है। शिकायत करने पर तुरन्त कार्यवाही नहीं होती।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन निर्माण कार्यों को मौके में निगरानी के लिए संभागीय स्तर पर आयुक्त के अधिकार में एक विजिलेंस स्टाफ का गठन करवे हर राज्य शासन को निर्देश दें जिसमें तकनीकी बिन्दुओं पर जांच हो सके और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही हो। इस संगठन को मौके में छापा मारने का विशेष अधिकार के साथ नियुक्त किया जाए।

(तीन) आबू रोड फलना रानी होते हुए अहमदाबाद से दिल्ली तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण आगामी रेल बजट ; सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : आबू रोड फलना-रानी होते हुए अहमदाबाद से दिल्ली तक बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव रेल मंत्रालय के पास पिछले 25 वर्षों से विचाराधीन है। उत्तरवर्ती रेल मंत्रियों ने राजनीतिक दबाव के कारण उस कार्य के लिए निर्धारित निधि का कहीं और उपयोग कर लिया तथा उस क्षेत्र के औद्योगिक और खनिज संसाधनों का उपयोग करने, सीधा सम्पर्क स्थापित करने के लिए दक्षिण और मुम्बई से आने वाले यात्रियों को सुविधा देने तथा अहमदाबाद पर ब्राडगेज से मीटरगेज में परिवर्तन नहीं करने के लिए अहमदाबाद से दिल्ली तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी। अतः सरकार इस प्रस्ताव को अगले रेल बजट में सम्मिलित करने पर विचार करे।

(चार) दिल्ली–अहमदाबाद मीटरगेज लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० राशा सिंह रावत (अजमेर) : रेल यातायात की दृष्टि से राजस्थान राज्य स्वतन्त्रता के पश्चात बहुत उपेक्षित रहा है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में रेल यातायात की सुविधा कम है। दिल्ली से दो राज्यों राजस्थान एवं गुजरात की राजधानियों (जयपुर एवं अहमदाबाद) तथा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाली, अलवर,

बांदीकुई, जयपुर, कुलेरा, अजमेर, ब्यावर, मारवाड़ जंक्शन, आबूरोड, पालमपुर, मेहसाना आदि महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरने वाली दिल्ली अहमदाबाद मीटर गेज लाईन को अभी तक भी ब्राड गेज लाईन में नहीं बदला गया। यदि इस मार्ग को ब्राड गेज में बदल दिया जाए तो राजस्थान, गुजरात का तेजी से आर्थिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक विकास होगा तथा दिल्ली-बम्बई का सीधा सम्बन्ध इन राज्यों से भी हो जाएगा।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली-अहमदाबाद मीटर गेज को अविलम्ब ब्राड गेज में परिवर्तित किया जाए।

(पांच) सहरसा में ऊपरी रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सहरसा में जो रेलवे का एक रोड फाटक है उसी से होकर पूरा रास्ता शहर के एक भाग से दूसरे भाग में जाता है और जब यह फाटक बन्द होता है तो इसके खुलने की कोई समय सीमा नहीं होती है। कभी-कभी तो यह 5-6 घण्टे तक बन्द रहता है और इसके कारण दोनों ओर की सड़क पर भारी यातायात अवरुद्ध हो जाता है साथ ही जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चूंकि इस रेलवे फाटक के दोनों ओर आबादी व सरकारी कार्यालय हैं साथ ही यह सड़क मुख्य सड़क के रूप में सहरसा में आती है जिससे इस पर यातायात बहुत ज्यादा होने से यह समस्या काफी गम्भीर रूप लेती जा रही है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि सहरसा के उक्त रेलवे क्रासिंग पर एक ओवर ब्रिज बना कर वहां की जनता को होने वाली परेशानियों से मुक्त कराया जाए साथ ही जो बढ़ती हुई डीजल-पेट्रोल की समस्या है में यह ब्रिज काफी बचत कर सकता है।

(छः) बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी के कारण होने वाले भू-कटाव की रोकथाम के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के बक्सर जिले के अन्तर्गत चौसा से लेकर कोईलवर तक गंगा का कटाव जारी है। हजारों गांव गंगा की चपेट में चले गए हैं और हजारों गांव जाने वाले है। बाढ़ नियंत्रण विभाग रोकने में अक्षम हैं। इसलिए मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि चौसा से लेकर कोईलवर तक कटाव रोकने के लिए जल्द से जल्द कारगर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(सात) मुम्बई में हाल में भारी वर्षा के कारण हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय सर्वेक्षण दल भेजे जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मुम्बई में 7 और 8 जून, 1991 को भारी वर्षा हुई जिसके परिणामस्वरूप सड़क पर पानी रुक गया, महत्वपूर्ण बड़े नाले में इतनी भारी बाढ़ आई कि 48 जानें गईं, 250 कैसें डूब गईं और 75 हजार से भी अधिक परिवारों का सामान बाढ़ में बह गया। इन बाढ़ग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए न तो राज्य सरकार और न ही

केन्द्र सरकार ने किसी प्रकार की व्यवस्था की है । कुछ सरकारी उपक्रमों जैसे टेलीफोन, विमानपत्तन प्राधिकरण, विद्युतपूर्ति, इत्यादि की मशीनों और उपस्करों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है । इसीलिए सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह नुकसान का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय सर्वेक्षण दल भेजे और उस शहर की इस शर्त पर सहायता करे कि राज्य सरकार समान अनुदान देगी । यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो मुम्बई में असंतोष बढ़ेगा और वहां कठिनाइयों में भी वृद्धि होगी ।

(आठ) आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में मरुस्थल-रोधी कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री गंगाधरा सानीपल्ली (हिन्दूपुर) : : केन्द्रीय सिंचाई आयोग ने 1971 में आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था । समय-समय पर उस क्षेत्र का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों और तकनीकीविदों ने बार-बार सरकार को यह चेतावनी दी है कि यदि यथासमय समुचित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई तो वह जिला रेगिस्तान बन जाएगा । अभी हाल ही में भूमिगत जल-स्तर के और अधिक गिरने पर भी चिन्ता व्यक्त की गई है । सरकार से अनुरोध है कि वह रेगिस्तान को रोकने के लिए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करे तथा राज्य सरकार को गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए विशेष उपाय करने के बारे में सलाह दे ।

12.36 म० प०

मंत्रीपरिषद में विश्वास का प्रस्ताव—(जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पी० वी० नरसिंह राव द्वारा 12 जुलाई 1991 को प्रस्तुत किए गए विश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद मद को लेता हूँ । श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ अपना भाषण जारी रखें ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री कब उत्तर देंगे तथा कब मतदान होने की संभावना है । यदि इसके लिए कोई समय तय कर दिया जाए तो यह पूरी सभा के लिए सुविधाजनक होगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : यह वक्ताओं की संख्या पर निर्भर करता है । जहां तक कांग्रेस पार्टी का संबंध है, हम कम से कम संसद सदस्य भाषण के लिए आयेंगे परन्तु मुझे पता नहीं है कि विपक्ष की ओर से कितने लोग बोलेंगे ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं समझता हूँ कि यह 4 म०प० से 5 म०प० के बीच होगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह लगभग 4 बजे ही होगा ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : 4 बजे से 5 बजे का समय ठीक है ।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधान मंत्री द्वारा पिछले शुक्रवार को प्रस्तुत किए गए विश्वास प्रस्ताव पर अभी बोलना शुरू ही किया है और मैंने अभी सिर्फ पांच मिनट ही बोला है बाद में 3-30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हो गई और इसी लिए मुझे अपना भाषण बीच में ही रोक देना पड़ा ।

उस दिन जब मैंने अपना भाषण शुरू किया था तो मैंने कहा था कि श्री नरसिंह राव की यह सरकार कानूनी तथा संवैधानिक तौर पर गठित सरकार है क्योंकि कांग्रेस (आई) पार्टी सभा की सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रपति ने उसे स्वयं सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। अब इस सरकार का विकल्प सिर्फ चुनाव ही है । कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं चाहता । यह देश के लिए हानिकर होगा । न तो सभा के अन्दर कोई पार्टी और न ही सभा के बाहर कोई व्यक्ति आज चुनाव चाहता है । जहां तक आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है, देश एक वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है । इस महीने की 11 तारीख को कानून, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री श्री विजय भास्कर रेड्डी ने कहा था कि पिछले चुनाव में 1054.22 करोड़ रुपए खर्च हुआ था । हमें चुनाव पर कितना खर्च करना पड़ता है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं । इसके अतिरिक्त आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि पार्टियों ने कितना खर्च किया होगा और उम्मीदवारों तथा उनके मित्रों ने कितना पैसा खर्च किया होगा । इसलिए एक और चुनाव कराना अविचारी होगा । अतः इस सरकार को चलना चाहिए, विशेषकर, इस बात से भी कि हमारे पास ऐसी विस्फोटक और संवेदनशील समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए और इन्हें वर्तमान स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता ।

अब श्री आडवाणी जी ने ध्यान दिलाया कि इस सरकार में काफी विषमताएं हैं अनेक स्थान खाली हैं और लोक सभा का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है आदि। बेशक संसद में स्थान खाली हैं और ऐसा दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली के कारण हुआ है, अनेक स्थान इस लिए खाली हैं क्योंकि कुछ चुनाव क्षेत्रों में चुनाव रद्द कर दिया गया है और चुनाव में हिंसा बुरी कदर घुस गई है । आज बाहुबल तथा धन शक्ति चुनाव को काफी प्रभावित करती है । इस चुनाव प्रणाली में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि वर्तमान चुनाव प्रणाली जनता की वास्तविक इच्छा प्रतिबिम्बित नहीं करती है । अतः इस प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन आवश्यक है । पर एक बात का ध्यान में रखना होगा कि हालांकि इस सरकार को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला। है फिर भी जो जनादेश मिला है, वह इसके पक्ष में ही है ।

यदि किसी दल को कुछ जनादेश प्राप्त हुआ है तो वह कांग्रेस दल है । जहां तक मान्यताप्राप्त मुख्य विपक्षी दल का सवाल है तो कांग्रेस दल को मुख्य विपक्षी दल के मुकाबले दुगना जनादेश प्राप्त हुआ है । जहां तक राष्ट्रीय मोर्चा का सवाल है कांग्रेस दल को राष्ट्रीय मोर्चा के जनादेश के मुकाबले चार गुना जनादेश मिला है । अतः यह न्यायसंगत एवं उचित है कि कांग्रेस दल आगे आने वाले वर्षों में देश का शासन चलाना जारी रखे । इस समय देश में स्थायी एवं मजबूत सरकार होनी चाहिए, अतः मैं महसूस करता हूं कि सभी धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतान्त्रिक दलों को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए तथा फासिस्ट एवम् साम्प्रदायिक दलों को अलग-थलग कर देना चाहिए; सभी समान विचारों वाले

धर्म निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक दलों को एकजुट हो जाना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे देश की सेवा करने में असफल रहेंगे।

जहां तक अल्पसंख्यकों का मामला है, मुझे यहां पर आज कहना चाहिए कि यह सरकार अल्पसंख्यकों का समर्थन प्राप्त करने की हकदार है। अब तक ऐसी कोई सरकार नहीं आयी है जिसने अल्पसंख्यकों के प्रति इतनी सहानुभूति रखी हो। मैं यह केवल कांग्रेस (आई) घोषणापत्र के कारण ही नहीं कहता हूं बल्कि प्रधानमंत्री की घोषणा तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण को देखते हुए भी कहता हूं। हमारे सामने बहुत-सी ज्वलनशील तथा नाजुक समस्यायें हैं—जैसे बाबरी-मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला। यहां भी सरकार ने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा है। (व्यवधान)

हमें बेतुकी बातों को लेकर चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए हमें समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह पता है कि जहां तक राम जन्म भूमि—बाबरी मस्जिद मामले का सवाल है कांग्रेस तथा भा०क०पा० के बीच कोई मतभेद नहीं है। जनता दल तथा कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है। अतः सभी दल इस समस्या को सुलझाने के लिए एकजुट हो सकते हैं। कांग्रेस दल ने इस मामले में बहुत ही स्पष्ट आश्वासन दिया है। (व्यवधान)

मैं कांग्रेस (आई) के घोषणापत्र से उद्धृत करता हूं:—

"कांग्रेस इस मामले का बातचीत द्वारा कोई ऐसा हल निकालने के लिए वचनबद्ध है जो सम्बन्धित दोनों समुदायों की भावनाओं का पूरी तरह आदर करता है। यदि ऐसा समझौता नहीं हो पाता है, तो सभी पक्षों को न्यायालय के आदेश का आदर करना चाहिए। कांग्रेस मस्जिद को गिराये बिना ही मन्दिर के निर्माण के पक्ष में है।"

मन्दिर के निर्माण के विरुद्ध कोई नहीं है। हम इस बात के विरुद्ध हैं कि मस्जिद को तोड़कर मन्दिर बनाया जाये। यह हमारी भावनाओं तथा धर्म-निरपेक्षता के विरुद्ध है; यदि मस्जिद को धराशायी किया जाता है तो धर्म निरपेक्षता भी धराशायी हो जायेगी। हमें सभी समुदायों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। मस्जिद की पवित्रता का आदर करना चाहिए; धर्म-निरपेक्षता का आदर करना चाहिए। मस्जिद नहीं रहनी चाहिए तथा मन्दिर का निर्माण मस्जिद को तोड़े बिना होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इण्डियन एक्सप्रेस के साथ एक भेंटवार्ता के दौरान इस महीने की 8 तारीख को एक आश्वासन दिया था। अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैराग्राफ 3 से उद्धृत करता हूं :—

"धर्म स्थलों की पवित्रता को समुचित सम्मान दिया जाना चाहिए। हम साम्प्रदायिक तत्वों को कोई विवाद उत्पन्न करने और फूट डालने के लिए धर्म स्थलों का उपयोग करके उनकी पवित्रता को नष्ट करने की अनुमति नहीं दे सकते। सरकार राम जन्म-भूमि—बाबरी मस्जिद विवाद को दोनों समुदायों की भावनाओं का समुचित आदर करते हुए बातचीत द्वारा हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अन्य सभी

धर्म स्थलों के सम्बन्ध में कोई नया विवाद उत्पन्न न होने देने की दृष्टि से 15 अगस्त, 1947 की स्थिति बनाये रखने के लिए एक विधेयक पेश किया जायेगा।"

स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश के लोगों की भावनाओं के बारे में इससे पहले कभी भी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की थी। यह न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि इस देश की सरकार की स्पष्ट वचनबद्धता है।

अल्पसंख्यकों की इच्छा है कि सरकार इस वचनबद्धता पर कायम रहे तथा कांग्रेस पार्टी इस वचनबद्धता पर कायम रहे तथा धर्म-निर्पेक्षता की रक्षा करे।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : शिलान्यास किसने कराया था ?

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : शिलान्यास को हमने मुखालफत की थी। अगर कांग्रेस ने स्टैंड लिया है तो उनका होगा, हमने तो मुखालफत का स्टैंड ही लिया। हालात भी बदल जाते हैं और अगर आप चाहते हैं तो

[अनुवाद]

हम आपस में बैठकर चर्चा करके मामले का बातचीत द्वारा हल निकाल सकते हैं कि इसका निर्माण कहां होगा। हम शान्तिपूर्ण हल चाहते हैं। हम साम्प्रदायिक सद्भाव चाहते हैं। हम चाहते हैं साम्प्रदायिकता पर अंकुश लगाया जाये। हमें परस्पर सहमति पैदा करनी चाहिए। यही जनता दल भी चाहता है। अन्य धर्म-निर्पेक्ष पार्टियां भी यही चाहती हैं। अतः मैं कहता हूं कि सरकार को चलने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि वह समस्या को संतोषप्रद तथा शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश कर सके, ताकि हम देश की एकता की रक्षा कर सकें तथा देश को शान्ति तथा प्रगति की ओर ले जा सकें।

अतः मैं महसूस करता हूं कि इस समय जब देश गम्भीर समस्याओं से गुजर रहा है, तो सभी धर्म-निर्पेक्ष पार्टियों का यह फर्ज है कि वे इस सरकार को अपना समर्थन दें, ताकि यह सरकार समस्याओं को हल कर सके। हम चाहते हैं कि सरकार स्थायी तथा मजबूत हो तथा जारी रहे ताकि समस्याओं का हल कर सके तथा देश की एकता तथा धर्म-निर्पेक्षता की रक्षा कर सके।

श्री ए० असोकराज (पेरम्बलूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी अन्ना द्रमुक की ओर से विश्वास प्रस्ताव में भाग लेने के लिए खड़ा होता हूं।

हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में हमारी पार्टी की नेता पुरची तलैवी सेल्वी जयललिता ने तमिल के लोगों से निवेदन किया था, कि वे अन्नाद्रमुक-कांग्रेस गठबन्धन को वोट दें। लोगों ने संसद के लिए 100 प्रतिशत तक तथा तमिलनाडु विधानसभा के लिए 98 प्रतिशत तक वोट डालकर उत्तर दिया। कारण यह है कि हम केन्द्र में स्थायी सरकार चाहते हैं। स्थायित्व का मतलब केवल सरकार का स्थायित्व नहीं है बल्कि देश का स्थायित्व भी है। यह सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए।

1977 में एक गैर-कांग्रेसी सरकार अर्थात् जनता सरकार अपार बहुमत के साथ सत्ता में आयी थी, परन्तु वे 30 महीनों से अधिक शासन नहीं कर पाये । 1989 में जनता दल, भा० ज० पा० के समर्थन से सत्ता में आया क्योंकि कांग्रेस जो उस समय सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था, ने सत्ता लेने से मना कर दिया । अतः छठी लोकसभा तथा नौवीं लोकसभा में गैर-कांग्रेसी सरकारें ज्यादा दिन तक नहीं चल पायीं चूंकि दो गैर-कांग्रेसी सरकारें उन दोनों ही मौकों पर बुरी तरह असफल रही थीं, इसीलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में स्थायी सरकार हो । विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पहले इसी सभा को बताया था कि कांग्रेस सरकार पांचवीं अल्पसंख्यक सरकार है । वे जानते हैं कि यह सरकार अन्य चार गैर-कांग्रेसी अल्पसंख्यक सरकारों से भिन्न है । पहले जो चार अल्पमत सरकारें बनीं वे किसी एक सबसे बड़ी पार्टी द्वारा नहीं बनाई गईं, पर अब कांग्रेस की सरकार बनी है जो सबसे बड़ी पार्टी है । पर श्री आडवाणी जी ने जान-बूझ कर इस तथ्य को अनदेखा कर दिया । उनका कहना है कि कांग्रेस एवं इसके सहयोगियों की संख्या 242 है और विपक्ष के सदस्यों की संख्या 267 है । मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जिन पार्टियों की उन्होंने गणना की है क्या उन सभी के एक से सिद्धांत तथा एकसे लक्ष्य हैं। और वे सभी उनके साथ हैं ? असत्य पर आधारित अंकगणित को उजागर करने की क्या जरूरत है ? 36 सीटें तो अभी रिक्त ही हैं । क्या इसका मतलब यह है कि भाजपा ये सारी सीटें जीत लेगी ? अतः अल्पमत सरकार के बारे में श्री आडवाणी के विचार अन्य अल्पमत सरकारों से बिल्कुल हट कर हैं । हमारा देश एक बार फिर चौराहे पर है। हमें अपने बुद्धिमता पूर्ण प्रयासों से देश की जनता को यह दिखाना है कि हम देश की प्रभुता की रक्षा करने तथा इसे आगे ले जाने में सक्षम हैं।

हमें अपने लोगों पर पूरा भरोसा है । उन्होंने इस भव्य सदन में हर पार्टी के लोगों को चुन कर भेजा है । उन्होंने हम सबको यहां इस आशा के साथ भेजा है कि जब भी हमारे राष्ट्रीय हित का सवाल उठेगा हम सभी एक होकर उसे हल करेंगे । हमें अपने कुछ पुराने विद्वेषों को भुला देना होगा । पूरे संसार में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं । ये परिवर्तन हम सबों से भी नयी विचारधारा और नये दृष्टिकोण की मांग करते हैं । हमें भारत के कई हिस्सों में आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है । हर दिन कई बहुमूल्य जानों की बलि देनी पड़ रही है । हमारी पार्टी की नेता सेल्वी जयललिता की जिंदगी को खतरा है । अतः मेरा अनुरोध है कि उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पर्याप्त केन्द्रीय बल उपलब्ध कराया जाये । हम सभी को एक मत से आतंकवाद को अपना दुश्मन समझना चाहिए । किसी एक पार्टी पर दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं होगा । हमें एक होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए और इसे खत्म करना चाहिए ।

इसी तरह हम गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं । नई सरकार इन समस्याओं से जूझ रही है । हमें सरकार को सुव्यवस्था कायम करने की कोशिश करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए । आर्थिक समस्याओं को एक दिन या एक सप्ताह में हल नहीं किया जा सकता है । यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह बोझ आम गरीब

जनता पर न पड़े । कमजोर वर्गों के लोगों के लिए चलायी जाने वाली आई० आर० डी० पी० तथा अन्य कल्याणकारी योजनायें भी नहीं बंद होनी चाहिए तथा हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि इन योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे ।

हमारे देश में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं । हमारे यहां मानवीय प्रतिभायें भी हैं। हमें अपने वैज्ञानिकों तथा उनकी सफलताओं पर गर्व होना चाहिए हमारे कामगार भी देश की सम्पत्ति में काफी योगदान दे रहे हैं । जनता दल को परिस्थिति की मांग के अनुसार कार्य करना चाहिए । उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है ।

मैं इस मौके पर कुछ परिवर्तन के साथ एक चुटकुला सुनाना चाहता हूं । एक बार रात में एक आदमी मोटर साईकिल चला रहा था । जब वह मोटर-साईकिल चला रहा था तो दो हेडलाईटों को देख कर उसने सोचा कि दो मोटर-साईकिलें उसकी ओर आ रही हैं। अतः दायें या बायें जाने के बजाए उसने इन दो लाईटों के बीच से अपनी गाड़ी निकाल लेने का निर्णय किया । दुर्भाग्यवश वे दोनों हैडलाईट एक भारी वाहन के निकले और यह कल्पना की जा सकती है कि उस मोटर-साईकिल सवार का क्या हुआ । मैं जनता दल से अनुरोध करता हूं कि वह उस मोटर-साईकिल सवार को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र हित में अपना निर्णय ले ।

यह बताना मेरा कर्तव्य है कि कावेरी नदी के जल के ना मिलने के कारण तमिलनाडु के लोगों को कितनी परेशानी हो रही है । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह कावेरी न्यायाधिकरण के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए हस्तक्षेप करें । मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि विश्वास प्रस्ताव से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं प्रधानमंत्री से तमिलनाडु सरकार को वित्तीय मदद देने का भी अनुरोध करता हूं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सेल्वी जयललिता के नेतृत्व में राज्य में नशाबन्दी की नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिससे तमिलनाडु सरकार को 350 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का नुकसान होगा ।

इस अवसर पर मैं आपको पं० जवाहर लाल नेहरू के उस वायदे की भी याद दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने गैर-हिन्दी भाषा-भाषी लोगों के हितों की रक्षा का वचन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सैफुद्दीन चौधरी बोलेंगे ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, क्या आज भोजनावकाश होगा ?

अध्यक्ष महोदय : हां भोजनावकाश होगा और भोजन भी ।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह अल्पमत वाली सरकार सदन में विश्वास मत प्राप्त करना चाह रही है । यह सरकार अल्पमत तो है ही, इसे बने भी बहुत कम समय, हुआ है । अक्सर ऐसी सरकार की खूबियों और खामियों का अनुमान उसके कार्य से नहीं

लगाया जाता है । परन्तु यह सरकार सचमुच ही विचित्र है क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई भी अल्पमत की सरकार नहीं रही है जिसे बाहर से पक्का समर्थन प्राप्त न हो । साथ-साथ हमें इस बात के लिए भी विवश कर दिया गया है कि मात्र तीन सप्ताह के कार्य-प्रदर्शन के आधार पर हम इस सरकार के बारे में अपने विचार प्रकट करें । इस सरकार का जो रवैया रहा है उससे स्पष्ट हो जाता है कि इस सरकार को देश में इन दिनों व्याप्त जटिल राजनैतिक स्थिति की कोई समझ नहीं है । एक लम्बी, उबाऊ तथा दर्दनाक चुनावी प्रक्रिया से उत्पन्न त्रिशंकु लोक सभा और इस प्रकार बनी अल्पमत की इस सरकार से देश के लोगों को उम्मीद थी कि चूंकि देश बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है; अतः यह सरकार इन समस्याओं को हल करने के लिए विपक्ष के साथ सहयोग एवं वार्तालाप की मनःस्थिति के साथ आगे बढ़ेगी । लेकिन सदन में बिना बहुमत सिद्ध किये ही, सदन को विश्वास में लिए बगैर इस सरकार ने जल्दबाजी में वे सारे बड़े नीतिगत् फैसले कर डाले जो हमारे विचार से देश के लिए पूर्णतः अहितकर तथा कई अर्थों में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के आगे एक तरह का आत्मसमर्पण हैं ।

महोदय, सरकार द्वारा रुपये के अवमूल्यन के निर्णय की आलोचना हम सभी ने की है। इस फैसले को बिल्कुल गुपचुप ढंग से किया गया । यह कहा गया कि सरकार विदेशी मुद्राओं से रुपये के मूल्य का मात्र समायोजन कर रही है । एक ही दिन के बाद रुपये का पुनः अवमूल्यन किया गया । ऐसा करते समय सरकार ने विपक्षी दलों के साथ ईमानदारी और निष्ठा से बात करना उचित नहीं समझा हालांकि विपक्षी दलों ने सरकार से बार-बार ऐसा करने का अनुरोध किया । विपक्षी दल विद्यमान स्थिति की पेचीदगियों को समझते थे और वे चाहते थे कि कोई ऐसी सरकार बने जो राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं का समाधान कर सके । आपने उन बहुत सारे मामलों पर जिन पर आपके साथ हमारा मतभेद है, बिल्कुल ही उद्धत रूप से एक तरफा फैसले किए हैं । इस तरह की प्रवृति का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए । इससे पहले भी अल्पमत की सरकारें रही हैं लेकिन उन्हें विश्वस्त तथा प्रतिबद्ध समर्थन प्राप्त था । तथापि आपको ऐसा समर्थन प्राप्त नहीं है ।

1.00 म० प०

पर आपके व्यवहार से तो ऐसा लगता है कि आपको तीन-चौथाई बहुमत मिल गया हो, फिर पहले उस सरकार ने जिसे तीन-चौथाई बहुमत मिला था, ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी जैसा कि आप अभी कर रहे हैं । क्या इस तरह से भी कोई समझौता हो सकता है? हम जानते हैं कि बहुत सी समस्यांएं हैं । हमारे यहां आज आतंकवाद, अलगाववाद और जातीय संघर्ष तथा साम्प्रदायिक विभेद की समस्याएं हैं । आज देश की सारी धर्म निरपेक्ष ताकतों के एक जुट होने की जरूरत है तथा यह सुनिश्चित करने की भी जरूरत है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, कहीं साम्प्रदायिकता उसे विचलित न कर दे । ऐसा क्यों हो रहा है ?

इस देश में धर्म निरपेक्षता के लिए लड़ने वाले बहुत लोग हैं । पर क्या उन्हें विश्वास में लिया गया है ? क्या इस स्थिति से निपटने का यही दृष्टिकोण है ? मेरे विचार से

आपने हमें पूरी तरह निराश किया है । आज की वर्तमान राजनैतिक स्थिति से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं । पहले भी यहां एक त्रिशंकु लोक सभा थी । इस बार भी एक त्रिशंकु लोक सभा है । हो सकता है कि ऐसा ही अगली बार भी हो। इस स्थिति के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए ? हम हर महीने जनता के पास नहीं जा सकते और चुनाव नहीं करा सकते । हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर सवाल यह है कि हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो । पर आपकी भी तो कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए । वह प्रतिक्रिया कैसी है ?

.जनता के पिछले साल के फैसले ने सभी को निराश किया है—इसमें कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा और हमें भी निराश किया है । हमने सोचा था कि धर्म-निरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय के लिए वी० पी० सिंह की सरकार द्वारा अपनाये गये रवैये से हमें ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे । पर कई कारणों से ऐसा नहीं हो सका। इस बार के चुनाव दो बार में हुए—पहला श्री राजीव गांधी की हत्या के पहले और दूसरा उनकी हत्या के बाद। राजीव गांधी की नृशंस हत्या की खबर पाने के बाद मुझे जो सदमा पहुंचा उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूं । मेरे अनुसार वह बलिदान देश की खातिर था । उनका बलिदान अपनी पार्टी के लिए भी था । आपने भी पाया होगा कि कुछ संस्थाओं ने सर्वेक्षण करवाये थे तथा तीन या चार सर्वेक्षण किए गए थे । इनमें से कई सर्वेक्षणों के लिए पूर्व अदायगी की गई थी । इनमें से कई ने भविष्यवाणी की थी कि आप लोगों को 300 या 280 स्थान मिलेंगे । फिर भी जब महान बलिदान के बाद भी ऐसा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से आपकी हतोत्साहित हुए होंगे । और भाजपा इस लिए निराश हुई कि भगवान राम के नाम का उपयोग करने के बाद भी वे केंद्र में सत्ता में नहीं आ सके । यह उनके लिए बड़ा झटका है । (....व्यवधान...) जब भगवान ने उन्हें नहीं बचाया तो मेरा विश्वास है कि उन्हें कोई नहीं बचा पायेगा । काश श्री आडवाणी यहां होते । यह एक अच्छी बात है कि हमारे देश की अधिकांश जनता अभी भी धर्मनिरपेक्ष है । श्री आडवाणी ने 'लंदन ईकानॉमिस्ट' के इस कथन को उद्धृत किया कि, "विजयी दल को दूसरा स्थान मिला।" यह लंदन में भले ही सही हो, पर यहां लखनऊ में तो हम पाते हैं कि जीत चूक के कारण हुई है । भाजपा उत्तर प्रदेश में इसलिए सत्ता में है कि जनता दल में विभाजन हो गया था । यदि आप मुलायम सिंह यादव के मतों को और जनता दल के मतों को ही मिला दें और कुछ देर के लिए कांग्रेस के मतों को न जोड़ें तो भी वे भाजपा के कुल मतों से ज्यादा हैं। यदि वे एक साथ होते तो उत्तर प्रदेश का परिणाम भी बिहार की तरह ही होता । अब श्री आडवाणी ने कहा है कि कांग्रेस विरोधी शासन के दिन बीत गये हैं । यह एक तरह की सौदेबाजी से प्रेरित घोषणा है । फिर वास्तविक मुद्दा वर्तमान स्थिति की जटिलता तथा मौजूदा संकट की गंभीरता को समझना है तथा यह सोचना है कि इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है । क्या इस तरह के आर्थिक सुधारों से हम कभी सहमत हो सकते हैं ? श्री चिदम्बरम, जो कि गृह मंत्रालय में मंत्री थे तथा आंतरिक सुरक्षा , लोक शिकायतें और पेंशन विभागों के कार्य को देखते थे, अब वाणिज्य मंत्री बन गये हैं । अब क्या वे इतनी जल्दी सारी बातें जान गये हैं कि उन्होंने एक नयी नीति ही घोषित कर दी है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर कहां चर्चा हुई थी ? क्या मंत्रिमण्डल ने इस पर चर्चा की

थी ? क्या आपने विपक्ष के साथ इस पर चर्चा की थी ? अब आप औद्योगिक नीति तैयार करने जा रहे हैं। क्या आपने विपक्ष के साथ इस पर चर्चा की थी ? क्या इस देश और सरकार को चलाने के प्रति आप गंभीर हैं ? हम जानते हैं कि बहुत सी राजनैतिक पार्टियां जनता के पास नहीं जाना चाहती हैं। पर आपको विपक्ष की ओर से बिल्कुल बेखबर भी नहीं रहना चाहिए। आज पूरे देश में हम 'अवमूल्यन विरोध दिवस' मना रहे हैं। आज दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों को संगठित कर रहे हैं और वे आपकी हर प्रतिक्रियावादी नीतियों का विरोध करेंगे।

आपने रुपये का अवमूल्यन एकाएक 18 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक कर दिया। क्या आपको पूरा भरोसा है कि आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण मिल जायेगा ? क्या आपको यह मिलने जा रहा है ? मैं ये सारी बातें नहीं जानता हूं। क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को मानने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है ? आपने लंदन के बैंकों में सोना भिजवा दिया। इसके लिए दिया गया स्पष्टीकरण इस प्रकार है, "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों के बारे में हमें आशंका है, हम इसे पा भी सकते हैं, नहीं भी पा सकते हैं, इसी कारण हमने सोने को वहां रखा है, ताकि यदि जरूरत पड़े तो हम इसे बंधक रखकर धन प्राप्त कर सकें, पर आपने तो पहले ही दे दिया। आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण मिलने के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी आपने अभी सारी शर्तों को पहले ही मान लिया है। मैंने अखबारों में विश्व बैंक के प्रवक्ता के बयान को पढ़ा है। उसने कहा है, "हमने सरकार को सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम भेज दिए हैं, बजट के पारित होने के पहले उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ेगा और आगे मिलने वाला ऋण तत्संबंधी प्रगति पर निर्भर करेगा।" वह रिपोर्ट कहां है ? प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर को इसे क्यों नहीं दिखाया गया था ? उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी। क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष का ऋण ही एक मात्र उपाय है ? क्या कोई दूसरा वैकल्पिक उपाय नहीं है ?

अब श्री मनमोहन सिंह वित्तमंत्री हैं। दक्षिण-आयोग (साऊथ कमीशन) के सचिव के रूप में उन्होंने क्या कहा था ? उन्होंने कहा था कि, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा सुझाये गये उपाय संदेहास्पद हैं।" साऊथ कमीशन के चेयरमैन श्री जुलियस नरेरे हैं। हमारे अनेक अर्थशास्त्रियों तथा सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के उपाय तीसरी दुनियां के देशों के लिए अच्छे नहीं हैं। इस वर्ष के 5 जुलाई के 'स्टेट्समैन' में लिखे एक लेख में श्री जे० के० गालब्रेथ ने कहा है, "मैं तीसरी दुनियां के देशों में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशों और हस्तक्षेपों का अनुमोदन नहीं करता हूं।"

फिर भी ऋण-स्वरूप एक भी पैसा प्राप्त किए बगैर रुपये का एकाएक अवमूल्यन करके आपने विदेश कर्ज के भार तथा आयात के लिए हो रहे खर्च दोनों को बढ़ा दिया है। यह एक आत्मघाती रास्ता है। इस आर्थिक स्थिति से निपटने के कई तरीके हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। हम इसके बारे में गंभीर है। हम ओछी राजनीति नहीं खेल रहे हैं। आज देश वास्तव में संकट में है। हमें जनता को गरीबी से बचाना है। मैंने अखबारों में एक चित्र देखा था और मैं उसे लाना

भूल गया हूं। उड़ीसा में किसी जगह कोई गरीब पिता अपने पुत्र का सर काट कर उसका खून पी गया। इसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया।

विकल्प हैं। 35 अर्थशास्त्रियों ने अपने विकल्प बताये हैं। (व्यवधान) यदि हम इसी तरह से काम करते रहे तो क्या होगा? आप जिस तरह के सौदे में लगे हैं उसमें हम अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं। फिर, एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को समाप्त करने की भी बात चल रही है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में भी इतनी छूट देने की बात चल रही है कि वे बिल्कुल प्रभावहीन ही हो जाये। साथ-साथ आयात में भी उदारी करण की बात चल रही है। पर आप निर्यात को बढ़ावा देने के लिये क्या कर रहे हैं? क्या हमारी नीति यही है? मैं नहीं जानता हूं। आप यह पायेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े भी कुछ सवाल हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को मान लेने के बाद 'गट' (जनरल एग्रीमेंट आन ट्रेड एण्ड टैरिफ) के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होगा। प्रधानमंत्री ने एन० पी० टी० के बारे में कहा है कि, "कोई दबाव नहीं है।" यह आज सब हो सकता है। पर यदि कल कोई दबाव होता है तो क्या होगा? फिर जम्मू तथा काश्मीर की समस्या भी है तथा कई अन्य मुद्दे भी हैं। हमने पिछले दिनों काफी अच्छी भूमिका अदा की है और हमें भविष्य में भी ऐसा ही करना है।

विकल्प तो है। हमने भी तथा अर्थशास्त्रियों ने भी ऐसा ही कहा है। परन्तु मैं केवल एक को उद्धृत करूंगा। योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री अरूण घोष ने कुछ लिखा था। मैं समझता हूं कि आपको अपने अधिकारियों से दस्तावेज मिले होंगे। उन्होंने एक बात यह कही थी कि घरेलू बचत घरेलू निवेश के बराबर होनी चाहिए। वित्तीय घाटों पर काबू पाने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि विगत में अपनाए गए तरीकों को छोड़ देना चाहिए जैसे सामाजिक खर्चों, शिक्षा तथा स्वास्थय आदि पर कटोती। क्या हम इसकी अनुमति दे सकते हैं? क्या हम अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को छोड़ सकते हैं? क्या हम खाद्य रियायतों में कटौती करने की अनुमति दे सकते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।

अब मैं राज्यों को आबंटन की बात करता हूं। क्या इसमें कटौती हो सकती है? हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। यह बहुत हानिकारक होगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के दृष्टिकोण के बारे में भी कहा है। यह हमारी पार्टी का दृष्टिकोण है। हम गंभीर आर्थिक समस्या से निपटने के बारे में चिन्तित हैं। प्रत्यक्ष करों में कुशलतापूर्वक कर वसूली तथा दरों में वृद्धि द्वारा वृद्धि की जा सकती है। ऐसे निवेशों को कुछ समय के लिए छोड़ देना होगा जो अधिक महत्वपूर्ण न हों। यह भी हो सकता है। सरकार के अनावश्यक खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखा जा सकता है। हमें अपनी समस्याओं को हल करना होगा। अनावश्यक आयातों पर भी सख्त रोक लगाने का सुझाव दिया जा सकता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिये श्रमिक बहुल औद्योगिक गतिविधि के माध्यम से वास्तविक प्रयास किये जाने चाहिए। श्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि हमें ताइवान तथा दक्षिण कोरिया तथा उन सभी को देखना चाहिए। क्या वह भारत के लिए एक उदाहरण है? वह उदाहरण

नहीं हो सकता है। जिस प्रकार की आर्थिक नीतियों का ये देश पालन कर रहे हैं उससे लोक-तन्त्र और लोगों की स्वतन्त्रता में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है। हमें भारतीय समस्याओं का भारतीय हल निकालना होगा। यदि हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमति देते हैं तथा अपनी अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोलते हैं तो हमारी स्वदेशी उद्योग पूर्णतः नष्ट हो जायेंगे। यदि पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी जाती है तो हमारे पूंजीगत माल उद्योग का क्या होगा? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विपक्ष सरकार के साथ सहयोग कर सकती है। परन्तु सहयोग कुछ वास्तविक मामलों पर हो सकता है न कि कुछ विचारों के आधार पर।

श्री आडवाणी ने कहा है कि कुछ लोग चुनाव नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे एक विशेष पार्टी को लाभ होगा परन्तु यह विचारणीय मामला नहीं है। यह स्थिति के प्रति बहुत ही छिछला नजरिया है। हमें एक अखण्ड भारत की नई शुरूआत करने की आवश्यकता है ताकि देश की ज्वलन्त राष्ट्रीय समस्यायों से निपटा जा सके परन्तु इस सरकार की शुरूआत ही बहुत खराब है। इस सरकार का रवैया बहुत खराब है। लोगों को परेशान करने वाले मूल मामलों से निपटने के लिये सहयोग के गंभीर दृष्टिकोण को अपनाने का कोई संकेत नहीं है। पंजाब का क्या होगा? हमें यह पसन्द नहीं था कि बिना किसी उचित तैयारी के चुनावों की घोषणा कर दी गई। यह एक गलत बात की जानी थी। लोगों को विश्वास में लेने के लिये कुछ राजनीतिक कदम उठाने होंगे। यह नहीं किया गया। सुरक्षा उपायों को ठीक से लागू नहीं किया गया था। बहुत से लोग मारे गये थे। फिर भी हमने निर्णय किया कि हम हिस्सा लेंगे। तब हमको पता लगा कि वह एक मजाक बनने जा रहा है और सारी चीजें कटौती करके उग्रवादियों को दे दी जायेंगी। तब हमने निर्णय किया कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। हमने पंजाब चुनावों से अपने उम्मीदवारों को वापस ले लिया था। अब चुनाव आयोग द्वारा नई तारीख दी गई है।

तारीख का सम्मान करना चाहिये तथा इस पर कायम रहना चाहिए। इससे पहले ऐसे उपाय किए जाने चाहिये जिससे सभी राजनीतिक दल भाग ले सकें। पुराने दृष्टिकोण के साथ केवल सैन्य बलों तथा अर्द्ध सैनिक बलों की सहायता से ही क्या आप स्थिति पर नियंत्रण कर सकते हैं? जी नहीं। वास्तव में लोगों को सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। यह हम इस सभा में पहले भी कहते थे। परन्तु लोगों को सक्रिय बनाने के लिए वास्तव में कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया गया।

असम में बहुत ही एकतरफा तरीके से आपने उल्फा उग्रवादियों को माफी देने का निर्णय लिया है अब इसका परिणाम क्या हुआ? मुझे पता लगा है कि वे अब दावा कर रहे हैं कि इस स्वतन्त्रता के बिना कोई बातचीत नहीं हो सकती है। क्या संतुष्ट करने का यही तरीका है, जो हमारे देश को एक रखने में सहायक होगा। नहीं, यह नहीं हो सकता है। हमने देखा है कि इस तरह की गतिविधि ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है।

आपने असम गणपरिषद का हश्र देख लिया है। उनका असम के लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव है। आज वे विभाजित है तथा असम के लोगों से उपेक्षित हैं। हमें असम के लोगों

को कुछ न कुछ विश्वास में लेना होगा। । हमें लोगों से बातचीत करनी चाहिए । किसी उग्रवादी से नहीं। ऐसा करना बहुत ही गलत होगा और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं ।

बहुत सारी बातें हैं। जम्मू और कश्मीर को लीजिए। क्या यह किसी एक दल की समस्या है? क्या हम इसका राजनीतिकरण करते जायेंगे । कश्मीर को बचाना होगा किंतु कैसे ? यदि देश में धर्म निरपेक्षता कम हो रही है तो हम कश्मीर को नहीं बचा सकते हैं। हम पंजाब को नहीं बचा सकते हैं । हम अपने उत्तर पूर्वी भारत को नहीं बचा सकते हैं हमारे कुछ मित्रों को इस बात को समझ लेना चाहिए । इस सभा में हमसे तर्कसंगत व्यवहार की अपेक्षा है । यहां से ऐसे संकेत मिलने चाहिए कि हम एक हैं। हमें हर चीज का साम्प्रदायीकरण नहीं करना चाहिए। हमें राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद का हल निकालना होगा। हमें इसका हल निकालना होगा। मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार हल किया जायेगा। तथा इसका हल बातचीत द्वारा होना चाहिए । यदि बातचीत सफल नहीं होती है तो हमें न्यायालय के निर्णय को मानना होगा। मुझे कुछ लोगों को यह कहते हुए सुनकर निराशा होती है कि वे न्यायालय के निर्णय को नहीं मानेंगे। वे न्यायालय के निर्णय को क्यों नहीं मानेंगे? जब वे ऐसा कहते हैं कि वे न्यायालय के निर्णय को नहीं मानेंगे तथा वे सड़क पर लड़ाई करेंगे तो वे न्यायालय का अपमान कर रहे हैं जोकि राष्ट्र का एक हिस्सा है। मैं यह इसलिए कहता हू कि .....क्योंकि वे राम भक्ति को शरण लेते हैं और कहते हैं कि रामभक्ति ही राष्ट्र-भक्ति है । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा-बून्दी) : शाहबानो के केस में न्यायालय के निर्णय का क्या हुआ, उस समय आपकी जुबान बन्द क्यों हो गई थी ? उस समय आप लोकसभा में शाहबानो के केस के बारे में बोले क्यों नहीं? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बहुत ही सही सवाल है। मैं कहूंगा कि उस समय मैं इस सभा का सदस्य था। तथा मैंने विरोध में अपनी आवाज को उठाते हुए शाहबानो केस पर कानून में संशोधन करने का विरोध किया था तथा हमने सरकार को चेतावनी दी थी, "यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे अन्य साम्प्रदायिक तत्वों को सहायता मिलेगी। कृपया ऐसा मत करिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो देश में एक गम्भीर शुरूआत हो जाएगी।"

मैंने श्री राजीव गांधी से बात की थी। मुझे खेद है कि वे जीवित नहीं है । हमने उनसे अपील की थी तथा उन पर जोर डाला था कि ऐसा न करें । हमारी महिलाएं, मुसलमान महिलाएं—संसद के द्वार तक आ गई थीं। जब मैं इस सभा में बोलता हूं तो मैं मुसलमान नहीं हूं । मैं तब मुसलमान हूं। जब मैं मस्जिद में जाता हूं। परन्तु वास्तव में मैं मस्जिद में नहीं जाता हूं । संसद सदस्य के रूप में मैं न तो मुसलमान हूं और न ही हिन्दू हूं। मैं एक भारतीय हूं इस सभा में यह पहचान स्थापित करनी होगी। शाहबानो के केस में कानून में संशोधन करना पूर्णतः गलत कार्य था और इसके साथ ही इस देश में धर्म निरपेक्षता का जबर्दस्त पतन शुरू हो गया था। इसके लिए मैं वर्तमान शासक दल की पिछली सरकार को दोषी ठहराता हूं। अब यदि आप धर्म निरपेक्षता के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध हैं तो

आपको अपने पुराने गलत कार्यों को छोड़ना होगा। अन्यथा यदि आप अपनी पुरानी नीतियों पर चलते रहे, अतीत की गलत नीतियों पर चलते रहे तो आप लोगों के मन में विश्वास नहीं पैदा कर पायेंगे और हो सकता है कि इसका उल्लंघन करने पर आप दो, तीन अथवा छह महीने तक ही चल पायें। परन्तु धरती की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं पायेगी। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं हम आपका समर्थन नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि महोदय हम इस सभा में यह घोषणा करते हैं कि हम सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों की आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं तथा आप इस पर आक्षेप लगाते हैं। हम बाहर भी लोगों को सक्रिय करेंगे तथा हमारी ओर से इस विश्वास प्रस्ताव पर कोई समर्थन नहीं मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे समय दिया गया।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : महोदय, मतदान कब होगा ?

अध्यक्ष महोदय। मैं इसकी घोषणा बाद में कर दूंगा। यह संभवतः म० प० 4 बजे और प० प० 5 बजे के बीच होगा।

1.19 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 12.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.17 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.17 म० प० पुनः समवेत हुई।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

मंत्री परिषद में विश्वास का प्रस्ताव—जारी

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय, प्रधान मंत्री ने अपनी मंत्री परिषद में विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए कहा है। मैं जो पहला सवाल उठाना चाहता हूं, वह यह है कि यह विश्वास मत किस लिये प्राप्त किया जा रहा है ? मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि विश्वास मत पर यह चर्चा ऐसे समय पर उठाई अथवा नियत की गई है जबकि सरकार अपना कार्य ठीक से शुरु भी नहीं कर पाई है। इसलिये किसी के लिये भी इस अस्पष्ट स्थिति में विश्वास-मत देना संभव नहीं है। हमें सरकार को सके गुणावगुण और उसके कार्य निष्पादन तथा कार्यकरण के आधार पर आंकना है।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह विश्वास मत सरकार द्वारा इन चन्द दिनों के अपने कार्यकाल के दौरान किये गये कृत्याकृत्यों के आधार पर अथवा सरकार द्वारा इस वर्ष अथवा इस बजट सत्र के दौरान किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यों की प्रत्याशा में मांगा जा रहा है।

जहां तक उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यों का संबंध है हमें सरकार द्वारा किये गये सामान्य प्रश्नों और साथ ही समाचार पत्रों में छपे समाचारों से केवल उसकी कुछ रूप-रेखा की भी जानकारी मिली है। मैं इस बारे में बाद में बोलूंगा।

यदि यह सरकार के इन थोड़े से दिनों के कार्यकाल के दौरान किये गये कार्यों और व्यवहार के आधार पर विश्वास मत प्राप्त करने का प्रश्न है, तो मैं यही कहूंगा कि उसके

कार्यकरण से कोई विश्वास पैदा नहीं होता। मैं यहां खासकर और स्वाभाविक रूप से इसलिये ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अभी तो सरकार को अपनी मुख्य भूमिका निभानी है; मैं तो कार्य शैली की बात कर रहा हूं जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

श्री आडवाणी ने अपने भाषण में उन अवसरों का उल्लेख किया था जब इस सभा में अल्पमत सरकार को अन्य दलों द्वारा बाहर से समर्थन दिया गया था। उन्होंने 1969 में हुये कांग्रेस दल के विभाजन के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार का कई बार उल्लेख किया है और कहा कि वह सरकार केवल इसलिए बनी रही क्योंकि मेरे दल सहित कुछ दलों ने उस सरकार में अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया था।

सवाल इस बात का था कि हमें अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये या नहीं। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण प्रिवीपर्स उन्मादन सहित कई अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा विवादास्पद सुधारात्मक उपाय करने जा रही थी जिनका हमने मौट तौर पर समर्थन किया था। बहुत से लोगों ने उपायों को पसन्द नहीं किया और उन्होंने उनका विरोध किया। किन्तु हम कुछ बातों के आधार पर कम से कम इतना तो कह ही सकते थे कि हम गंदी सरकार को गिरने नहीं देना चाहते जो इस किस्म के उपाय कर रही है।

महोदय, मेरे विचार से श्री नरसिंहराव की सरकार शुरु से ही इस प्रकार व्यवहार कर रही है जैसे कि यह अल्पमत सरकार तो है ही नहीं, बल्कि उसे इस सभा में बहुमत प्राप्त है और इसलिये उसे ऐसे सभी विनाशकारी उपाय करने की एक तरफा छूट है जिनके दूरगामी और गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। महोदय, जहां तक मैं समझता हूं यदि किसी अल्पमत सरकार को समर्थन चाहिये तो वह मन से चाहे या न चाहे, उसे विपक्ष अथवा कम से कम उसके किन्हीं मांगों के परामर्श और आम सहमति से अथवा उसे विश्वास में लेकर तो काम करना ही पड़ेगा।

देश में सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि इस समय देश में एक बेमिसाल गंभीर राष्ट्रीय संकट छाया हुआ है और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस संकट से एक मात्र मनमोहन सिंह जी ही चिंतित हैं। यह आर्थिक संकट बहुत ही गंभीर है। देश में वित्तीय संकट तो है ही, राजनीतिक संकट भी है और सामाजिक संकट भी है।

पहले ही से बढ़ चुकी और समाधान विहीन प्रतीत होने वाली समस्याओं का हम पहले से ही उल्लेख कर चुके हैं। अब तक कोई भी सरकार पंजाब, काश्मीर अथवा असम समस्या का हल लेकर सामने नहीं आई है। देश के विभिन्न भागों में सशस्त्र विद्रोह की समस्या बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त देश के कई राज्यों और कई दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों में जनता में केन्द्रीय सत्ता से विलग होने का अहसास गहरा रहा है। उचित हो अथवा अनुचित, उन क्षेत्रों, की जनता यह महसूस करती है कि उनसे उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है; उन्हें विकास के लाभों में से उनका भाग नहीं दिया जा रहा है और उनकी उपेक्षा की जा रही है। इसमें कुछ ऐसा है जो केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के सम्पूर्ण प्रश्न से घनिष्ट

रूप से जुड़ा हुआ है। किन्तु मुझे कहीं भी, यहां तक कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी, इस बारे में कोई प्रतिक्रिया अथवा इसका कोई उल्लेख नहीं दिखाई दिया। हम आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बाद विवाद नहीं कर रहे हैं किन्तु इसके कुछ अंशों का जिक्र आ ही जायेगा क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अब चर्चा होने जा रही है और राष्ट्रपति का भाषण पहले ही दिया जा चुका है और यह हमारे समक्ष है।

विपक्ष में बैठे हम लोगों ने सरकारिया आयोग की नियुक्ति नहीं की थी। जिस सरकार ने सरकारिया आयोग की नियुक्ति की थी उसने केन्द्र राज्य संबंधों की सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति के मामले को काफी गंभीरता पूर्वक लिया होगा। सरकारिया आयोग की यह रिपोर्ट फाइलों के नीचे दबी पड़ी है। इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करने, विपक्ष के साथ इस पर चर्चा करने तथा यह देखने के लिए कि क्या उस प्रतिवेदन का कोई भाग, इसकी सिफारिशें कार्यान्वित की जा सकती हैं, के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया गया। कुछ भी नहीं किया गया। केन्द्र-राज्य संबंध का यह मामला ऐसा है जिसकी उपेक्षा करना खतरनाक है। इसलिए मेरा विचार है कि यह सरकार संकट में सिर्फ एक पहलू के बारे में बात कर रही है और वह पहलू है वित्तीय घाटा, बचतीय घाटा व्यापार संतुलन, विदेशी मुद्रा संकट। मैं इन सभी बातों पर सहमत हूं। ये समस्याएं हैं। ये काफी गंभीर समस्याएं हैं। जिन उपायों का सुझाव दिया जा रहा है उस पर चर्चा की जा सकती है। परन्तु उन दूसरी समस्याओं का क्या होगा जो काफी लम्बे समय से गंभीर बनी हुई है। मैं नहीं समझता कि हमें वित्तीय और आर्थिक संकट की जो गंभीर स्थिति बताई गई है, वह वास्तव में एक रात में ही इतनी गंभीर हो सकती है। यह रात भर में ही ऐसी नहीं हो सकती कि अचानक वित्त मंत्री को यह कहना पड़े कि यदि हम कहीं से अल्पावधि ऋण नहीं ले सकें तो शायद हम जुलाई महीने का खर्च नहीं पूरा कर पाएंगे या फिर संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में हमें विदेशी बैंकों को कुछ टन सोना भेजना होगा ताकि यह कुछ धन प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति के रूप में काम कर सकें अन्यथा हम खर्च नहीं उठा पाएंगे। क्या ऐसी स्थिति रातों रात पैदा हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। यह ऐसी स्थिति है जो वर्षों के अन्तराल में अनेक कारणों से बनी है। वे कारण है फिजूलखर्ची बेतरतीबढंग से संसाधनों का उपयोग और सभी प्रकार के प्रचारवादी उपाय। इसके लिय प्रत्येक व्यक्ति उत्तरदायी है। बहरहाल, महोदय मैं जो कहने जा रहा हूं वह बात यह है। 27 जून को एक बैठक हुई थी जिसमें प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया था, हमें कहा गया था कि हमें विश्वास में लिया जाएगा तथा वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक तथा वित्तीय संकट के बारे में हमें सुस्पष्ट रूप में बताया जायेगा। परन्तु 27 जून के उस बैठक में हमें हल्का सा भी संकेत नहीं दिया गया था कि उसके कुछ ही दिनों के भीतर दो बार मूल्यह्रास किया जाने वाला है। रुपये की कीमत में 21 प्रतिशत कमी की जानी है। इस बात का अंदेशा भी नहीं दिया गया था कि इसलिये सोना अन्तरित किया जाना है कि पिछली सरकार ने सोना अन्तरित किया था। इसके बजाय हमें यह बताया गया कि यह सरकार इस बात को नहीं दोहरायेगी।

मैं ये उदाहरण स्थिति की गम्भीरता दिखाने के लिये रख रहा हूं—प्रधानमंत्री यह कह सकते हैं कि इन सभी बातों का रहस्य नहीं खोला जा सकता और कि वह इन बातों को हमें पहले ही नहीं बता सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि विपक्ष संकट स्थिति को उतना ही गम्भीर समझे जितना गंभीर आप समझते हैं तो आपको सभी बातों को सामने रखना होगा अन्यथा जनता आपकी सभी बातें चुपचाप नहीं सुन सकती है।

इसलिए मेरी पहली लड़ाई पिछले काम करने के तरीके से है।

पंजाब का चुनाव मतदान के सिर्फ 36 घंटे पहले रद्द किया गया। मुझे नहीं पता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हमें कोई बताये कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। इस बात पर काफी विवाद हो सकता है कि क्या पंजाब में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की स्थिति थी या नहीं। मैं इस बात से सहमत हूं कि वहां सुरक्षा संबंधी समस्या भी है।

लेकिन यह भी दुविधा की स्थिति है कि यदि हम पंजाब के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित रखें और यदि हमें राष्ट्रपति शासन और पुलिस राज पर निर्भर रहें, तो हमें इस बारे में भी सोचना होगा कि क्या इससे अंततोगत्वा उग्रवादियों को सहायता मिलेगी या फिर इससे देश में अमनचैन लाने में सहायता मिलेगी। इसलिए यह एक साधारण समस्या नहीं है।

आपको स्मरण होगा कि उम्मीदवारों के नाम आमंत्रित करने आदि के साथ पंजाब में चुनाव प्रक्रिया देश के और राज्यों के साथ-साथ शुरू हुई थी और उसी समय पंजाब में चुनाव की तारीख 24 जून तय हुई थी। अतः यह एक बढ़ाया हुआ समय था जिस दौरान यदि वास्तव में आप पंजाब की सुरक्षा स्थिति के बारे में चिन्तित थे तो आपको मानना चाहिए था कि यह बढ़ाया हुआ समय उग्रवादियों को उन उम्मीदवारों की हत्या करने के लिए और मौका और समय देगा जिस उम्मीदवार को वे चुनाव भंग कराने के उद्देश्य से मारना चाहते हैं और ऐसा किया भी गया। लगभग 25 या 26 उम्मीदवार मारे भी जा चुके हैं। और अंतिम घड़ी में जब मतदान में 36 घंटे ही बचे थे और जब पंजाब के राज्यपाल स्वयं कह रहे थे कि सुरक्षा समस्याओं के बावजूद चुनाव होने चाहिएं, परन्तु इस प्रक्रिया को देश के शेष भागों से अलग कर दिया गया जाना चाहिए ताकि देश के शेष भागों में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाने पर पंजाब में पर्याप्त सुरक्षा दल एकत्र किये जा सकें। उस समय अंतिम घड़ी में किसी व्यक्ति ने पंजाब की निर्वाचन प्रक्रिया को रोक देने का निर्णय लिया। और अब पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा। मैं आशा करता हूं कि वे उम्मीदवार जो इस दौरान मार दिए गए उनके परिवार को इस बात के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए कि उन्हें मूर्खतावश से नामजद किया गया और वे नहीं जानते थे कि उन्हें मार दिया जाएगा और इस प्रकार चुनाव नहीं होगा। कोई व्यक्ति जोड़ तोड़ कर रहा है। मैं चुनाव आयुक्त पर दोष नहीं लगा रहा हूं न मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूं। हमें नहीं पता कि वास्तव में क्या बात हुई है। श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद जब चुनाव की तारीख तीन सप्ताह और बढ़ा दी गई थी, तो आपको याद होगा कि एक विवाद उभरा था जो समाचार पत्र में भी छपा था। मुख्य चुनाव आयुक्त से यह पूछा गया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? आप चुनाव को कुछ दिनों के लिए बढ़ा सकते थे लेकिन आपने इसे तीन सप्ताह के लिए क्यों बढ़ाया? उसने कहा कि वह सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। सरकार ने उन्हें ऐसा निर्देश दिया था। तात्कालिक सरकार ने ऐसा किया "सरकार ने मुझे निर्देश दिया है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है" उन्होंने कहा।

और अगले दिन एक सरकारी प्रवक्ता ने कहना शुरू कर दिया कि श्री शेषन का वक्तव्य निराधार है उन्हें किसी भी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। हम किस पर विश्वास करें? क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता। इसलिए हमें इस प्रकार की समस्याओं से निपटने में बहुत ही संवेदनशील और सतर्क होना चाहिए।

हमारे सामने गंभीर अलगाववादी विद्रोह की स्थिति है जिससे कि देश के एक हिस्से के अलग हो जाने तथा भिन्न मत वाले या किसी प्रकार के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो जाने का खतरा है।

इसलिए अब तक, मेरे विचार से इस सरकार का जब से इसने कार्यभार संभाला है सबसे पहला कार्य, केवल वित्त मंत्री के साथ उन कारणों को बताते हुए जैसा वह करना चाहते हैं, एक या दो घंटे की बैठकें आयोजित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको विपक्ष के साथ भी बैठकें करनी चाहिए जहां पर इन विभिन्न मामलों को उठाया जा सकता है और गहन विचार किया जा सकता है और सरकार को हमें बताना चाहिए तथा हमारे सुझाव, हमारी राय भी माननी चाहिए कि वह इस मामले से कैसे निपटें और हमें यह बताना चाहिए कि उसका क्या कदम उठाने का विचार है। मैं इस मुद्दे को विस्तार से नहीं बताना चाहता। मेरा मुद्दा यह है सरकार का वास्तविक कार्य आरंभ होने से पहले ही हम महसूस करते हैं कि इसने जिस ढंग से कार्य करना आरंभ किया है वह एक अल्पमत सरकार का कार्य नहीं है। यदि आप बहुमत में होते, तो मैं समझ सकता हूं कि आप किसी दूसरे की परवाह नहीं करते। आप अपने मनमाने ढंग से कार्य कर सकते थे, परन्तु, क्या आप उस स्थिति में हैं?

समाचार-पत्रों में प्रतिदिन अटकलें लगाई जाती हैं कि सरकार का यह रवैया इस कारण है कि उन्हें अभी भी कुछ सहयोगियों को सम्मिलित करके बहुमत प्राप्त करने की उम्मीद है, ताकि बहुमत की कमी को पूरा किया जा सके। मैं नहीं जानता। (व्यवधान) कि क्या इस तरह का भर्ती अभियान अभी भी जारी है या नहीं। आप कृपया हमें इसके बारे में बताइए। परन्तु यदि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है तो मैं नहीं मानता कि इसकी कोई ज्यादा गुंजाइश है.....

एक माननीय सदस्य : आप हमारे साथ आ जाइए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : .....तब अल्पमत सरकार को समझना चाहिए, अपनी स्थिति का आभास होना चाहिए।

इसको उचित रवैये और एक उचित दृष्टिकोण के साथ कार्य करना चाहिए, जो कि यह नहीं कर रही है।

इसके बाद मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। हमसे इस सरकार को उसके एकमुश्त उपायों की बात करने से पहले ही अपना समर्थन देने की बात क्यों की जाती है। इस समय हमें जो मालूम है वह यह है कि वह अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाने की तैयारी कर रही

है। इस बात की पुष्टि हो गई है। वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क कर चुकी है, न कि करने वाली है। हमें वित्त मंत्री ने बताया था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारी ऋण लिए बिना स्थिति को सुधारने का कोई और चारा नहीं है।

इसके अतिरिक्त, अब आर्थिक सुधारों की दिशा में उनके द्वारा प्रस्तावित और भी बातें हैं। हमें मुख्यतया समाचार-पत्रों पर अधिक निर्भर रहना होता है, अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, आर्थिक पत्रिकाएं क्या लिख रही हैं, इत्यादि। लेकिन यहां मेरा झगड़ा यह नहीं है। निस्संदेह सुधार आवश्यक हो सकते हैं। मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। जब समाजवादी देश ऐसे बड़े सुधारों को ला सकते हैं, उनमें से कुछ काफी समय से लंबित हैं और इसके लिए कीमत चुकायी है तब भारती इन सुधारों को क्यों नहीं ला सकता? लेकिन सबसे बड़े समाजवादी देश को, जिसने सुधारों के बहुत दूरगामी असर वाले कार्यक्रम की पहल की थी, भी बहुत सी बातें, जिनका उन्होंने विगत काल में अनुसरण किया था छोड़नी पड़ी हैं, क्योंकि समय और स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उससे यह सपष्ट हो गया है कि उस पुराने तरीके और तकनीक से काम नहीं चल सकता और इसलिए वे उनका त्याग कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यह अन्त में उन्हें कहां ले जाएगा। लेकिन वे कुछ आधारभूत सुधारों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि हम सुधारों के विरुद्ध हैं बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार—मैं अपने विचार विशेष तौर पर कांग्रेसी बेंचों पर बैठे अपने मित्रों को बता रहा हूं। सरकार और कांग्रेस पार्टी नेहरु-गांधी के विकास के उस सैद्धान्तिक ढांचे का परित्याग कर रही है जिसके अन्तर्गत इसने इन वर्षों में कार्य करने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध यह मेरा गंभीर दोषारोपण है। जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमने जो अध्ययन किया है उसके आधार पर ही मुझे यह मानना है क्योंकि प्रधान मंत्री ने इस प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। यह आपकी दलील हो सकती है कि संसार और भारत में स्थिति इतनी बदल गयी है कि सभी पुराने ढांचों का त्याग करना होगा। यदि ऐसा है तो आपको देश और सभा को इसके बारे में बताना होगा। इसके पीछे मूलाधार को सभा को और सभा द्वारा लोगों को बताना होगा। मेरे विचार से श्री गोर्बाचोव ने, चाहे उसकी कोई भी गल्तियां या भूलें या असफलताएं रही हों, कभी भी अपने लोगों और सोवियत संघ को यह बताने में संकोच नहीं किया कि वे गल्तियां क्या थीं, पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत वे गल्तियां क्या थीं जिनसे उनकी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में आ गयी। लेकिन हमें यहां कुछ नहीं बताया जाता। यह ऐसा है मार्च कि रातों-रात कोई जादू हो गया हो, कल तक सब कुछ ठीक-ठाक था और आज अचानक हमारा खजाना खाली हो गया, हमारे पास ऋण चुकाने के लिए एक कौड़ी भी नहीं है। हमारे देश का नाम काली सूची में दर्ज होने जा रहा है जो कि अपनी देनदारी का भुगतान नहीं कर सकता। इसका कोई जिक्र नहीं है कि यह सब कैसे हुआ। किसी को तो इसके बारे में बताना चाहिए।

मैं कह रहा हूं कि काफी परिवर्तन हो रहा है। आप इसका खंडन करेंगे। पर मेरे विचार से आने वाले सप्ताहों में और कभी न कभी यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस सरकार

के तहत कांग्रेस पार्टी द्वारा उस ढांचे, जिसका इसने जवाहर लाल नेहरू के समय से अनुसरण किया है, से अलग हटकर कार्य किया जा रहा है। मैं एक मिनट के लिए यह नहीं कहूंगा कि वह ढांचा या विकास की वह योजना सम्पूर्ण थी, उसमें कोई दोष नहीं थे, गल्तियां या कमियां नहीं थी। मैं ऐसा नहीं कहता हूं। परिवर्तन आवश्यक हो सकते हैं। लेकिन एक व्यापक ढांचा था और कुछ आधारभूत संकल्पनायें थीं जो कि मेरे विचार से कांग्रेस मत का एक हिस्सा थीं। और यदि आपने इन बातों को छोड़ देने का फैसला किया है तो आपको देश और लोगों को बताना होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसकी क्या आवश्यकता है। नहीं तो मैं नहीं जानता कि श्री आडवाणी को अपने भाषण में ऐसा क्यों कहना चाहिए जो कि उन्होंने यहां शुक्रवार को कहा था। मैं रिकार्ड से उद्धृत कर रहा हूं :

"कि नई सरकार ने जो दिशा अपनाई है उससे मेरी पार्टी का कोई विवाद नहीं है।" भा०ज०पा० ऐसा कहेगी। क्यों नहीं? उसे ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए?

आगे उन्होंने कहा :

"मैं आशा करूंगा कि यह सरकार अपनी सीमा को पहचाने.....।"

यह एक अच्छी सलाह है।"

उन्होंने यह भी कहा :

".....और इस ढंग से कार्य करे कि जैसे भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया जा रहा हो।" महोदय आधारभूत संकल्पना को बदलना होगा। लेकिन आप यह अवश्य बताएं कि वे स्थिति की आवश्यकता को पूरा करने में कैसे असफल रहे। नियोजित अर्थव्यवस्था की धारणा, श्री आडवानी ने इसे राज्य-नियंत्रणवाद की संज्ञा दी है, कहने का अभिप्राय: है कि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने वाला राज्य है। क्या कभी हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी रही है? लोगों का कहना है कि भारत ने समाजवाद का रास्ता अपना कर एक बड़ी भूल की है। हमने समाजवाद का रास्ता कब अपनाया था? हमने प्रारंभ से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया है, एक राज्य क्षेत्र और एक बहुत ही पनपता हुआ निजी क्षेत्र और राज्य क्षेत्र को केवल कुछ प्रमुख क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित होना चाहिए। यह समाजवाद नहीं है। परन्तु अब हमें बताया गया कि इसे भी कम करना होगा और कुछ मामलों को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है। यह अवधारणा थी कि सार्वजनिक क्षेत्र को ही अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार होना चाहिए। इसे निजी व्यापारियों के हाथों में नहीं सौंप दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में अब क्या स्थिति है?

संविधान में नीति-निदेशक सिद्धान्तों संबंधी एक अध्याय है जिसमें कहा गया है कि सरकार अर्थात् राज्य, ऐसी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे कि सम्पति केवल कुछ हाथों में ही केन्द्रित न होने पाए। संविधान में अदली की निदेशात्मक–सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त तो यह है जो हम पर बाहयकारी है। इस सभा के सभी सदस्यों ने उस दिन खड़े होकर संविधान को बनाए रखने तथा संविधान में लिखी प्रत्येक बात को कायम रखने की शपथ

ली थी। परन्तु जो प्रस्ताव आप पेश कर रहे हैं उसका अर्थ तो गैर-सरकारी क्षेत्र एकाधिकार क्षेत्र तथा विदेशी पूंजीपतियों को बुलाकर अधिक से अधिक सम्पत्ति उन बड़े पूंजीपतियों के हाथों में पहुंचा देना होगी। अतः यह एक अन्य मूल अवधारणा है जिसे तिलांजलि दी जा रही है।

अब मैं कृषि-सम्बन्धी सुधारों के प्रश्न पर आता हूं। मैं समझता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में किए गए कृषि सम्बन्धी सुधार अब पूर्णतयः समाप्त कर दिए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में कुछ हद तक कृषि सुधार किए गए थे और उसके बाद यह ठप हो गए और उसके बाद कुछ नहीं हुआ है।

इस देश में करोड़ों रुपये मूल्य का स्वदेशी बाजार है जो करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, परन्तु केवल कुछ लोगों को छोड़कर, जो शहरों और कस्बों में रहते हैं, और जिनके पास उपभोक्ता वस्तुओं, परिसामपत्ति वस्तुओं आदि खरीदने के लिए पर्याप्त साधन हैं; शेष लोगों के पास क्रय शक्ति ही नहीं है। हमारे गांवों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अत्यधिक लोगों की कोई क्रय-क्षमता नहीं है। मुख्य रूप से उन्हीं लोगों के लिए तो हमने हमेशा अन्य उपायों जैसे कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना इत्यादि के साथ साथ, कृषि सुधारों का सुझाव दिया है ताकि ग्रामीण लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा किया जा सके और उनकी क्रय-क्षमता को बढ़ाया जा सके तथा हमारे इस विस्तृत स्वदेशी बाजार को हमारे अपने उद्योगों द्वारा परिपोषित किया जा सके। उद्योगों को यह शिकायत है कि वे अपने माल को नहीं बेच सकते क्योंकि यहां बाजार नहीं है। परन्तु देश का विशाल आन्तरिक बाजार व्यर्थ पड़ा हुआ है। जिसका उचित लाभ नहीं उठाया जा रहा है।

निश्चय ही, हमेशा आत्म निर्भरता के नारे लगाए जाते हैं जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। मैं इससे सहमत हूं। परन्तु आत्म निर्भरता का अर्थ निश्चित रूप से यह नहीं है कि हम ज्यादा तथा उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के नाम पर अपनी पूर्ण अर्थ व्यवस्था मुक्त रूप से विदेशी पूंजी तथा बहु राष्ट्रीय कम्पनियों का अधिक से अधिक प्रवेश होने दें।

कुछ अन्य देशों में भी किसी हद तक ऐसा किया जा रहा है, परन्तु उसके लिये कुछ शर्तें और सुरक्षोपाय रखे गये हैं। मैं नहीं जानता कि यहां भारत में हमारा किन शर्तों और रक्षोपायों को लागू करने का विचार है।

इसके बाद एकाधिकार बिंदु नियंत्रण की बात आती है---समाचार पत्रों में कहा जा रहा है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अतर्गत निवेश की अधिकतक सीमा को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। ऐसी कोई भी कम्पनी जिसके पूंजी निवेश की सीमा 1000 करोड़ रुपए से कम होगी, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आएगी। कृपया हमें बताए कि क्या यह सच है कि नहीं। यदि समाचार पत्र निराधार अफवाहें फैला रहे हैं तो सरकार के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि उन अफवाहों का खण्डन करें और कहें कि "यह गलत है; हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं।" समाचार पत्रों में यह लिखा जा रहा है कि ऐसी कम्पनियों, जिनके पूंजी निवेश की सीमा 200 करोड़ रुपए हैं, को अब लाइसेन्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी

इसके बाद, सब पर लाइसेन्स हटा दिया जाएगा। यहां तक कि उद्योगों को स्थापित करने के स्थान सम्बन्धी प्रतिबन्धों को भी हटाया जाएगा। अपने सामने श्री अर्जुन सिंह को बैठे देखकर मैं यह कहने के लिए मजबूर हूं क्योंकि स्थान की जांच न किए जाने के कारण भोपाल में यह भयंकर दुर्घटना घटित हुई थी जहां एक विदेशी बहु-राष्ट्रीय कम्पनी को भोपाल शहर के घने-बसे हुए भाग में उद्योग स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी जिसके कारण वह भयंकर गैस कांड हुआ तथा हम नहीं जानते कि इसमें कितने हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे अथवा हमेशा के लिए विकलांग हो गए।

भारत जैसे देश में स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से उद्योगों की स्थापना के स्थान पर अंकुश लगाना एक बहुत जरूरी बात है। परन्तु समाचार पत्रों में जो हम पढ़ते हैं उसके अनुसार तो सरकार लोगों को भारत में आकर पूंजीनिवेश करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में यह रियायत भी देना चाहती है कि यहां उनके द्वारा उद्योगों की स्थापना करने के लिए स्थान का कोई प्रतिबन्ध ही नहीं होगा। भगवान जाने इसके बाद हमारा क्या हाल होगा। उन लोगों को उनके मूल देशों में ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती जहां यह कम्पनियां स्थापित की गई हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका में, वहां की सरकार अत्यधिक घने बसे क्षेत्रों में ऐसे खतरनाक संयंत्र लगाने की अनुमति कभी नहीं देगी। परन्तु भारत जैसे देश तथा तीसरे विश्व के देशों में इस बात की परवाह कौन करता है। यह बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां भी इसकी परवाह नहीं करती। यहां हमारे देश में उन पर ऐसा नियंत्रण या प्रतिबंध लगाने वाला कोई है नहीं। और इसीलिए यहां ऐसी भयानक दुर्घटना हुई।

जिस ढंग से यह सब हो रहा है आप मुझे क्षमा करें, परन्तु उस दिन वित्त मन्त्री जी की बातों से हमें जो पता चला, मुझे यही लगता है—मैं गलत भी हो सकता हूं—कि वास्तव में सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह आश्वासन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो भी शर्तें लगाई जाएंगी, हम उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मुझे चिन्ता है क्योंकि मैं यह सोच रहा हूं कि कुछ समय बाद हम यह पाएंगे कि अपने पेटेन्टस लॉक जो कि बौद्धिक सम्पति अधिकार को बदलने के लिए हम पर विशेष दबाव डाला जायेगा का एक प्रश्न है जिस पर हम पिछले कुछ वर्षों से उनमें व्यापार और सीमा शुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते पर हो रही चर्चा में इन लोगों में संघर्ष करते रहे हैं। वह अब हम पर और दबाव डालेंगे कि पेटेन्टस लॉ में अवश्य संशोधन किया जाए और बौद्धिक सम्पति-अधिकार के प्रश्न पर उन्हें हमारे देश में प्रवेश करने की स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये। क्या हम इन बातों पर सहमत होंगे? मान लो, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहे कि हमारे रक्षा-व्यय में अवश्य ही अमुक कटौती की जाए, क्या हम इसे स्वीकार करेंगे? मैं रक्षा व्यय में कटौती करने के हक में हूं जहां तक सीमा रक्षा सम्भव है और जहां इस पर व्यर्थ खर्च किया जा रहा है, क्योंकि यह अनावश्यक व्यय है। आप रक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में प्रकाशित होने वाली लेखा परीक्षा रिपोर्टों को पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि कितने लाखों और करोड़ों रुपए व्यर्थ खर्च किए जाते हैं। निश्चय ही काफी मात्रा में धनराशि को बचाया जा सकता है। परन्तु यह करना हमारा कार्य है। यह स्वयं

भारत ने देखना है कि वह अपनी सुरक्षा-संबंधी समस्यायों और सुरक्षा वातावरण देखते हुए उसे क्या करना है और क्या नहीं हमें यह कार्य स्वयं करना है। हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा किसी विदेशी एजेन्सी की प्रतीक्षा क्यों करें कि वह हमें आकर बताएंगे कि हमें अपने रक्षा व्यय को अवश्य कम करना चाहिये ? यह उनका कार्य नहीं है। यह हमारा अपना कार्य है।

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : एन० पी० टी० के सम्बन्ध में जिस दिन चर्चा प्रारम्भ हुई थी मैंने स्पष्ट रूप से यह बताया था कि न तो उनकी ओर से कोई दबाव डाला गया है और न ही दबाव आने की सूरत में हमारे झुकने की कोई सम्भावना है। मैं रक्षा-व्यय के सम्बन्ध में इस बात को दोहरा सकता हूं। यदि हमने इसे कम किया तो इसलिए कि हम समझते हैं कि इसे कम करना ठीक होगा। परन्तु हमें किसी दूसरे के दबाव में आने की अपेक्षा, हमें स्वयं अपने लिये संभावित खतरा को ध्यान में रखना होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रधान मन्त्री ने जो कुछ भी स्पष्टीकरण दिया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं यह जानना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अनुमानित शर्तों पर बातचीत की कोई गुंजाइश है। यदि है तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारी बातचीत का मुद्रा क्या होगा। हमारे पक्ष में कौन कौन-सी बातें हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वे बातें यह है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसे हम राष्ट्रीय हित में नहीं समझते। यही एक न्यूनतम आधार है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदया, इन शर्तों को सभा पटल पर क्यों नहीं रखते ? **(व्यवधान)**

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, वे शर्तें रखेंगे और वे ही शर्तों में छूट देगें। बातचीत की यह एक लम्बी प्रक्रिया है। परंतु इस सरकार का बातचीत का न्यूनतम आधार यह है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेगें जो राष्ट्रीय हित के विरूद्ध हो.... **(व्यवधान)**।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं इस समय सरकार को इस हद तक शक का लाभ उठाने की अनुमति दे सकता हूं कि क्योंकि शायद उन्हें भी उन शर्तों की जानकारी नहीं है जो उन पर लगाया जाना है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जो निर्णय मैंने लिया है उसके लिए मुझे इन शर्तों को जानने की आवश्यकता नहीं है और अभी-अभी मैंने यही बात कही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : शायद मैं वे बाते नहीं बता रहा हूं जो प्रधान मंत्री ने मुझे गुप्त रूप से बतायी थीं—वैसे मैं नहीं समझता कि ये बातें गोपनीय हैं—उन्होंने मुझे कहा था कि वे अर्थशास्त्री नहीं हैं, उन्हें जिन की जानकारी नहीं है परंतु उनके वे सहकर्मी, जिन्होंने काफी लम्बे समय तक विश्व बैंक तथा अ० मु० को० और ऐसी ही अनेक संस्थाओं के साथ काम किया है, ने उन्हें बतया है कि इन दिनों आ मु० को० में उसी विचार के धारा चल रही है और उस विचारधारा में वे अफ्रिका, लैटिन अमेरिका, और एशिया जैसे तीसरे विश्व

के देशों पर काफी कड़ी शर्तें लगाते हैं और इन कड़ी शर्तों के द्वारा, उन देशों की अर्थ-व्यवस्था ढ़ह जाती है और अव्यवस्था फैलती हैं । इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि यह वह बात नहीं हैं जो वे कह रहे थे बल्कि जो उनसे कहा गया था कि अ० मु० को० के लोग सोच रहे हैं कि इन शर्तों पर इतना बल न दिया जो कि परिणाम उल्टे निकलें। मैं कहता हूं कि यह ठीक बात परंतु हम वितमंत्री की भी सुनें कि वे क्या कहना चाहते हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि जिस प्रकार वित्त मंत्री पुरे मामले को रखते हैं कि यदि मैं गलत नहीं समझा तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है। हमारे पास कोई विकल नहीं है। जो कुछ भी अ० मु० को० चाहती है इसे स्वीकार करना होगा। अन्यथा हमें ऋण नहीं मिलेगा और हमारे लिए देश को चलाना मुश्किल होगा। सारे मामले का यही निष्कर्ष है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता परंतु मैं अपनी मूल आपत्तियों को रखूगां। इस स्थिति में इस सरकार को समर्थन देने या इसमें विश्वास जताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो कुछ भी किया है वह विश्वास पैदा नहीं करता और जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार जो कुछ भी वे करना चाहते हैं उसके परिणाम काफी बुरे होंगे। यह काम किसके हित में किया जा रहा है? मैं जानना चाहता हूं कि आपकी नीतियों से क्या इस देश की जनता को लाभ पहुंचेगा अथवा ये उनपर बोझ बनकर रह जाएगीं। कोई भी व्यक्ति इस बात से अब इनकार नहीं करता कि मुद्रास्फीति वर्तमान की तुलना में काफी अधिक बढ़े। इस मुद्रास्फीति का बोझ किस पर होगा ? जो भी व्यक्ति अर्थशास्त्र जानता है इस बात को मानता है कि मुद्रास्फीति के दौरान बड़ी कम्पनियां या बड़े स्वामित्व वाले व्यक्ति या बड़े व्यापारी प्रभावित नहीं होते हैं। अवस्फीती के दौरान उन्हें ज्यादा लाभ मिलता है। गरीब व्यक्ति ही पीड़ित होते हैं। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि यदि वे राज सहायता में काफी बड़ी कटौति करने पर दाबव देते हैं तो खाद्यान्न पर राज सहायता का क्या होगा ? यदि खाद्यान्न पर राज सहायता में काफी कटौति की जाती है तो इससे कौन प्रभावित होगा ? क्या इससे आप या हम प्रभावित होगें। मैं नहीं समझता कि आप या मैं राशन के बारे में ज्यादा चिंतित रहते हैं। हमें 600 ग्राम या 100 ग्राम चीनी के लिए घंटों लाइन में खड़े नहीं होना चाहते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं ? गरीब व्यक्ति ऐसा करते हैं। पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाज के गरीब तबकों के सुरक्षा के लिए है उन्हें पहले बाजार की दया पर छोड़ने के लिए नहीं है। परंतु यदि अ० मु० कोष के दबाव में आकर इन राज सहायता को हटा दिया जाता है तो कौन प्रभावित होगा ? अतः हमें इन बातों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। हम आंख मूद कर हां नहीं कह सकते कि हम सरकार का समर्थन करते हैं। इन मुद्दो पर हम सरकार का समर्थन नहीं कर सकते।

मैं यह नहीं कहता कि नेहरू-गांधी के विचारों का हमेशा सावधानी पूर्वक अनुकरण किया गया है। ऐसी बात नहीं है। कम-से-कम गत दस वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। मेरा विचार है कि इसमें काफी परिवर्तन हुआ है। परंतु इस नीति के इस सिद्धांत में कुछ दिखावा किया गया कि हम इससे अलग नहीं हो रहे हैं और हम इस पर दृढ़ हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि गुप्त रूप से इस पूरी नीति तथा सिद्धान्त को त्याग दिया जाएगा।

आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं यदि आप देश और इसकी जनता को विश्वास दिला सकें कि इस सिद्धांत के बगैर भी हम जी सकते है और कि सभी पुराने सिद्धांतों को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। परंतु कृपया हमें बताए कि आपका तर्क क्या है । आपके पास अनेक अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ है। आपको इस बात को स्पष्ट करनी चाहिए।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि आपके प्रस्ताव के पक्ष में वोट देने अथवा इस सरकार में अपना विश्वास जताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। हम इस बारे में चिन्तित हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक और मध्यावधि चुनाव हों। यह समस्या भी है । जनता की इच्छा नहीं है । आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। हरेक व्यक्ति इस बात को जानता है चाहे वह किसी भी पार्टी का हो या देश के किसी भी भाग का हो । अगर कल को आप फिर जनता के पास पुनः जाते हैं और कहते हैं कि हमें वोट दें तो वे आपको जूतों से मारेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं जिससे कि एक और मध्यावधि चुनाव हो । भाजपा के नेता ने शुक्रवार को बल देकर यह बात कही थी कि वे इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे । मुझे नहीं पता कि उनका तात्पर्य क्या था । हम अन्त में देखेंगे कि वे प्रस्ताव के विरोध में वोट देंगे या क्या करेंगे । यदि वे प्रस्ताव के विरोध में वोट देते हैं और हम भी उनका साथ देते हैं तो यह सरकार आज ही गिर जायेगी यह बच नहीं सकती । तब चुनाव के अलावा और कोई उपाय नहीं बचेगा । यह इसका दुर्भाग्य पूर्ण पहलू है, कोई भी दल अपनी सरकार नहीं बना सकता । आपने भी सरकार नहीं बनाई है । आपकी एक अल्पमत सरकार है। कोई भी दल इस स्थिति में नहीं है कि वह बहुमत की सरकार बना सके। कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में नहीं है कि वह जनता के पास जाए और कहे कि "आप पुनः वोट दें क्योंकि हम सरकार नहीं चला सकते हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि अस्थिरता की यह स्थिति किसी एक दल की समस्या नहीं है। लम्बी अस्थिरता की स्थिति देश और जनता के लिये घातक है । सभी ज्वलन्त मुद्दे लम्बित पड़े हैं। हम उनमें से किसी पर भी गम्भीरता पूर्वक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जहां तक जन साधारण का सम्बन्ध है अस्थिरता के कारण बड़े अफसरों या बाजार पर नियंत्रण करने वाले एकाधिकारियों द्वारा उनका हर प्रकार से शोषण होता है और उन पर हर तरह के मनमाने निर्णय थोप दिये जाते हैं । और यदि ऐसा होता रहा तो इससे जन सामन्य के बीच और कटुता उत्पन्न होगी और विश्वसनीयता समाप्त हो जायेगी और तब सभी प्रकार के हथकण्डों तथा अन्य सभी प्रकार की विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा मिलेगा।

श्री इन्द्र जीत :—इस सब के लिये आपके पास क्या हल है?

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मेरे विचार से गोरखा लेण्ड की स्थापना इसका हल है। (व्यवधान) : गोरखालैण्ड स्थायित्व का आदर्श है। हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं। श्री घीसिंग, जो श्री इन्द्र जीत के मित्र हैं, नेपाल द्वारा दार्जलिंग को हड़पने तथा पूरे उत्तर भारत को अपने पंजे में जकड़ने के खतरे की बात कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत : मै वास्तव में आपसे पूछता हूं कि स्थिरता लाने के लिए आपके पास क्या हल है? में समझता हूं कि आपको इस बारे में अवश्य ही गम्भीरता पूर्वकसोचना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत : कल अथवा उससे एक दिन पहले मेरे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पत्रकार सम्मेलन में स्थिरता के लिये हल सुझाया गया है मैं वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि उन्होंने अथवा उनके साथियों ने क्या कहा है। उन्होंने यह कहा है कि इस संकटकालीन स्थिति में यह आवश्यक है कि देश को एकजुट होना चाहिये और एक साथ मिलकर समान विचारधारा वाले दलों को साझा सरकार बनानी चाहिये; परन्तु ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी। **(व्यवधान)** ।

3.00 म० प० :

महोदय, हमारे लिए "नहीं" का बटन दबाना और आपके विरुद्ध वोट डालना बहुत ही आसान होगा। इससे आसान और कुछ भी नहीं होगा। परन्तु हम नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र क्या करने जा रहे हैं? परन्तु फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा क्योंकि अब मैं समझता हूं कि आपके समीकरण कुछ हद तक बदल रहे हैं—मैं इसे 'अच्छा' नहीं कहता, परन्तु समीकरण कुछ हद तक बदल रहे हैं और मुझे इस बारे में किसी से कोई मन-मुटाव नहीं है। परन्तु हमें यह देखना है कि इसके लिये किसी को क्या कीमत चुकानी पड़ती है। मेरे विचार से आपको अपने सभी सैद्धान्तिक विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिये। वामपन्थी दलों—समाजवादी और साम्यवादी दलों के लिये उनकी विचारधारा एक विशिष्टता है। यदि आप 'विचारधारा' शब्द का उल्लेख करेंगे तो वह कहेंगे 'ओह आप अवश्य ही साम्यवादी होंगे'। अत: अन्य किसी सदस्य की कोई भी विचार-धारा नहीं हो सकती है। मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। प्रधान मंत्री जी, अपनी अल्पमत सरकार को सत्ता में बनाये रखने के लिये आप समझते हैं कि आप विपक्ष के मतभेदों का लाभ उठाने में समर्थ होंगे, परन्तु यह रास्ता भी बहुत जोखिम भरा है तथा इसके अनेक गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं क्योंकि आज जैसा कि हमने निर्णय लिया है न तो हम आपके प्रस्ताव के समर्थन में वोट देंगे और न ही हम आपके प्रस्ताव के विरोध में वोट देंगे। अब हम इस प्रस्ताव से अलग रहेंगे। मैं यह गारन्टी नहीं दे सकता हूं कि अगली बार क्या होगा क्योंकि ऐसे अवसर बार-बार आते रहेंगे। सारी समस्या यही है। अत: यह सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है कि वह अपने को सत्ता में बनाये रखने का प्रयास करें। सरकार को सत्ता में बनाये रखने का कार्य विपक्ष का नहीं है यह सरकार का कर्त्तव्य है कि अपने को बनाये रखने का प्रयास करें। चूंकि आप इस स्थिति में आये हैं तो आपको सरकार को सुरक्षित बनाये रखने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। और मैं एक बार फिर यह सुझाव देता हूं कि यदि आप इस बारे में गम्भीरता पूर्वक सोचते हैं तो आपको अपनी कार्य-प्रणाली को मूल रूप से बदलना होगा, आपको यह सब कार्य नहीं करने चाहिये, सफल न होने वाले उन सभी प्रकार के व्यापक उपायों द्वारा देश को ऐसी स्थिति में नहीं ले जाना चाहिये जिसकी इस समय कल्पना भी नहीं की जा सकती और बाद में यह कहना 'नहीं, नहीं' हम विपक्ष के साथ परामर्श कर रहे हैं। यह किस प्रकार का परामर्श, हुआ? मैं यह नहीं कहता कि परामर्श करने से हर बात का समाधान हो जायेगा परन्तु इससे कम-से-कम हम सरकार द्वारा लोगों को विश्वास में लेने के प्रयास के बारे में पता लगा सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो मैं समझता

हूं कि अगली बार आपको नये सिरे से सोचना होगा। हर बार आपको नये सिर से सोचना होगा और मैं समझता हूं कि इससे भी आपके लिये तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी क्योंकि आपको कभी भी वह पता नहीं चल पायेगा कि विपक्ष क्या करने जा रहा है, आप कभी नहीं जान पायेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, आप यह भी नहीं जान पायेंगे कि हम क्या क्या रहे हैं अतः आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, प्रधानमंत्री जी, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। **(व्यवधान)** परन्तु सरकार का क्या हाल है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : विपक्ष की स्थिति का भी कुछ पता नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निसन्देह, क्या किया जाना चाहिये? यह सभा इसी ढंग से गठित हुई है, इसी तरह लोगों ने सभा में मतदान किया है। इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिये? न तो आप और न ही मैं कुछ कर सकते हैं। इसलिये, कृपया इस वास्तविकता का उपयुक्त मूल्यांकन करें और तदनुसार मैं आशा करता हूं कि आप कार्यवाही करेंगे। आने वाले दिनों में मुझे डर है कि शुरू किये जाने वाले ऐसे अनेक तथा कथित सुधारात्मक उपायों, की हम लोगों द्वारा कटु आलोचना और विरोध किया जायेगा क्योंकि हम यह बात नहीं भूल सकते कि जन सामान्य, जिसने हमें सभा में चुन कर भेजा है, के साथ क्या होने वाला है। यही तो प्रश्न है। यदि जन सामान्य को बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और मूल्य-वृद्धि तथा फैक्टरियों में तालाबन्दी करके मजदूरों को बेरोजगार बना कर ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जाना है तो मुझे यह बताया गया है कि इस समय विद्यमान सांविधिक कानूनी उपबन्ध, की कोई भी नियोक्ता सम्बन्धित सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना अपनी फैक्टरी को बन्द नहीं कर सकता, को समाप्त कर दिया जायेगा तो मुझे किसी भी समय अपनी यूनिट बन्द करने, उस भूमि भवन तथा अपनी फैक्ट्री के उपकरण बेचने की स्वतन्त्रता होगी क्योंकि ऐसा कहने के लिये उन पर दबाव डाला जाता है कि हम अलाभकारी यूनिट को क्यों चलाये ? हम घाटे की यूनिट को क्यों चलाए हमें उस यूनिट को बन्द करने और श्रमिकों को बेरोजगार करके सड़क पर छोड़ देने की स्वतन्त्रता दी जाये। परन्तु एक विधायी प्रावधान है जो इस समय हो रहे कार्य को करने से रोकता है। क्या आप उसे हटाने की बारे सोच रहे हैं? हम नहीं जानते, परन्तु दस्तावेज कह रहे हैं कि आप ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। इसलिये आप उन्हें अच्छी तरह से बता सकते हैं कि ऐसा न लिखें जिससे कि आपकी विश्वसनीयता नष्ट हो। हमें खेद है कि हम आपके प्रस्ताव का अनुमोदन करने में असमर्थ हैं, लेकिन पूर्व वर्णित तर्कों के कारण हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जनता और दूसरे चुनाव का सामना करने के योग्य नहीं है। इसलिये हम मतदान से अलग रहेंगे लेकिन हमारी गैर हाजिरी को आपके समर्थन के रूप में न लिया जाये। मैं जानता हूं कि कुछ भाजपा मित्र ऐसा कहेंगे कि वे वस्तुतः विपक्षी हैं और दूसरे अपनी गैर-हाजिरी के कारण विपक्षी नहीं है। हम प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने नहीं जा रहे हैं। अब हमें यह देखना है कि वे मतदान कैसे करेंगे और कितनी बार वे ऐसा करेंगे। बस मुझे इतना ही कहना है। इसके साथ ही अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार अपने तरीकों और कार्यों में संशोधन करेगी और प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य करेगी।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : सभापति महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कहा है हमने उसे बड़े ध्यान से सुना है, वह जितने वरिष्ठ सदस्य है, उसका हमें

स्वाभाविक रूप से ध्यान रखना होगा। प्रारम्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से उन्होंने चुनावों के बाद के दृश्यों के प्रति अपनी असमर्थता व्यक्त की है, उससे उस पार्टी को कोई लाभ नहीं होगा जिसने हमेशा ही देश में और संसार में उभर रही शक्तियां का अध्ययन अथवा मूल्यांकन करने की कोशिश की है मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा—हालांकि यह मेरा अनुमान है जिसे मैं नहीं चाहता कि कोई मूल रुप में स्वीकार करें—कि मतदाताओं के निर्णय से प्रकट हुए आदेश को कांग्रेस पार्टी सहित हम सभी को स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से समझ लेना चाहिये और हमें वे कदम उठाने शुरू कर देने चाहिये, जोकि हमारे विचार से राष्ट्र के हित में हों? आदेश ऐसा है कि इस देश के लोगों ने देश में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत से वंचित रखा है। इसलिये, क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि इस देश के लोग एक दिशा की ओर इशारा कर रहे? उन्होंने हर राजनीतिक पार्टी की समझदारी और दूरदर्शिता को, चुनौती दी है कि हम में से प्रत्येक किस हद तक लोगों द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसे रूपान्तरित करने के लिये तैयार हैं या समर्थ हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग 'त्रिशंकू संसद' की बात करते रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, जैसे मानो कि हम उन्हें, उनके द्वारा लिये गये निर्णयों के लिये, दण्डित कर रहे हैं।

मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि देश की जनता को फटकार सकूं जो कुछ भी उन्होंने करने का निश्चय किया है हमें उनके निर्णय को उसी रूप में लेना है और उस पर कार्य करना है। अब हमारी स्थिति क्या है, एक विचार तथा अनुवर्ती कार्यवाही यह हो सकती है कि सिर्फ अपने को बचाये रखने के लिये हम हर प्रकार का समझौता करते रहे। मैं यह बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिये नहीं कह रहा हूं कि मैं यह बात सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूं क्योंकि अपना अस्तित्व बनाये रखना हर पार्टी के लिये जरूरी है। इसलिये मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि हमें अपने राजनैतिक क्षेत्र की कार्य प्रणाली की नये सिरे से जांच करनी होगी ताकि हम समस्याओं और चुनौतियों के समाधान के लिए देश का सामूहिक रूप से इस प्रकार मार्ग निर्देश कर सकें जिससे कि हमारे काम से देश को तो लाभ मिले ही, कुछ मौलिक विचार और नीतियां बची रहें। मुझे एक मात्र रास्ता यह दिखता है कि हमें राष्ट्रीय समस्या के कुछ क्षेत्रों को निश्चित करना होगा सभा में कुछ क्षेत्रों की ओर ध्यान दिलाया गया है। इन समस्याओं को निश्चित कर हमें ऐसी प्रक्रिया तैयार करनी होगी ताकि हम एक आम सहमति तैयार कर सकें कि उन राष्ट्रीय उन समस्याओं से कैसे निपटना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी मेहनत व्यर्थ जायेगी और मैं समझता हूं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा। एक बार यह तय कर लेने के बाद मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं दिखता कि सभा के हर वर्ग का कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी दल का हो, इन "समस्याओं के समाधान के लिये तैयार नहीं होगा। एक बार प्रयास करने और कुछ उपलब्धि हासिल से यह हर प्रकार की कार्यवाही के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत होगी जो कि पूरे देश का एक कार्यक्रम होगा।

मुझे प्रसन्नता है और गर्व है कि माननीय प्रधान मंत्री ने इस प्रक्रिया की शुरूआत कर दी है। यदि आप इसे अपर्याप्त पाते हैं या यदि आप उनके इरादों को नहीं समझ पाये हैं तो जैसे-जैसे समय बीतेगा आपको पता चलेगा कि जो रुख उन्होंने अपनाया है वही आज

देश में एकमात्र रास्ता है और मुझे विश्वास है कि ज्यों ज्यों समय बीतेगा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम उभरेगा और तब सभा के सभी वर्ग के लोग अपने विचार रखेंगे जो समस्याओं के समाधान का एक उचित तरीका है।

चर्चा प्रारम्भ करते हुए आडवाणी जी ने हम लोगों से इन चुनावों में उभरी कुछ बातों पर टिप्पणी करने के लिये कहा था। स्वाभाविक तौर पर एक बात यह थी, जिस पर उन्होंने हमारे विचार जानना चाहा था कि भा० जा० पा० जो कुछ भी उसके विचार और विश्वास हो, एक मजबूत पार्टी बन कर उभरी है। मैं नहीं समझता कि कोई भी यदि इसे अनदेखा कर सकता है। हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि उन्हें 80 के स्थान पर 100 स्थान मिलें है। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश किया है यहां उनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। परन्तु मैं पूरे सम्मान के साथ श्री आडवाणी को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस देश की जनता ने बड़ी सफाई से इस सच्चाई को स्पष्ट कर दिया है कि अनियंत्रित साम्प्रदायिक अभियान, साम्प्रदायिक गतिविधि, साम्प्रदायिक प्रयासों को लोकतांत्रिक तरीके से रोक दिया गया है और सभा की यह संरचना इसका प्रमाण है।

मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि इस देश की जनता का यह ऐतिहासिक निर्णय एक ऐसा निर्णय है जिसका न सिर्फ हमने स्वागत किया है बल्कि यह हमारी सभी नीतियों और कार्यवाहियों का एक आधार होगा। वह साम्प्रदायिक ताकतें जो देश में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं जो इस महान देश की प्रक्रिया को दूषित करना चाहते हैं जो देश की राजनीति में जहर फैलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर और हर जगह उनका कड़ाई से मूल रूप से और निरंतर सामना किया है और करती रहेंगी।

इससे एक सामाजिक आर्थिक तस्वीर उभर कर सामने आई है। दशकों के बाद भारत ने एक सामंतवादी समाज को एक ऐसे समाज में बदलते हुए देखा है जो 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहा है। यह कहना कि इसके लिये कोई व्यक्ति या कोई एक पार्टी ही जिम्मेदार है यह गलत होगा।

श्री नानी महाचार्य (बरहामपुर) : पहले सामंतवादी समाज था। वर्तमान समाज का रूप क्या है।

श्री अर्जुन सिंह : कृपया मुझे बोलने दें। हो सकता है मैं आपको विश्वास न दिला सकूं परन्तु में अपनी बात कहना चाहूंगा। यह सच है कि अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ रचनात्मक वर्षों में पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की गई नीति ने इस परिवर्तन को गति दी है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अपना अधिकार पाते हुए देखा है। वे उस खेत के मालिक बने जिसे उन्होंने जोता।

औद्योगिक क्षेत्र में हमने औद्योगिक श्रमिकों को अपने पैरों पर खड़ा होते देखा है। मैं समझता हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जिन बातों की ओर भी ध्यान दिलाया है वे इस प्रक्रिया की चरम सीमा है। मुझे इसमें कोई खतरा नहीं दिखता कि वे सभी समाप्त हो रही है और जंगल का कानून चलने की स्थिति बन रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पण्डित जी ने जो शुरुआत की थी वह न केवल फलीभूत हुई है बल्कि अब उसकी ऐसी स्थिति बन गई है जिस पर पूरे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने ध्यान दिया है और वह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लिये एक व्यवस्था बन गई है। और उसका पालन किया जा रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्री नरसिंह राव, क्या आप उत्तर दे रहे हैं?

श्री अर्जुन सिंह : मैं सिर्फ विनय कर रहा हूं और यदि यह आपको पसन्द नहीं है तो मैं बैठने के लिये तैयार हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप किसकी बात का उत्तर दे रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह : मैं सभा में उन लोगों द्वारा व्यक्त काल्पनिक चिन्ताओं का उल्लेख कर रहा हूं जो सच्चाई खुलने के बजाये बुरा ही देखना चाहेंगे। यह वह भय है जिसे मैं अपने तरीके से शांत करना चाहता हूं कि निस्सन्देह मैं अपनी क्षमता के अनुसर ही प्रयास कर सकता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : निस्सन्देह आप प्रयास कर सकते हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : कोशिश जारी रखें।

श्री अर्जुन सिंह : जब आप मुझे कोशिश करने के लिये कहते हैं तो ध्यान रखें कि जब मैं कुछ कहूंगा तो यह सर्वथा भाजपा के विचारों के लिये हानिकारक होगा।

देश में जो सामाजिक-आर्थिक स्थिति उभरी है जो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक रूप लेना चाहती है, कांग्रेस ने बराबर उसे बढ़ावा दिया है, प्रोत्साहन दिया है और सभी प्रकार से सहायता दी है।

मैं जानता हूं कि इस बारे में कुछ शंकायें रही है कि किस हद तक उन लोगों को जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से निम्नस्तर पर हैं अब तक कुछ मिल पाया है। इस शक को काफी हद तक स्वयं श्री राजाजी द्वारा तैयार घोषणा पत्र में दूर किया गया था और यह वह योजना थी जिस पर हम जनता के समक्ष उनका समर्थन मांगने गये थे। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि जब प्रधान मंत्री देश के लिये अपनी योजना में अपने सारे विचार को रखते हैं तो बचा हुआ सन्देह भी खत्म हो जाता है, बस थोड़ी सब्र और समर्थन की जरूरत है। **(व्यवधान) :** जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पूछा है "क्या हम उन नीतियों को तोड़ रहे हैं जिसे पण्डित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी ने देश के सभी क्षेत्रों के लिए बनाया था।" मुझे विनम्रता से कहना पड़ रहा है कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में आई थीं, तो उनसे भी यही प्रश्न पूछे गये थे क्या वह पण्डित नेहरू की नीतियों को तोड़ रही हैं। मैं समझता हूं कि मैं गलत नहीं हूं। मैं सही कह रहा हूं। उन्होंने इस बात का उत्तर अपने काम से दिया। यही प्रश्न श्री राजीव गांधी के सामने भी रखे गये कि क्या वह उन्हें तोड़ रहे हैं जो कुछ भी श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था? इस बात का उत्तर उन्होंने अपने काम से दिया। मैं आपको आश्वासन दे सकता

हूं कि इस प्रश्न का सिर्फ उत्तर ही नहीं दिया जायेगा हमारे प्रधान मंत्री द्वारा प्रभावकारी रूप से उत्तर दिया जायेगा कि हम कुछ भी नहीं तोड़ रहे हैं। हम उस व्यापक ढांचे में एक भारत का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे कांग्रेस के नेताओं ने तैयार किया था। हम स्थिति की इन सच्चाइयों को अनदेखा नहीं कर रहे हैं। यदि कामरेड गोर्बाचेव अनदेखा नहीं कर सकें तो मैं नहीं समझता कि आप हमारे प्रधान मंत्री पर इस बात के लिये दोष लगा सकते हैं। इसलिये जो कुछ भी होना है होकर रहेगा तथा देश के भौतिक हितों को सावधानीपूर्वक समझ-बूझ कर बिल्कुल सुरक्षित रखा जायेगा। सरकार जो भी कदम उठायेगी उसमें देश के बृहत हितों को ध्यान में रखा जायेगा और उसमें हम सभी को काम करने का अवसर मिलेगा। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव की मूल बात यह नहीं है कि कोई इसका समर्थन करे, कोई विरोध करे या कोई अनुपस्थित रहे बल्कि यह है कि क्या हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उन वास्तविकताओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने को तैयार है जो हाल के चुनावों में उभरी है। इस देश की जनता इस देश को कहां ले जाना चाहती है, इसकी समस्याओं का समाधान इसकी चुनौतियों का सामना एक दूसरे का विरोध करके नहीं किया जा सकता बल्कि सहमति से तथा एक ऐसे तरीके से किया जा सकता है जिसमें सभी भय और चिन्ताएं शामिल हैं, परन्तु वहां सहयोग दें जहां जनता और देश के हितों के लिये जरूरी हो।

राजनीति क्षेत्र के बाहर आज की सबसे बड़ी समस्या राम जन्म-भूमि–बाबरी मस्जिद की है, यह मामला पिछले कुछ वर्षों में ही उस तरीके से उभरा है अतः इसे न सिर्फ सावधानीपूर्वक निपटाने की आवश्यकता है बल्कि इससे निपटने के लिये प्रतिबद्धता भी जरूरी है। राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि इस समस्या का समाधान सिर्फ आपसी परामर्श और सहयोग से हो सकता है। मुझे विश्वास है सभा के सभी वर्ग के लोग इस पहलू को ध्यान में रखेंगे। सभी निकायपूर्ण स्थानों को 15 अगस्त, 1947 की स्थिति में बनाये रखने के लिये लाए जाने वाले विधेयक के बारे में उठाये गये किसी भी अनेक्षित सन्देह का खण्डन किया जाना चाहिये। इस विधेयक में न तो सोमनाथ मन्दिर और न ही राम जन्म-भूमि आता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी को इस बात से किसी को भ्रम में डालने का कोई फायदा नहीं है कि इस निर्णय से सभी निपटाये हुए जगह प्रभावित होंगे। यह सही है कि यह एकमत निर्णय है और इसका जनता की जानकारी के लिये उल्लेख हमारे घोषणा-पत्र में था कि देश अब और धार्मिक उत्तेजना फैलने नहीं देगा जिसके परिणामस्वरूप सारा देश साम्प्रदायिक तनाव से जलेगा। इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि यह विश्वासमत जिसे प्रधान मंत्री प्राप्त करना चाहते हैं, देश को चलाने के लिये एक नये राजनैतिक प्रयोग की शुरुआत होगी। यह प्रत्येक दल पर निर्भर है कि वह इस विश्वास मत में कैसा व्यवहार करेगा। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि उनकी पार्टी का जो विश्वास उनमें है और देश की जो सद्भावना उनके प्रति है उससे सारी चुनौतियों एवं बाधाओं के बावजूद वह राष्ट्र को उस नये मनवांछित युग में ले जाने में समर्थ होंगे। जिसमें मेहनतकश जनता, गरीबों तथा बेघर लोगों को भी जगह होगी। हमारे देश तथा राष्ट्र के लिए वही भविष्य है और उस भविष्य की ओर हम अपनी पूरी ताकत के साथ बढ़ेंगे और उसे सुनिश्चित करेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, यही समय है कि जब हम सत्ता पक्ष को देश की वस्तविक हालत, खास करके चुनाव के बाद की हलत के बारे में अवगत करायें। चुनाव के बाद की स्थिति यह है कि देश की जनता ने किसी भी राजनैतिक पार्टी या राजनैतिक पार्टियों के किसी भी समूह को सारे देश पर शासन करने का जनादेश नहीं दिया है । यह भी सच है कि कांग्रेस पार्टी अब कोई बहुमत प्राप्त इकाई नहीं है । यह सही है कि यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। पर सत्तापक्ष के लोगों को यह भी याद रखना चाहिये कि कांग्रेस के मतों का प्रतिशत गिर कर 37.57% हो गया है और 1952 के बाद यह प्रतिशतता न्यूनतम में दूसरे स्थान पर है। सत्तापक्ष के लोगों को यह भी खास रूप से याद रखना चाहिये कि चुनाव के प्रथम दौरे में कांग्रेस की मत प्रतिशत गिरकर 32.90 प्रतिशत हो गई थी। हालांकि दूसरे और तीसरे दौर में यह बढ़ कर 40 प्रतिशत हो गई थी। अत: सत्ता-पक्ष को ये वास्तविकतायें पता रहनी चाहिएं तथा उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिये।

सदन में आप बहुमत में नहीं हैं। आपने सदन के बाहर भी बहुमत के समर्थन के लिये अपील नहीं की है। आपने अभी तक अपनी मन:स्थिति में खुद के बहुमत के बजाय अल्पमत में होने की बात नहीं लायी है। जैसा कि पहले भी किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है आप के बर्ताव से तो ऐसा लगता है कि इस सदन को बिल्कुल काबू में रखना चाहते हैं और साथ-साथ हमारे देश के लोगों को भी ।

महोदय वह बात भी याद रखी जानी चाहिये कि हम अपनी जिम्मेदारी के बारे में चैतन्य हैं। हम पहले भी विपक्ष में थे और अभी भी विपक्ष में हैं। हमारी यह जिम्मेदारी है कि सत्तादल के रूप में हम आपकी आलोचना करें। ठीक करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। जिन लोगों ने हमें अपना मत दिया है उनकी आशाओं और आकांशाओं को व्यक्त करना भी हमारी जिम्मेवारी है। हमारा कर्त्तव्य इसे बचाना नहीं है और हम इसे बचा सकते भी नहीं हैं। अपनी परेशानियों से निबटना आपकी जिम्मेदारी है । अपने पक्ष में बहुमत जुटाना आपकी जिम्मेदारी है। इस सरकार को चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। जैसा कि वामपंथी विपक्ष के अन्य माननीय सदस्य ने भी कहा है कि इस संकट से आपको उबारने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। यह काम तो आपको ही करना होगा । हमें तो कांग्रेस (ई) की गैर-जनतांत्रिक नीतियों का विरोध करने के मुद्दे पर चुना गया है । हमें भारतीय जनता पार्टी की साम्प्रदायिक तथा आक्रामक हिन्दू सांप्रदायिकता की खिलाफत करने के आधार पर इस सदन के लिये चुना गया है। हमें क्या भूमिका निभानी है इस बात को हम नहीं भूल सकते हैं । हम लोगों के जनादेश को एक पल के लिये भी नहीं भूल सकते हैं। इस समय हमारे लिये जनादेश यह है कि विपक्ष के रूप में हम साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ें तथा आम जनता से उन्हें अलग-थलग करने की जिम्मेदारी निभायें। अत: हमें तो अपने जनादेश पर स्थिर रहना है। हम यहां आपको उन समस्याओं, जो आपने खुद पैदा की हैं, से उभारने के लिये नहीं आये हैं जैसा कि हर वामपंथी सदस्य तथा हर देशवासी समझता है, आज भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा द्वन्द वामपंथ तथा कांग्रेस के बीच है।

महोदय, वामपंथी दलों के रूप में हमने काफी तरक्की की है। तथा यह जनता की सहायता से कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध एक गम्भीर संघर्ष के बाद ही संभव हुआ है। आपकी

तरफ से एक भी ऐसा मौका नहीं गुजरा है जब आपने हम पर आक्रमण न किया हो। जरा देखिये, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में क्या हो रहा है। उन्हें यह भी याद रखना चाहिये कि जहां-जहां वामपंथ एक शक्तिशाली राजनैतिक शक्ति के रूप में उभरा है वहां-वहां इनकी पार्टी की क्या स्थिति रही है। अतः आपको यह याद रखना चाहिये कि भारतीय राजनीति में आज मुख्य द्वन्द्व कांग्रेस और वामपंथ के बीच है। हम इस तथ्य के प्रति पूर्ण रूपेण जागरूक हैं। इस खास परिस्थिति में यह आशा भी तथा मेरे विचार से सही भी थी कांग्रेस को टकराव के बजाय सहमति का रास्ता अपनाना चाहिये। हम इसके प्रति भी जागरूक हैं कि आज देश बहुआयामी संकट से गुजर रहा है। पर सहमति की राह पर चलते हुए भी ऐसा लगता है, और यह सही भी है कि पिछले तीन सप्ताहों में आपने कई एकतरफा कार्यवाही की है तथा विपक्ष के किसी भी व्यक्ति से कोई सलाह नहीं ली। ऐसा लगता है कि आपने यह कहने कि कोई जरूरत नहीं समझी कि आप खुद क्या करना चाहते हैं। विपक्ष से क्या करवाना चाहते हैं तथा अपने देशवासियों से क्या करवाना चाहते हैं। आपने एक बार नहीं दो बार रुपये का अवमूल्यन किया है। कल मेरे माननीय मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने सवाल किया था कि कहीं ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह पर तो नहीं किया गया है। आपने इस आरोप से इनकार किया। मैं तो जुलाई के 'इकानामिक टाईम्स' में प्रकाशित सम्पादकीय लेख से उद्धृत करना चाहता हूं। उसमें साफ-साफ कहा है कि रुपये का दूसरा अवमूल्यन अन्तर-राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रसन्न करने के लिये किया गया है। मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं "ऐसा महसूस किया जा रहा है कि बजट के समय तक रुपये की कीमत और कम हो जायेगी ताकि कुल अवमूल्यन 20 से 22 प्रतिशत तक हो जाये, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि सहायता देने के लिये विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक शर्त के रूप में ऐसी सिफारिश की गई थी।"

ऐसा किसने कहा है? ऐसा 'इकानामिक टाईम्स' ने ऐसा कहा है। पहली बार रुपये का अवमूल्यन करने के बाद कुछ ही दिनों के भीतर आपने दूसरी बार अवमूल्यन का निर्णय लिया। आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह मानना स्वीकार कर लिया है। आपने इस बारे में बहुत सारी बातें कहीं हैं। इस ऋण की शर्तों के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया था। सच तो यह है कि जो जानकारी प्रैस द्वारा दी गई है उससे हम लोग ऐसा महसूस करने को विवश हैं कि देश की आर्थिक के साथ-साथ राजनैतिक संप्रभुता के लिए भी इससे बहुत ही भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। यदि देश की आर्थिक संप्रभुता के मामले पर हम समझौता करेंगे तो अन्ततः हम अपनी राजनैतिक संप्रभुता भी खो देंगे। आपने बहुत ही विनाश-कारी रास्ते पर चलने का निर्णय किया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपमानजनक तथा लज्जित करने वाली शर्तों पर ऋण लेने या स्वीकार करने की नीति से यह निष्कर्ष अथवा तर्कसंगत परिणाम यह निकलेगा कि कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी! हमारे देश में अत्याधिक बेकारी फैलेगी, काला धन बढ़ेगा, आत्म-निर्भरता वाली अर्थ व्यवस्था तथा देशी तकनीकी के प्रतिकूल विदेशी प्रौद्योगिकी आयात करनी पड़ेगी, धन कुछ हाथों में सिमट जायेगा, भारी मात्रा में कर लगाने पड़ेंगे, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति कमजोर होगी तथा जनता को आज जो राज सहायता मिल रही है और समाज कल्याण के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें समाप्त करना होगा।

ये सभी जन विरोधी उपाय हैं। ये लोगों की आधारभूत जरूरतों के खिलाफ हैं। दूसरी ओर जैसा कि मैं कह चुका हूं हम जनता के हितों की रक्षा करने के मुद्दे पर चुनाव जीते हैं। हमारा निर्वाचन देश की जनता के लिये बेहतर आर्थिक सामाजिक स्थिति लाने के लिये किया गया है। हमारा निर्वाचन सिर्फ जनता तथा श्रमिक वर्ग के कर्मचारी संघों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिये ही नहीं बल्कि उनका विस्तार के लिये किया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें कर्मचारी संघ को तथा जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करने वाली हैं। जहां तक मुझे पता चला है कि इस बात को स्वीकार किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को मानने के लिये देश के लोगों के लोकतांत्रिक कर्मचारी संघ के अधिकारों को घटाया जायेगा। आप कैसे आशा कर सकते हैं जब आप इस तरह के जन विरोधी रास्ते अपनायेंगे और आप लोगों के हितों को चोट पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियां अपनायेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे?

कांग्रेस सरकार ने अभी तक भूमि सुधार के उन उपायों को लागू नहीं किया जो हमारे देश को वर्तमान आर्थिक दलदल से निकाल सकता है। जैसा कि श्री अर्जुन सिंह कह रहे थे और मैंने समझा है आप सहमति की राजनीति के लिये कोशिश कर रहे हैं, आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं, आप सहयोग के एक नये युग की शुरुआत करना चाहते हैं।

पश्चिम बंगाल की वामपंथी मोर्चे वाली सरकार ने समस्या की गुरुता तथा स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए अपने विवेक के अनुसार देश को वर्तमान आर्थिक दलदल से निकालने की एक वैकल्पिक योजना बनाई थी। आपके वित्त मंत्री में इतनी भी विनम्रता नहीं है कि उन वैकल्पिक सूत्रों की जांच करते उन्होंने सरसरी तौर पर और बड़े अशोभनीय ढंग से उसे अस्वीकृत कर दिया। हम नहीं जानते हैं कि उनके दिमाग में कौन से विचार और कौन से तर्क हैं। एक ओर तो आप सहयोग चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, और सहमति चाहते हैं किन्तु दूसरी ओर जब देश को आर्थिक कुव्यवस्था के इस दलदल से निकालने के लिये खास रणनीति की बात उठती है तो आपके पास इतना भी धीरज नहीं होता है आप हम से सलाह लें, विचार-विमर्श करें, यदि व्यक्ति के रूप में नहीं तो कम से कम जनादेश के द्वारा चुनी गई एक सरकार के रूप में ही सही। फिर भी आप हमारा सहयोग चाहते हैं।

केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में सब कोई जानता है। केन्द्र-राज्य सम्बन्ध देश की बड़ी समस्याओं में एक है। संघवाद की विचारधारा की रक्षा करने, राज्यों को राजनैतिक तथा आर्थिक ताकतें देने, राज्यों की स्वायत्तता के क्षेत्र को बढ़ाने से समस्याओं पर आपसी सलाह, सहयोग तथा समझ के लिये उपयुक्त हालात पैदा होंगे तथा देश को बहुआयामी संकटों से उबारने के लिये विभिन्न रास्तों तथा उपायों की रचना होगी। इन हालातों में हमें सारे पक्षों का भी ध्यान रखना होगा। हम चूंकि अपने राष्ट्र की विशाल प्रकृति के विचार पर ही उनसे मतभेद रखते हैं। अतः इस महत्वपूर्ण विचारधारा वाली स्थितियों की वजह से हम सरकार या कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं कर सकते हैं। हम समर्थन नहीं कर सकते हैं।

किन्तु यदि वे चाहें तो कतिपय मौकों पर किन्हीं मुद्दों पर हम नीति के प्रति सकारात्मक रुख दिखा सकते हैं। उसके लिये भी पहल करना आपका दायित्व है, पहल करना आपकी जिम्मेदारी ।

इन तीन सप्ताहों में हमने उनके रवैये में कोई फर्क नहीं पाया। हमने देखा कि न तो उनके बुनियादी नजरिये, न ही आर्थिक नीति, न ही वैचारिक मुद्दे में और न किसी भी रूप में कोई बदलाव आया। इसलिये हमें खेद है कि जब तक वे देश में लोक विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी और विपक्ष के प्रति असहयोगपूर्ण रवैये को जारी रखेंगे, हम अपना समर्थ नहीं दे सकेंगे न ही इसके लिये वचनबद्ध होंगे।

अन्ततः महोदय, इस समय हम स्थिति की वास्तविकताओं के प्रति सचेत हैं। यदि उन्हें सत्ताच्युत कर दिया गया, तो देश का क्या होगा। भा० ज० पा० पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि एक सच्चे विपक्ष के रूप में वे आज भी उन्हें सत्ताच्युत करने में हिचकिचाएंगे नहीं। और यदि हम भी उनसे अपने हाथ मिला लें तो वे आज ही, कुछ ही घण्टों में सत्ताच्युत हो जायेंगे। विपक्ष के रूप में, वामपंथी विपक्ष के रूप में हम इन बातों को भुला नहीं सकते। अतः हमने यह निश्चय किया है कि हम उन्हें आज सत्ताच्युत होते नहीं देखना चाहते। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनकी नीतियों, उनके कदमों का विरोध करना जारी नहीं रखेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आपकी विनाशकारी नीतियों के विरोध में गलियों में संघर्ष नहीं करेंगे।

महोदय, आज सिर्फ दो घन्टे पहले मैंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण और उनकी कठोर शर्तों के सामने आपके समर्पण का विरोध कर रहे चार दलों की ओर से वामपंथी रैली को संबोधित किया था। इसीलिये हमारे लिये गलियां खुली हैं और आप मुझे अथवा मेरी पार्टी को अथवा किसी वामपंथी दल को अथवा किसी भी लोकतांत्रिक दल को आपकी लोकतन्त्र विरोधी और जनविधिनीतियों के विरुद्ध जिनका आप आज भी अनुसरण जारी रखना चाहते हैं, जनआन्दोलन करने से रोक नहीं सकते। गत तीन सप्ताहों में यह स्पष्ट कर दिया गया है। देश के लिये बेहतर है कि आप अपनी आदतें, अपनी नीतियां, अपनी यह मुद्रा बदल डालें और नया रास्ता, नई वैकल्पिक नीति अपनायें।

अतः आज हम उन्हें सत्ताच्युत नहीं करेंगे। हम मतदान में भाग नहीं लेंगे किन्तु हम उनको बेनकाब करने, उनकी आलोचना करने, लोगों को उनकी भूमिका के विषय में शिक्षित करने की अपनी जिम्मेदारी निभाना जारी रखेंगे और हम खेतों, फैक्टरियों और गलियों में उनकी जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध अपने जनसंघर्ष को तेज करेंगे।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात पूरी करता हूं।

श्री उमा रेड्डी वेंकटेश्वरराव (तेनाली) : सभापति, महोदय, मैं अपने दल तेलुगु देशम की ओर से बोलने के लिये उठा हूं।

महोदय, विगत के विपरीत हम एक बड़ी अजीब स्थिति में संसद में मिल रहे हैं। न तो इस सरकार को पूर्ण समर्थन प्राप्त है, न ही इस अल्पमत सरकार को निष्ठापूर्वक समर्थन प्राप्त है। यह एक अल्पमत सरकार है और एक ऐसी सरकार है जिसे इस सम्मानित सभा में किसी भी राजनीतिक दल का निश्चित समर्थन प्राप्त नहीं है। अब माननीय प्रधान मंत्री

ने अपनी सरकार को जारी रखने और आगामी दिनों में इस देश पर शासन करने के लिये दलों का समर्थन प्राप्त करने के लिये एक विश्वास प्रस्ताव रखा है।

जैसा कि हमारे वरिष्ठ संसदविद कहते आये हैं, हम इस बात को लेकर सचमुच असमंजस में हैं कि क्या हमें इस सरकार के विगत इतिहास को देखते हुए अथवा इसके भावी कार्यों पर विचार कर इसका समर्थन करना चाहिये ?

यदि हम कांग्रेस द्वारा पहले किये गये परिवर्तनों की समीक्षा करें तो उन दिनों, जब कांग्रेस सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त था, इस सभा में कई बार दो-तिहाई और कई बार तीन-चौथाई बहुमत प्राप्त था। तब कई बार हमने लोकतंत्र से खिलवाड़ किया था। हमने इस सभा की परम्पराओं और रूढ़ियों को छोड़ दिया। मेरे पास उसके विगत इतिहास के कुछ उदाहरण हैं। इस सरकार अथवा इस कांग्रेस पार्टी ने पहले दो अल्पमत प्राप्त सरकारों को समर्थन दिया था। एक बार 1979 में श्री चरण सिंह की सरकार को और 1990 में श्री चन्द्र शेखर की सरकार को इसने जिस तरह उन दो सरकारों को गिराया, उसे जनता भूली नहीं है। एक सरकार श्री चरण सिंह की थी, जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया था। सरकार को संसद का सामना भी नहीं करने दिया गया। दूसरी बार जब कांग्रेस सरकार ने 1989 में चन्द्रशेखर की सरकार को अपना समर्थन दिया, तो चन्द्रशेखर की सरकार को बजट तक प्रस्तुत नहीं करने दिया गया। ये कुछ उदाहरण हैं। वे अपने वचनों से मुकर गये हैं और इस संसद विशेष की पवित्र परम्पराओं से भी हट गये हैं।

इन बातों के अलावा कांग्रेस को इस बात का भी श्रेय प्राप्त है कि उसने किसी भी सीमा तक उनमें किये गये विश्वास का दुरुपयोग किया और साथ ही संविधान के प्रावधानों का भी दुरुपयोग किया। 96 बार लोकप्रिय सरकारों को गिराया गया और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। एक उदाहरण स्वयं मेरे राज्य आन्ध्र प्रदेश का है। 1984 में एन० टी० रामा राव की लोकप्रिय निर्वाचित सरकार जिसे 294 में से 202 सदस्यों का बहुमत प्राप्त था, को बिना उस सरकार की किसी गलती के गिरा दिया गया।

3.50 म० पू०

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

यह पूर्णतया अलोकप्रिय काम था केवल तेलुगु देशम पार्टी के एक धड़े को उकसाने के लिये दरार पैदा कर दी गई। किन्तु आन्ध्र प्रदेश की जनता साहसी थी सम्पूर्ण राज्य में व्यापक विद्रोह हो गया। यद्यपि केन्द्रीय सरकार और सत्तारूढ़ दल के लोकतंत्र को महत्व को अनुभव नहीं किया था, किन्तु आन्ध्र प्रदेश की जनता ने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिये संघर्ष किया और सत्ताच्युत होने के तीस ही दिनों के भीतर एन० टी० रामाराव की सरकार पुनः सत्ता में आगई इसलिये महोदय, कांग्रेस दल ने, जो पहले सत्तारूढ़ था, इस क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किये हैं। विभाजन और गुटवाद को प्रोत्साहन देना उनके लिये नई बातें नहीं हैं।

1979 में जब चरण सिंह गुट से समर्थन का वादा किया गया था, उसे सत्ताच्युत कर दिया गया। 1990 में चन्द्र शेखर गुट को भी सत्ताच्युत कर दिया गया। 1984 में नदेन्दला भास्कर राव ने कांग्रेस के समर्थन से एन० टी० रामाराव की सरकार

को गिरा दिया। इस तरह अनेक बार कांग्रेस पार्टी ने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों से खिलवाड़ किया। इन बातों को छोड़िये, हाल में 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा, वामपंथी मोर्चा, भा० ज० पा० की मिल जुलकर 300 से अधिक सीटें हैं। और हर बार कांग्रेस, जो तब विपक्ष में थी, को इस बात का अहसास रहता था कि सरकार कह रही है कि वह एक अल्पमत सरकार है और वह सरकार कभी भी गिरायी जा सकती है। एक बार ऐसा हुआ कि सरकार की बड़ी शर्मनाक हालत बना दी गई। पंजाब के मुद्दे पर एक संविधान संशोधन विधेयक को समर्थन देने के लिये भी मतदान में भाग लेने के लिये अनुपस्थित रही। इतिहास इन सब बातों को नहीं भूलेगा। हम अपना बहुमत सिद्ध कर सकते थे, किन्तु जहां तक संविधान संशोधन विधेयक का सम्बन्ध था, उस समय दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी और इसे समर्थन देना कांग्रेस का दायित्व था, किन्तु उसने मतदान में भाग नहीं लिया।

महोदय, यह सरकार 20 दिन पहले बनाई गई थी। इसका विगत इतिहास छोड़िये, हम सोचते थे कि यह सरकार अच्छी शुरुआत करेगी, और सभी विपक्षी दलों और इस देश की जनता में विश्वास पैदा करेगी, और वह सरकार कम-से-कम भविष्य में तो देश और जनता की सेवा करेगी किन्तु जो कुछ हो रहा है, वह निराशाजनक है। मतदान शुरू होने के कुछ ही घंटे पहले पंजाब में चुनाव स्थगित कर दिये गये, वह एक उदाहरण है। शुक्रवार को चन्द्रशेखर जी ने सभा में इस बात को स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग ने सरकार से परामर्श भी नहीं किया। किन्तु यह बहुत ही स्पष्ट है और हम जानते हैं कि इस निर्णय के पीछे कौन था और किसने पंजाब में चुनावों को स्थगित करने के इस निर्णय के लिये प्रेरित किया।

महोदय, सम्पूर्ण जनता इस देश की वित्तीय स्थिति को लेकर संत्रस्त है। समय-समय पर दिये जा रहे वक्तव्यों और सरकार द्वारा समय-समय पर की जा रही कार्यवाई से जनता संत्रस्त है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री उमा रेड्डी वेंकटेश्वरालु : यह मेरा पहला भाषण है। कृपया मुझे पांच मिनट और बोलने दीजिये।

जब हम इन बीस दिनों के भीतर लिये गये निर्णयों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि देश की वर्तमान वित्तीय स्थिति बहुत अनिश्चित सी है। जनता बहुत संत्रस्त है। सरकार ने रुपये के अवमूल्यन के बारे में एक के बाद एक जो दो निर्णय लिये हैं और किन्हीं और बैंकों में सोने को बन्धक रखा है, अथवा बेचा, अथवा जमा करवाया है, वह भी बहुत कम समय में दो बार, उससे यह धारणा बनी है कि जबर्दस्त मूल्यवृद्धि होगी। मूल्यों में वृद्धि आम लोगों की, विशेषकर ग्रामीण लोगों की, खरीद क्षमता की सीमा से कहीं अधिक बाहर भी रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों का प्रभाव इस देश के मूल्य ढांचे से किस प्रकार पड़ेगा यह आम लोगों को सही-सही पता नहीं है।

इस समय, मुझे एक वतक्व्य का जिक्र करना है। जो हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने शुक्रवार को दिया था। इन्होंने बताया था कि 10,000 रुपये तक के ऋण की माफी जो

1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा दी बातों गई थी, इन सभी के लिये जिम्मेदार है। महोदय, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं । कांग्रेस सरकार ने 40 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया है। इन 40 वर्षों के शासन का कुल प्रभाव हम आज देख रहे हैं। निश्चित रूप से यह 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा किसानों को दी गई छूट अथवा उसके प्रति वचनबद्धता के कारण नहीं है। अब हमें यह शक हो रहा है, कि यह सरकार कृषि-विरोधी सरकार होने की भूमिका अदा कर रही है। क्योंकि हमने उक्त ऋण माफी को पसन्द नहीं किया था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी ये शर्तें लगा रही है। कि अनेक रियायतों जिनमें उर्वरकों पर दी गई रियायतें भी सम्मिलित हैं, में कटौती की जानी चाहिये। यदि यह किया जाना है तो स्वाभाविक रूप से कृषि में लागत लाभ अनुपात चौंकाने से हद तक बिगड़ जायेगा तथा इस देश में खाद्यान्न का उत्पादन बहुत हद तक प्रभावित होगा। यदि हम केवल 10 वर्ष पूर्व तक की कृषि की स्थिति को देखें, तो हम देखते हैं कि पिछले 10 वर्षों में 1980 से 1991 तक हमें 25 मिलियन टन की विकास दर की उपलब्धि की है जोकि वर्ष 1980 में 152 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 1991 में 177 मिलियन टन हो गई है। कृषि विकास दर के सम्बन्ध में हमारा लक्ष्य 4 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये ताकि देश के लाखों लोगों का पेट भरा जा सके।

4.00 : म० प०

परन्तु महोदय विकास दर मुश्किल से केवल 2.5 प्रतिशत है कृषि क्षेत्र में यह विकास दर बहुत ही निराशाजनक है यहां तक कि 1991-92 के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह केवल 183 मिलियन टन का है महोदय, यदि यही हालत रही तथा कृषि उत्पादन पर दी जाने वाली सभी रियायतों में कटौती की गई और ऋण माफी योजना आदि की आलोचना की जाती है तो स्वाभाविक ही है कि कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होगा।

हाल ही के महीने में दो बार सोना बेचा गया। तेलुगु में एक कहावत है ?

पारापट्टी पोईना दनाग्रासटुडु पेल्लम मेडालो ताली अम्मुटाडू।

इसका मतलब है कि एक लड़का सभी संसाधनों का उपयोग कर लेने के बाद अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचना चाहता है। इस समय सरकार की भी यही दशा है। इन्होंने सारे संसाधान व्यय कर दिये हैं। अब वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के आगे झुक रहे हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक में जो सोना है उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं मैं कहूंगा कि वे उस शर्त को स्वीकार करें जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में निर्धारित की गई है अर्थात् कि जो सोना बाहर बेचा जायेगा वह कुल स्वर्ण भण्डारों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। हम समझते हैं कि अब शायद हमारे पास मुश्किल से 322 टन सोना रह गया है तकनीकी दृष्टि से आप कह रहे हैं कि यह जब्त किया गया सोना है परन्तु कुल मिलाकर 45 टन सोना पहले ही देश से बाहर भेजा जा चुका है। यदि 15 प्रतिशत की यह सीमा अनुपालित नहीं होती है तो लोग देश में उपलब्ध सारा सोना बेच डालेंगे। हमारी स्थिति ऐसी है।

मुझे एक बात और कहनी है। मैं कहूंगा कि कांग्रेस सरकार सुविधा का खेल-खेल रही है तथा परिपाटियों का अनुपालन नहीं कर रही। वह परम्परा की राजनीति नहीं कर रही है बल्कि सुविधा का खेल खेल रही है। महोदय अब अध्यक्ष के चुनाव की बात

आयी बड़े आराम से भा० ज० प० के हमारे वरिष्ठ सदस्य इस फार्मूले के साथ आगे आये कि अध्यक्ष पद शासक दल को मिलना चाहिये तथा उपाध्यक्ष पद दूसरे सबसे बड़े दल को मिलना चाहिये कांग्रेस नेताओं ने इसकी पुष्टि कर दी महोदय मैं केवल दो ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं जबकि वे इस परम्परा से हटे थे।

वर्ष 1980 में जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो जनता पार्टी विपक्ष में थी, परन्तु उपाध्यक्ष का पद द्रमुक के सदस्य को दे दिया गया था। वर्ष 1984 में जब कांग्रेस सत्ता में थी, तथा तेलुगु देशम दूसरा सबसे बड़ा दल था, परन्तु उपाध्यक्ष पद अन्नाद्रमुक के सदस्य को दे दिया गया था। परन्तु परिपाटियों में इस प्रकार का परिवर्तन गैर-कांग्रेसी सरकारों द्वारा नहीं किया गया है।

वर्ष 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में थी, तो मैं विपक्ष में था, श्री गौड़े मुराहरी जो कि एक कांग्रेस (आई०), सदस्य थे, को उपाध्यक्ष बनाया गया था। वर्ष 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता में थी तथा कांग्रेस विपक्ष में थी। हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल उस समय उपाध्यक्ष थे।

जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस (आई०) सरकार लोगों को तथा विपक्षी दलों को बेवकूफ बना रही है। 1971 में 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया गया था। परन्तु उस पर कभी अमल नहीं किया गया था। 1991 में नारा था कि मूल्यों को जुलाई 1990 के स्तर तक ले आयेंगे। अब वित्त मंत्री स्वयं कहते हैं कि यह संभव नहीं है एक करोड़ लोगों को नौकरियां प्रदान करने का लक्ष्य बहुत ही मुश्किल है। अतः इस प्रकार के पिछले रिकार्ड के बूते पर यह कांग्रेस सरकार विपक्षी दलों का समर्थन चाहती है। तेलुगु देशम के सदस्य मतदान में भाग नहीं लेंगे। सरकार को चलने दीजिये। आगे आने वाले दिनों में उन्हें बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि उनके अपने दल में अनेक प्रकार के झगड़े हैं, अनेक गुट हैं आदि। सबसे पहले तो उन्हें सन्तुष्ट करना होगा। परन्तु हमें विश्वास है कि वे अपने आप ही अपदस्थ हो जायेंगे, तथा विपक्षी दलों को उन्हें गिराने का मौका नहीं देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया। हम मतदान में भाग नहीं ले रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री जसवन्त सिंह।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं, जानना चाहता हूं कि बोलने के लिये कितने सदस्य अभी बाकी हैं? क्या केवल दो ही वक्ता हैं? अथवा क्या छोटे-छोटे दलों के अन्य सदस्य भी हैं जो इस प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं? यदि वे बोलना चाहते हैं तो उनको पहले समय दीजिये। क्योंकि पहले चरण में हमारे दल के सदस्यों ने भाग ले लिया है।

सभापति महोदय : समय के बारे में कोई निर्धारित सीमा नहीं है। यदि सभा चाहे कि समय बढ़ा दिया जाये तो मुझे विश्वास है कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या कुछ अन्य सदस्यों को बुलाया जाना बाकी है।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : जे० एम० एम० लिस्ट में है।

सभापति महोदय : लिस्ट में तो है। अभी जसवन्त सिंह जी को बोलने दीजिये।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : यदि आप चाहें कि वे पूरा करें तो उन्हें पूरा करने दीजिये। उसके बाद आप मुझे बुला सकते हैं।

सभापति महोदय : जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि अध्यक्ष ने पहले ही व्यवस्था दे दी है कि मतदान 4.00 बजे तथा 5.00 बजे के बीच होगा। मैं नहीं समझता हूं कि वह अपना उत्तर निर्धारित समय से पहले दे पायेंगे। मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक हम यह कर सकते हैं कि हम दो तीन और माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दें।

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : समय बढ़ा देना चाहिये।

सभापति महोदय : यह केवल सभा की सहमति से ही हो सकता है।

श्री नानी भट्टाचार्य : सभी दलों को कम से कम एक मौका मिलना चाहिये।

सभापति महोदय : क्या यह सभा की सहमति है कि इस चर्चा के लिये समय बढ़ा दिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैंने पहले ही अध्यक्ष महोदय से चर्चा की थी। कुछ प्रमुख राजनीतिक दल हैं जिनको कुछ समय दिया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये झारखण्ड, आर० एस० पी० तथा ऐसे अन्य दल इनमें से प्रत्येक को कम से कम 5 या 10 मिनट देने चाहिये। अतः समय को एक घण्टे बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है।

सभापति महोदय : इस चर्चा के लिये समय को एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री नानी भट्टाचार्य : सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश, इस सभा के विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी भी है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि विपक्ष द्वारा सामान्य निर्णय लिया जायेगा, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, यद्यपि मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बहुत कम भेद हैं। यदि आप गहराई से देखें तो आप पायेंगे कि यह दोनों दल भारत में औद्योगिक और वाणिज्यिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह दोनों दल एक जैसे ही हैं यद्यपि इनके झंडों के रंग अलग-अलग हैं। कांग्रेस पार्टी का झण्डा 'तिरंगा झण्डा' है और भारतीय जनता पार्टी का 'गेरूआ झण्डा'। परन्तु मन से यह दोनों दल भारत में वाणिज्यिक और औद्योगिक हितों तथा विदेशी पूंजीपतियों और बहु-राष्ट्रिकों के हितों के लिये कार्य करते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने 11 माह तक सरकार के साथ मिल कर कार्य किया था।

श्री नानी भट्टाचार्य : हम कभी भी सरकार के साथ नहीं मिले थे। अध्यक्ष के निर्वाचन के समय, पर्दे के पीछे, क्या खेल खेला गया था? हम अवश्य जानते हैं परन्तु देश के लोग कुछ नहीं जानते **(व्यवधान)** जैसा कि मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी यद्यपि धर्म निरपेक्षता के समर्थन का दावा करती है परन्तु कांग्रेस ने 40 वर्षों की अवधि के दौरान सत्ता की राजनीति के खेल में इसे विकृत कर दिया है। इसे नकारा नहीं जा सकता, तथा यह कार्य बहुत ही अवसरवादी ढंग से किया गया है। इसे भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

केरल से भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है वहां गुप्त रूप से ऐसा मंच तैयार किया गया था जिसमें कांग्रेस पार्टी, जिसे तथा कथित धर्म निरपेक्ष दल कहा जाता है, सहित सभी मूल सिद्धान्तवादी दलों ने वामपंथी दलों को हराने में मिल कर कार्य किया था। यह बात सभी को विदित है। **(व्यवधान)** मुझे डर है कि यह शुरूआत है। **(व्यवधान)**

प्रो० श्रीमती सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : केरल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री आपके दल के थे। **(व्यवधान)**

श्री नानी भट्टाचार्य : यह स्थिति, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम लीग द्वारा लाई गई थी।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : ऐसा कभी नहीं हुआ।

श्री नानी भट्टाचार्य : समाचार पत्रों में यह बात प्रकाशित हुई है, स्थानीय और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय रिपोर्टों में यह बात प्रकाशित हुई है।

वामपंथी दल विरोधी झूठी अफवाहें फैलाई गई थी तथा केरल राज्य में पिछले चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के लिये धार्मिक रूढ़िवादियों को एक सामान्य मंच प्रदान किया गया था। **(व्यवधान)**।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण जारी रखें। महोदय, कृपया अपने स्थानों पर बैठें। श्री भट्टाचार्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री नानी भट्टाचार्य : मैं कुछ विचार प्रकट कर रहा हूं कि चुनाव किस प्रकार करवाये गये थे। श्री राजीव गांधी की नृशंस हत्या के कारण चुनाव प्रक्रिया में एक संरक्षक प्राप्त हुआ था। इसे नकारा नहीं जा सकता तथा उनकी हत्या से पूर्व तथा हत्या के पश्चात् के चुनाव परिणामों में बहुत अधिक अन्तर आ गया जिससे चुनाव से संबंधित राजनैतिक और अन्य मुद्दे दब गये तथा नफरत की भावना को बढ़ावा मिला। क्या इसे अस्वीकार किया जा सकता है? इसे नाकारा नहीं जा सकता। तथा यह अत्यन्त आश्चर्यजनक और खेद की बात है कि कांग्रेस (इ) द्वारा श्री राजीव गांधी के खून से लथ-पथ, क्षत-विक्षत शरीर को ही चुनाव का एकमात्र मंच बनाकर इस नफरत की भावना को भड़काया गया था। क्या कांग्रेस पार्टी इसे अस्वीकार कर सकती है? वे हम लोगों से विश्वास मत प्राप्त करना चाहते हैं। क्या देश को कांग्रेस शासन में विश्वास है? धन तथा बाहुबल के जोर पर किये जाने वाले शासन तथा कांग्रेस के पक्ष में नियुक्त किये गये गुण्डों के कार्यों की भूमिका को छोड़ दें। **(व्यवधान)**।

[हिन्दी]

श्री राम प्रकाश चौधरी (अम्बाला) : बिल्कुल गलत बोल रहे हैं? (व्यवधान)।

[अनुवाद]

श्री नानी भट्टाचार्य : और भारतीय जनता पार्टी इस दौड़ में पीछे नहीं थी। वह बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, सिद्धान्तों, विचारों इत्यादि की बात करते थे और हिन्दू, हिन्दू, हिन्दू की रट लगाते हैं। उन्होंने धर्म को मिला दिया और उन्होंने बहुत अधिक धनराशि खर्च की है। इतने अधिक प्रकार के पोस्टरों और चुनाव के खर्चों के लिए उन्हें इतनी धनराशि कहां से प्राप्त हुई? (**व्यवधान**) मेरी मतदाताओं के प्रति वचनबद्धता है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से बैठने का अनुरोध करता हूं। कृपया बैठ जाएं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें।

श्री नानी भट्टाचार्य : यह असंसदीय भाषा नहीं है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (**केसर गंज**) : सभापति महोदय, गुंडा शब्द कार्यवाही से निकाला जाए। गुंडा शब्द संसदीय है या असंसदीय है। गुंडा शब्द का प्रयोग कैसे किया गया, राष्ट्रहित की बात करने वाली पार्टी के बारे में। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं पहले ही यह कह चुका हूं। किसी भी प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें। यदि किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया गया तो उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाएगा।

श्री नानी भट्टाचार्य : इतना सब होने के बावजूद, कांग्रेस (इ) सभा में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। धन और बाहुबल का प्रयोग करके, राजीव गांधी की मृत्यु होने पर उनके खून से लथ-पथ शरीर को प्रदर्शित करके भी कांग्रेस पार्टी राष्ट्र का, लोगों का जनमत प्राप्त नहीं कर सकी। वे सभा में बहुमत प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए वे सभा में हम से विश्वास-मत प्राप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस (इ) को शासन करने के लिए जन-मत प्राप्त नहीं है। इसे अवश्य ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। (**व्यवधान**) मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। परन्तु मुझे कुछ ऐसी बातों का उल्लेख करना था जो हाल ही में घटित हुई हैं इसलिए कुछ समय अधिक लग गया। जैसा कि आप जानते हैं; कांग्रेस के शासन में जन-सामान्य की अत्यधिक दुर्दशा हुई है, बेरोजगारी और पूंजीपतियों द्वारा अनेक प्रकार से गरीबों का शोषण निरंतर बढ़ा है और जन मूल्यों, धर्म निरपेक्षता तथा लोक तांत्रिक मानदण्डों का कांग्रेस (इ) के हाथों द्वारा हुआ है। इसीलिये कांग्रेस (इ) की पूंजीपति समर्थक, जन-विरोधी और सत्तावादी नीतियों को असफल करने के लिए कांग्रेस (इ) के कुशासन के विरुद्ध एक लम्बा संघर्ष पहले भी जरूरी था

और उसे जारी रखना अब भी जरूरी है, और यही आर० एस० पी० की वैचारिक और राजनैतिक विचार धारा भी है। इसे अवश्य ही ध्यान में रखा जाना चाहिए।

महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह से पूछ-ताछ कर रहा था। इस समय वह यहां उपस्थित नहीं है। प्रधान मंत्री जी सभा में उपस्थित हैं। मैंने श्री अर्जुन सिंह से पूछा था कि सांमतवाद से क्या प्राप्त हुआ तथा समाज की क्या विशेषताएं हैं? परन्तु इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। उन्होंने बहुत बुद्धिमतापूर्वक इसे टाल दिया। मेरे लिए भाषा की भी एक समस्या है। मैं उन्हें समझा नहीं सकता।

सभापति महोदय : मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है तथा बाद में उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यदि आप चाहें, तो मैं अपने उत्तर में इसे शामिल कर लूंगा। अन्यथा मैं अभी इसका उत्तर दे सकता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कृपया अभी इसका उत्तर दें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने अपने राज्य में भूमि सुधारों के बारे में कुछ कार्य किए हैं। कोई भी व्यक्ति इस बारे में मुझे दोष नहीं दे सकता है। मैंने किसानों को भूमि प्रदान करने के अद्वितीय कार्य किये हैं। मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस देश का एक बड़ा भाग सामन्तवाद से मुक्त करा दिया गया है, कांग्रेस सरकार ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया; कांग्रेस सरकार ने काश्तकारी सम्बंधी कुछ बहुत श्रेष्ठतम विधान बनाये ; काश्तकारों को पूरे अधिकार दिये। मैं अनेक राज्यों में ऐसे कानून के उदाहरण दिखा सकता हूं·····(**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : किन्तु उन्हें पूरा तथा क्रियान्वित नहीं किया गया ·····(**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हां मैं मानता हूं कि यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और इसे पूरा करने की आवश्यकता है। साल-दर साल सामन्तवाद के विकास को रोका गया है। लोगों ने स्वैच्छा से अपनी जमीनें बेच दीं। कृपया मेरे राज्य में आइये। मैं आपको बताऊंगा कि 1949 में लोगों के पास पांच हजार एकड़, छः हजार एकड़ जमीन थी। कांग्रेस सरकार द्वारा यह कानून लाये जाने के कारण ही, लोग स्वैच्छापूर्वक जमीन बेचने लगे। (व्यवधान) तो आप सामन्तवाद की बात को क्यूं कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : इसका कारण आपके राज्य में तेलंगाना आन्दोलन था। (**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्री आचार्य जी क्या आप मानते हैं कि तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था और कांग्रेस सरकार कब सत्ता में आई थी। कृपया अपने इतिहास ज्ञान को सुधारिये।····(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वहां बेनामी जमीन कितनी है·····(**व्यवधान**)

श्री नानी भट्टाचार्य : मेरा सवाल भिन्न था। अब सामंतवाद समाज से क्या उभर कर सामने आया ? ·····आज के समाज में उसकी क्या भूमिका है (**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वर्तमान सामंतवादी व्यवस्थाहीन वर्तमान समाज का स्वरूप यह है कि इसमें उन किसानों को मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। जिनके पास सांविधिक चकबंदी से कम भूमि है, । वर्तमान मलकियत का जो स्वरूप है अपने देश में हम उसे ही जारी रखेंगे ····(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

श्री नानी भट्टाचार्य : वामपंथी मित्रों ने खोल कर बता दिया है, अतः मैं उन सब बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं। इस अल्पमत सरकार ने विश्वास प्राप्त करने का अपना अधिकार छिनवा दिया है और हम वामपंथी इस सरकार का विरोध ही कर सकते हैं। हमें खुशी होती यदि हम इस सरकार को गिरा पाते जो पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और वाणिज्यिक हितों का प्रतिनिधित्व करती है। किन्तु फिर भी कांग्रेस, भा० ज० पा० आदि जैसे प्रमुख दलों जिनका सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश जनता पर व्यापक नियंत्रण है, के शनसार इस घड़ी चुनाव करवाना बुद्धिमतापूर्ण नहीं होगा। अतः हमें इसका ध्यान रखना है। इसे आप हमारी नीति को हतोत्साहित करना कह सकते हैं किन्तु मैं इस सरकार को चेतावनी दे दूं कि आप पूर्णतः वामपंथियों की दया पर निर्भर हैं जो धर्मनिर्पेक्ष, वाजिबतौर पर लोकतांत्रिक हैं और आपको इसे याद रखना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : सभापति महोदय, प्रधान मंत्री द्वारा विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं इस प्रस्ताव का इस लिए विरोध करता हूं और चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को इस सदन में विश्वास का मत नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद इस देश पर सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। साढ़े 39 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन चलाया है।

श्री विलास मुत्तेमवार (चैमूर) : क्या कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती शासन में रही है ? (**व्यवधान**)

श्री सूरज मण्डल : इस देश में बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग सिर्फ साढ़े 4 साल शासन में रहे हैं। आज कोई नैतिकता नहीं बनती है कि सदन में कांग्रेस पार्टी बहुमत का दावा पेश करे। कांग्रेस के शासन में पूरे हिन्दुस्तान में, 85 प्रतिशत जो गांवों की जनता है, जहां से मैं आता हूं, जहां जंगल है, झाड़ हैं, वहां के लोगों की किसी ने परवाह नहीं की।

4.29 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इन लोगों का आजादी के बाद से आज तक शोषण होता रहा है। कांग्रेस के सत्ता में बैठे हुए लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि बी जे पी की तरफ से ऐसे लोग भी आए हैं, जिनके पास कपड़ा नहीं है, आपकी तरफ से भी आए हैं, क्या उन गांवों के लोगों का ख्याल कभी आपने किया है। कांग्रेस पार्टी ने हिन्दुस्तान को और भारत की जनता को दो भागों में बांटने का काम किया है। एक भाग भारत और दूसरा भाग इंडिया। आज इंडिया में आप लोग रहते हैं और इंडिया के लोगों ने साढ़े 39 साल तक इस देश पर शासन किया है, इस देश की जनता का शोषण किया है। इसलिए आप लोगों को किसी भी कीमत पर बहुमत नहीं मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आदिवासी, हरिजन और अल्पसंख्यक 40 साल से चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज तक नेहरू जी की बात के अनुसार क्या किसी आदिवासी को प्रधान मंत्री की बगल में कैबिनेट मंत्री बन कर बैठने का अवसर आपने प्रदान किया है ? आज तक कोई भी आदिवासी को इस भारत की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला। चाहे अमर सिंह चौधरी गुजरात के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और भारत के मंत्रिमण्डल में जब बैठेंगे तो वे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन सकते। आपकी नीति बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं है। नीति और नीयत की बात है। अध्यक्ष महोदय, नीति और नीयत में फर्क है। इस देश के अन्दर आज हम लोग जो गांव के लोग हैं, हमें अफसोस है, दुख होता है, पहले उस तरफ बैठे रहते थे जो 15 प्रतिशत भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले देश की सत्ता संभालते थे और इस तरफ जो बैठते थे विपक्ष में वह 85 प्रतिशत गरीब का होता था। लेकिन इस त्रिशंकु लोक सभा में अफसोस है कि 15 प्रतिशत के लोग उधर सरकार में बैठे हुए हैं और 15 प्रतिशत के लोग विपक्ष में भी बैठे हुए हैं.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को मालूम है, हर आदमी को लोक सभा के सदस्यों की संख्या मालूम है और सत्ता वालों को भी मालूम है कि इनके पास 244 या 246 मैम्बर हैं और बहुमत के लिए इनको 256 चाहिए। उसके बाद भी ये कहते हैं कि हमारा बहुमत है। यह आश्चर्य की बात है। ये प्रलोभन की राजनीति करना चाहते हैं। इन्होंने देश के अन्दर सबसे ज्यादा गरीब लोगों को तबाह किया है। इनके दिमाग में, जो किसानों की खाद का दाम बढ़ता है, किसानों की खाद का दाम बढ़ाना इनके दिमाग में है। लेकिन किसान जो धान पैदा करता है, एक एकड़ धान लगाने में जितना खर्च आता है उसके एवज में किसानों को आज तक पैसा नहीं दिया।

आज इस देश के अन्दर जो उग्रवाद की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, मैं पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूं। आज झारखण्ड आन्दोलन सबसे पुराना आंदोलन है। जब देश आजाद हुआ था, एस० आर० सी० कमीशन बना, साइमन कमीशन' में आंशिक रूप से झारखंड राज्य के निर्माण के लिए लिखा था। बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिश की है उसमें भी लिखा है कि बिहार को दो भागों में बांटना चाहिए था। आज झारखण्ड आंदोलन के नेताओं ने गांधी जी के

बताए रास्ते पर चल कर 1952 से आज तक आंदोलन किया। लेकिन गांधी जी की दुहाई देने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन गांधी जी की नीतियों पर चलने वाले लोगों की कद्र नहीं हुई है, उनका सम्मान नहीं किया गया है। इसलिए मैं जानता हूं कि आप लोगों के कारण आज इस देश के दूसरे कोने में उग्रवाद जैसी स्थिति पैदा हो रही है। पंजाब किस की देन है ? आप लोगों की है। आसाम की देन, बोड़ो आन्दोलन क्यों हुआ ? सारी बातों का समझौता हुआ, लेकिन समझौते का फल नहीं निकला। सारे देश की स्थिति आजादी के बाद जिस तरह से चारों तरफ थी उसी तरह से है। हम जानते हैं कि कांग्रेस के लोग जब तक सत्ता में नहीं बैठेंगे तब तक कोई भी सरकार सत्ता में बैठेगी उसको चैन से ये लोग रहने नहीं देंगे। सत्ता के बाहर रहने की आपको हिम्मत नहीं है। सत्ता में रह कर जनता की सेवा करने की हिम्मत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि देश को 41 प्रतिशत खनिज संपदा बिहार देता है और बिहार का झारखंड इलाका तीस प्रतिशत खनिज संपदा देता है और देश को चलाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सूरज मण्डल : मैं पहली बार बोल रहा हूं। आज हम लोग खनिज ढोने के लिए रेल का उपयोग करते हैं और जनता के लिए देश की आजादी के बाद अंग्रेजों ने जो रेल लाईन का निर्माण किया था तो उसके बाद एक इंच भी आपने नहीं किया। हम उन वादों को करके यहां आए हैं जिनकी चर्चा इस सदन में नहीं की गई है, वह हम करेंगे। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि गंभीरतापूर्वक वहां की समस्या का समाधान कीजिए। अगर नहीं की तो झारखंड भी एक पंजाब बनेगा, आसाम भी एक पंजाब बनेगा। मैं एक कहावत कहना चाहता हूं जिसको गांव में कहा जाता है—"अन्धा का रोना और अपना दीदा खोना"। यह हालत है। आपको कुर्सी का जीवनदान छह महीने का मिल गया है। लेकिन छह महीने के बाद आप जुगाड़ कीजिए क्योंकि आप लोग जुगाड़ू आदमी हैं। हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। जो आपका साथ दे रहा है तो हो सकता है कि वह छह महीने के बाद आपको साथ देगा और जो परदा लगा हुआ है, वह उठने वाला है। हम इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकते। मैं, राष्ट्रीय मोर्चा के साथ हूं और झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूं। इसलिए जो निर्णय होगा तो हम उन्हीं के साथ हैं।

[अनुवाद]

डा० जयन्त रंगपी : (स्वायतशासी जिला) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार में विश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि विपक्ष के नेता काफी विस्तार में बता चुके हैं, किन्तु बहुत संक्षेप में मैं केवल तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं यह कहूं कि इस सरकार ने पिछले तीन सप्ताहों में देश के वित्तीय संकट के मामले में जिस प्रकार की कार्यवाही की है, उससे निस्संदेह इस सरकार के प्रति अविश्वास पैदा होता है। वे विश्वासमत मांग रहे हैं किन्तु वे विपक्षी दलों और राष्ट्र को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। राष्ट्र भलीभांति नहीं जानता कि यह वित्तीय संकट किन हालतों में पैदा हुआ। सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऋण लेने हेतु साख बनाये रखने के लिए

विदेशी मुद्रा में वस्तुतः कितनी निधियां जुटानी है ? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की सही शर्तें क्या हैं ? एक बात जिसे लेकर मैं इस सरकार का विरोध करना चाहता हूं, वह है उनका दृष्टिकोण जो उन्होंने इस वित्तीय संकट को निपटाने के लिए अपनाया है। यह सरकार भारतीय समाज को स्वभाविक सुनम्यता ''। आम भारतीय की आत्मिक शक्ति को समझ पाने में दयनीय रूप से असफल रहे हैं। मैं दयनीय रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान भारतीय जनता का नेतृत्व किया था। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने प्रत्येक भारतीय को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आखिरी दम तक लड़ने के लिए संघटित किया था, लेकिन अब 1991 में कांग्रेस सरकार को भारतीय लोगों में कोई विश्वास नहीं रह गया है। वह भारतीय समाज की शक्ति जो कमजोर कर रही है और मैं समझता हूं कि सभा के माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगें कि यदि भारत के लोग सन्तुष्ट हैं, यदि हम उन्हें तथ्य बता देंगें, यदि हम उन्हें समझा देंगें और यदि हम उन्हें विश्वास में ले लेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक भारतीय देश को इस आर्थिक संकट से निकालने के लिए और अधिक बलिदान देने को भी तैयार रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी भी याद है कि 1962 में जब भारत –चीन सीमा पर युद्ध चल रहा था, तब उत्तर–पूर्व के सुदूर के मेरे गांव के लोगों ने अपना भोजन त्याग दिया था तथा उन्होंने अपनी बचत की राशि इत्यादि जमा करा दी थी ताकि एक निधि बनायी जाए और सरकार के पास रखी जाए जिससे कि वित्तीय संकट को रोका जासके। इस संकट से निपटने के लिए भारत के आम नागरिकों की शक्ति को इस्तेमाल करने तथा उनको विश्वास में लेने में इस सरकार में कमी रही है। इसकी बजाय यह सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा एजेंसियों, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शरण में जा रही है और क्या परिणाम हुआ ? माननीय प्रधान मंत्री और सभा के नेता ने कहा है कि इस देश के हितों को उनके आगे समर्पित नहीं किया जाएगा। परन्तु अगले ही दिन जब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण को देख रहा था, अध्यक्ष महोदय, मुझे साम्राज्यवाद के बारेमें एक भी शब्द नहीं मिला। नेहरू तथा अन्य नेताओं ने विदेश नीति को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई है। गुट–निरपेक्ष नीति का सार हमारा साम्राज्यवादी विरोधी प्रहार है। परन्तु राष्ट्रपति के उसी अभिभाषण में 'साम्राज्यवाद' शब्द लुप्त है। क्यों ? मैं कहूंगा कि यह अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों के निदेश के कारण है।

दूसरी बात मैं पंजाब के बारे में कहना चाहूंगा। पंजाब में चुनावों का स्थगित किया जाना अपने आप में विघटनकारी और आतंकवादी शक्तियों के सामने आत्मसमर्पण करना है। यह तो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई करने के लोगों के संकोच को और कमजोर कर देगा और सरकार को इन दो संकल्पनाओं—मतदान से पहले शांति या शांति के लिए मतदान में से एक का फैसला करना होगा यदि हम मतदान से पहले शांति की इच्छा रखेंगे तो मेरे विचार से पंजाब की आज की वास्तविक स्थिति में हम इसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे लेकिन हमें शांति के लिए मतदान कराने चाहिए। यदि हम मतदान में सफल होते हैं, यदि हम वहां चुनाव करा सकते हैं तो इससे एक अच्छा वातावरण कायम होगा और इससे वहां पर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया आरम्भ होगी और आतंकवाद का प्रभावशाली ढंग से सामना किया जासकता

है । इसलिए मतदान से पहले शांति एक गलत धारणा है । हमें शांति के लिए मतदान कराना चाहिए और हमें पंजाब के चुनावों को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के रूप में लेना चाहिए और इस बारे में मैंने देखा है कि सरकार बहुत बुरी तरह से असफल रही है ।

'उल्फा' के सम्बन्ध में सरकार ने स्थिति को थोड़ा-थोड़ा करके अदूरदर्शिता और अत्यधिक व्यावहारिक तरीके से संभाला है । जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, असम के मुख्य मंत्री ने कहा है कि उन्होंने प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और अन्य नेताओं से परामर्श किया था और उसके बाद उसने सभी उल्फा नजरबन्द लोगों, जो संख्या में 300 से अधिक थे, को रिहा करने के बाद राजक्षमा दे दी गई और उन्हें चर्चा के लिए बुलाया गया था । मैं यह कह रहा हूं कि हम इस कदम के विरुद्ध नहीं हैं, बल्कि हमने उसका विरोध इसलिए किया, क्योंकि हमारे विचार से यह दृष्टिकोण खण्डशः है । सरकार को अभी समग्र स्थिति को पूरी तरह से समझना है और उल्फा को पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्त जातीय –राजनैतिक स्थिति से अलग ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए । वहां पर केवल उल्फा ही नहीं, बल्कि और भी बहुत से आंदोलन चल रहे हैं जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 244 (क) के उपबन्ध के अन्तर्गत आसाम के दो पहाड़ी जिलों को मिलाकर एक स्वायत्त शासी राज्य की मांग । बोड़ो लोग ब्रह्मपुत्र के उपरी किनारे पर एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं तथा अन्य बहुत से लोग स्वायत्तशासी क्षेत्र की मांग कर रहे हैं । अब केवल इन मौजूदा हालातों में विभिन्न प्रकार की उग्रवादी ताकतें पनप रही हैं ।

मैं अपनी स्थिति को स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं । हम पृथक्करण के विरुद्ध हैं । हम असम को भारत से अलग नहीं होने देना चाहते । लेकिन अब सरकार ने उल्फा को प्रसन्न करने वाली इस नीति से अन्य सभी संगठनों को एक खतरनाक संकेत दिया है । बोड़ो आंदोलन के नेताओं और समर्थकों के विरुद्ध सैकड़ों मामले लंबित पड़े हैं । स्वायत्तशासी राज्य की मांग करने वाली समिति के खिलाफ सैकड़ों मामले लंबित पड़े हैं, लेकिन अब सरकार ने केवल उल्फा को ही आम राजक्षमा दी है और उनके विरुद्ध चल रहे सभी मामलों को वापिस ले लिया है और दूसरे संगठनों के कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध चल रहे मामलों को नहीं । यह लोगों को संदेश देगा कि मामलों को तभी वापस लिया जाएगा जब कि आप बन्दूक की नोंक पर भारत से अलग होने की मांग करते हैं और राजक्षमा भी तभी दी जाएगी जबकि आप ए० के० 47 के साथ यह मांग करेंगे । इससे केवल यह धारणा पैदा होगी कि उन्हें चर्चा के लिए तभी बुलाया जाएगा जबकि वे अलग होने की मांग करेंगे । इस प्रकार का दृष्टिकोण समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक गलत संकेत दे रहा है । इस के बावजूद भी मैंने सरकार का समर्थन कर दिया होता यदि आत्मालोचन का थोड़ा भी संकेत दिखाई देता ।

विगत में हमने 20सूत्रीय कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम देखे हैं । क्या वहां पर कोई पुन–मूल्यांकन किया गया है ? क्या कोई मूल्यांकन किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए ।

डा० जयन्त रंगपी : इसलिए, मैं, एक बार फिर इस सरकार का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : जनाब स्पीकर साहब, यहां मसला सिर्फ इतना है कि सदरे-जम्हूरिया ने यह बात कही कि कांग्रेस गवर्नमेंट एतमाद का वोट हासिल करे। यहां सिर्फ बाज-वक्त होता है यह कि लम्हों की गलती बहुत ज्यादा असरात पैदा करती है। मैं यह नहीं समझता कि यहां जानिबदारी से जायजा लिया जाए तो कोई भी पार्टी दोबारा इलेक्शन कराने के हक में नहीं है। न जहनी हैसियत से, न माली हैसियत से और न जिस्मानी हैसियत से लेकिन बात सिर्फ यह थी कि यदि प्राईम मिनिस्टर अपोजिशन से मसायल की बात कर लेते और उनको एतमाद में लेते तो ये तमाम चीजें यहां नहीं होंगी। वे मसायल थे बड़े-बड़े जिसके ऊपर अगर अपोजिशन से बात या गुफ्त-गू हो जाती—जैसे कि सिक्के की कीमत गिराने की बात थी, यह बहुत बड़ा मसला था। अगर आप इस पर अपोजिशन से गुफ्तू-गू कर लेते तो मैं, नहीं समझता कि बहुत सी पेचीदिगियां पैदा होती। दूसरी तरफ जो कीमतें बढ़ रही हैं, उससे भी मुल्क एक अजीबो-गरीब हाल से दो-चार है। तीसरी तरफ सवाल यह पैदा होता है कि जब आप इतने बड़े फैसले कर रहे हैं तो क्या जब हम जवाहर लाल नेहरू के जमाने से आज तक सोशलिज्म का नारा लगाते आए हैं, क्या अब वह खत्म होने जा रहा है ? तो ठीक है, वह भी पालिसी वाजह होनी चाहिए। उसके बाद जो नारा था सेक्यूलरिज्म का, तो वह भी आखिर बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। आज हमारे सामने मसला आता है कि जब डिप्टी स्पीकर को बी० जे० पी० के लिए छोड़ा जा रहा है, तो फिर आपका वह मंसूब, वह मैनीफैस्टो जिसमें आपने बाबरी मस्जिद के मुताल्लिक अपनी पालिसी की बात कही है, वह भी हमारे लिए मशकूक हो जाती है और हम इस तरीके से कैसे कर सकते हैं आप बताए ? और यह वह भयानक गलती होगी रूलिंग पार्टी के लिए वह याद रख लें कि कभी-भी उनको मुसलमानों के वोट नहीं मिल सकेंगे और फिर इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि .... (**व्यवधान**) यह देख लीजिए कि सेक्यूलरिज्म की हमारी गैर-जानिबदार पालिसी भी रही है और जहां भी दुनिया में बड़ी ताकतों ने जुल्म किया, हमने उसके खिलाफ आवाज बुलन्द की। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि आज अमेरिका जिस तरीके से ईराक के ऊपर हमला करने की बात कर रहा है, वहां के अवाम को मौत के मुंह में ले जा रहा है, लेकिन हमारी फारेन पालिसी उसके लिए खामोश बैठी हुई है। यकीनन हमें उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए—वहां के अवाम को भूखों मारा जा रहा है (**व्यवधान**) और जब हम गैर-जानिबदारी की बात करते हैं तो फिर दुनिया में जहां जुल्म हो उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। मैं, यही कहूंगा, मुझे ज्यादा कहना नहीं है कि जो चीखें, आवाजें उठ रही हैं, मुझे ताज्जुब है कि बहरहाल, रहम करे अल्लाह कि कैसे-कैसे चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं। कभी ऐसा हमने पार्लियामेंट में नहीं देखा था। अब उनसे क्या तवक्को की जा सके, ऐसी आवाजें आती रहेंगी और ये आवाजें ज्यादा देरतक नहीं चलने वाली हैं। थोड़े दिन के बाद ये बन्द हो जाएंगी और आवाजों और नारों से कोई मसायल हल होने वाला नहीं है। जहां तुम्हारी हुकुमतें थीं वहां पर सब कुछ खत्म हो चुका है, अब क्या नारे लगा रहे हो ? अब अंजाम का नारा लगाओ और आखिर मातम की घंटिया तुम्हें हिलानी पड़ेंगी।

[جناب سلطان صلاح الدین اویس (حیدرآباد) : جناب اسپیکر صاحب - یہاں مسلہ صرف اتنا ہے کہ صدر جمہوریہ نے یہ بات کہی کہ کانگریس گورنمنٹ اعتماد کا ووٹ حاصل کرے - یہاں صرف بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ لمہوں کی غلطی بہت زیادہ اثرات پیدا کرتی ہے - میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہاں جانبداری سے جائزہ لیا جائے تو کوئی بھی پارٹی دوبارہ الیکشن کرانے کے حق میں نہیں ہے - نہ ذہنی حیثیت سے نہ مالی حیثیت سے اور نہ جسمانی حیثیت سے لیکن بات صرق یہ تھی کہ اگر پرائم منسٹر اپوزیشن سے ان مسائل پر بات کر لیتے اور ان کو اعتماد میں لیتے تو یہ تمام چیزیں یہاں نہیں ہوتیں - وہ بڑے بڑے مسائل تھے جس کے اوپر اگر اپوزیشن سے بات چیت یا گفتگو ہو جاتی - جیسے کہ سکے کی قیمت گرانے کی بات تھی یہ بہت بڑا مسلہ تھا - اگر آپ اپوزیشن سے اس پر گفتگو کر لیتے تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوتیں - دوسری طرف جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس سے بھی ملک ایک عجیب و غریب صورت حال سے دو چار ہے - تو تیسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں تو کیا جب ہم جواہر لال نہرو کے زمانے سے آج تک سوشلزم کا نعرہ لگاتے آئے ہیں کیا اب وہ ختم ہونے جا رہا ہے - تو ٹھیک ہے وہ بھی پالیسی واضح ہونی چاہئے - اس کے بعد جو نعرہ تھا سیکولرزم کا تو وہ بھی آخر باقی رہے گا یا نہیں رہے گا - آج ہمارے سامنے مسلہ آتا ہے کہ جب ڈپٹی انسپیکٹر کو بی جے پی کے لئے چھوڑا جا رہا ہے تو پھر آپ کا وہ مشورہ وہ مینیفیسٹو جس میں آپ نے بابری مسجد کے متعلق اپنی پالیسی کی بات کہی ہے وہ بھی ہمارے لئے مشکوک ہو جاتی ہے اور ہم اس طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں آپ بتائے - اور یہ وہ بھیانک غلطی ہوگی رولنگ پارٹی کے لئے کہ وہ یاد رکھ لے کہ کبھی بھی ان کو مسلمانوں کے ووٹ نہیں مل سکینگے اور پھر اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ..(انٹرپشن)...

یہ دیکھ لیجئے کہ سیکولرزم کی ہماری غیر جانبداری پالیسی بھی رہی ہیں اور جہاں بھی دنیا میں بڑی طاقتوں نے ظلم کیا ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کی - لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج امریکہ جس طریقے سے عراق کے اوپر حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے وہاں کے عوام کو موت کے منہ میں لے جا رہا ہے لیکن ہماری فارن پالیسی اس کے لئے خاموش بیٹھی ہوئی ہے - یقیناً ہمیں اس کے

خلاف آواز بلند کرنی چاهئے - وهاں کے عوام کو بهوکوں مارا جا رها هے - ...(انٹرپشن)... اور جب هم غیر جانبداری کی بات کرتے هیں تو پهر دنیا میں جهاں ظلم هو اس کے خلاف همیں لڑنا چاهئے - میں یهی کهوں گا مجهے زیاده کهنا نهیں هے که جو چیخیں آوازیں اٹھ رهی هیں مجهے تعجب هے - بهرحال رحم کرے الله - که کیسے کیسے چهرے یهاں پر نظر آ رهے هیں - کبهی ایسا هم نے پارلیمینٹ میں نهیں دیکها تها - اب ان سے کیا توقع کی جا سکتی هے - ایسی آوازیں آتی رهیں گی اور یه آوازیں زیاده دیر تک نهیں چلنے والی هیں - تهوڑے دن کے بعد یه بند هو جائیں گی اور آوازوں اور نعروں سے کوئی مسائل حل هونے والی نهیں هیں - جهاں تمهاری حکومتیں تهیں وهاں پر سب کچهه ختم هو چکا هے اب کیا نعرے لگا رهے هو - اب انجام کا نعره لگاو اور آخر ماتم کی گهنٹیاں نهیں هلانی پڑیں گی -]

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि हमें इस चर्चा के बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है । यह चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं है । यह प्रस्तुत किए जाने वाले बजट के बारे में भी नहीं है और यह चर्चा सदन में रखे गए अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर भी नहीं है । यह चर्चा भारत के माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा अपनी मंत्रिपरिषद के प्रति विश्वास व्यक्त करने के लिए रखे गए प्रस्ताव पर हो रही है ।

अब, जैसा कि मेरे दोस्त तथा वरिष्ठ सहयोगी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बिल्कुल सही कहा है कि मंत्री परिषद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए यह सदन इसमें अपना विश्वास प्रकट करे। हालांकि सदन के नेता ने अपने रोचक तथा विचारोत्तेजक हस्तक्षेप (भाषण में) स्पष्टीकरण दिया है और कुछ विचार रखे हैं और बताया है । कि फिर भी उन्होंने भी आदतवश कई वैचारिक स्तरों पर एक साथ अपने पांव रखे तथा मैं, इस पर भी अपना अफसोस जाहिर करता हूं कि वे भाजपा पर भी अनजाने में ही कटाक्ष करने से बाज नहीं आए। यह विश्वास प्रस्ताव भाजपा के लिए तो विश्वास का प्रस्ताव है नहीं । हम लोगों ने तो नहीं मांगा है । अतः सदन के नेता द्वारा भाजपा के बारे में उठाए गए कुछ सवालों का जवाब देने के लिए मैं दूसरे मौके की प्रतीक्षा करूंगा । मैं उनका जवाब जरूर दूंगा पर अभी नहीं। पर उनके बीच में दिए गए भाषण के दो पक्ष बहुत ज्यादा विचारोत्तेजक थे। उनमें से एक प्रक्रिया विज्ञान और राजनैतिक यांत्रिकता का था । उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, और हम इससे सहमत हैं कि राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों का निर्धारण करके उन पर एक राष्ट्रीय कार्यसूची तैयार करनी चाहिए । हम इससे बिल्कुल सहमत हैं । वास्तव में पूरे सदन में इस पर सहमति है । परन्तु यदि हमसे इसी मुद्दे पर विश्वास मत प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है तो हम एक बार फिर से बिल्कुल उहापोह की स्थिति में पड़ जाते हैं क्योंकि हमें तो

यही पता नहीं है कि सरकार जिस राष्ट्रीय कार्यसूची पर हमारी सहमति चाहती है वे इस पर राष्ट्रीय सहमति कैसे तैयार करना चाहते हैं। जब तक इसे परिभाषित नहीं किया जाता है तब तक विश्वास व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, ऐसा करना उस सरकार की एक अमूर्त धारणा को मत देना होगा जिसने अभी अपना आधार ही प्रदर्शित नहीं किया है। यही कारण है कि इस मंत्रीपरिषद को अपना विश्वास देने में हमें कठिनाई हो रही है और इस सम्बन्ध में तीन मुख्य दिक्कतें ये हैं।

पहली दिक्कत अवधारणा सम्बन्धी है। फिलहाल मैं कांग्रेस पार्टी की वैचारिक क्षमता के रूप और स्वरूप का निर्धारण करने में ही असमर्थ हूं। सदन के माननीय नेता ने कहा है—"चिंता मत कीजिए हमारे विचार, बयान तथा कार्य चाहे जो हों परन्तु हमारे कृत्य इस बात को सिद्ध कर देंगे।" अब मेरी समस्या यह है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस द्वारा कुछ सप्ताहों में किए गए कार्य इसके बयानों के बिल्कुल विपरीत हैं। मैं अभी कुछ क्षणों में इसके उदाहरण दूंगा। यही कारण है कि वैचारिक स्तर पर इस पार्टी को समर्थन देना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी की कोई मूल विचारधारा है ही नहीं।

फिर दूसरी दिक्कत भी है और यह दिक्कत इस संसद के सदस्यों की संख्या और उससे सम्बन्धित तर्कों को लेकर है। सदन के नेता ने भी बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक इसे माना है कि मतदाताओं ने सदन के सदस्यों की संख्या इस तरह से व्यवस्थित कर दी है कि यह पूर्णरूप से मंत्रीपरिषद के विरुद्ध है। यह सबसे प्रमुख सच्चाई है। यदि मंत्रीपरिषद ने सदस्यों की संख्या की इस गणितीय असंगति को ध्यान में रखकर अपना व्यवहार किया होता तो इससे थोड़ा विश्वास होता। पर हमें तो इसका कोई सबूत ही नहीं मिलता है। यही कारण है कि हमें यह दिक्कत हो रही है। हालांकि मुझसे उनके शब्दों को सही ढंग से उद्धृत करने में गलती हो सकती है फिर भी माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि, "हम कई मुद्दों पर सहयोगी गठबंधन की व्यवस्था करेंगे।" हो सकता है कि मैं बिल्कुल उन्हीं मुहावरों को नहीं दुहरा पाया हूं यदि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। पर मुख्य मुद्दा पिछले एक सप्ताह में आपका व्यवहार है। जैसा कि मेरे नेता ने भी कहा है आप हर मुद्दे पर सहयोगी गठजोड़ बनाना चाहते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने अनेक बार यह कहा है कि मैंने विपक्षी दलों के नेता से संपर्क बनाए रखा है। मैंने उनके साथ सामान्य चर्चा की है तथा मुझे मुद्दों पर आधारित समर्थन मिल रहा है। उन्होंने ऐसा कहा भी है तथा इस सरकार को चलाने के लिए मुझे मुद्दों पर आधारित समर्थन से ही संतोष करना पड़ेगा। यदि बिना मुद्दों के भी मुझे समर्थन मिलता है तो मैं इसका स्वागत करूंगा, पर फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। फिर भी, मुद्दों पर आधारित समर्थन ही मेरे लिए काफी है क्योंकि मैं सदन में उन मुद्दों को लेकर आया हूँ जिन पर मुझे जरूर ही समर्थन मिलेगा। मैंने यही विश्वास व्यक्त किया था।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इस सरकार के कामकाज के इस पक्ष से सम्बन्धित अंतहीन तर्क–वितर्क में नहीं पड़ना चाहता हूं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि पिछले दो चुनावों में मतदाताओं का फैसला एक ईमानदार साझेदारी का जनादेश रहा है और इसलिए हम आपसे कहते हैं

और संक्षेप में यही बात हमारी पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कही थी कि प्राथमिक रूप से यह सही होगा यदि आप ईमानदारी से साझेदारी करें बजाय इसके कि मुद्दों पर आधारित साझेदारी हो तथा मुद्दों पर आधारित समर्थन हो ।

5.00 म० प०

जब आप मुद्दों पर आधारित समर्थन की बात करते हैं तो उसमें जन्मजात टुट्हापन होता है । मैं नहीं समझता कि इस सभा में कोई भी यह कहेगा कि यह जन्मजात टुट्हापन आज देश के समक्ष अनेक चुनौतियों का सामना करने के लिए सही उपचार है । परन्तु मुझे आपको यह सुझाव नहीं देना है कि सरकार किस प्रकार चलानी है। यह आपको तय करना है।

इस विश्वास के मत के प्रस्ताव को समर्थन देने में एक अन्य दिक्कत यह है कि इस सरकार ने कुछ कदम पहले ही उठा लिए हैं । मैं इनके विस्तार में नहीं जाऊंगा । जो बात अन्य लोगों ने कही है, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा । पंजाब में चुनाव स्थगित करने के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई है उससे हमें बहुत परेशानी हो रही है । यह एक क्रूरतापूर्ण कार्यवाही थी, एक ऐसी कार्यवाही जिसमें वास्तव में विश्वास से परे एक सिनिकवाद और पागलपन की झलक मिलती है । आपने पंजाब के चुनाव ऐन वक्त पर स्थगित कर दिए हैं । आपने हमें यह बताया कि आपका इससे कोई मतलब नहीं है । इसी बात से हमें और भी चिन्ता हो रही है । यदि आपने पंजाब में चुनाव स्थगित करने में कोई हस्तक्षेप किया है तो इसे माफ नहीं किया जा सकता है । मैं, आपके विचारार्थ यह बात छोड़ता हूं । जनता दल सरकार ने 1989 के आरम्भ में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिस ढंग से उसने जम्मू और कश्मीर में अपहरण के एक नाजुक मामले को निपटाया था । यह मेरा विश्वास है कि जहां तक उचित है इसी प्रकार जिस किसी ने भी चुनाव स्थगित करने का यह निर्णय लिया होगा उसने भारत के हित में बहुत ही गलत निर्णय लिया है । यदि आप यह कहते हैं कि आपने यह निर्णय नहीं लिया तो यह और भी चिन्ताजनक है कि यह निर्णय लेने के लिए किसने किससे कहा था? आधी रात को यह निर्णय किसने लिया जबकि एक प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाला था तथा दूसरे प्रधान मंत्री को कार्यभार संभालना था? इस बात ने हमें बहुत परेशान किया है । आप सरकार में हैं और की गई कार्यवाहियों के लिए आप जिम्मेदार हैं । अतः हम इस मुद्दे पर अपना समर्थन देने में असमर्थ हैं ।

मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूंगा । असम के प्रश्न पर प्रधान मंत्री ने विपक्ष के नेता को अपनी बात कहने से बीच में टोकते हुए यह कहा था कि असम में आम माफी वहां जो कुछ भी हुआ उसके बदले में नहीं दी गई थी । तथ्य यह है कि असम के मुख्य मंत्री दिल्ली आए थे, उन्होंने प्रधान मंत्री तथा सरकार के साथ विचार-विमर्श किया था तथा विचार-विमर्श की बात रिकार्ड में है कि वे यहां आए थे तथा उन्होंने समाचारों में एक वक्तव्य दिया था । समाचारपत्रों में भी उनकी बात का रिकार्ड है । उनसे पूछा गया था : "सोवियत इंजीनियर की हत्या पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?" उन्होंने कहा : "यह उल्फा द्वारा विश्वासघात है" । मुझे नहीं पता कि क्या कहा जाए । एक तरफ तो प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि बदले में कुछ नहीं

किया गया है । परन्तु बात यह है कि आपने आम माफी दी है । आपने असम में कतिपय समय और राजनीतिक संदर्भ में आम माफी दी है, जब असम में सरकार द्वारा शपथ लिए जाने के 24 घंटे के अन्दर 16 लोगों का अपहरण कर लिया गया था । इसके बावजूद प्रधान मंत्री ने यह दावा किया है कि बदले में कुछ नहीं किया गया है, वहां हो रही घटनाओं तथा आम माफी के बीच कोई संबंध नहीं है । मैं असमंजस में हूँ तथा संतुष्ट नहीं हूँ । अत : मैं समर्थन देने में असमर्थ हूँ । तीसरी बात सभा के माननीय नेता ने कुछ कहा है । मेरे विचार में उन्होंने इस वाक्यांश का प्रयोग किया है : "हम नेहरू की सामाजिक–आर्थिक विचारधारा का अनुसरण करेंगे । " संक्षेप में यही हमारी कठिनाई है । विपक्ष के नेता तथा संसद में मेरी पार्टी के नेता ने स्पष्ट कहा है कि आपने आर्थिक क्षेत्र में जो कदम उठाएं हैं उनके बारे में हम आपका कोई दोष नहीं मानते हैं क्योंकि ये ऐसे कदम हैं जिनकी वकालत हम काफी लम्बे समय से करते आ रहे हैं । परन्तु हम यह नहीं समझ पाए हैं कि आप क्या करते हैं । आप दो मूल कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं । आप एक मुश्त कदम नहीं उठा रहे हैं जबकि हम आपके आर्थिक कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं । मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा व्यापारिक नीति सम्बन्धी सुधारों की घोषणा की गई है जिनकी वकालत हम लम्बे समय से करते आ रहे हैं । मेरा विचार है कि एक विख्यात अर्थशास्त्री वित्तमंत्री के पद पर आसीन है । हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं । परन्तु हम आपकी आर्थिक दार्शनिकता के बारे में पूर्ण जानकारी चाहते हैं । इसके बदले में हमको यह दोरुखा तर्क सुनने को मिला है तथा फिर भी आप अतीत की सभी बातों को अस्वीकार कर रहे हैं । बहरहाल आप इनका अक्षरश : अनुसरण करते हैं । मैं यह नहीं समझ पाता हूं । इसी कारण मैं अपने माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा कही गयी इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि राष्ट्रपति गोवाच्चेव ने काफी अधिक राजनीतिक ईमानदारी दिखाई है ।

[अनुवाद]

पिछले दिनों में की गई सारी गलतियों का उल्लेख किया । इसके बाद आगे आकर उन्होंने कहा, " अब हमें यह सब करना होगा ।" मैं भी सरकार से उम्मीद करता हूँ कि वह सदन में उसी सच्चाई के साथ आए तथा पिछले दिनों की घिसी–पिटी बातों और सिद्धांतों की पूजा करना छोड़ दें । इस तरह आपको हम आसानी से समर्थन दे सकेंगे ।

अब मैं अपने भाषण का उपसंहार करूंगा । मैं सदन की मनोस्थिति को समझता हूँ तथा इस वाद–विवाद को और आगे नहीं बढ़ाऊँगा । हम सभी प्रधान मंत्री के भाषण की प्रतीक्षा कर रहे हैं । अब मैं एक अन्तिम विचार व्यक्त करना चाहता हूँ । दसवें आम–चुनाव ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश नहीं दिया है । यह भी सही है कि इसने हम या हम में से किसी को भी जनादेश नहीं मिला है । अत: आप यदि दसवें आम चुनाव को मानते हैं तो सदन के भीतर और बाहर भी आपको यह मानना चाहिए कि आपके लिए कोई जनादेश नहीं है तभी सदन के नेता द्वारा निरूपित राष्ट्रीय कार्य सूची तथा राष्ट्रीय सहमति जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकेगी । जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, हम इस विश्वास मत का समर्थन नहीं कर सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, आज हम जिस स्थिति में यहां हैं, वह चुनाव के पूर्व की स्थिति है । इस चुनाव के बाद किसी पालिटिकल पार्टी को थोड़ी कम सीटें मिली हैं और किसी को थोड़ी ज्यादा सीटें मिली हैं । इस चुनाव से पहले तीन खेमे बने हुए थे—कांग्रेस पार्टी, नेशनल फ्रंट–लैफ्ट फ्रंट और बी० जे० पी० । आज हम फिर उसी स्थिति में आकर खड़े हैं । हम को याद है कि जिस समय हम चुनाव में जा रहे थे उस समय नेशनल फ्रंट के पास 79 सांसद थे। उस समय हमारे जितने मैम्बर थे आज भी उतनी संख्या हमारी है । बी० जे० पी० ने थोड़ा गेन किया और कांग्रेस ने भी गेन किया है । आज कुल मिलाकर स्थिति यह है कि किसी भी एक पालिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिला है । हम को वह दिन याद है जब पी० वी० नरसिंह राव की जगह श्री वी० पी० सिंह यहां खड़े थे और उस स्थान से जब हम लोग सैकुलरिज्म और सोशल जस्टिस की बात चला रहे थे। जिन मुद्दों के ऊपर सरकार का पतन किया गया उन बुनियादी मुद्दों को आज भी हम नहीं छोड़ सकते हैं । आपके लिये और बी० जे० पी० के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण चीज न हो लेकिन हमारे लिए वह बहुत बड़े महत्व की चीज है और हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं । 7 नवम्बर, 1990 को तो उस समय खंजर चल रहा था, खंजर कौन-कौन लोग मार रहे थे वह भी मुझे याद है । भारतीय जनता पार्टी ने जब खुले आम बगावत किया तो वही कांग्रेस पार्टी जो सैकुलरिज्म और सामाजिक न्याय का नारा दे रही थी—**(व्यवधान)**—कांग्रेस पार्टी जिसके बारे में हम सोचते थे कि वह कम से कम बी० जे० पी० के साथ हाथ नहीं मिलाएगी । दो दिन बाद विश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिरा देगी चूंकि हमारे पास बहुमत नहीं था तो हमारे सामने सरकार को गिराने के सिवाय और कोई चारा नहीं था, लेकिन हम खड़े थे इस देश की जनता को यह दिखलाने के लिए—**(व्यवधान)**—हम जनता को यह दिखलाने के लिए खड़े थे कि वे जान जाएं कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है । अगर हम ऐसा नहीं करते तो जनता को इसकी पहचान नहीं हो पाती—**(व्यवधान)**—खुराना साहब मैं आपको दोष नहीं देता हूं ।—**(व्यवधान)**—

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : आपके दोस्त तो शाही इमाम हैं ।

श्री राम विलास पासवान : हमारे राम हैं, इमाम हैं, और आपके दोस्त तो गोडसे नाथूराम हैं। आप इस डिसकशन में न जाएं ।—**(व्यवधान)**—

अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि 7 नवम्बर को जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार वहां खड़ी थी तो हम यह एक्सपैक्ट करते थे ·····।

एक माननीय सदस्य : नाथूराम मिर्धा कहां हैं, नाथू राम की बात हो रही है ?

श्री राम विलास पासवान : नाथू राम गोडसे की बाद मैं कह रहा हूं। तो, अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि 7 नवम्बर को कम-से-कम हमारे जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी से यह उम्मीद नहीं थी कि वह पार्टी जिस मुद्दे पर हम खड़े थे, दोदिन के बाद आप सरकार को गिरा सकते थे लेकिन आपने जरा-सा भी वेट नहीं किया और इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ा ।

आज आपको भले ही साउथ में सीटें मिल गई हों, चाहे राजीव गांधी की सिम्पेथी लहर के कारण मिली हों, चाहे और भी कोई कारण हों। आपने देखा होगा जब 20 मई को आंध्र प्रदेश का चुनाव हुआ तो 17 सीट में से आपको केवल 2 सीटें मिली थीं और जब जून, के महीने में चुनाव हुआ तो 24 सीटों में से तेलगूदेशम को केवल दो सीटें मिलीं, जो राष्ट्रीय मोर्चा का एक घटक है तो इससे पता चल सकता है लेकिन जहां तक उत्तर भारत की बात है, उत्तर भारत में आप का सफाया क्यों हुआ, इसका आप एनेलिसिस कर सकते है ? अभी भी एनेलिसिस करने का आपके पास में समय है, आप का जो वोट बैंक था .....।

एक माननीय सदस्य : उत्तर भारत में आपका भी तो सफाया हो गया।

श्री राम विलास पासवान : बिहार में आपको केवल एक सीट मिली है, इसी से यदि आपको संतोष होता है तो संतोष कीजिए। उत्तर प्रदेश में आपका बिल्कुल सफाया हो गया। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ, प्रधान मंत्री जी से, कि कांग्रेस के लिए आज यह विचार करने का वक्त है कि जो माइनोरिटी के लोग, जो दलित लोग, कांग्रेस जिसको अपना वोट बैंक समझ रही थी, आज वह दलित, वह माइनोरिटी के लोग कांग्रेस से दूर क्यों चले गए और जिसको आपने पकड़कर रखा, आज यह भी एक विचार करने लायक बात है कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक चाहे जगन्नाथ मिश्र हों, चाहे नारायण दत्त तिवारी हों, चाहे राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी हों, चाहे और कोई दूसरे लोग हों, इन सारे के सारे लोगों का सफाया हो गया। अध्यक्ष जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ ..... (व्यवधान) ..... वही बात तो मैं कह रहा हूँ न।

बिहार में जहां हमने सामाजिक न्याय का मुद्दा चलाया, सामाजिक न्याय के, मण्डल के नीचे कमण्डल आ गया। उत्तर प्रदेश में हमने मण्डल कमीशन की बात को, लोगों के पास में पहुंचाने का काम तो जरूर किया लेकिन मण्डल के ऊपर कमण्डल चल गया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगली बार जब चुनाव होगा, यह जय सियाराम फिर मण्डल के नीचे आएगा और आपके बढ़ने का मामला तो है नहीं, आप वहीं के वहीं रहेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपको यह कहने जा रहा था कि जो सरकार प्रिंसिपल की बात करती है, बुनियाद की बात करती है, हमको उसकी बुनियाद में खोट नजर आता है।

आपने एण्टी डिफैक्शन बिल पास किया था, लागू किया था। कौन नहीं जानता था, जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो उस वक्त पर कोई दूसरा सरकार नहीं बना सकता था, आपको हिम्मत थी तो उस समय भी आपके पास 212 सीटें थीं, 212 एम० पी० आपके पास में थे, आपकी क्यों हिम्मत नहीं हुई, सरकार बनाने की, आपने क्यों डिफैक्शन करवाकर सरकार बनवाने का काम किया? आपके पास आज कितने मैम्बर्स हैं, 212 तो कुल मिलाकर उस समय में भी थे और 224 आज आपके पास हैं। आज आप कहते हैं, हम सरकार बना रहे हैं, आप हमको समर्थन देने का काम करो। 212 पर आपने सरकार क्यों नहीं बनाई थी, आप उस समय कह रहे थे कि जब तक हमारे पास अपनी मैजोरिटी नहीं आएगी, तब तक हम सरकार बनाने का काम नहीं करेंगे ..... (व्यवधान) .... मैं तो वही कह रहा हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपको यह बात कहना चाहता हूँ कि आप जो प्रिंसिपल

की बात करते हैं, आइडियोलाजी की बात करते हैं तो आप आइडियोलाजी की बात नहीं करें। अभी अर्जुन सिंह जी कह रहे थे, अपने समय का बता रहे थे कि कांग्रेस ने क्या-क्या किया .... आजादी को कितने साल हो गए हैं ? 44 साल हो गए हैं। बच्चा बढ़ता है, लेकिन यदि 44 साल का आदमी तीन फुट का हो तो वह स्वस्थ आदमी नहीं माना जाता है। 44 साल में तो छः फुट का होना चाहिए, लेकिन है आज वह तीन फुट का। आप कहते हैं कि तरक्की कर रहे हैं। तरक्की आपने किया है, तरक्की आपने किया है तीन फुट तक, लेकिन तरक्की होनी चाहिए थी छः फुट तक। इस बात को आप भूल जाते हैं कि आज भी देश के 5,76,916 गांवों में से --दो लाख गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जहां जिस तालाब में आदमी पानी पीता है, उसी तालाब में जानवर भी पानी पीता है, लेकिन आप दिखाना चाहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। आज ही आपके एक प्रश्न के जवाब में बतलाया गया है, आप शिक्षा मंत्री हैं, मानव संसाधन मंत्री हैं, आपने बतलाया है कि आज भी इस देश में 47 प्रतिशत लोग बिना पढ़े-लिखे हैं। आजादी के 44 सालों के बाद भी सौ में से 48 लोग बिना पढ़े-लिखे हैं। इसके बावजूद भी हम तरक्की कर रहे हैं। इस देश में आज एक करोड़ लोग अन्धे हैं—हम तरक्की कर रहे हैं। इस देश में कुष्ठ रोग से लोग ज्यादा मर रहे हैं—हम तरक्की कर रहे हैं। इसलिए, अध्यक्ष जी, आप यह कहें कि हम तरक्की कर रहे हैं तो जितनी तरक्की हमको करनी चाहिए, उतनी तरक्की हम नहीं कर रहे हैं। आज भी इस बात को इस देश में कौन नहीं जानता है कि आदमी का पखाना आदमी सिर पर उठाता है। आदमी का पखाना आदमी उठाकर चलता है। आपके पास कोई योजना है कि आप छः महीने के अन्दर, साल भर के अन्दर कम-से-कम आम इतनी गारन्टी दे दें कि आदमी का पखाना आदमी सिर पर ढोने का काम नहीं करेगा। .... **(व्यवधान)** ....।

एक माननीय सदस्य : आपने यह काम क्यों नहीं किया ? ..... **(व्यवधान)** ...।

श्री राम विलास पासवान : हमने जिन-जिन चीजों की शुरूआत की है, यदि वर्तमान सरकार कुछ करे, तो स्वर्ण युग हो सकता है। केसरी जी नहीं है, बहुत हल्ला करते हैं कि मंडल कमीशन लागू करेंगे, मंडल कमीशन लागू करेंगे। आज भी आपका जवाब आया है, कुछ नहीं जीरो है। प्रश्न के जवाब में आया है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पैंडिंग है, कैसे मंडल कमीशन लागू करेंगे, लेकिन मंडल कमीशन लागू करेंगे रोज अखबार में आ रहा है। हमने जो कॉमन-लिस्ट तैयार की थी स्टेट बैकवर्ड क्लास और मंडल कमीशन की, वह भी अभी तक आप पब्लिश नहीं कर पाए हैं। आप कहते हैं कि हम मंडल कमीशन लागू करेंगे। इसलिए, अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था ..... **(व्यवधान)** .....।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : पासवान जी, आप कह रहे थे कि आदमी का पखाना आदमी उठाता है, यह प्रगति कार्यक्रम कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में लिया।

श्री राम विलास पासवान : पूरे देश में आपकी सरकार थी, सन् 1967 में विरोधी दल की सरकार कुछ राज्यों में बनी। बीस साल तक आपकी सरकार प्रत्येक राज्य में रही। आपने क्यों नहीं लैण्ड रिफार्म किया ? आपने क्यों नहीं अभी तक सिर पर पखाना ढोने का सिस्टम खत्म किया ? जो आप कह रहे हैं, आज की परिस्थिति में कह रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि आप

इस तरह की बात जब कहते हैं, बच्चे जहां भूख से मरते हों, जहां मां बच्चे को कूंवें में डाल देती है, वह खाना नहीं खिला सकती है । इस आजाद भारत में आज भी इस तरह की बात होती है (**व्यवधान**) ।

[**अनुवाद**]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, हमें अपने देश की इतनी गलत तस्वीर पेश नहीं करनी चाहिए । क्या वह किसी बच्चे को कुंए में फेंक दिए जाने का कोई उदाहरण दे सकते हैं ? (**व्यवधान**) ।

एक माननीय सदस्य : हां, मैं ऐसा उदाहरण दे सकता हूं । (**व्यवधान**) ।

श्री राजेश पायलट : नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है । गलत तस्वीर न दें । आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं । ऐसा कोई बात नहीं है (**व्यवधान**) ।

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर ओमवती नाम की महिला ने अपने तीन बच्चों के साथ आत्म-हत्या की है । इसको कौन नहीं जानता है । तीन बच्चों के साथ भूख से तंग आकर, गरीबी से तंग आकर आत्म-हत्या की है । इसको कौन नहीं जानता है ।

[**अनुवाद**]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, हमने इसका दावा नहीं किया है। (**व्यवधान**) फिर भी हमें देश की ऐसी गलत तस्वीर पेश नहीं करनी चाहिए कि यहां बच्चों को कुंएं में फैंका जाता है । देश में ऐसी स्थिति नहीं है। (**व्यवधान**) ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, अगर पायलट जी चाहते हैं तो उनमें और हम में चैलेंज हो जाए कि बच्चा एक नहीं दर्जनों बच्चे भूखे के मारे कुओं में डाल दिए गए हैं, बच्चों की भूख के कारण मां ने हत्या करदी है । आप क्या बात करते हैं ?

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, अभी 3 दिन पहले ओमवती नाम की महिला अपने 3 बच्चों के साथ मर गई । (**व्यवधान**) ।

[**अनुवाद**]

श्री सोम नाथ चटर्जी (बोलपुर) : इन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। (**व्यवधान**) ।

[**हिन्दी**]

श्री राम विलास पासवान : मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा । यदि मैं कोई अन-पार्लियामेंटरी शब्द का प्रयोग करूं तो आप मुझे रोकदीजिएगा । लेकिन जो बात मैं कहता हूं यदि माननीय

मंत्री को इस पर कोई ओबजेक्शन हो तो वे चैलेंज करें मैं उनके चैलेंज को मीट करूंगा । **(व्यवधान)** आपने गरीबी को देखा नहीं है, आप बिहार के उस इलाके में चले जाएं जहां से शिबू सोरेन और हमारे मण्डल जी आते हैं । आज भी वहां पर जब आदमी का पांव टूटता है तो बांस की लकड़ी को चीर कर वे उसको बांध लेते हैं । आज भी वहां कोई अस्पताल नहीं है। आप बस्तर के इलाके का हाल देखिए वहां आज भी जब आदमी गंदा पानी पीता है तो उस पानी को पीने से आदमी के शरीर के अन्दर कीड़े हो जाते हैं । आज इतनी बुरी वहां गरीबी की हालत है । **(व्यवधान)** ।

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : आज आपको गरीबी याद आ रही है । 11 महीने तक आपको गरीबी याद नहीं आई और पैर नहीं टूटा । **(व्यवधान)** ।

श्री राम विलास पासवान : आज तक यह सरकार टाटा और बिरला के इशारे पर काम करती रही है जब गरीब के साथ न्याय करना शुरू कर देंगे तो आपको सरकार को भी वही गति भुगतनी पड़ेगी जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को भुगतनी पड़ी है। आप इस बात को हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि गरीब का काम करना आसान नहीं होता है, भाषण दे देना बहुत आसान होता है । **(व्यवधान)** आज जो तमाम पूंजीपति हैं कांग्रेस के साथ हैं **(व्यवधान)** आज तक की जो सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है । आज यह सरकार राजतंत्र से प्रजातन्त्र की ओर जा रही है । पहली बार इसने प्रजातन्त्र में जाने की कोशिश की है । **(व्यवधान)** ।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : आप कुछ कह तो सकते हैं लेकिन थोड़ा-सा ध्यान हमें यह भी करना पड़ेगा कि आपके पास क्या है ? क्या आपके भंडार खाली हैं ? मौत तो हो सकती है लेकिन किन कारणों से होती है यह देखना पड़ेगा । 34 करोड़ के लिए तो बाहर से अनाज आता था, लेकिन 85 करोड़ जनसंख्या के होते हुए भी आज हमारे पास 20 मिलियन टन अनाज बफर स्टाक में है । जो तरक्की हमने की है उसका आप ध्यान रखिएगा। **(व्यवधान)** यह बात नहीं है कि तरक्की नहीं हुई है ।

श्री राम विलास पासवान : यह धन्यवाद किसान को जाता है और यह बात जो जाखड़ जी कह रहे हैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं । लेकिन आप बतला सकते हैं कि 1977 में जब मैं पार्लियामैंट में आया था उस समय मैंने प्रश्न पूछा था कि इस देश में विदेशी कर्जा कितना है, जवाब मिला था इक्कीस हजार करोड़ रु०, जब 1980 में प्रश्न पूछा कि विदेशी कर्जा कितना है तो जवाब मिला 1977 से 1979 तक एक नए पैसे का विदेशी कर्ज हमने नहीं लिया। लेकिन 1982 में जाकर हो गया तेईस हजार करोड़ रु० और 1985 में जाकर हो गया पैंतालिस हजार करोड़ रु० । आज हमारे देश पर विदेशी कर्जा है एक लाख करोड़ रु० । उस रुपए को ले करके आपने क्या किया ? **(व्यवधान)** मैं समझता हूं कि आपने सिर्फ टाटा और बिरला की संपत्ति बढ़ाई है । देश को आपने गिरवी रख दिया, एक लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्जा हो गया और इतना कर्जा होने पर भी आपने गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं

की । आपने गांवों में स्कूल की व्यवस्था नहीं की, अस्पताल की व्यवस्था नहीं की और 11 महीने की बात आप कहते हैं 11 महीनों के शासन में हमने जो काम शुरू किए थे, अगर आप उनको पूरा कर दीजिए तो 5 साल के अन्दर देश कहां से कहां पहुंच जाएगा, यह है हमारा काम । ····· **(व्यवधान)** ··।

अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार 3 मुद्दों पर गई है । एक हमारी सरकार गई है धर्म निरपेक्षता के मुद्दे पर । आज इसमें दो मत नहीं हैं कि देश में सांप्रदायिक ताकतें ह, वे सांप्रदायिक ताकतें अपना फन ऊंचा कर रही हैं, इस देश में आज ऐसी पार्टियां हैं, जब मैं चुनाव के दरमियान गया था, **(व्यवधान)**।

जब मैं चुनाव के दरमियान गया था शरद पवार जी के इलाके में, तब शिव सेना द्वारा खुले आम यह कहा जा रहा था कि उनकी सरकार आएगी तो महात्मा गांधी की मूर्ति को हटाएंगे, नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाएंगे । दूसरे दिन लाल कृष्ण आडवाणी का कांट्राडिक्शन आया, उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है । इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन शिव सेना के लोगों ने फिर कहा कि आडवाणी जी कौन होते हैं हमारा भाष्य करने वाले, हमने जो कहा है वह सही कहा है और हिन्दुस्तान की कोई अखबार नहीं है, जिसमें यह खबर न छपी हो, यह बात आडवाणी साहब को भी मालूम है । **(व्यवधान)** ··· ।

श्री अनन्त राव देशमुख (वाशिम) : इस तरह की कोई बात नहीं कही गई, मैं इसका खण्डन करता हूं । **(व्यवधान)** ·····।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अपने कांग्रेस साथियों से कहना चाहूंगा, जहां तक कम्युनलिजम का सवाल है, इससे आप अपना दामन साफ नहीं कर सकते। बाबरी मस्जिद के मामले में सबसे पहला ब्लंडर आपने किया जो वहां पर शिलान्यास कराने का काम किया, इससे आप इन्कार नहीं कर सकते । ऐसे जब-जब मौके आते हैं, याद रखिए जब भी ऐसा मौका आता है कांग्रेस (आई) में और भारतीय जनता पार्टी में कोई अन्तर नहीं रहता हैं, कम्युनलिजम के नाम पर जब हिन्दू राष्ट्र के खतरे की बात आप करते हैं तो आर० एस० एस० सबसे पहले आपकी मदद करने के लिए पहुंचता है । आज भी आपका गटबंधन हुआ है, भविष्य में इसका पर्दाफाश होगा । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का मामला है, 1980 में जब भिण्डरावाले का मामला था तब आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि धर्म की राजनीति मत करो, गोल्डन टैंपल से राजनीति शुरू मत करो । मैं कहना चाहता हूं कि गोल्डन टैंपल से राजनीति शुरू करना बुरा था तो मंदिर से राजनीति शुरू करना क्या अच्छा है । ये दोनों चीजें एक ही तरह की हैं । ··· **(व्यवधान)**।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : पासवान जी, मंदिर से मत जोड़ो, मगर जामा मस्जिद से जोड़ो । आपने तो इमाम के आगे घुटने टेक दिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जिस देश का ·······प्रधानमंत्री शंकराचार्य के नजदीक जाकर, पोप के नजदीक जाकर सिर झुकाता हो, यदि कोई मुसलमान नेता से मिलता है इस सेकुलर देश में, यह कम्युनलिजम नहीं है । **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथियों से बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि यह देश एक बगीचे की तरह है और पार्लियामेंट में हम जितने सदस्य बैठे हुए हैं, ये सब इस बगीचे के माली हैं।

मैं सैफुद्दीन चौधरी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं जब इन्होंने कहा कि मैं जाता हूं मस्जिद में तो मुसलमान की हैसियत से जाता हूं, लेकिन में पार्लियामेंट में खड़ा हूं, एक एम० पी० की हैसियत से खड़ा हूं, एक प्रतिनिधि की हैसियत से खड़ा हूं। इसलिए हम सब सदस्यों से आग्रह करेंगे कि आप बगीचे के माली की तरह काम कीजिए, तभी यह देश चलेगा, तभी देश में हर तरह के फूल को खिलने का मौका मिलेगा। इस देश में हिन्दू भी हैं, इस देश में सिख भी हैं, इस देश में ईसाई भी हैं, इस देश में दलित भी हैं, इस देश में ब्राह्मण भी हैं। आप हिन्दू राष्ट्र का नाम लेते हो, मैं पूछना चाहता हूं कि आज क्या हिन्दू राष्ट्र नहीं है ? आज यह देश क्या हिन्दू राष्ट्र नहीं है ? ···(**व्यवधान**)···। जिस दिन राम जन्म भूमि–बाबरी मस्जिद का रैज्योलूशन आएगा, मैं पूरी तरह उस पर बोलूंगा, लेकिन मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज भी यह देश हिन्दू राष्ट्र है। इस देश का प्रधान मंत्री, इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का उप–राष्ट्रपति, इस देश का चाहे ज्यूडिशियरी का हैड हो, चाहे इस देश के इलेक्शन कमीशन का हैड हो, कोई माईन्योरिटी में से है ? सब हिन्दू हैं। आप कौन-सा राष्ट्र बनाना चाहते हो ? आप कौन-सा हिन्दू राष्ट्र चाहते हो ? ···(**व्यवधान**)।

श्री राम नाईक : इस बात को लेना कि कोई प्रमुख हिन्दू है तो हिन्दू राष्ट्र है, इनकी पार्टी का प्रमुख हिन्दू हो तो भी हिन्दू पार्टी हो जाएगी। यह गलत बात है। जनता दल को भी हिन्दू पार्टी करके लोग कहने लगेंगे। इनको कुछ तो समझना चाहिए।···((**व्यवधान**)।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, धर्म अलग है, नैशनेलिटी अलग है। देशी कौन है, विदेशी कौन है। जो देश पर कुर्बान होता है, देश की रक्षा के लिए मरता है वह देशी है, जो देश के प्रति गद्दारी करता है वह विदेशी है। हमसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन था तो हम कहेंगे कि सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त अब्दुल हमीद था जिसको 1965 में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध में सर्वोच्च पुरुस्कार परमवीर चक्र मिला था। सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त सरदार भगत सिंह था, जिसने हंसते–हंसते सूली के फन्दे पर झूलने का काम किया। सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही वह है जो देश का पैसा विदेश में जमा करता है, सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही वह है जो बोफोर्स में दलाली खाने का काम करता है। यह देशी और विदेशी का मकसद है। ···(**व्यवधान**)। इसलिए अध्यक्ष जी, धर्म निरपेक्षता हमारी बुनियाद है। हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। सामाजिक न्याय हमारी बुनियाद है। आजादी के 43 साल के बाद भी, आपने बहुत नाम लिया दलितों का, शैड्यूल्ड कास्टस का ...।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। आप बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं।

श्री राम विला पासवान : अध्यक्ष जी, पांच मिनट के अन्दर, 5.40 पर मैं खत्म कर दूंगा। अध्यक्ष,जी, शैड्यूल्ड कॉस्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स की बात की जाती है लेकिन आजादी के 43 साल के बाद भी आज कौन नहीं जानता है कि इस देश में नैक्सेलाइट्स एक्टीविटीज बढ़

रही हैं । आपने कभी सोचा है कि आंध्र प्रदेश में नेक्सेलाइट्स एक्टीविटीज क्यों बढ़ रही हैं ? बिहार में नेक्सेलाइट्स एक्टीविटीज क्यों बढ़ रही हैं ? आप मच्छर को मारने का काम कर रहे हो । डी० डी० टी० से आप मच्छर को मार सकते हो, लेकिन याद रखो जब तक गन्दे नाले की सफाई नहीं होती मच्छर पैदा होना बन्द नहीं होगा चाहे आप लाख मच्छर मारने का काम करो। आज यह सिमटम है । नैक्सेलाइट्स कहां से पैदा हो रहे हैं, बोडो लैण्ड कहां से पैदा हो रहा है ? झारखण्ड कहां से पैदा हो रहा है ? कहीं न कहीं उसके साथ में आजादी के 44 साल के बाद भी अन्याय किया गया है, न्याय नहीं किया गया है । इसलिए दो ही रास्ते हैं । एक रास्ता है अहिंसा का और दूसरा रास्ता है हिंसा का । जब अहिंसा का दरवाजा बन्द होता है तो हिंसा का दरवाजा खुल जाता है । जब अहिंसा के तरीके से समस्या का निदान होता है तो हिंसा का दरवाजा हमेशा बन्द रहता है। यह मत समझा कीजिए कि जो बोल्ता नहीं है, जिसके मुंह में जुबान नहीं है और उसके पास दिल और पीड़ा नहीं है । आप यह याद रखिए कि मंडल कमीशन लागू करेंगे तो आपकी पार्टी टूटेगी । इस अंधकार में नहीं रहना है । यह बड़ी चीज है, मामूली चीज नहीं है । हजारों साल से गरीब, पिछड़े व दलितों की छाती पर बैठकर जिसने राज किया है और उसको कहोगे कि छाती से उतर जाओ तो याद रखिए कि वह आसानी से उतरने वाला नहीं है । आज आपने महाराष्ट्र में एक बंजारा मुख्यमंत्री बनाया, नाईक को बनाया और आडवाणी जी ने कुर्पो को मुख्यमंत्री बनाया ···(**व्यवधान**) महाराष्ट्र में शिवाजी, साहू जी, महात्मा फुले और डा० अम्बेडकर से लेकर के सामाजिक क्रान्ति का काम हुआ । साऊथ में पेरियार से लेकर अन्नादुरई तक सामाजिक क्रान्ति का काम हुआ ।···(**व्यवधान**) कांग्रेस के लोग सबसे पहले मंडल कमीशन के खिलाफ सड़क पर आए, बिहार तथा उत्तर प्रदेश से साफ हो गए । बी० जे० पी० के लोग भी बिहार से साफ हो गए । मैं जिस इलाके से जीतकर आया हूं तो वहीं पर आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई थी । ···(**व्यवधान**) पहला शिलान्यास का ईंट रखने वाला मेरे खिलाफ खड़ा था तीसरे स्थान पर रहा आडवाणी जी और अटल जी सब गए··· (**व्यवधान**) इसलिए कि आपने मंडल कमीशन का विरोध किया था । मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय का मुद्दा हम नहीं छोड़ सकते । आपने "पावर टू दी पीपल" कहा है । मैं उसमें "पावर टू दी पूअर" जोड़ना चाहता हूं । पावर टू दी पीपल का मतलब टाटा, बिरला से होता है । जब भी आप बात करें तो पावर टू दी पूअर की बात कीजिए । दूसरे सदन में हमारे समय में लेबर पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट बिल पेश हुआ तो हमें याद है कि कांग्रेस और बी० जे० पी० की ट्रेड यूनियन के लीडर तक ने कहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। आप इसको कैसे लागू करेंगे। जो सामाजिक न्याय, सैक्युलरीज्म और पावर टू दी पूअर का मुद्दा है, वह हमारा कमिटमैंट है । हम 56, की जगह चाहे छह एम० पी० आ जाएं···(**व्यवधान**) यह हमारी बुनियादी लड़ाई है । रामायण में लोग जानते हैं कि सीता का हरण किया गया था, (**व्यवधान**) यह बात छोड़ दीजिए राम का नाम लेकर के नारा देकर के आप ज्यादा दिनों तक लोगों को बरगला नहीं सकते । सामाजिक न्याय, सैक्युलरीज्म और पावर टू दी पूअर का मुद्दा हो तो किसान, मजदूर का राज कायम हो और टाटा, बिरला को छोड़ दीजिए। किसान मजदूर का राज बनाने का संकल्प लीजिए।

···(**व्यवधान**) सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले न सिर्फ दलित और अकलियत के लोग थे बल्कि दयानन्द सरस्वती, बुद्ध, गांधी और विवेकानन्द जैसे लोग थे और अब वी०पी० सिंह जैसे लोग हैं। (**व्यवधान**)···मैं यह कह रहा था कि वी०पी० सिंह गाली क्यों सुन रहा है, वी०पी० सिंह पिछड़ी जाति के नहीं हैं, वे कोई दलित नहीं हैं, वे कोई अकलियत के नहीं हैं। लेकिन उनको गाली इसलिए मिल रही है कि उन्होंने मण्डल कमीशन को लागू किया, उनको गाली इसलिए मिली कि उन्होंने मस्जिद को कायम करने की बात करके धर्म–निरपेक्षता को बरकरार रखना चाहा। जब प्रधानमंत्री जी जवाब दें तो आपके जवाब पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि सरकार इसके बारे में क्या करना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हम मस्जिद को तोड़ देंगे···(**व्यवधान**)।

श्री मदन लाल खुराना : बिल्कुल नहीं कहा है। ये गलत बात कह रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं बी०जे०पी० के नेताओं से जानना चाहता हूं कि क्या यह उन्होंने नहीं कहा है कि मस्जिद को हटाकर मन्दिर बनाएंगे ?···(**व्यवधान**)।

श्री मदन लाल खुराना : अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम मस्जिद तोड़ेंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि यह कहां कहा है।

श्री राम विलास पासवान : गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज···(**व्यवधान**)···क्या यह सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार उस जगह पर जहां शिलान्यास हुआ था, मन्दिर बनाना चाहती है ? अगर यह सही नहीं है तो उनका क्या प्रोग्राम है यह बताएं।

श्री मदन लाल खुराना : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मस्जिद तुड़वायेंगे यह बात गलत है और ऐसी बातें कहकर ये साम्प्रदायिक भावनायें भड़काना चाहते हैं।

श्री गुमान मल लोढ़ा : (पाली) : क्या यह सही नहीं है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि अयोध्या में मस्जिद नहीं है। फिर मस्जिद गिराने का सवाल कहां पैदा होता है।

श्री राम विलास पासवान : यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि उस स्थान पर मन्दिर नहीं बनायेंगे, मस्जिद नहीं टूटेगी तो बहुत अच्छी बात है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मैं समझता हूं कि इस पर हम काफी बहस कर चुके हैं और पासवान जी अपनी प्रभावी भाषा में बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं, आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री राम विलास पासवान : मैं इस सरकार के बारे में कह रहा था कि अभी जो सरकार का आचरण रहा है और पिछले दो–तीन दिनों में जो इन्होंने समझौता किया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर नेशनल फ्रंट और वामपंथी दल चाहते तो अध्यक्ष का यह उपाध्यक्ष का पद स्वयं ले सकते थे, लेकिन मैंने शुरू से कहा है कि हमारे लिए कांग्रेस और बी०जे०पी०

दोनों जहर के समान हैं, एक सांपनाथ है और दूसरा नागनाथ है। इसलिए हम दोनों में से किसी से भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना : जब वी०पी०सिंह प्रधान मंत्री थे और हमारा समर्थन मिल रहा था तो ठीक थे, और जब हमने अपना समर्थन वापिस ले लिया तो इनके लिए जहर हो गए।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : इन्होंने हमारी पार्टी से हाथ जोड़कर समर्थन मांगा।

श्री मदन लाल खुराना : 11 महीने इनकी सरकार रही तो हमारा जहर नहीं लगा और हमारे साथ को लेते रहे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, 11 महीने तक हम शंकर थे और इनके विष को पी रहे थे।

श्री कालका दास (कसौल बाग) : शैड्यूल्ड कास्ट का सबसे बड़ा नुकसान इन्होंने किया है तो अब ये कहां न्याय की बात करते हैं? **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है उसके सामने सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और पावर्टी टू पूअर्स के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में या अपने जवाब में क्या बतलायेंगे, इस लिए मैं और हमारा जनता दल इस प्रस्ताव का घोर विरोध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री फ्रैंक एंथनी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : अध्यक्ष महोदय, इस कोलाहलपूर्ण भाषण के बाद में जो कहने जा रहा हूं वह एक प्रतिकारक के समान है। **(व्यवधान)**। मैं प्रधान मंत्री के प्रस्ताव को अपना समर्थन देता हूं। मैं किसी भी व्यक्ति को अपशब्द नहीं कह रहा हूं। मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं रहा। **(व्यवधान)**। इस सभा का मैं वरिष्ठतम सदस्य हूं। पिछले 40 साल से मैं नेहरू परिवार से जुड़ा रहा हूं।

श्री आडवाणी ने जिन विषमताओं का उल्लेख किया है, उसे समझ नहीं सकता हूं। सबसे बड़ी विषमता यह है कि एक ओर तो उन्होंने कहा कि वे इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे और दूसरी ओर वे कहते हैं कि यह प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं होगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि सरकार गिर जाये।

एक ओर बड़ी विषमता यह है कि विपक्ष में यहां एक ऐसी पार्टी बैठी हुई है जो अति-धार्मिक कट्टरवाद के लिए प्रतिबद्ध है। यही बात मैं नहीं समझ सका। उन्होंने शपथ ली है कि वे धर्म निरपेक्षता का समर्थन करेंगे परन्तु वे एक विशेष धर्म तथा भारत के सबसे बड़े अल्प-मत समुदाय के खिलाफ घृणा पैदा कर रहे हैं।

मेरा विचार है कि जब तक नेहरू युग रहा लोकतंत्र अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में था। मेरा यह भी कहना है कि ब्रिटेन के समाचार पत्रों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को लौह महिला कहा था जो विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र को नियंत्रण में रख सकती थी और वह एकमात्र लोकतांत्रिक नेता थीं जिन्होंने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया था। वह इंदिरा गांधी थीं। विश्व के समाचार-पत्रों ने भी उन्हें 'लौह महिला' कहा था। किसी समय मैं अर्थशास्त्र का छात्र था बाद में

मैंने उसे छोड़ दिया। अब मैं देख रहा हूं कि अनेक अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं। एक अधिवक्ता के रूप में मैं जानता हूं कि एक अधिवक्ता किसी मामले के एक पक्ष को देखता है और दूसरा इसे पूरी तरह अस्वीकार कर सकता है।

अमेरिका में मेरे कुछ अच्छे मित्र हैं। उनमें से एक ने मुझे तीन किताब भेजी थीं। उनमें से एक किताब में लेखक ने हाल में हुए मध्य-पूर्व के युद्ध के प्रभाव के बारे में लिखा है। बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। अमेरिका में अनेक लोग बेरोजगार हो गए हैं। अनेक लोग सड़कों पर सो रहे हैं और पांच सितारा होटलों के कूड़ेदान से खाना निकाल कर खा रहे हैं।

मुझे अखिल भारत आंग्ल भारतीय महासंघ जैसी संस्था का अध्यक्ष निर्वाचित होने का गौरव प्राप्त है जिसने 1976 में अपनी शताब्दी मनाई। जब श्रीमति इंदिरा गांधी इस महा-संघ की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं तो उन्होंने कहा था कि फ्रैंक एंथोनी नहीं चाहते कि इस समुदाय को पिछड़ा समुदाय कहा जाए उन्होंने कभी भी इसे पिछड़ा वर्ग कहने नहीं दिया। और यही मैं कह रहा हूं। यहां कुछ लोग हैं जिन्होंने भारत के विकास में अपने सहयोग के कारण स्वयं को पिछड़ा कहे जाने से इंकार किया।

यहां मैं उनकी वीरता का उदाहरण दे रहा हूं। कश्मीर युद्ध में जब जनजाति के लोग श्रीनगर से सिर्फ कुछ ही मील दूर थे तो भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों को खदेड़ दिया था जिसका नेतृत्व मेरे समुदाय के व्यक्तियों ने ही किया था। वीरता के पुरुस्कारों में आधे आंग्ल-भारतीय फाइटर पायलट को दिए गए थे। प्रधान मंत्री महोदय आपने जो काम उठाया है वह काफी बड़ा और असाधारण है। हम राष्ट्र के बारे में बात करते हैं परन्तु हम एक राष्ट्र से भी ऊपर हैं हम एक उपमहादेश हैं। वास्तव में हमारी 179 भाषाएं और 500 बोलियां और उपभाषाएं हैं। इस स्थिति में आपको इस देश का नियंत्रण करना है। मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यद्यपि पांच प्रधान मंत्रियों ने लोक सभा की पहले आंग्ल भारतीय स्थान के लिए मेरी सिफारिश की लेकिन उन्होंने मुझे कांग्रेस में शामिल होने के लिए नहीं कहा। यह धर्म निरपेक्षता का एक सम्मान है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभा इस मद के समाप्त होने तक बैठे रहने पर सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अतः सभी सहमत हैं। अब प्रधान मंत्री बोलेंगे।

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया और अपने अमूल्य विचार, दिशा-निर्देश, चेतावनी आदि दी। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हम आज इस देश के इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां ये सब इसलिए भी प्रासंगिक हो जाते हैं क्योंकि हमें दस या बारह वोट कम मिले हैं। बस यही कारण है। लेकिन महोदय, यही कारण नहीं है जो कि मैं चुनावों के अनुभव से देख रहा हूं। हम जानते हैं कि चुनावों से पहले त्रिशंकु संसद के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया था। चुनावों की घोषणा होने से पहले इस देश के विवेकी

नेताओं ने चेतावनी दी कि भारी बहुमत के दिन बीत गए हैं। इस देश को और लोगों को इस बात का अहसास होना चाहिए कि भविष्य में क्या उम्मीद की जाए और उन्हें मानसिक तथा राजनैतिक दृष्टि से ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसमें किसी एक दल को बहुमत न मिले तथा सरकार बनाने के योग्य हो। ऐसा नहीं है कि इसका पूर्वानुमान नहीं था। इन स्थितियों का पूर्वानुमान था और मुझे विश्वास है कि यह इस देश में प्रत्येक राजनीतिक दल का यह पूर्वानुमान था—जरूरी नहीं कि वे इस बारे में विश्वस्त थे—परन्तु इस बारे में पूर्वानुमान था और मेरे दल ने भी ऐसा ही सोचा था। और उस विचार से हमें सोचना पड़ा कि यदि लोग इस दल को सत्तारूढ़ कर देते हैं तो यह दल किस तरह से कार्य करेगा या इस दल की सरकार किस तरह कार्य करेगी। महोदय, चुनाव अभियान के दौरान पत्रकारों ने मुझ से कई बार पूछा कि क्या मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल जाएगा। मैंने कहा था, "हां"। अगला प्रश्न यह था कि यदि आपको बहुमत नहीं मिला तो आप क्या करेंगे ? मेरा जवाब था " मैं काल्पनिक प्रश्न के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मुझे विश्वास है कि मुझे बहुमत मिल जाएगा।" एक पार्टी का नेता इतना ही कह सकता था। इसके साथ ही अपने विवेकी नेताओं की चेतावनियों के कारण मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि चाहे मुझे दस ज्यादा या दस कम मिले इसकी मुझे चिन्ता नहीं। मेरा तो आम सहमति से कार्य करने का तरीका है। मैंने ऐसा कहा था। मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि मैं अड़ियल रवैया नहीं अपनाऊंगा, कांग्रेस पार्टी अड़ियल रवैया नहीं अपनाएगी और हम समझौता वाले रास्ते अपनायेंगे। मैंने यही शब्द कहे थे।

6.00 म० प०

हम असहमति के मुद्दों को अलग रखना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों प्रकार के मुद्दे हैं। आज देश जिस नाजुक स्थिति, बहुत खतरनाक स्थिति के दौर में है। उसमें आवश्यकता इस बात की है कि सभी पार्टियां ऐसा दृष्टिकोण अपनाएं और मैंने निश्चित रूप से अपनी पार्टी के बारे में कहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह मेरा दृष्टिकोण है, इस बात पर ध्यान न दें कि हमें दस कम या दस अधिक सीटें मिली। यदि हमें 300 स्थान भी प्राप्त हों तो भी हम सदस्यों की संख्या से ही समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। वह समय अब बीत गया है। देश की समस्याएं इतनी जटिल हैं कि कोई एक दल अथवा एक दल की सरकार अकेले ही इन समस्याओं को हल नहीं कर सकती। यदि आपको बहुमत प्राप्त होगा तो यह समस्याओं के समाधान में सहायक होगा। यदि आपको बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो समस्याओं के समाधान में कुछ कठिनाई होगी। परन्तु फिर भी यह कहना गलत होगा कि यदि हमें बहुमत प्राप्त होगा तो हमें किसी दूसरे से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा हम तभी दूसरों से परामर्श करेंगे यदि हमें बहुमत प्राप्त नहीं होगा। मेरा यह दृष्टिकोण नहीं है।

मैंने प्रधान मंत्री पद ग्रहण करने के चौथे दिन विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ अलग से बैठकें बुलाई थी, क्योंकि एक-दो दिन मंत्रियों के उनके विभागों का आबंटन करने में लग गए थे। उन सभी ने मेरे साथ कार्य किया है। हमने एक साथ मिल कर कार्य किया है। मेरे उन सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। अतः मैंने उन्हें बुलाया। वे सभी नेता आए। जहां तक श्री चन्द्रशेखर का संबंध है, मैं उनसे प्रचलित प्रथानुसार मिला। हमने सामान्य रूप से विचार विमर्श किया कि किस प्रकार से सरकार बनाई जाए। चूंकि कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत के लिए 10 सदस्यों की कमी है, इसलिए यह बात हमें सरकार बनाने से नहीं रोकती और

न हमें सभी दलों के साथ सामान्य रूप से विचार विमर्श करने से रोकती है। मुझे प्रसन्नता है कि यह काफी उत्साहजनक रहा। आज जनादेश, चाहे यह सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक, हमें प्राप्त है। उनके पास इसके लिए पुनः नहीं जाना है। यह जनादेश प्राप्त हो गया है। यह सभी दलों, सभी सदस्यों ने महसूस किया है। अगले दो अथवा तीन महीनों में चुनाव कराए जाने की अन्य अव्यावहारिक संभावना को छोडकर स्पष्ट रूप से यह राजनैतक संदेश दिया गया कि इसके बाद आप पूर्ण बहुमत प्राप्त करने की आशा न करें परन्तु आप सरकार को चलाने का प्रयास करें और लोगों की ज्वलन्त समस्याओं का समाधान करें।

जिस बात से आप सहमत नहीं हैं आप उसका राग अलापते नहीं रह सकते। उस बात को छोड़ दीजिए तथा जनता के लिए कार्य करिए।

अतः मेरे कहने का यही अर्थ है। लोग कांग्रेस पार्टी में बहुत उत्साह से वापिस आए हैं वे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी परन्तु कांग्रेस किसी पार्टी की अपेक्षा नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी अन्य दलों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का भरसक प्रयास करेगी। परन्तु अभी भी लोग यह कहते हैं कि यदि कोई ऐसी पार्टी है जिसमें हमें विश्वास है और जो सरकार चला सकेगी वह कांग्रेस पार्टी ही है और कोई अन्य पार्टी नहीं।

इतना सब कहने के बाद मैं निसन्देह इस बात से सहमत हूं कि जिस सर्वसम्मति की हमें आवश्यकता है, हो सकता है कि वह कभी हमें न मिले। मान लो हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, जिसे मेरी पार्टी बहुत महत्वपूर्ण मानती है, यह सुस्पष्ट है कि मैं इसे तब तक नहीं कर सकता, जब तक आडवाणी जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मेरे अन्य मित्र जैसे इन्द्रजीत जी और सोमनाथजी इससे सहमत नहीं होते अथवा कम से कम मुझे इसे पारित करवाने के लिए पर्याप्त सहमति प्राप्त होनी चाहिए यदि इस के बारे में थोड़ी बहुत असहमति है। ऐसा पहले हो चुका है। वर्ष 1977 में इस सभा में जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त था और विपक्ष में कांग्रेस को भी उतना ही बहुमत प्राप्त था। 42वें से 44वें संविधान संशोधनों के लिए हमने चर्चा की बातचीत की। उस समय हम विपक्ष के सदस्य थे। हमने कहा "हम तब तक इसे स्वीकृति नहीं देंगे जब तक आप उसे स्वीकृति नहीं देंगे।" अतः बहुत लम्बी बातचीत के बाद अन्त में हम 44वें संशोधन पर सहमत हुए। अतः इस प्रकार 42वें संशोधन विधेयक में जो उपबन्ध लाए गए थे उनको 44वें संशोधन विधेयक में संशोधित किया गया। इसके बाद इस देश में सरकार को सफलतापूर्वक चलाने का यही एक तरीका है। मैं इसे मानता हूं। जब तक लोग बुद्धिमत्तापूर्वक दुबारा किसी एक पार्टी को व्यापक जनादेश नहीं देते तब तक मैं नहीं समझता कि किसी अन्य ढंग से सरकार चल सकती है। पांचवें दिन जब हमने वैयक्तिक विचार विमर्श किया था मैंने संयुक्त बैठक बुलाने के लिए नेताओं को बुलाया जिसमें देश की भीषण आर्थिक स्थिति पर चर्चा की जाए जिस पर चर्चा के लिए जरा भी विलम्ब नहीं किया जा सकता, मैं चाहता था कि हमारे वित्त मंत्री जी उस स्थिति को स्पष्ट करें। मैं प्रतीक्षा कर सकता था। वास्तव में मैं और प्रतीक्षा कर लेता यदि स्थिति इतनी भयंकर न होती। आज 15 जुलाई है। यदि 15 जुलाई को ये उपाय न किए जाते तो यह बिल्कुल स्पष्ट था—कि भारत देश बाकीदार बन जाता। एक बार आप बाकीदार बन जाने पर देश का क्या होता हमारी अर्थ-व्यवस्था का क्या होता, यह सर्वविदित है, मुझे इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। देश की मुद्रास्फीति

का क्या होता,आपकी विश्वसनीयता का क्या होता। हमारे देश की बैंकों में अनिवासी भारतीयों द्वारा इस विश्वास के साथ जमा की गई पूंजी का क्या होता कि हमारी सरकार स्थाई सरकार होगी, भारत में कोई भी सरकार स्थाई होगी तथा उनकी जमा पूंजी को कोई खतरा नहीं होगा। लोग इन बैंको की ओर भागेंगे और फिर हमारी क्या स्थिति होगी ? अतः इस स्थिति को ध्यान में रखकर ही इसे तुरन्त मैंने अपने इन मित्रों से अनुरोध किया कि वे आएं और हमारे वित्त मंत्री जी के साथ बैठकर बात करें जिसमें यह सब स्पष्ट किया जाए। अब हमने उन्हें दो बातें नहीं बताई। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने शिकायत की कि उन्हें यह दो बातें नहीं बताई गईं परन्तु मैं इसके लिए अपने को अपराधी स्वीकार नहीं करता। जब विनिमय दरों में समायोजन जैसा कोई कदम उठाया जाता है तो मैं नहीं समझता कि हम यह बात पहले से किसी को बताएं। मैं जानता हूं कि ये सब मेरे मित्र हैं। मैं जानता हूं कि मुझे उनके समर्थन की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि अगर वे सरकार को गिराना चाहें तो गिरा सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि उनके लिए इन दो निर्णयों के बारे में पूछना उचित नहीं है कि सोने को देश के बाहर बैंक में जमा करने के लिए क्यों भेजा ताकि तुरन्त कुछ पैसा मिल जाए जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। इन दो निर्णयों के बारे में यह उचित नहीं है। उनके लिए यह पूछना उचित नहीं है और मेरे लिए उस स्तर पर यह बताना उचित नहीं था। अन्य उपायों के बारे में अखबारों में अनेकों बार छपा था। महीनों तक इस पर चर्चा की गई थी। पैनल चर्चा भी हुई। अतः यह नहीं है कि हमने जो उपाय किए हैं वे रातों-रात हो गए हों। हमारी सरकार तीन चार दिन पुरानी भी नहीं है हम कैसे ये सारे दस्तावेज तैयार कर सकते थे ? दस्तावेज तैयार थे। निर्णय नहीं लिए गए और निजी रूप से मैं सोचता हूँ निर्णय नहीं लिए गये बहुत ही उचित कारणों से निर्णय नहीं लिए जा सकते थे।

सरकारें—विशेषकर चन्द्रशेखर जी की सरकार ऐसे निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी और इसी कारण उन्होंने ये निर्णय नहीं लिए थे। इसके परिणामस्वरूप निर्णय हमें ही लेने पड़े और हमारे पास अधिक समय नहीं था और इसी कारण हमें ये सारे निर्णय लेने पड़े।

हमारा दृष्टिकोण यह नहीं रहा है कि अलग-अलग निर्णय लिए जाएं। हमने सारे निर्णय ले लिए हैं। अब केवल एक बात लोगों के सामने आनी है। परन्तु यह सभा के समक्ष आयेगी क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और वह है आर्थिक नीति में सुधार। मुझे विश्वास है कि अगले दो या तीन दिनों में हम उसे अन्तिम रूप देने जा रहे हैं। और यह सभा के समक्ष आयेगी तथा लोगों के समक्ष जायेगी। परन्तु यह कहना कि हमारा दृष्टिकोण अलग-अलग निर्णय लेने का रहा है सही नहीं है। इसका औद्योगिकीकरण से बहुत संबंध है। औद्योगिकीकरण से व्यापार और निर्यात पर भी प्रभाव पड़ता है अतः यह बहुआयामी चीज है तथा एक का दूसरे से संबंध है। हमने कोई एक निर्णय अथवा अन्य निर्णय अलग से पांच-छह दिनों में नहीं लिए हैं। ये निर्णय अलग से नहीं लिए गए हैं। ये निर्णय इस समय हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनके संदर्भ में ही लिए गए हैं। अब मैंने क्या किया है ? सरकार ने क्या किया है ? हम जानते हैं कि हमने जो भी किया है उसका कोई विकल्प नहीं है। हमने केवल इस देश की प्रतिष्ठा को बचाया है। "सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्द्धं त्यजति पंडित :"

हमने ठीक यही किया है। मैं यह नहीं कहता कि हमारी अर्थव्यवस्था समृद्ध रही है अथवा शीघ्र ही समृद्ध हो रही है। मैं यह कह रहा हूं कि "सर्वनाशे समुत्पन्ने"। यदि हमने ऐसा न किया होता तो

आज क्या हो गया होता ? हमने अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिए ऐसा किया है। निसन्देह अभी बहुत अधिक दूरी को पार करना है। यही सब कुछ नहीं है। यह अन्तिम समाधान नहीं है। यह केवल शुरुआत है। यदि आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आप कभी समाप्ति तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए आज इन निर्णयों को लिए जाने के बाद यात्रा **महाप्रस्थान** शुरू होता है। इन निर्णयों की आलोचना नहीं की गई (**व्यवधान**) और इसके क्या परिणाम निकले ? यही बात मैं अपने मित्रों को समझाना चाहता हूं। इसके क्या परिणाम निकले ? इससे क्या परिवर्तन हुआ ? पिछले एक सप्ताह में वित्त मंत्रि को विदेशों में अनिवासी भारतीयों से हजारों सन्देश प्राप्त हुए हैं कि वे अब भारत को समर्थन देते हैं। अब वे अपनी पूंजी वापिस नहीं लेंगे। अन्य देशों से लोग आकर यह कहते हैं :—

हम आपके साथ व्यापार करने आए हैं। हमारे साथ दीर्घावधि समझौता करें। अगले कुछ सप्ताहों में हम दूसरे देशों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि समझौते करेंगे और वे हमें आज की संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए कुछ अग्रिम ऋण भी देना चाहते हैं। हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों के ये तात्कालिक परिणाम हैं।

जैसा कि मैंने कहा है कि ये निर्णय ऐसे नहीं हैं कि इनमें कोई जोखिम नहीं है। ये निर्णय पक्के नहीं हैं और मैं यह नहीं कह सकता, मैं यह गारन्टी नहीं दे सकता कि इन निर्णयों में कोई कठिनाइयां नहीं आयेंगी या असुविधा नहीं होगी। परन्तु इसमें कांग्रेस का घोषणा-पत्र और इतिहास और सरकार चलाने वाली पार्टी का संबंध है। इसके लिए श्री मनमोहन सिंह ही जिम्मेदार नहीं हैं। मनमोहन सिंह और महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी और हम कुछ लोग, जिन पर यह जिम्मेदारी आई है, हम सब का संबंध है। यहां एक व्यक्ति है जो यह जानता है कि क्या किया जाना चाहिए और यहां हम यह जानते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। इन दोनों के बीच एक समझौता होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो राष्ट्र हित के विरुद्ध हो अथवा कांग्रेस द्वारा गरीबों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के विरुद्ध हो। यह गारण्टी मैं इस सभा को दे सकता हूं। हम घोषणा पत्र के अनुसार चलते हैं।

केवल दो दिन पहले ही (**व्यवधान**) परसों ही हमने नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अन्तिम रूप दिया है जो हम इस देश में लाना चाहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विचार विमर्श किया गया है। दो अथवा तीन राज्यों को छोड़कर वह कहीं सफल नहीं हुई। इसका सफलतापूर्वक कार्यान्वियन् नहीं किया गया। कई घंटों तक हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियों पर विचार किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता था यदि इस देश की सरकार गरीबों के प्रति गरीबों के हितों के प्रति निष्ठावान न होती। अतः हमें निचले स्तर से कार्य प्रारंभ करना होगा। हम इस बात को देखेंगे कि जब कार्यक्रम प्रारंभ किए जायें तो ये आवश्यक वस्तुएं गांवों में उचित दर को दुकानों पर अवश्य ही पहुंचें। इन्ही मूल बातों पर हमने विचार किया है। हमने केवल सिद्धांतों की ही घोषणा नहीं की हमने केवल घोषणा—पत्र के पैरा को ही नहीं दोहराया हमने इसके लिए व्यवस्था की है। अब सत्र के बाद सभा स्थगित होने से पहले मैं इस सभा में तथा राज्य सभा में इन बातों की घोषणा करूंगा। मैंने अपने पास यही समय—सीमा रखी है। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किस प्रकार सुधार करने जा रहे

हैं। आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम पर जो बाधाएं हैं उन्हें कैसे दूर किया जाएगा। वे सब बातें स्पष्ट रूप से सभा के समक्ष रखी जाएंगी। मैं इसके लिए वचनबद्ध हूं। अब मैं सभा के समक्ष वचनबद्ध हूं, मैंने यह कार्यवाही करने के लिए अपनी सरकार के प्रति वचनबद्धता की है। अतः हमें पहले इस वचनबद्धता को पूरा करना है।

मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि राजनैतिक पहलू के संबंध में मैं इस सभा द्वारा विश्वासमत प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस सभा द्वारा विश्वासमत पास किए जाने से पहले मैं राजनैतिक पहलू पर विचार नहीं करना चाहता। यही उपयुक्त है। राजनतिक या अन्य औचित्य के लिए भी यह आवश्यक है कि मुझे सरकार को चलाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए जनादेश प्राप्त होना चाहिए।

सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से जिस भी साधन से मतदान की प्रक्रिया सुझाव देगी अथवा अनुमति देगी सरकार कल से कार्य करने की स्थिति में होगी जिससे मैं वह मामले उठा पाऊंगा। यह बात नहीं है कि मैंने पहले से तैयारी नहीं कर रखी है। मैंने पहले से तैयारी कर रखी है, परन्तु कल से मैं अन्य राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श शुरू करूंगा। मैंने एक नेता से आज सुबह बात की थी और उन्होंने कहा "ठीक है" आप सही हैं। हम अपनी बैठकें कल से शुरू करेंगे। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन महत्वपूर्ण मामलों के बारे में जिनका अब तक पूर्ण समाधान नहीं निकल पाया है हमें संपर्क में रहना होगा, हमें चर्चा करनी होगी और हमें सर्वसम्मत हल निकालना होगा। बिना सर्वसम्मति के समस्याओं का हल होना संभव नहीं है सर्वसम्मति होने के बावजूद क्या हम इन समस्याओं को उस समय सीमा के भीतर हल कर पाएंगे जो हमारे दिमाग में है, यह मुझे संदेहास्पद लगता है। परन्तु इसके साथ यह भी है कि यदि सर्वसम्मति नहीं होगी तो हल नहीं निकल पाएगा, इस बात पर मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं। अतः यह प्रक्रिया होगी तथा यह दृष्टिकोण होगा और इस दृष्टिकोण के साथ मैं इस सभा में आया हूं क्योंकि राष्ट्रपति ने मुझ से कहा है कि मैं यह पता लगाऊं कि क्या यह सभा इस बात के लिए तैयार है कि यह सरकार कल से कार्य करे। सारी बात का यही सारांश है। हम इस बात पर विचार कर चुके हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया तथा अन्य सरकारों ने क्या किया। पिछले 40 वर्षों में हमने अनगिनत अपमान सहे हैं और समय बर्बाद किया है। परन्तु 40 वर्ष के अन्त में लोगों ने यह जनादेश दिया है। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि 40 वर्ष के अन्त में मुझे विश्वास है, उन्होंने श्री पासवान की कटु-निन्दा के सभी पहलुओं पर विचार किया होगा। उन्होंने ऐसा किया होगा और हो सकता है वे हमें भी यह बताना चाहते हों कि हमने अतीत में इतना अच्छा कार्य नहीं किया है, अतः सावधान रहें, ठीक है। मैं सहमत हूं कि ऐसा है। यह एक चेतावनी है। मैं इसे लोगों द्वारा दिए गए एक मौके के रूप में लेता हूं कि यदि कोई कमी है तो पार्टी की सरकार उसे ठीक कर ले और अतीत में बहुत सारी कमियां रही हैं जिन्हें समय से सुधारना होगा जिससे कि वस्तुतः इस सरकार के कारण कोई और राष्ट्रीय संकट न उत्पन्न हो। मैं कोई अन्य राष्ट्रीय संकट नहीं होने दूंगा और जहां तक संभव होगा हर व्यक्ति को विश्वास में लूंगा। फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें किसी को भी विश्वास में नहीं लिया जा सकता है। यदि माननीय सदस्य यह चाहें कि मैं यह बताऊं कि बजट में क्या है, मैं ऐसा नहीं कर

सकता हूं और मुझे विश्वास है कि मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे । अतः हमें एक-दूसरे से परामर्श करना शुरू करना चाहिए। विचार-विमर्श की प्रक्रिया में हमें तुरन्त पता चल जाएगा, हम जान जाएंगे कि किस बात पर चर्चा करनी है, किस बात को अलग रखना है, हमें सहमति वाले क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा और यदि संभव हुआ तो असहमति वाले क्षेत्रों को अलग रखना होगा । सहमति वाले क्षेत्रों के संबंध में हम विचारों का आदान-प्रदान करेंगे । यदि कोई ऐसा विचार है जो कुछ मामलों में सरकार के विचार से अच्छा है तो मैं उस विचार को स्वीकार करने को तैयार हूं तथा जो मैंने शुरू किया है उसे तदनुसार बदलने को तैयार हूं । मुझे ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिचक नहीं है । यही दृष्टिकोण होगा । अतः उसी दृष्टिकोण के साथ मैं सभा में प्रवेश कर रहा हूं । मैं इस सभा में इस प्रस्ताव के साथ आया हूं विश्वास प्राप्त होगा या नहीं । क्या आप 15 दिन में तय कर सकते हैं, क्या आप वास्तव में यह तय कर सकते हैं कि हम भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, ये सब बातें हैं, आप अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं जिसके उत्तर आपको मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। परन्तु दिन की समाप्ति पर आपको मतदान करना होगा । यह आपके समक्ष है । जिस पर आपको मतदान करना है । मेरा संबंध इसी बात से है । कल से मुझे सरकार चलानी है, हम चर्चा करने वाली सोसाइटी नहीं बनाना चाहते हैं । हम चर्चा कर सकते हैं, हम कमियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, हम उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, हम विफलताओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं, इन सबके बारे में चर्चा कर सकते हैं परन्तु मुद्दा यह है कि कल से सरकार चलानी है तथा आम सहमति से चलानी है । जहां तक मुझे याद है सभा में सभी वर्ग तथा लोग यही चाहते हैं कि एक सरकार होनी चाहिए तथा हमें उसके पास फिर से भिखारी का कटोरा लेकर नहीं जाना चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए, "ठीक है, हम सरकार नहीं चला सकते हैं (हिन्दी) हम निकम्मे निकले हैं, फिर हमको वोट दीजिए ।" (अनुवाद) वे इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसी कारण हम यहां पर इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं और इसी कारण मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज के मतदान के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करें ।

महोदय, मैं असम के बारे में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ । यह कहा गया है कि आम माफी दी गई है और यह सब गलत हुआ है । मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर राज्य सरकार है जो इस समस्या से निपट रही है । जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्य सरकार को, बिना किसी हस्तक्षेप के तथा दिल्ली से कोई कदम उठाए बिना, इस समस्या से निपटने के लिए स्वतन्त्र छोड़ता हूँ ताकि जल्दीबाजी में और गड़बड़ी न पैदा हो जाए। मैं यह देखना चाहूँगा कि राज्य सरकार स्थिति से किस प्रकार निपटती है, मैं इसके बारे में जल्दीबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालूंगा । मुख्यमंत्री श्री सैकिया ने चुनाव से पूर्व जो किया था, और यदि मैंने उनकी रिपोर्ट को सही समझा है तो उन्होंने लोगों को यह आश्वासन दिया था कि जिनके विरुद्ध कोई मामला लम्बित नहीं है या छोटा-मोटा मामला लम्बित है, उन्हें छोड़ दिया जाएगा । यही उन्होंने सत्ता में आने के बाद किया है । यह उस तरह की माफी नहीं है, कि जिनके विरुद्ध गम्भीर अपराध के मामले दर्ज हों उन्हें छोड़ दिया गया हो। ऐसा नहीं है । उन्होंने एक वचन दिया था । उस समय इस अपहरण की कोई बात नहीं थी । अतः अपहरण के बाद उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए स्वाभाविक रूप से यह प्रयास किए हैं,

कि जिन लोगों का अपहरण किया गया है उनकी हत्या न की जाए । एक व्यक्ति की हत्या पहले ही की जा चुकी है । हमें यह नहीं पता है कि किन परिस्थितियों में उसे मारा गया है ।

परन्तु इन लोगों का जान बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए यदि कोई आदान-प्रदान या किसी को जेल से छोड़ना जरूरी हो तो एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के नाते वे ऐसा करेंगे । जो कुछ किया गया है उस पर अपने विचार व्यक्त करने से पहले हमें इस स्थिति पर कुछ और देर तक नजर रखनी चाहिए। यह एक सामान्य क्षमा का प्रश्न नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को अदला-बदली कर छोड़ा जा रहा है । जैसा कि मैंने कहा है यह अदला-बदली नहीं है । यह एक एकतरफा प्रतिबद्धता है जो उन्होंने चुनाव के पहले की थी और जिसे उन्होंने चुनाव के बाद क्रियान्वित किया है परन्तु शेष बातचीत का मामला है और वह चल रही है । मैं समझता हूं कि बात भी यही है मुझे यह भी लगता है कि सभी पार्टियों की स्थानीय इकाइयां जिनके नेताओं ने इस निर्णय की आलोचना की है, आज इस निर्णय के समर्थन में हैं । उन्होंने एक संकल्प को पारित किया है । मेरे पास उस संकल्प की प्रति है । अतः ऐसा लगता है कि यहां के नेताओं तथा उनके वहां के कनिष्ट सहयोगियों के विचारों में फर्क है । बेहतर है आप इसकी जांच करेंगे । मैं पूरे अधिकार से कहता हूं कि एक संकल्प है सिर्फ श्री सैकिया के हस्ताक्षर पर ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों के नेताओं के हस्ताक्षर से यह संकल्प पारित हुआ है । अतः मैं उसे सभा के समक्ष रखना चाहूंगा और उससे ये सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उस संकल्प में क्या है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : संकल्प में दोनों पक्षों से अपील की गई है, जिसमें उल्फा से सरकार द्वारा उठाए कदमों पर प्रतिक्रिया जाहिर करने तथा टाडा बन्दियों को रिहा करने की अपील है । हस्ताक्षरकर्त्ताओं में सभी राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं तथा राष्ट्रीय स्तर के वे लोग भी हैं जिन्होंने रिहाई के प्रस्ताव की निन्दा की है । यही बात मैंने कही है । अतः यदि स्थानीय इकाई किसी विशेष तरीके से सोचती है तो हमें उस स्थानीय इकाई के विचारों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे ही जानते हैं कि समस्या कहाँ है ? अतः उन्हें ही यह काम करने थे। वे इसे संयुक्त रूप में कर रहे हैं । मैं समझता हूँ कि मुख्य मंत्री अन्य लोगों को भी विश्वास में ले रहे हैं और उन्होंने यह संयुक्त वक्तव्य जारी किया है । अतः हमें इंतजार करनी चाहिए और हमें अपने विचार अभी ही प्रकट नहीं करना चाहिए।

महोदय मैंने कहा है कि औद्योगिक सुधार अभी दूर है । दो-तीन दिनों में हमें उसे लायेंगे । परन्तु जैसा कि अक्सर होता है तीन या चार समाचार पत्रों ने अपने विचार प्रकाशित किए हैं जो आपस में मेल नहीं खाते और जो कुछ भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है उस पर किसी भी तरह का अनुमान लगाया जा सकता है । इसलिए हमें समाचार-पत्रों के विचारों पर नहीं विश्वास करना चाहिए । मैं यह कहूँगा कि हम अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण हटा रहे हैं परन्तु हम ऐसा अपनी गति से कर रहे हैं । हम विदेशी निवेश का स्वागत करते हैं परन्तु अपनी शर्तों पर तथा ऐसे क्षेत्रों में जिसे हम महत्वपूर्ण तथा जरूरी समझते है । इसी मूल सिद्धांत पर हम यह काम कर रहे हैं । यदि हम यह समझते है कि किसी क्षेत्र में औद्योगीकरण की जरूरत नहीं है या यह विकासशील देशों के लिए हानिकारक है और हमारे समक्ष ऐसी अनेक स्थितियां हो सकती हैं, जहां उनके विचार से उनके देशों में ये उद्योग हानिकारक नहीं

है परन्तु हमारे विचार से ये हमारे देश के लिए निश्चित रूप से हानिकारक हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार को अधिकार है कि वह ऐसे उद्योग स्थापित न होने दे। हमने इतनी छूट नहीं दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति यहां आए और कुछ भी करे। यह संभव नहीं है। हमने देखा है कि अधिक नियंत्रण से विगत में आर्थिक गतिविधियों में बाधा आई है। यही अनुभव रहा है सरकार तथा हरेक के अनुसार समय आ गया है क्योंकि इस परिवर्तन से सारा विश्व प्रभावित हो रहा है। मैं कामरेड गोर्बाचेव के बारे में और अन्य देशों में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं ऐसा पहले ही कहा जा चुका है। सोवियत संघ में जो हो रहा है इस बात की जानकारी लोगों को मुझसे ज्यादा है। यह बात कह दी गई है। अतः मुझे इन बातों को दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। हम इस पूरे विश्व में फैलने वाले परिवर्तन से अलग नहीं रह सकते जिस ढंग से हम देश को चला रहे हैं हो सकता है कोई गलती कर रहे हों। मुझे विश्वास नहीं होता कि दूसरे लोग गलती नहीं कर रहे होंगे। लेकिन मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। इसके बारे में आपको अधिकार है मैं आपके साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हूं कि हमने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भाजपा के हमारे मित्र भी हमें बता सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें एक विचार बनाना चाहिए इस बड़े बदलाव की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए जिसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते और अगर हम करते हैं तो ऐसा अपने जोखिम पर करेंगे। हम विश्व में अलग-थलग पड़ जाएंगे और हम नहीं चाहेंगे कि भारत अलग-थलग पड़े। यही कारण है कि हम इतने अधिक क्षेत्रों में समझौता कर सकते हैं एक विचार बना सकते हैं और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कहूंगा। किसी भी ओर से आने वाले नए विचारों, नई प्रक्रियाओं के प्रति सरकार का दिमाग हमेशा खुला रहेगा। इसी भावना के साथ हम देश की समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं।

मुझे सभी उठाए गए मुद्दों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, उनमें से कुछ प्रासांगिक हैं पर आप जानते है ऐसे लम्बे वाद-विवाद में कुछ अप्रासांगिक बातें आ ही जाती हैं। उनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं वास्तव में उन माननीय सदस्यों का अनुसरण न करूं, मैं उनका उन क्षेत्रों में अनुसरण नहीं करूंगा जिन्हें कि मैं अप्रासांगिक समझता हूं।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सभा की स्वीकृति के लिए इस प्रस्ताव की सिफारिश करता हूं। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

जो इसके पक्ष है वे कृपया 'हां/कहेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : 'हां' कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो इसका विरोध करते हैं कृपया 'नहीं' कहेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : 'नहीं' कहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से 'हां' कहने वालों की जीत हुई है । 'हां' कहने वाले जीत गए हैं ।

अनेक माननीय सदस्य : 'नहीं' कहने वालों की जीत हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली कर दी जाएं ।

माननीय सदस्यो, चूंकि सदस्यों को अभी तक 'डिवीजन नम्बर' नहीं दिए गए हैं अतः यह संभव नहीं है कि 'आटोमैटिक वोट रिकार्डिंग मशीन' द्वारा मत विभाजन करवाया जाए । मत विभाजन अब नियम 367 कक के अन्तर्गत पर्चीं वितरण द्वारा कराया जाएगा ।

सदस्यों को अपना मत प्रकट करने के लिए उनकी सीटों पर ही 'हां'/'नहीं' छपी पर्चियां दी जाएंगी । इन पर्चियों पर अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में एक तरफ हरे रंग में 'हां' छपा हुआ है और दूसरी ओर लाल रंग में 'न' छपा हुआ है । इन पर्चियों पर सदस्य अपनी इच्छानुसार अपना मत व्यक्त करके अपने हस्ताक्षर कर दें और निर्दिष्ट स्थानों पर अपनी पहचान पत्र संख्या, नाम, निर्वाचन क्षेत्र और राज्य संघ शासित क्षेत्र तथा तारीख स्पष्ट रूप से लिख दें । (व्यवधान) अथवा फिर, आप कम से कम केवल अपना नाम तो लिख ही सकते हैं । जो सदस्य अपनी 'अनुपस्थिति' दर्ज करवाना चाहते हैं वे पीले रंग की पर्ची मांग लें । मत व्यक्त करने के फौरन बाद प्रत्येक सदस्य को अपनी पर्ची 'डिवीजन क्लर्क' को दे देनी चाहिए जिससे परख अधिकारी को सौंपने के लिए, वह उसे लेने के लिए आपकी सीट पर आएगा । सदस्यों से अनरोध है कि वे मत विभाजन के लिए केवल एक ही पर्ची भरें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, माननीय सदस्यो, मेरे विचार से इस का हिन्दी अनुवाद भी आपके लिए उपलब्ध है । मैं इसे दोबारा पढ़ दूंगा । बिल्कुल सही सुनने के लिए आप अपने ईयर-फोन लगा सकते हैं आपको मैं जो यहां कह रहा हूं उसका दोबारा शब्दशः अनुवाद मिल जाएगा क्योंकि यदि मैं केवल अनुवाद करूं तो यहां-वहां कुछ गलतियां हो सकती हैं । ठीक है, मैं इसे दोबारा कहता हूं । यदि आप चाहते हैं तो मैं शब्दशः अनुवाद कर सकता हूं । लेकिन वह ज्यादा सटीक होगा । मैं इसे दोबारा पढ़ दूंगा ।

चूंकि सदस्यों को अभी तक डिवीजन नम्बर नहीं दिए गए हैं, इसलिए 'आटोमैटिक वोट रिकार्डिंग मशीन से मत-विभाजन करवाना सम्भव नहीं है । नियम 367 क क के अन्तर्गत अब पर्चियों के वितरण द्वारा मत-विभाजन शुरू होगा ।

सदस्यों को अपना मत प्रकट करने के लिए उनकी सीटों पर ही 'हां'/'नहीं' छपी पर्चियां दी जाएंगी । 'हां' वाली पर्ची अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में एक तरफ हरे रंग में छपी हुई है और 'नहीं' वाली इसके दूसरी तरफ लाल रंग में । इन पर्चियों पर सदस्य अपने हस्ताक्षर करके अपनी इच्छानुसार अपना मत व्यक्त कर सकते हैं और अपना पहचान पत्र संख्या यदि उन्हें अपनी पहचान पत्र संख्या याद न हो तो वे अपना नाम, निर्वाचन क्षेत्र और राज्य/संघ शासित क्षेत्र और तारीख स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट स्थानों पर लिख सकते हैं । जो सदस्य अपनी अनुपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं वे पीले रंग की पर्ची मांग सकते हैं ।

मत व्यक्त करके के फौरन बाद प्रत्येक सदस्य को अपनी पर्ची 'डिवीजन क्लर्क' को दे देनी चाहिए जो परख अधिकारी को सौंपने के लिए उसे लेने के लिए आपकी सीट पर आएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे मत के लिए केवल एक ही पर्ची भरें।

[हिन्दी]

मैं हिन्दी में बोलना चाहूंगा, मशीन काम नहीं कर रही है और आपको नम्बर नहीं दिए हैं इसलिए आपको स्लिप दी जाएगी। उस स्लिप पर आपको अपना नाम लिखना है। जो स्लिप दी जाएगी वह दो रंग की है। एक का हरा रंग है और दूसरी स्लिप लाल रंग की है। आपको 'हां' लिखना है तो 'हां' और 'न' लिखना है तो 'न'। दोनों पर लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है। आपको उसके ऊपर नाम, स्टेट/यूनियन टैरीटरी का नाम और आपको आई-डेन्टीटी कार्ड मिला है .....

[हिन्दी] (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद अगर किसी को हां या नहीं कहना है तो उनको अलग स्लिप दी जाएगी और पीले रंग की भी दी जाएगी। आपको जिस प्रकार से वोट देना है वह देना पड़ेगा। आप जब स्लिप लिखें तो आपके पास हमारे साथी आएंगे। उनको स्लिप देंगे तो काउन्टिंग होगी। उसके बाद रिजल्ट अनाऊंस किया जाएगा। हरे रंग की स्लिप पर हरे अक्षर हैं और लाल रंग की स्लिप पर लाल अक्षर हैं। एबस्टेन के लिए पीले रंग की है। मैं समझता हूं कि इतना एक्सप्लेनेशन काफी है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, न तो इनकी कोई पहचान है और न ही वह किसी राज्य से चुनाव जीत कर आए हैं क्योंकि एक नामनिर्दिष्ट सदस्य हैं। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए :

"कि यह सभा (मंत्रिपरिषद) में अपना विश्वास व्यक्त करती है। अब मत विभाजन होगा--कृपया पर्चियां बांटी जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं सदस्यों से अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाने का अनुरोध कर सकता हूं ताकि पर्चियां आसानी से जमा की जा सके ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अपना-अपना स्थान ग्रहण करने का आग्रह कर रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

समय : 6.46 म० प०

पक्ष में

मत विभाजन सं० 1

अडईकलराज, श्री एल०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्नैय्यगिरी, श्री साय प्रताप
अन्वारासु, श्री इरा
अय्यर, श्री मणिशंकर
अरुणाचलम, श्री एम०
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री ई०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अहिरवार, श्री आनन्द
आदित्पन, श्री आर० धनुषकोडी
इन्द्रजीत, श्री
इम्चा लम्बा, श्री
उपाध्याय, श्री स्वरूप
उम्बे, श्री लेइता
उर्स, श्रीमती चन्द्र प्रभा
एन्थोनी, श्री फ्रेंक
ओडेयर, श्री चनैया
ओवैसी, श्री सुलतान सलाउद्दीन
कमलनाथ, श्री
करेद्दुला, कुमारी कमलाजी
कहांडोले, श्री जेड० एम०
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कामत, श्री गुरूदास
कामसन, प्रो० मिजिनसंव
कालियापेरुमल, श्री पी० पी०
काले, श्री शंकर राव.
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री रंगाराजन
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुली, श्री बोलिन
कृष्ण स्वामी, श्री एम०
केनिथी, डा० विश्वनाथम
कोनाथाला, श्री रामकृष्ण
कौल, श्रीमती शीला
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी
खां, श्री अय्यूब
खां, श्री असलम शेर
खुर्शीद, श्री सलमान
गगोई, श्री तरूण
गजपति, श्री गोपीनाथ
गहलोत, श्री अशोक
गांगुला, श्री प्रताप रेड्डी
गामित, श्री छीतूभाई
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गावीत, श्री मणिकराव होडल्या
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल
गुडादिन्नी, श्री बी० के०
गोमांगो, श्री गिरधर
गौडर, श्री ए० सेनापति
गोविन्दा राजुलु, श्री आर० कंगा
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगाथम
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चह्वाण, श्री पृथ्वीराज डी०
चाक्को, श्री पी० सी०
चार्ल्स, श्री ए०
चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्री राम प्रसाद
चौरे, श्री बापू हरि
जनार्दनन, श्री एम० आर०
जयमोहन, श्री ए०
जवाली, डा० बी० जी०
जांगड़े, श्री खेलनराम
जाखड़, श्री बलराम
जाटव, श्री बारे लाल
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जीवरत्नम, श्री आर०
जुटवाडी, श्री चोक्का राव
झिकराम, श्री मोहन लाल
टाईटलर, श्री जगदीश
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
टिण्डिवणम, श्री के० राममूर्ति
टोपे, श्री अंकुशराव
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई
तंगाबालू, श्री के० वी०
तारादेवी, श्रीमती डी० के०
तारा सिंह, श्री
तोपनो, कुमारी फिदा
थामस, प्रो० के० वी०
थुंबन, श्री पी० के०

थोरट, श्री संदीपन भगवान
दत्त, श्री सुनील
दिग्विजय सिंह
दिघे, श्री शरद
दीवान, श्री पवन
देका, श्री प्रबीन
देव, श्री संतोष मोहन
देवड़ा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी०
देवी, महारानी विभू कुमारी
देशमुख, श्री अनन्तराव
नन्दी, श्री येल्लैया
नवले, श्री विदुर विथोबा
नायक, श्री ए० वेंकटेश
नायक, श्री जी० देवराय
नायक, श्री मृत्युंजय
नायक, श्री सुबास चन्द्र
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
निकाम, श्री गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
न्यामगोड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
पंडियन, श्री डी०
पटनायक, श्री शरत चन्द्र
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजी भाई
पटेल, श्री प्रफुल्ल
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पथ्थी, श्री कुडुमुला
डा० (श्रीमती) पद्मा
पवार, श्री अजीत अनन्तराव

पवार, डा० बंसल निवरटी
पाटिल, श्री अन्वरी बसवराज
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटिल, श्री प्रकाश बाबू वसन्तराव
पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटिल, श्री यशवन्त राव
पाटिल, श्री विजय एन०
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पात्र, डा० कार्तिकेश्वर
पायलट, श्री राजेश
पाल, डा० देवी प्रसाद
पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू
पूसापति, श्री आनन्द गजपति राजू
पेरुमान, डा० पी० वल्लल
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रभुझांत्ये, श्री हरीश नारायण
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
फर्नांडीस, श्री ओस्कर
फारुक, श्री ओ० एम० एच०
बंसल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बीरबल, श्री
बूटा सिंह, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री विश्वेश्वर
भडाना, श्री अवतार सिंह
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी
भाग्ये गोबर्धन, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोंसले, श्री तेजसिंह राव
भोंसले, श्री प्रतापराव बी०
भोई, डा० कृपासिन्धु
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लू, डा० आर०
माडे गौडा, श्री जी०
माथुर, श्री शिव शरण
माने, श्री राजा राम शंकरराव
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिर्धा, श्री राम निवास
मीणा, श्री भैरूलाल
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री के० एच०
मुरलीधरण, श्री के०
मुरुमेसन, श्री एन०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर
मेघे, श्री दत्त
मैथ्यू, श्री पाला के० एम०
रथ, श्री रामचन्द्र
राजरविवर्मा, श्री बी०
राजू, श्री एस० विजय राम
राजेन्द्र कुमार, श्री एस० एस० आर०
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती बासव
राठवा, श्री नारायण भाई जमलाभाई
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सिंह, राव
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राममूर्ति, श्री के०
रामास्वामी, श्री आर०
राय, श्री कल्प नाथ
राव, श्री वी० कृष्ण
रावत, श्री भगवान शंकर
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री अनन्त वकट
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री एम० वागा
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा
रेड्डी, श्री महासमुन्द्रम ज्ञानेन्द्र
रेड्डी, श्री विजय भास्कर
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
लौरडूसामी, श्री अडईकलराज
वर्मा, श्री भवानी लाल
वर्मा, कु० निर्मला
वान्डायार, श्री के० तुलसिय्या
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विजयराघवन, श्री वी० एस०
विलियम्स, मे० जन० आर० (मनोनीत आंग्ल भारतीय)
व्यास, डा० गिरिजा
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शिगडा, श्री डामू बरकू
शिवप्पा, श्री के० जी०
शुक्तल, श्री
शैलजा, कुमारी
श्रीधरण, श्री आर०
श्रीनिवासन, श्री चिन्नासामी
संचमा, श्री पूर्णो ए०
सईद, पी० एम०

सज्जन कुमार, श्री
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या
सानीपल्ली, श्री गंगाधर
सावन्त, श्री सुधीर
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
सिंह, श्री मनफूल
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुख राम, श्री
सुन्दरराज, श्री एन०
सुरेश, श्री कौड्डीकुनील
सुल्तानपुरी, श्री कृष्णदत्त
सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सौन्दम, डा० (श्रीमती) के० एस०
सोलंकी, श्री सूरजभानु
स्वामी, श्री जी० वेंकट
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

विपक्ष में

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अवैद्यनाथ, महन्त
बाजपाई, श्री लाल कृष्ण
उमा भारती, कुमारी

उरांव, श्री ललित

कमल, श्री श्याम लाल

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल

कनोजिया, डा० जी० एल०

कनोडिया, श्री महेश कुमार

कष्वां, श्री राम सिंह

कापसे, श्री राम

कालका दास, श्री

कुमार, श्री बी० धनंजय

कुसमरिया, श्री रामकृष्ण

कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती

कोरडिया, श्री चन्द्रेश पटेल

कोरी, श्री गया प्रसाद

कोली, श्री गंगा राम

खंलडेवाल, श्री तारा चन्द

खनोरिया, श्री डी० डी०

खन्डूरी, श्री भुवन चन्द्र

खुराना, श्री मदन लाल

गंगवार, डा० परशुराम

गंगावर, श्री संतोष कुमार

गोहिल, डा० महावीर सिंह

गौड, श्री के० वेंकटगिरी

गौतम, श्री शील

चावड़ा, श्री हरि, सिंह

चिखलिया, कु० दीपिका

चिखलिया, श्रीमती भावना

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री रुद्रसेन

चौहान, श्री चेतन पी० एस०

छोटे लाल, श्री

जटिया, श्री सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जसवन्त सिंह, श्री
जेस्वाणी, डा० खुशीराम डुंगरीमल
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री दाऊ दयाल
टंडेल, श्री डी० जे०
ठाकुर, श्री गाभाजी, मंगाजी
तोमर, श्री रमेश चन्द्र
त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि
त्रिवेदी, श्री अरविन्द
दास, श्री द्वारका नाथ
दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र
देशमुख श्री चन्दूभाई
द्रोण, श्री जगतवीर सिंह
धूमल प्रो० प्रेम
नाईक, श्री राम
पटेल, श्री अमृत लाल कालिदास
पटेल, श्री सोमाभाई
पटेल, श्री हरिभाई
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री सुरेन्द्रपाल
पाठक, श्री हरिन
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पासी, श्री बलराज
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र
प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा
प्रेमी, श्री मंगलराम
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलीक
बंडारू, श्री दत्तात्रेय
बलियान, श्री नरेश कुमार

बैरवा, श्री राम नारायण
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
मल्लिकार्जुनय्या, श्री
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महेन्द्र कुमारी, श्रीमती
मिश्र, श्री जनार्दन
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मुण्डा, श्री कड़िया
मौर्य, श्री आनन्द रत्न
रंगपी, डा० जयन्त
राजनारायण, श्री
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राम देव राम, श्री
रावत, श्री भगवान शंकर
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावल, डा० लाल बहादुर
लोढा, श्री गुमान मल
वघेला, श्री शंकरजी लक्ष्मण जी
वर्मा, श्री रति लाल
वर्मा, श्रीमती रीता
वीरेन्द्र, सिंह, श्री
वेकारिया, श्री एस० एन०
शर्मा, श्री जीवन
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार
शर्मा, श्री विश्वनाथ
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शाह, श्री मानवेन्द्र
शुक्ल, श्री अष्टभुज प्रसाद
संघानी, श्री दिलीप भाई
सरस्वती, श्री योगानन्द
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ

साक्षीजी, श्री स्वामी
सिंह, श्री देवीबख्श
सिंह, श्री बृजभूषण
सिंह, श्री महादीपक
सिंह, श्री राजवीर
सिंह, श्री राम
सिंह, श्री राम पाल
सिंह, श्री सत्यदेव
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द
स्वामी, श्री सुरेशानन्द

अध्यक्ष महोदय* :—शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 241

विपक्ष में 111**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : भाग नहीं लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है ?

अध्यक्ष महोदय : भाग न लेने वाले सदस्यों की संख्या 112 है ।

अब सभा 16 जुलाई, 1991 को 11.00 मं० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

7.07 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 16 जुलाई, 1991/25 आषाढ़, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

*शुद्ध किए गए रूप में :-

एक पर्ची आई० सी० सं० 396, कथित रूप से अकबर बी० पाशा, जो तमिलनाडु के वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, द्वारा पक्ष में भरी गई है । उन्होंने अभी तक शपथ ग्रहण नहीं की है और इसलिए वह सभा की कार्यवाही में भाग लेने के हकदार नहीं हैं ।

**शाखा में पर्चियों की जांच करने पर यह पाया गया कि वास्तव में विपक्ष में डाली गई पर्चियां 109 हैं ।

MGIPF—544LSS/91—225—1-1-92